लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी सस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit
Parliament Library
14-10-92

6th Lok Sabha

(खंड 27 में अंक 51 से 59 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 58, गुरुवार, 17 मई, 1979 / 27 वैशाख, 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	1—18
* तारांकित प्रश्न संख्या : 1153क, 1154, 1155 और 1157		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	18—165
तारांकित प्रश्न संख्या : 1156 और 1158 से 1173		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 11074 से 11272		
अतारांकित प्रश्न संख्या 2734 दिनांक 7-12-78 में शुद्धि करने वाला विवरण	...	165—166
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	166—170
राज्य सभा से संदेश		170—171
श्री चित्रा तिरूनल इन्स्टीट्यूट फार मैडिकल साइंसिस एंड टैक्नोलोजी त्रिवेन्द्रम, विधेयक		171—175

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 175—185

आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती जिलों में समुद्री तूफान के कारण हुए विनाश का समाचार

श्री के० सूर्यनारायण 175

श्री सुरजीत सिंह बरनाला 175

श्री राज शेखर कोलूर 180

श्री युवराज 181

श्री के० राममूर्ति 183

आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हाल के तूफान द्वारा हुई जान और माल की क्षति के बारे में अध्यक्ष द्वारा उल्लेख 185

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति 185

20वां प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 186

21वां प्रतिवेदन

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक 186

संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति

नियम 377 के अन्तर्गत मामले 186—193

(एक) कर्नाटक में तुमकुर जिले के कई गांवों में गैर कानूनी खनन-कार्य का समाचार

श्री के० लकप्पा 186

(दो) बर्तनों और शल्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में लगे पश्चिम बंगाल के लघु उद्योग एककों की समस्यायें

श्री सोमनाथ चटर्जी 187

(तीन) दिल्ली के विभिन्न होटलों में आयोजित गोष्ठियों पर किया गया भारी खर्च

डा० रामजी सिंह 188

(चार) वाणिज्यिक पायलटों की आयु सीमा में छूट

डा० वसन्त कुमार पंडत 188

(पांच) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सात बोइंग 737 विमानों की खरीद सम्बन्धी समझौता

श्री ज्योतिर्मय बसु 189

(छः) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में तलारा और जवनबाला शहर रेलवे स्टेशनों के बीच 12 मई, 1979 को हुई रेल दुर्घटना का समाचार

श्री दुर्गाचन्द 191

(सात) जगुआर विमान के लिए इलैक्ट्रानिक उपकरण के निर्माण के लिए पंजाब में एक कारखाना स्थापित करने का सरकार का निर्णय

श्रीमती पार्वती कृष्णन 191

संविधान (46वां संशोधन) विधेयक 193—255

विचार करने का प्रस्ताव

श्री पी० के० कोडियन 194

श्री गोविन्द राम मिरी 196

श्री के० कुन्हम्बु 199

श्री एस० एस० सोमानी 202

श्री पूर्णनारायण सिन्हा 206

श्री ए० ई० टी० बैरो 211

श्री कंवरलाल गुप्त 215

श्री राम नरेश कुशवाहा 220

श्री भाउसाहिब थोरट 222

श्री शिवनारायण सरसूनिया 224

श्री बी० सी० काम्बले 227

डा० हेनरी आस्टिन 229

श्री जी० एम० बनातवाला 231

श्री घनिक लाल मंडल 236

लोकपाल विधेयक 255—280

विचार के लिए प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

श्री एच० एम० पटेल 265

डा० रामजी सिंह 266

श्री पवित्र मोहन प्रधान 270

श्री ब्रज भूषण तिवारी 273

श्री उग्रसेन 277

प्रधानमंत्री और भूतपूर्व गृह मन्त्री के परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपने के सरकारी निर्णय के बारे में गृह मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा 281—313

श्री सी० एम० स्टीफन 285

श्री सोमनाथ चटर्जी 296

श्री शान्ति भूषण 300

श्री एच० एम० पटेल 308

लोक सभा

गुरूवार, 17 मई, 1979/27 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा दस बजकर 35 मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमा पार करने की घटनाओं को रोकने के लिए बंगला देश सरकार के साथ वार्ता

*1153क. †श्री निहार लास्कर
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री और बंगला देश सरकार के बीच करार का कार्यान्वयन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या करार के बावजूद सीमा पार करने की घटनायें जारी हैं; और

(घ) प्रधान मन्त्री की यात्रा के बाद सीमा को पार करते हुए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : इस प्रश्न पर कल चर्चा हुई थी । (व्यवधान) मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : कल इस पर काफी चर्चा हो गई थी।

(क) और (ख) सीमा पर अवैध रूप से आवागमन को समाप्त करने के लिए भारत और बंगला देश की सरकारों के बीच कोई विशिष्ट करार नहीं है लेकिन प्रधान मंत्री की हाल की बंगला देश की यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति हुई थी कि सीमा पर अवैध आवागमन को रोकने के लिए दोनों सरकारें एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगी । बंगला देश की सरकार ने हमें यह आश्वासन भी दिया था कि वह अपने राष्ट्रिकों को वापिस लेने के लिए हमेशा तैयार रहेगी ।

वस्तुतः बंगला देश की सरकार ने हाल ही में 2500 चकमाओं के एक समूह को वापिस ले लिया है जोकि पहले मिजोरम में घुस आये थे।

(ग) प्रधान मंत्री की बंगला देश यात्रा के बाद भी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवेश होते रहें हैं।

(घ) 16 अप्रैल, 1979 से 10 मई, 1979 के बीच सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पर ऐसे 1809 लोगों को रोका था।

श्री निहार लास्कर : मुझे वास्तव में ताज्जुब होता है जब मन्त्री जी यह कहते हैं कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर कल ही दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कल प्रश्न के केवल एक भाग पर ही चर्चा हुई थी।

श्री निहार लास्कर : मुझे बताया गया था कि वे मेरे प्रश्न का उत्तर आज देना चाहते थे कल नहीं, मुझे यह टेबल कार्यालय के लोगों द्वारा बताया गया था। जहां तक हमारे प्रधान मन्त्री जी की बंगला देश की नवीनतम यात्रा का सम्बन्ध है, हमें यह बताया गया था कि बंगला देश की यह एक बहुत ही लाभदायक यात्रा थी। वहां आपने भी तो बंगलादेश से भारत में आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ के विषय में—प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री दोनों ने—बातचीत की थी यह भी स्वीकार कर लिया गया था कि एक पक्षीय मामला है; लोग उस देश से ही यहां आते हैं; यह सब बंगलादेश में अव्यवस्थित स्थिति के कारण हो रहा है, आपने भी इसके विषय में कुछ मामलों पर बातचीत की थी, परन्तु मैं सोच ा हूं कि इस बात को आपकी संयुक्त विज्ञप्ति में कोई स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है। मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने बंगला देश सरकार के साथ इन मामलों पर बातचीत की थी तो इसको आपकी संयुक्त विज्ञप्ति में कोई स्थान क्यों नहीं मिल पाया है ? बंगलादेश के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधान मन्त्री जी को आश्वासन दिया है कि वे इस बात का ख्याल रखेंगे कि बंगला देश से इन शरणार्थियों का बड़ी संख्या में भारत आना रोका जा सके, परन्तु प्रश्न के उत्तर में कहा यह गया है कि एक माह में ही 2,000 लोगों ने सीमा को पार किया और भारत में आ गये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बंगलादेश सरकार के साथ किन विशेष समस्याओं अथवा मामलों पर वार्ता की जानी है अथवा क्या आपने इस अवैध प्रवेश को रोकने का भार प्रशासनिक अधिकारियों पर ही छोड़ दिया है ? जब तक इसके लिए उच्चतम स्तर पर राजनैतिक जिज्ञासा नहीं होगी आप इस अवैध प्रवेश को नहीं रोक सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिए आपने विस्तृत रूप से किन उपायों की रूपरेखा तैयार की है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब हमारे प्रधान मन्त्री जी वहां थे तो उस समय बंगलादेश के नेताओं से इस प्रश्न पर बातचीत की गई थी, प्रधान मन्त्री जी द्वारा लोक सभा और दूसरे सदन में दिये गये वक्तव्य में इसका जिक्र अवश्य किया गया था, इस पर बंगलादेश की सरकार की प्रतिक्रिया अनुकूल थी, उन्होंने यह स्वीकार किया था कि बंगलादेश के उन व्यक्तियों को जिन्होंने 1971 के पश्चात सीमापार की, भारत सरकार द्वारा वापस चले जाने को कह दिया जाना चाहिए और बंगलादेश उनको वापस लेने को तैयार होगा। यह भी सहमति हुई थी कि सीमा पर सुरक्षा उपायों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया जाना चाहिए। अवैध

प्रवास के मामलों में जिला अधिकारियों के स्तर पर सीमा सुरक्षा कर्मचारियों और बंगलादेश के अधिकारियों के बीच बैठक होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि बंगलादेश ने उन कुछ हजार चकमाओं को वापस ले लिया है जिन्होंने सीमा को पार किया था, मैं माननीय सदस्य के साथ इस कथन से पूर्णरूप से सहमत हूं कि यदि इसमें इच्छा नहीं होगी तो प्रशासन स्तर पर की गई कोई भी व्यवस्था इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, परन्तु मैं इसमें भी सन्देह नहीं कर सकता हूँ कि बंगलादेश की इसी प्रकार की इच्छा है।

श्री निहार लास्कर : मैं उन 2000 व्यक्तियों के विषय में नहीं जानता हूँ जिनका कि आपने यहां उल्लेख किया है। अभी हाल ही में हमने पढ़ा है कि त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री दिल्ली चले आये हैं। उस देश से बहुत अधिक संख्या में शरणार्थी भागे चले आ रहे हैं। क्या वहां जो कुछ हो रहा है उसके विषय में आप बंगलादेश से सम्पर्क बनाये हुए हैं? इसके क्या कारण हैं? वे क्यों आ रहे हैं? शरणार्थी बड़ी संख्या में भारत चले आ रहे हैं, वहां अवश्य ही कोई अव्यवस्था होगी।

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख विस्तार में कल किया जा चुका है।

श्री निहार लास्कर : मैं कल सदन में उपस्थित नहीं था। क्या आप बंगलादेश सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं? क्या इस सम्बन्ध में आप सरकार को कोई सुझाव दे सकते हैं ताकि सरकार कोई कदम उठा सके?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि हाल ही में सैकड़ों की संख्या में.....

श्री निहार लास्कर : कुछ सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे संख्या मालूम है।

श्री निहार लास्कर : ग्यारह हजार।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हाल ही में सैकड़ों की संख्या में कुछ चकमा हमारी ओर भाग आये हैं, हम बंगलादेश के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और हमें आशा है कि वे अपने-अपने स्थानों को वापस चले जायेंगे, जहां तक इस प्रकार के अधिकाधिक देशांन्तरगमन के कारणों का सम्बन्ध है तो इसके अनेक कारण हैं जैसे—सामाजिक, आर्थिक तथा और भी कई कारण हो सकते हैं, परन्तु हमें कारणों के पीछे नहीं जाना है हमें अपनी सीमा पर ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे ये घुसपैठिये हमारी सीमा में न आ सकें।

इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हम राज्य सरकारों से सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु जैसा कि मैं अपने मूल उत्तर में व्यक्त कर चुका हूं यह हमेशा की समस्या है। सन् 1975 में बंगलादेश से आने वालों की संख्या सबसे अधिक थी परन्तु इस वर्ष भी यह संख्या अत्यधिक बढ़ गई है और इससे चिन्ता उत्पन्न हो रही है तथा हमने इस मामले को पूर्ण गम्भीरता के साथ बंगला देश की सरकार के साथ उठा लिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बद्रीनारायण

श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या इस देश के अन्दर इन उत्प्रवासों के पीछे कोई कुटिल

उद्देश्य छिपा हुआ है ? क्या इसमें जासूसी करने का तथा गड़बड़ फैलाने का अथवा ऐसी ही कोई हरकत करने का उद्देश्य निहित है ? यदि हां तो क्या यह भारत सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह अपने देश में इस प्रकार के प्रवेश को रोके ? दूसरा प्रश्न कितने व्यक्ति बंगलादेश से भारत आये ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चाहे उद्देश्य कुछ भी हों यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के अवैध देशान्तरगमन पर रोक लगावे, **(व्यवधान)** मैंने सोचा शायद श्री लकप्पा कल रैली में उपस्थित नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : हमें दूसरे प्रश्नों पर नहीं जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हमारी ओर से यद्यपि लोग बंगलादेश जाते हैं परन्तु वे वहां अपने दोस्तों अथवा सम्बन्धियों से मिलने को ही जाते हैं। जहां तक भारतवर्ष का सम्बन्ध है यहां से कोई भी देशान्तरगमन नहीं हो रहा है।

श्री ए० आर० बद्रीनारायण : उनकी संख्या कितनी है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे पास संख्या उपलब्ध नहीं हैं।

श्री सौगतराय : बंगलादेश में चाहे स्थिति कैसी भी क्यों न हो, हमारे प्रधानमंत्री जी की बंगलादेश की यात्रा काफी सराहनीय कदम है, हम देखते हैं कि इससे कई पिछली समस्याओं का समाधान हो जायेगा, इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उस यात्रा के दौरान मेघालय में रहने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों की समस्याओं पर भी बातचीत की गई है ? यदि हां तो उसके परिणाम क्या रहे हैं ? क्या फरक्का के पानी के विषय में भी कोई आगे की बातचीत की गई है ? क्या खुसियारा नदी पर बंगलादेश द्वारा पर्वत प्रक्षेप के निर्माण किये जाने के प्रश्न पर भी बातचीत की गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : इनमें से कोई भी प्रश्न मूल प्रश्न से पैदा नहीं होता है।

श्री सौगत राय : समझौता क्या था ? क्या आपने समझौते को देखा है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उत्तर दे चुका हूं कि कोई भी समझौता नहीं किया गया है।

श्री द्वारिकानाथ तिवारी : अध्यक्ष जी, समय-समय पर बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ कई मुद्दों पर एग्रीमेंट हुए हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण नेहरू लियाकत पेक्ट था और उसके बाद शिमला पेक्ट हुआ। पाकिस्तान से बंगलादेश के अलग होने से पहले जितने मुद्दों पर एग्रीमेंट हुए थे और जिनमें बंगलादेश भी शामिल था उनमें से कितने मुद्दों का कार्यान्वयन हुआ है और कितनों का नहीं हुआ है ? बंगलादेश से जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें और इन एग्रीमेंट्स में क्या फर्क पड़ा है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पुराने करारों में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। स्वतन्त्र बंगलादेश के निर्माण के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ है। यद्यपि दोनों देशों के सम्बन्धों के बीच में महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अल्पसंख्यकों के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए जिससे वे अपने को सुरक्षित अनुभव करें। ऐसा प्रबन्ध करना दोनों सरकारों का नैतिक

दायित्व है। इसीलिए जब हम ढाका में थे तो हमने यह मामला उठाया था और हम उम्मीद करते हैं कि यह समस्या भी संतोषजनक ढंग से हल हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1154।

प्रो० समर गुह : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर कल विचार विमर्श कर लिया है, अब श्री हरि विष्णु कामत, (व्यवधान)। अभी काफी अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पड़े हुए हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

प्रो० समर गुह : कम से कम मुझे भी एक अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वे इस प्रश्न पर पहले ही 20 मिनट का समय ले चुके हैं। (व्यवधान)

प्रो० समर गुह : उन्हें पूरे मामले की पूर्ण जानकारी है, मैंने 20 पृष्ठ का एक नोट दिया है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने आपको पूरा प्रश्न दिया था, श्री हरि विष्णु कामत। (व्यवधान) मैं श्री हरि विष्णु कामत को पहले ही बुला चुका हूँ।

प्रो० समर गुह : नहीं जी ! मैं साधारण प्रश्नों के लिए खड़ा नहीं हुआ करता हूँ।

अध्यक्ष मोहदय : इसके विषय में मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ।

प्रो० समर गुह : मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है परन्तु आप मेरे साथ बहुत निर्दयी हो गये हैं। (समाप्त)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1154—श्री हरि विष्णु कामत।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, मैंने प्रथम स्थान प्राप्त करने की आशा की थी जो कि मुझे दो वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है, परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए था, किस्मत का खेल है।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आपको दूसरा स्थान तो मिल गया है। (व्यवधान)

विदर्भ महारोगी सेवा मंडल की ओर से अभ्यावेदन

*1154. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदर्भ महारोगी सेवा मंडल (लेप्रोसी पेशेन्ट्स होम विदर्भ) तपोवन, अमरावती, महाराष्ट्र की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनकी कठिनाइयों का ब्यौरा दिया गया है तथा उन्हें दूर करने और राहत देने के लिए मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर विस्तारपूर्वक विचार किया है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं। तथापि, विदर्भ महारोगी सेवा मंडल की तरफ से आल इंडिया एडवांस्ड एण्ड क्रिपल्ड लेपरासी पेशेन्ट्स एसोसिएशन,

अमरावती के मंत्री ने राष्ट्रपति को 5 मार्च, 1979 को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में न तो सेवा मंडल की कठिनाइयों का ब्यौरा दिया गया है और न ही इस मंडल की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार से कोई सहायता मांगी गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, क्या यह सच है कि जैसा कि महारोगी सेवा मंडल द्वारा लेप्रोसेरियम्स और लेप्रोसी के उन्मूलन के प्रयासों के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रपति को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि सरकार तथा निजी संगठनों द्वारा भारत में लेप्रोसी उन्मूलन के लिए किये जा रहे सघन प्रयासों के बावजूद आजकल लेप्रोसी की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है ? और यदि हां तो इन वृद्धि की घटनाओं के क्या कारण है ? क्या इसका आंशिक कारण लेपर्स बल्कि लेप्रोसी के मरीजों के साथ जुड़ा हुआ सामाजिक कलंक है। हमें उनके लिए 'लेपरस' नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब उस शब्द को समाप्त किया जा चुका है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसके साथ इसको प्रारम्भ नहीं कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि उनका सामाजिक वहिष्कार किया जाता है ? क्या भारत में लेप्रोसी की घटनाओं में वृद्धि होने के और भी कोई कारण अथवा तथ्य हैं ? यहां तक कि वर्धा में जहां कि महात्मा गांधी जी ने इन सघन प्रयासों को प्रारम्भ किया था, राष्ट्रपति को दिये गये पत्र के अनुसार वहां पर आज, उस समय से अधिक लेप्रोसी के मरीज हैं, इसलिए भारत में इस दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि के क्या कारण अथवा तथ्य हैं ?

श्री रविन्द्र वर्मा : महोदय, जिस पत्र का सन्दर्भ माननीय सदस्य दे रहे हैं वह महारोगी सेवा मंडल द्वारा नहीं लिखा गया था अपितु अखिल भारतीय एडवान्सड एण्ड क्रिपल्ड लेप्रोसी पेशेन्ट्स ऐसोसियेशन द्वारा लिखा गया था।

श्री हरि विष्णु कामत : यह तपोवन से लिखा गया है जहां संगठन का सचिव रहता है शायद उनको इस बात का पता नहीं है कि तपोवन की स्थापना एक प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी डाक्टर शिवाजी राव पटवर्धन द्वारा की गई थी और महारोगी सेवा मंडल भी वहीं पर है।

अध्यक्ष महोदय : वे अपने उत्तर के बीचों बीच में हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य को भी उतना ही पता है जितना कि मुझे है कि एक ही पते पर रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों का पता एक जैसा हो सकता है इसलिए एक जैसा पता होने के कारण व्यक्तिपरता तो लुप्त (सम्मिलित) नहीं हो जाती है।

महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि इस देश में लेप्रोसी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मैं उस स्रोत के विषय में नहीं जान पाया हूं कि उन्हें यह सूचना कहां से प्राप्त हुई है। जहां तक इस देश का सम्बन्ध है लेप्रोसी के मामलों की अनुमानित संख्या लगभग 32 लाख है। इनमें से 19.4 लाख मरीजों को उपचार दिया जा रहा है और इनमें से अधिकांश मरीज गृहोपचर्या उपचार के अधीन हैं। उनके द्वारा प्रकट की गई शंका कि मरीजों की संख्या अथवा घटनाओं में वृद्धि का कारण कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाई गई इस धारणा कि यह एक सामाजिक कलंक है, गलत है। सामाजिक कलंक का रोग की व्यापकता अथवा इस जीर्ण या संक्राकम बीमारी की घटनाओं में वृद्धि होने से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। **(व्यवधान)** परन्तु महोदय, जहां तक इस

बीमारी का पता लगाने और पता लग ये जाने के बाद दिए जाने वाले उपचार का सम्बन्ध है, यह हो सकता है कि यदि बीमारी को छुपाने का प्रयास किया गया तो पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है और उस स्थिति में उसका प्रभाव उस सीमा क्षेत्र पर भी पड़ता है जिसमें कि उसका प्रसार किया जाना है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मन्त्री महोदय का ध्यान राष्ट्रपति को भेजे गये इस पत्र के पृष्ठ तीन में दिये गये विवरण की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि सन् 1975 में जनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सम्मेलन में, भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया था। एक बार स्वास्थ्य मंत्री डा० कर्ण सिंह जी ने सम्मेलन में एक आश्वासन दिया था।

मैं राष्ट्रपति को सम्बोधित एक प्रमाणित पत्र से पढ़ रहा हूँ।

"कि वर्ष 1984 तक भारत में कुष्ठ रोग पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया जाएगा और वर्ष 2000 तक कुष्ठ रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जायेगा।"

क्या मन्त्री महोदय यह समझते हैं कि यह समस्या का एक अच्छा मूल्यांकन है और क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि इसे वर्ष 1989 तक नियंत्रित कर लिया जायेगा तथा वर्ष 2000 तक उन्मूलन कर दिया जाएगा ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह सच है कि हमारे माननीय मित्र डा० कर्ण सिंह ने जो कि उस समय स्वास्थ्य मन्त्री थे, जनवरी, 1975 में जेनेवा में हुई। विश्व स्वास्थ्य सभा में यह कहा था कि कुष्ठ रोग को वर्ष 1984 तक नियंत्रण में कर लिया जाएगा और वर्ष 2000 तक इसे उन्मूलन कर दिया जायेगा। जब इस तरह का कोई वक्तव्य दिया जाता है तो उसे मुझ से आश्वासन नहीं मान लेना चाहिए यह एक वक्तव्य है और निम्न स्वास्थ्य सभा को दिए गए एक आश्वासन को इस संसद में दिया गया आश्वासन मानने का कोई प्रश्न नहीं है। विश्व स्वास्थ्य सभा में इस तरह का वक्तव्य देने के पश्चात भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि उक्त वर्ष तक कुष्ठ रोग को नियन्त्रण में लाना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या हम श्री वाजपेयी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा कही गई बातों के प्रति वचनबद्ध नहीं हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : व्यवस्था के प्रश्न पर यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है····

(व्यवधान)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मन्त्री महोदय इससे कैसे बच सकते हैं ? विदेश मन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कितने ही वक्तव्य देते हैं। क्या हम उनके प्रति वचनबद्ध भी हैं ?·····

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने तो इतना ही कहा है कि किसी देश के मन्त्री महोदय आश्वासन दिये जाने और एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उनसे आश्वासन मांगे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जो कुछ डा० कर्णसिंह ने कहा था वह एक वक्तव्य था और इस विभाग को दिया गया आश्वासन नहीं था जिसके प्रति वह उत्तरदायी थे। कारण बिलकुल स्पष्ट है। आक्रोश की कुछ अभिव्यक्तियों को छोड़कर जो विचार मैंने व्यक्त किया है वह बिलकुल स्पष्ट है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह विचार पूर्णतया उदासीनता से भरा है। हम मन्त्री महोदय से ऐसे किसी वक्तव्य की आशा नहीं कर सकते कि एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के प्रति देश वचनबद्ध नहीं है।.....(**व्यवधान**)

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह गलत है (**व्यवधान**) जब मैं यह कहता हूँ कि एक वक्तव्य दिया गया था और आवश्यक नहीं कि वह एक आश्वासन ही हो तो इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि भारत सरकार अथवा यह सरकार इस रोग को 1984 तक नियंत्रित करने तथा वर्ष 2000 तक इसे उन्मूलन करने के लिये प्रयास करने में विश्वास नहीं रखती।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह तो एक पवित्र वायदा है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इसलिये भारत सरकार ने हर प्रयास किया है और भारत सरकार इसमें विश्वास रखती है कि इस दिशा में प्रगति कर पाना केवल तभी सम्भव है जबकि राज्य-वार कुछ विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाएं। डा० कर्ण सिंह द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा में इस आशय का वक्तव्य दिये जाने से पूर्व यह स्थिति नहीं थी। इसके पश्चात् भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किये जायें और इसीलिए आज हमारे प्रयास उन्हीं राज्य-वार लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर इंगित हैं। मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूँ कि इस लक्ष्य को निर्धारित किए जाने के बावजूद भी सभी राज्यों में एक समान प्रगति नहीं हुई है और यह क्रिया ऐसी नहीं है जो किसी ऐसी गति की द्योतक हो जिससे यह सन्तोष हो कि प्रयास ठीक हो रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, आप हमें सुरक्षा दीजिए। क्या ऐसा कोई मान-दण्ड है जिससे आप यह पता लगा सकें कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य आश्वासन होते हैं अथवा केवल आनुषंगिक टीका-टिप्पणी मात्र होती है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री हरि विष्णु कामत : आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। आप चुप हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कौन-सी वैधानिक समस्या पर निर्णय करना है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह समस्या कानूनी नहीं बल्कि संसदीय है, कानूनी बिल्कुल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कानूनी समस्याओं पर निर्णय देने के लिए नहीं हूँ। यह निर्णय मुझे नहीं करना है कि इसे विश्व न्यायालय में लागू किया जाए अथवा नहीं यह एक कानूनी मसला है।

डा० रामजी सिंह : सचमुच में यह बहुत ही विचित्र बात लगती है कि विश्व संस्था में दिये गये कथन को हम असत्य मानें और गलत ढंग से विचार करें। मैं संसदीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि यद्यपि वह विश्व संस्था में दिए गए कथन की बातों को न भी मानें, लेकिन क्या इस सर्वोच्च सदन में वह यह स्वीकार नहीं करेंगे कि यह कुष्ठ रोग एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक है और देश के लिए बहुत दुर्दशा का चित्र है ? माननीय कर्ण सिंह जी ने जो स्वेच्छा प्रकट की

थी, क्या उसके आधार पर कोई पंचवर्षीय योजना इस कुष्ट रोग के निर्मूलन का कार्यक्रम बनाने के लिए सरकार बनाएगी ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे कथन से माननीय सदस्य ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत सरकार उसी नीति का अनुकरण नहीं करना चाहती जिसका जिक्र डा० कर्ण सिंह ने अपने वक्तव्य में किया था। हम यह सुनिश्चय करने को बहुत आतुर हैं कि यह भयंकर रोग यथा सम्भव कम समय में काबू में आ जाए क्या सम्पूर्णतया उन्मूलित हो जाए। परन्तु यदि आप तत्सम्बन्धी लक्षित तारीखों की बात करते हैं तो इसके लिए बहुत-सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जिसका जिक्र होशंगाबाद के मेरे माननीय मित्र ने किया है। कुछ सामाजिक कारण हैं, अपर्याप्त कारण हैं—यदि आप मुझसे पहले ही मुझे बोलकर न बतायें तो भी मैं वही सामाजिक कारण आपके कारण तथा अन्य कारणों का जिक्र करूंगा और यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए जाने के बावजूद भी बहुत से मामलों में राज्य सरकारों द्वारा ही क्रियान्वित किये जाने हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था कि लक्ष्यों के मामले में उपलब्धियों का स्तर एक समान नहीं रहा है। कुछ राज्यों ने तो अच्छा कार्य किया है परन्तु कुछ अन्य राज्यों का कार्य पूरी तरह सन्तोष प्रद नहीं रहा है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को तथा इस सभा को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि इस कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है और किया जाता रहेगा ताकि इस रोग के रोगियों का पता चले, फिर उनका उपचार किया जाये इस तरह इस रोग पर नियन्त्रण किया जाए और फलस्वरूप यथा सम्भव शीघ्र इसे उन्मूलित कर दिया जाए।

श्री रूडोल्फ रोड्रिग्स : हम इस विषय पर बहुत ढीले-ढाले औपचारिक तथा आंकड़े-बाजी के ढंग से चर्चा कर रहे हैं और हम बस यूं ही समझकर बातचीत कर कर रहे हैं। मैं अपने प्रश्न की ओर ध्यान दिलाते हुए यह कहना चाहूंगा कि मैं इस सामाजिक कलंक के साथ लड़ने के काम में एक छोटे स्तर पर लगा रहा हूं। मैं यह कहना चाहूँगा कि कुष्ठ रोगियों की संख्या में इस आश्चर्यजनक वृद्धि का एक कारण सरकार का एक विशिष्ट निर्णय रहा है जिसके बारे में मैं नहीं समझता कि सभी लोग जानते हैं। मन्त्री महोदय इस मामले में मुझे कुछ स्पष्टीकरण दें। मूलतः जब इस रोग के विरुद्ध अभियान चल रहा था, जब इस रोग से सीधी टक्कर ली जा रही थी, विशिष्ट जारी विशिष्ट चिन्ता तथा विशिष्ट तरीके से इसका मुकाबला किया गया था। आज सरकार का यह निर्णय है कि हम इसे साधारण या सामान्य रूप में अन्य रोगों की तरह ही लेंगे जबकि रोगी डाक्टर के पास जाएगा परन्तु एक डाक्टर वस्तुतः इस समस्या का हल नहीं कर सकता। क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि भारत सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा इस रोग का सामान्य रूप से ही उपचार करने की नीति के कारण कुष्ठ रोग के मामलों में यह आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : श्रीमान, स्वास्थ्य मन्त्री कहां हैं ? पिछली बार भी वह गायब थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अनुमति ले ली है वह जेनेवा सम्मेलन में गए हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे अत्यन्त खेद है कि माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इस रोग के

बारे में सभा में चलते-चलाते ढंग से उदासीनता अथवा उपेक्षा के भाव से चर्चा की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। परन्तु जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका उत्तर केवल भावुकता पूर्ण नहीं होते। बल्कि उसमें तथ्य भी होते हैं जो स्पष्ट राज छड़ते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता परन्तु मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं यथासम्भव तथ्यों तथा जानकारी के आधार पर उत्तर दूं। सरकार इस भावना का आदर करती है कि यह एक ऐसा रोग है जिस पर कहीं अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उपचार में तत्परता की जानी चाहिए। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के कष्टों का तो सबको ही देता है परन्तु मेरे विचार से यह समय लोगों के मानसिक शारिरिक तथा अन्य कष्टों की बातें करने का नहीं है, मैंने तो तथ्य देते हुए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूँ इसीलिए माननीय सदस्य का यह कहना सर्वथा अनुचित है कि मेरे उत्तरों में उदासीनता अथवा उपेक्षा भाव दिखाई देता है। अब माननीय सदस्य ने पुनः कहा कि रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है मैं जानता हूँ कि माननीय सदस्य एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और इसीलिये उन्हें मालूम होना चाहिए रोगियों की संख्या में वृद्धि और रोगियों की मालूम की गई संख्या में वृद्धि के बीच अन्तर होता है। यह सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि इस रोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। परन्तु उनकी संख्या का अधिक से अधिक पता लगाया जा रहा है क्योंकि उनका पता लगाने सम्बन्धी प्रयास अधिक प्रभावी हो रहे हैं। यही कारण है कि अधिकाधिक रोगियों का पता लग रहा है। मैं पुनः आंकड़े दे सकता हूं।..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विशेष प्रयास की बजाय सामान्य रूप से काम करने की बात कही है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस बारे में भी शायद माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि केवल बहुप्रयोजनीय-कार्यकर्ता ही कुष्ठ रोग के उपचार में लगे हैं। इस रोग के उपचार पर कुप्रभाव न पड़ने देने के सरकार के दृष्टिकोण के कारण ही सरकार ने यह निर्णय किया है कि जिन जिलों में इस रोग के रोगी अधिक हैं अथवा काफी है वहां इस रोग के उपचार के चल रहे कार्यक्रम तथा उपचार तरीके जारी रहने चाहिये और उन्हें केवल सामान्य उपचार कार्यक्रम मानकर इस रोग के उपचार की प्रभावित कार्यक्रम को कुप्रभावित नहीं करना चाहिए और इसीलिये, विशिष्ट उपचार सेवाओं में अन्य सेवाओं का उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहां इसका रूप महामारी जैसा नहीं है अथवा जहां ऐसे रोगियों का मरना कम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नहीं जानता कि श्रम मन्त्री स्वास्थ्य विभाग भी संभालने जा रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : पता नहीं माननीय सदस्य क्यों ऐसा महसूस करते हैं। यदि वह यही महसूस करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उनका शारीरिक तथा मानसिक रूप से मेरी ओर से बेहतर इलाज किया जायेगा... **(व्यवधान)** कुछ को स्टेपनीज कहते हैं और कुछ को शर्ट-नीग कहते हैं **(व्यवधान)**

हृदय रोग

*1155. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में हृदय रोग के बारे में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया है कि हृदय रोग के मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह प्रमाणित हो गया है कि इस रोग का योग द्वारा इलाज किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो हृदय रोग के इलाज के लिये योग का प्रचार एवं प्रसार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) हृदय रोग से कितने व्यक्ति पीड़ित हुए हैं, इसके बारे में कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वैसे, डाक्टरों का विचार है कि विकासशील देशों में जिसमें हमारा देश भी शामिल है, हृदय रोग बढ़ रहे हैं। गहन देख-रेख एककों (इंटेसिव केयर यूनिटों), हृदय-रोग विभागों और उपचर्या ग्रहों में जिन व्यक्तियों को देखा जा रहा है, उनकी संख्या पिछले दशक में देखे गये रोगियों की संख्या से कहीं अधिक है। इसका कारण इस रोग के प्रति बढ़ रही जागरूकता, निदान की विस्तृत तथा बेहतर सुविधायें तथा लोगों के जीवन-काल की बढ़ोतरी हो सकता है। आल इंडिया हार्ट फाउण्डेशन ने बड़े-बड़े व्यापारियों पर एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन से आरक्तता जन्य हृदय रोग और अतिरिक्त दाब की उच्च प्रतिशतता का पता चला।

(ख) अस्पतालों द्वारा निदान और उपचार की बढ़िया सुविधाएं सुलभ कराई जा रही हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री दलपत सिंह परस्ते : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गत पांच वर्षों में इस रोग द्वारा कितनी मृत्युएं हुई हैं। क्या दूसरे देशों की तुलना में भारत में इसके केसिज की संख्या कहीं अधिक है ? क्या अनुसंधान के परिणामों से यह पता चला है कि किन विशेष कारणों से इस रोग की बढ़ोतरी हो रही है और किस किस प्रकार के व्यक्ति—मोटे व्यक्ति, अथवा मांसाहारी, अथवा किसी जलवायु के कारण कुछ व्यक्ति—इस रोग से पीड़ित होते हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रीमान्, दिल का दौरा और हृदय रोग की स्थितियों के प्रभाव सम्बन्धी उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि पश्चिम के देशों की तुलना में भारत जैसे देशों में इसका प्रभाव बहुत कम है। उल्लेख किए गए विशेष सर्वेक्षण, उदाहरणार्थ व्यापारियों की स्थितियों से पता चला है कि लगभग 1.4 प्रतिशत अतिरिक्त दाब और आरक्तता जन्य रोगों से पीड़ित है पश्चिमी देशों में पता लगाये गये आंकड़ों की तुलना में यह आंकड़े बहुत कम हैं। मेरे माननीय मित्र ने हृदय रोग के कारणों के बारे में पूछा है। यह बहुत व्यापक विषय है लेकिन

बहुत संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आयु आदि पर आश्रित बहुत से कारण हैं। **(व्यवधान)**

मेरा आशय क्या है आपको मालूम है। प्रत्येक सदस्य अपने रोग के अनुसार शब्दों को ग्रहण करेगा जैसा कि वह ग्रहण करना चाहता है। मैंने कई व्यक्तियों को छाती पर दर्द उठते हुए देखा है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। हृदय रोग हल्का मामला अथवा हंसने का मामला नहीं है। मुख्य कारणों को जन्मजात के कारणों और अर्जित कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्जित कारणों में अत्यन्त विख्यात गठिया रोग, अरक्तता जन्य रोग, निओप्लास्टिक और आकर्षक है। संतृप्त औषधियां, धूम्रपान की आदतें बैठे रहने की आदतें, शारीरिक व्यायाम आदि न करना जैसी अन्य बातें भी हैं जो हृदय रोग के लिए जिम्मेदार हैं।

श्री दलपत सिंह परस्ते : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि कितने आदमी मरे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वर्तमान शीर्षक, जिसके अन्तर्गत यह जानकारी एकत्र की जाती है, में वस्तुतः यह मद शामिल नहीं किया गया है और इस देश के मामले में, जहां मृत्यु-प्रमाण पत्रों में सदैव ऐसे कारणों का उल्लेख नहीं होता है, इस समय कोई आंकड़े देना संभव नहीं है।

श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति का सहारा लेकर भी इस रोग के बारे में कोई खोज की गई है; यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा इस रोग के निदान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या योग द्वारा भी इस रोग से छुटकारा पाने हेतु कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बड़े आदमियों के लिए तो इस रोग का इलाज सम्भव है, क्योंकि·····

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का कोई अन्त होना चाहिये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह सर्व विदित है कि आयुर्वेदिक पद्धति भी इस रोग का इलाज करने में समर्थ है और आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से इस रोग का इलाज करने के लिए जानकारी और सुविधाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद सदन को मालूम है कि सरकार की ओर से इसमें वृद्धि करने के लिये जानबूझ कर प्रयास किए गए हैं·····

श्री के लकप्पा : मैं सहमत नहीं हूं। मैं विरोध प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य किसके खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्वयं के खिलाफ। श्री लकप्पा कृपया शान्त रहिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हृदय रोग का एक कारण किसी प्रकार की उत्तेजना है। कृपया उत्तेजित मत होइये। **(व्यवधान)**

श्री रवीन्द्र वर्मा : जहां तक मेरे मित्र·····

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसका उत्तर मत दीजिए। यह सभी प्रासंगिक प्रश्न हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : कल का उनका विरोध अभी तक विद्यमान है।

ऐसे रोगों का इलाज करने में आयुर्वेद पद्धति की क्षमता के बारे में सरकार को पता है और सरकार की नीति औषध की देशीय पद्धतियों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है और यह इस रोग पर भी लागू होता है। दूसरे प्रश्न को याद रखना थोड़ा मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न योग के बारे में था।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वस्तुत: मुख्य प्रश्न योग के बारे में था। **(व्यवधान)**

मुझे मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हृदय रोग के बारे में बहुत उत्तेजना दिखाई देती है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : योग भी एक ऐसी पद्धति है जिससे अतिरिक्त दाब पर काबू पाया जा सकता है और अतिरिक्त दाब से पीड़ित व्यक्तियों को शामिल करके, चाहे वे कितने उच्च वर्ग के हों, देश के बहुत से व्यक्तियों को इसका नुसखा लिखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : निर्धन व्यक्ति चिकित्सा सुविधायें पाने में असमर्थ हैं··· ··

श्री रवीन्द्र वर्मा : अतिरिक्त दाब को नियंत्रित करने में की गई सीमित टिप्पणियों से जो विस्तृत टिप्पणियां नहीं हैं अथवा योग की उपयोगिता के विस्तृत अनुसंधान नहीं हैं, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें योग व्यायाम और योग तनाव कम करने के लिये सफलतापूर्वक प्रयुक्त किये जा सकते हैं। अत: स्थितियों के उपचार के लिए, जिससे हृदय रोग हो सकता है, यह एक सहायक कारण है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या उपचार के लिए सुविधायें केवल धनी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं और गरीब व्यक्तियों को नहीं। एक अर्थ में ऐसा समस्त चिकित्सा सहायता के लिए है और यह बात पर यहां भी लागू होती है। जहां तक अस्पतालों की संख्या और बिस्तरों की संख्या का सम्बन्ध हैं राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार दोनों को मिलाकर लगभग 103 अस्पताल हैं जिनमें हृदय रोग के उपचार की व्यवस्था है और इस प्रकार के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लगभग 1177 बिस्तर हैं। चौथा प्रश्न था कि क्या···**(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : बंगलौर में कितने बिस्तर हैं और इस बारे में·····

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे मालूम नहीं है कि क्या आप बीमार व्यक्तियों अथवा बिस्तरों की संख्या के बारे में पूछ रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : बंगलौर के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है। मैंने आपको नहीं बुलाया है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अन्तिम प्रश्न लोक शिक्षा के अभियान के बारे में था ताकि लोगों को उन स्थितियों से अवगत कराया जाये जिसके परिणामस्वरूप हृदय रोग होता है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा अभियान का अंग है और इसे लागू किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं हृदय रोग के रोगियों को परेशान नहीं करना चाहता हूं।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान प्रश्न के भाग (ग) की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है 'क्या यह प्रमाणित हो गया है कि इस रोग का योग द्वारा इलाज किया जा सकता है'। इस बारे में अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि योग उपयोगी है और

यह रोग का इलाज भी कर सकता है। क्योंकि हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है मैं जानना चाहता हूँ कि आप योग संस्थाओं को किस प्रकार की सहायता दे रहे हैं ताकि निर्धन और मध्य वर्ग के लोगों को लाभ मिले क्योंकि योग पद्धति सस्ती है और यह हृदय रोग का इलाज कर सकती है ? मेरा अपना अनुभव है कि योग, हृदय रोग का इलाज कर सकता है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि योग अतिरिक्त दाब को कम करने में सहायक है। प्रश्न के भाग (ग) में विशेष रूप से पूछा गया है कि क्या यह प्रमाणित हो गया है कि इस रोग का योग द्वारा इलाज किया जा सकता है। यह इस कथन से बहुत आगे जाता है कि अतिरिक्त दाब योग द्वारा कम किया जा सकता है अथवा घटाया जा सकता है। किये गए प्रयोगों से पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है कि यह रोग केवल योग द्वारा पूरी तरह से ठीक हो सकता है।

माननीय सदस्य ने योग को बढ़ावा देने के बारे में प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर में मैं कहना चाहता हूँ कि हृदय रोग सहित विभिन्न रोगों की रोक-थाम और नियन्त्रण में योग व्यायामों/अभ्यासों की क्षमता के बारे में कुछ अवधि तक हाल ही में स्थापित सेन्ट्रल कौंसिल फार रिसर्च इन योग एण्ड नैचरोपैथी द्वारा अनुसधान-कार्य शुरू किये जाने की आशा है।

भारतीय विदेश सेवा में विदेश नियुक्तियों का सामान्य कार्यकाल

*1157. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या **विदेश** मंत्री निम्नलिखित दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा में विदेश नियुक्तियों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है;

(ख) मिशनों के अध्यक्षों के स्तर वाले कितने अधिकारियों को मार्च, 1977 के बाद दो वर्ष पूरे करने से पूर्व स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा उनके नाम और नियुक्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने अधिकारियों के लिए इस समय स्थानान्तरण के आदेश दिये हुए हैं;

(घ) मंत्रालय के अनुसार मिशन के अध्यक्ष के स्थानान्तरण पर कितनी विभागीय औसत लागत आती है और कितना संभावित वैयक्तिक व्यय होता है; और

(ङ) क्या ऐसी विदेश नियुक्तियों के लिए मंत्रालय कोई युक्तिसंगत नीति बना रहा है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी वाजपेयी) : (क) भारतीय विदेश सेवा में विदेशों में तैनाती की सामान्य अवधि कुछ स्थानों में, जहां कि जीवन यापन की स्थिति कठिन है, 2 वर्ष तथा अन्य सभी स्थानों में 3 वर्ष की होती है, लेकिन प्रशासनिक कारणों से अथवा जनहित में इस सामान्य अवधि को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है।

(ख) मार्च 1977 के बाद से 15 मिशन-प्रमुख स्थानांतरित किए गए हैं जिनमें से 9 दो वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले ही सेवा-निवृत्त हो गए थे। सदन की मेज पर एक सूची (संख्या 1) रख दी गई है जिसमें उनके नाम और तैनाती के स्थान दिये गए हैं।

(ग) उपर्युक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले मिशन-प्रमुख के रैंक के किसी भी अधिकारी को इस समय स्थानांतरण के आदेश नहीं दिये गए हैं। 6 मिशन-प्रमुखों की एक सूची (संख्या 2) सदन की मेज पर रख दी गई है, जो अपने तैनाती के स्थान पर दो वर्ष पूरा करने से पहले ही सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

(घ) मिशन-प्रमुख के स्थानांतरण पर होने वाले औसत खर्च का हिसाब लगाना संभव नहीं है क्योंकि सम्बन्धित दो केन्द्रों के बीच की दूरी, जिस स्थान से अधिकारी को स्थानांतरित किया गया है वहां का जीवन यापन खर्च, अधिकारी के परिवार के सदस्यों की संख्या और यात्रा के अनुमोदित स्वरूप और श्रेणी के कारण इस सम्बन्ध में होने वाले खर्चे में काफी अन्तर आता है। मंत्रालय में स्थानांतरण पर जाते समय मिशन प्रमुख द्वारा किये गए उनके व्यक्तिगत खर्चे का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। सरकार स्थानांतरण अनुदान के रूप में एक महीने के मूल वेतन के बराबर की राशि देती है जिसकी अधिकतम सीमा 2250 रु० है और इसका उद्देश्य उक्त खर्चे की प्रतिपूर्ति करना है।

(ङ) मिशन प्रमुख का चयन वृत्तिक अधिकारियों तथा सार्वजनिक जीवन के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से योग्यता, अनुभव और कार्य-विशेष के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। मिशन प्रमुखों तथा अन्य श्रेणी के अधिकारियों की विदेशों में तैनाती के बारे में निर्णय करते समय योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त मुख्य निर्देशक तत्व के रूप में भारत के राष्ट्रीय हित के अनुरूप कार्य-विशेष के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखा जाता है।

सूची सं०-1

उन मिशन-प्रमुखों की सूची जिन्हें मार्च, 1977 के बाद उनके तैनाती के देश में दो वर्ष पूरा करने से पूर्व स्थानांतरित किया गया है

क्रम सं०	नाम	देश	से	तक	टिप्पणी
1.	श्री महबूब अहमद	ओटावा	13-4-77	30-9-78	सेवा-निवृत्त
2.	श्री यू० एस० वाजपेयी	वर्न	30-5-77	31-5-78	मुख्यालय के लिए स्थानांतरित
3.	श्री बी० के० बासु	हवाना	16-3-77	17-1-79	सान्तियागो, चिली के लिए स्थानांतरित
4.	श्री जे० आर० हीरामठ	सोफिया	1-11-75	24-8-77	थिम्पू के लिए स्थानांतरित
5.	श्री आर० एक्सल खां	बर्लिन (ज० ज० ग०)	2-3-77	31-1-79	सेवा-निवृत्त
6.	श्री छेदीलाल	पनामा	5-10-76	31-3-78	सेवा-निवृत्त
7.	श्री डी० सी० मेनर्स	बहरीन	5-8-76	4-7-78	मुख्यालय के लिए स्थानांतरित

1	2	3	4	5	6
8.	श्री एम० एस० नायर	मलावी	23-8-76	31-12-77	सेवा-निवृत्त
9.	श्री एम० ए० कुरैशी	जेद्दा	12-4-76	11-1-78	सेवा-निवृत्त
10.	श्री समर सेन	स्टॉकहोम	13-12-76	31-12-77	सेवा-निवृत्त
11.	श्री अवतार सिंह	लागोस	19-4-77	25-6-78	टोकियो के लिए स्थानांतरित
12.	श्री केवल सिंह	वाशिंगटन	8-10-76	23-9-77	सेवा-निवृत्त
13.	श्री के०आर०पी० सिंह	तेहरान	3-9-76	24-4-78	वियना के लिए स्थानांतरित
14.	श्री निर्मलजीत सिंह	काराकस	24-3-77	दिसम्बर, 1978	सेवा-निवृत्त
15.	डा० एस० सिन्हा	बेरूत	20-5-77	31-12-78	सेवा-निवृत्त

सूची सं०—2

उन मिशन प्रमुखों की सूची जो अपने तैनाती के देश में दो वर्ष पूरा करने से पहले सेवा-निवृत्त हो जायेंगे

क्र० सं०	नाम	देश	से	सेवा-निवृत्त की तारीख
1.	श्री जी० जे० मलिक	मेड्रिड	3-11-1977	31-5-1979 को सेवा-निवृत्त होंगे ।
2.	श्री अवतार सिंह	टोकियो	25-6-78	31-10-79 को सेवा-निवृत्त होंगे ।
3.	श्री ए० के० दामोदरन	रोम	10-6-78	31-12-79 को सेवा-निवृत्त होंगे ।
4.	श्री पी० के० गुहा	लिस्बन	14-10-77	31-8-79 को सेवा-निवृत्त होंगे ।
5.	श्री टी० श्रीनिवासन	मोगाडिशू	27-1-78	30-11-79 को सेवा-निवृत्त होंगे ।
6.	श्रीमती ऊषा नाथ	कोनाक्री	7-10-77	31-7-79 को सेवा-निवृत्त होंगे ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये लम्बे उत्तर में इस बात को छिपाया गया है कि किसी तैनाती नीति के न होने के फलस्वरूप भारतीय विदेश सेवा में बहुत असंतोष और क्षोभ है। मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि संसद की प्राक्कलन समिति द्वारा भी इस बात पर प्रतिकूल रूप से टिप्पणी की गई है। इस समय मन्त्री महोदय ने उत्तर का कुछ भाग दिया है। प्रश्न के कुछ भाग को बड़ी चतुराई से छोड़ दिया गया है। मेरे प्रश्न का भाग (ख) हैं : मिशनों के अध्यक्ष स्तर वाले कितने अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया है ? मेरी समझ के अनुसार भारतीय विदेश सेवा एक संयुक्त सेवा है। अब मन्त्री महोदय ने हमें ब्यौरा दिया है कि कितने व्यक्ति मुख्यालय में स्थानान्तरित किये गये हैं लेकिन ये ब्यौरे नहीं दिये कि दो वर्ष की अवधि के अन्दर मुख्यालय से कितने लोग स्थानान्तरित किये गये हैं। मेरा प्रश्न अत्यन्त स्पष्ट है क्योंकि मुझे विदेश सेवा के स्वरूप की जानकारी है। अब उन्होंने उस भाग को छोड़ दिया है ताकि एक उपयुक्त विवरण तैयार किया जा सके और सभा पटल पर रखा जा सके। अतः श्रीमान् यह जानने का हमारा अधिकार है कि क्या यह संयुक्त सेवा है, इस अवधि के दौरान कितने लोग स्थानान्तरित किये गये हैं। मैंने मुख्यालय से विभिन्न अन्य स्थानों को तैनाती का उल्लेख किया है। अब यह प्रश्न है और मैं मन्त्री महोदय से इसका उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान् मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरी उनसे अथवा सदन से कोई बात छुपाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं उनसे सहमत होने के लिए तैयार हूँ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आप एक सफल विदेश मन्त्री नहीं हो सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सफलता अथवा असफलता की बात अलग है लेकिन मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत होने के लिए तत्पर हूँ कि विदेश सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैंने प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिश को देखा है, यह सिफारिश विचाराधीन है लेकिन श्रीमान् उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी मांगी है जो इस समय मेरे पास उपलब्ध नही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह होनी चाहिए। यह निहित है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान् उनके प्रश्न का भाग (ख) यह है : "मिशनों के अध्यक्षों के स्तर वाले कितने अधिकारी·····" श्रीमान्, मैं आपसे संरक्षण मांगता हूं। प्रश्न के भाग (ख) में जाये बिना ही आपने कुछ ऐसा कह दिया है जो मेरे खिलाफ है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मन्त्री महोदय, यह अनुपूरक प्रश्न के जरिए है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप केवल प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं अपितु प्रश्न से जो कुछ भी उत्पन्न होता है, आपको उसका उत्तर देना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान्, कुछ भी उत्पन्न हो सकता है। **(व्यवधान)** श्रीमान्, मैं आपका ध्यान प्रश्न के भाग (ख) की ओर दिलाना चाहता हूँ। माननीय सदस्य अत्यन्त सतर्क हैं। उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न रखा है। वह ये जानकारी भी पूछ सकते थे।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस समय आप इसका उत्तर नहीं दे सकते·····

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं जानकारी एकत्र करके इसे सभा पटल पर रखूंगा ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अब, श्रीमान् उन्होंने औसत खर्च बताने से यह कहकर इंकार कर दिया है कि उन्हें यह मालूम नहीं है और यह समेकित नहीं की जा सकती है । लेकिन मुझे विश्वास है कि मन्त्रालय के पास इस बारे में कुछ आंकड़े हैं जो अत्यन्त अनिवार्य हैं क्योंकि संसद के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मन्त्रालय केवल स्थानान्तरणों पर कितनी राशि खर्च कर रहा है । अतः यह कहना कि यह बहुत मुश्किल है—मैं कठिनाई को समझता हूँ क्योंकि यदि स्थानान्तरण कोलम्बो से मालद्वीव के लिए है तो इस पर 150 रुपये अथवा 200 रुपये का खर्च आयेगा लेकिन यदि यह ज्यूरिच से टोकियो के लिए है तो इस पर अधिक खर्च आयेगा । अतः यह जानकारी अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूँ·····

अध्यक्ष महोदय : आपने कुल खर्च के लिए नहीं पूछा है अपितु आपने औसत खर्च के लिए पूछा है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूँ कि नियुक्तियों आदि के बारे में अपने मन्त्रालय के लिए युक्तिसंगत नीति के बारे में उनका विचार क्या विशेष कार्यवाही करने का है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान्, मैं कह चुका हूँ कि यह मामला विचाराधीन है । इस बारे में कोई निर्णय करने से पूर्व मैं संसद सदस्यों से विशेष रूप से उन संसद सदस्यों के साथ, जो मेरे मन्त्रालय के साथ सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति में हैं, परामर्श करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मिस्र को गुट-निर्पेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने से वंचित करने की कार्यवाही

1156. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा**
श्री माधवराव सिन्धिया } : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस वर्ष सितम्बर में हवाना में हो रहे गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मिस्र को वंचित रखने के अपने प्रस्ताव के समर्थन की मांग की है; और

(ख) इस बारे में भारत के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) अरब राज्य लीग परिषद् द्वारा अरब के विदेश मन्त्रियों, अर्थ-कार्य मंत्रियों एवं वित्त मंत्रियों के स्तर की एक बैठक मार्च के अन्तिम सप्ताह में बगदाद में आयोजित की गयी । इस बैठक में मिस्र, सूडान, ओमान और सोमालिया को छोड़ कर अरब लीग के सभी राज्यों ने भाग लिया । इस बैठक की समाप्ति पर कई प्रस्ताव

पारित किए गए जिनमें से एक प्रस्ताव "गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से मिस्र की सदस्यता निलम्बित करने के लिए काम करने" के सम्बन्ध में था। यह सिफारिश मिस्र इजराइल संधियों पर तथा पश्चिम एशियाई समस्याओं के निराकरण पर अरब देशों के बीच के आन्तरिक मतभेदों के कारण की गई थी।

(ग) हमारे विचार में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की संयुक्त रूप से अपनी शक्ति एक ऐसे व्यापक और स्थायी समझौते पर केन्द्रित करनी चाहिए जिसमें फिलीस्तीनियों के राष्ट्रीय अधिकारों को पूरा करने तथा इजराइल द्वारा अरब प्रदेश को पूरी तरह खाली करने की व्यवस्था हो।

ललितपुर-सिंगरौली लाइन

*1158. **की लक्ष्मीनारायण नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किये गये हैं;

(ख) झांसी में सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा सर्वेक्षण का कितना काम आरम्भ किया गया है और क्या सर्वेक्षण दल ने ललितपुर से टीकमगढ़ की ओर सर्वेक्षण आरम्भ किया है;

(ग) क्या छतरपुर और टीकमगढ़ में भी सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किये जा रहे हैं; और

(घ) ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के सर्वेक्षण के लिए वर्ष 1979-80 के बजट में कितनी धन राशि रखी गई है और वर्ष 1978-79 के बजट में कितनी राशि रखी गई थी और उसमें से कितनी धन राशि का उपयोग किया गया था ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) इस समय सर्वेक्षण शिविर निम्नलिखित स्थानों पर लगे हुए हैं :—

(1) ललितपुर

(2) टीकमगढ़

(3) माडला (केन नदी के समीप), और

(4) रामपुर

इससे पूर्व सर्वेक्षण शिविर सतना, नागोद, देवेन्द्रनगर और रीवा में खोले गये थे जिन्हें इन स्थलों पर क्षेत्र-कार्य समाप्त हो जाने पर बन्द कर दिया।

(ख) झांसी में अभी तक कोई सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है। लेकिन, प्रशासी अभियन्ता (सर्वेक्षण)/जबलपुर के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन ललितपुर और टीकमगढ़ के बीच सर्वेक्षण कार्य ललितपुर और टीकमगढ़ में स्थित पार्टियों द्वारा शुरू कर दिया गया है और यह काम जोरों से चल रहा है।

पन्ना और रीवा के बीच के 90 किलोमीटर में क्षेत्र-कार्य उन क्षेत्रों में स्थित पार्टियों ने पूरा कर लिया है।

(ग) टीकमगढ़ में सर्वेक्षण कार्यालय पहले ही स्थापित कर दिया गया है। इस समय, माडला में जिस सर्वेक्षण पार्टी ने शिविर लगाया हुआ है, वही पार्टी आगे छतरपुर में चली जायेगी।

(घ) ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए 1978-79 के बजट में मूलतः 3.12 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे संशोधित बजट में 2.30 लाख रुपये कर दिया गया। यह सारी रकम खर्च कर ली गयी है। इसकी तुलना में 1979-80 के बजट में 10 लाख रुपये की रकम की व्यवस्था की गयी है।

राष्ट्रीय क्षय रोग योजना

*1159. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 अप्रैल, 1979 के "टाइम्स आफ इंडिया (नई दिल्ली संस्करण) में" "नेशनल टी० बी० स्कीम हैज येट टू मेक इम्पैक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से देश में इस सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रभाव महसूस नहीं किया गया है; और

(ग) ट्यूबरक्यूलोसिस एसोसियेशन आफ इंडिया की इस सिफ़ारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि क्षयरोग नियंत्रण पुनः केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम होना चाहिए जैसा कि यह चौथी पंचवर्षीय तक था ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम का मूल्यांकन 1976 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के एक विशेष विशेषज्ञ दल द्वारा किया गया था और उनकी राय में राज्य स्तर पर मानीटरिंग और पर्यवेक्षण की तथा परिधीय स्तर पर कार्यान्वयन की कमी रही है।

(ग) भारतीय क्षय रोग एसोसिएशन की सिफारिश पर विचार किया गया था लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जा सका। वैसे छठी योजना में विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम होगा।

विदेशों में अधिक संख्या में सांस्कृतिक केन्द्र खोलना

*1160. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में और अधिक संख्या में सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जहां ये केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जहां ये केन्द्र पहले ही चल रहे हैं और वे वहां किस नाम से चल रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) एक सांस्कृतिक केन्द्र दक्षिण-पूर्व एशिया में और दूसरा ट्रिनिडाड एवं टोबागों में खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) इस प्रकार के सांस्कृतिक केन्द्र सूवा (फिजी), जार्जटाउन (गुयाना) और पारामारिबो (सूरीनाम) में पहले से ही कार्य कर रहे हैं और इनका नाम "भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र" है।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

*1161. **चौ० हरीराम मक्कासर गोदारा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस आशय की शिकायतें हाल ही में मिली हैं कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, के डाक्टरों का रवैया निर्दयतापूर्ण होता है और वे आपात-वार्ड में भी लम्बे समय तक रोगियों को नहीं देखते हैं और उनका यह रवैया संसद सदस्यों सहित कई मामलों में घातक सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वहां स्थिति सुधारने के लिए क्या ठोस उपाय तत्काल किये जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रविवार और अन्य छुट्टी के दिनों को डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि देश में डाक्टरों की कमी नहीं है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जब शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच पड़ताल की जाती है और आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। इमर्जेंसी-वार्ड में दाखिल किये गये या बाद में नियमित वार्डों में भेजे गये रोगियों को दी जा रही चिकित्सा सेवा में निरन्तर सुधार करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन इमर्जेन्सी सेवाओं में सुधार लाने के लिए हाल ही में चिकित्सकों के अतिरिक्त पद मंजूर किए गए हैं।

(ग) और (घ) चिकित्सक दिन-रात उपलब्ध रहते हैं। विशेषज्ञों को भी आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकता है। हाल ही में मंजूर किए गये विशेषज्ञों के नियुक्त होने पर स्थिति में और सुधार हो जाएगा।

नेताजी से सम्बन्धित सामग्री एकत्रित करना

*1162. **प्रो० समर गुह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय और एशियाई देशों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की गतिविधियों से सम्बन्धित सभी ऐतिहासिक सामग्रियों और दस्तावेजों का संग्रह करने के लिए की गई कार्यवाही के तथ्य क्या हैं और अब तक इस सम्बन्ध में क्या सामग्रियां एकत्रित की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, सोवियत रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों और बर्मा, मलयेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाइलैंड, कंबोडिया, वियतनाम,

चीन, फिलिपीन्स, ताईवान और जापान के सरकारी अभिलेखागारों से नेताजी के लेखों तथा वक्तव्यों सहित ऐसी सामग्रियां एकत्रित करने के लिए प्रयास किए हैं;

(ग) क्या इन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से भी ऐसी सामग्रियां एकत्रित करने के लिए प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और अब तक क्या सामग्रियां एकत्रित की गई हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (घ) विदेश मन्त्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी के प्रवास से सम्बन्धित सूचना तथा ऐतिहासिक सामग्री एकत्र करने के विशिष्ट अनुरोधों पर हमेशा ध्यान दिया है। इन्हें व्यवस्थित ढंग से एकत्र करने का काम गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों और स्मारक समितियों पर छोड़ देना चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने शाहनवाज आयोग (1956) और खोसला आयोग (1971) को उनके काम में सहायता दी थी, जिससे कि वे नेताजी के सम्बन्ध में यथा सम्भव सामग्री और सूचना प्राप्त कर सकें। हम माननीय सदस्य का ध्यान इस सम्बन्ध में लोक सभा में हाल ही में दिए गए कई प्रश्नों के उत्तर की ओर भी आकर्षित करना चाहेंगे जिनमें अतारांकित प्रश्न संख्या 3567 और 9488 प्रासंगिक हैं जिनके उत्तर क्रमश: 14 दिसम्बर, 1978 तथा 3 मई, 1979 को दिए गए थे।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के चिकित्सा अधिकारियों को आवासों के आवंटन सम्बन्धी मार्गदर्शी निदेश

*1163 **श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के चिकित्सा अधिकारियों को उन्हीं औषधालय अथवा अन्य औषधालयों के प्रांगणों में ही, आवास जहां-जहां उपलब्ध हैं, आवंटित करने सम्बन्धी कोई मार्गदर्शी निदेश निर्धारित किए गए हैं और क्या स्थानान्तरण के बावजूद भी इन अधिकारियों को वही आवास रखने की अनुमति दी जाती है जिसके कारण उनके स्थान पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा अधिकारियों को परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रक्रिया क्यों अनुसरित की जा रही है;

(ग) दक्षिण दिल्ली जोन में ऐसे कितने चिकित्सा अधिकारी हैं जिन्हें अन्य औषधालयों में स्थानान्तरित किए जाने के बाद भी दो वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि तक उसी आवास में बसे रहने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या दिल्ली में अपने निजी मकान रखने वाले कुछ चिकित्सा अधिकारी औषधालयों के आवासों में रह रहे हैं; और

(ङ) उनमें कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी० जी० एच० एस०) पूल के मकानों तथा सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियों के साथ सम्बद्ध मकानों को अलाट करने में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है वह यह है कि सी० जी० एच० एस० दिल्ली में काम कर रहे हर चिकित्सा पद्धति के वरिष्ठतम डाक्टर को ये मकान अलाट किये जाते हैं। इस अलाटमेंट के लिए यह मापदण्ड नहीं है कि अलाटी किस डिस्पेंसरी अथवा क्षेत्र में काम करता है। सी० जी० एच० एस० दिल्ली के अधीन डाक्टरों को अलाट किए जाने वाले मकानों की संख्या सीमित होने के कारण इस प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ रहा है। जब तक किसी क्षेत्र के डाक्टर को, जिसमें वह स्थानान्तरित किया गया है उसमें मकान देना सम्भव नहीं हो जाता तब तक उसे पहले अलाट किए गए मकान को रखने की अनुमति दी जाती है।

(ग) दक्षिणी क्षेत्र से केन्द्रीय क्षेत्र में केवल एक ही चिकित्सा अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया है किन्तु वह दक्षिणी क्षेत्र में अलाट किए गए मकान में ही रह रहा है।

(घ) यहां ऐसे भी डाक्टर हैं जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं पर वे सी० जी० एच० एस० पूल के मकानों में रह रहे हैं।

(ङ) दिल्ली में अपना मकान होने के बावजूद सरकारी मकान लेना कदाचार नहीं समझा जाता है।

नौवहन उद्योग में नैमित्तिक कर्मचारी

1164. **प्रो० दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित उद्योगों में, विशेषकर नौवहन उद्योग के संदर्भ में, नैमित्तिक रोजगार की समाप्त करने की सरकार की कोई स्थिर नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या नैमित्तिक कर्मचारियों में से उन कर्मचारियों को राहत देने की सरकार की कोई नीति है जिन्होंने अनिवार्य बेरोजगार की अवधि में दीर्घकाल तक निरन्तर कार्य किया हो;

(ग) क्या यह सच है कि नौबहन उद्योग में 45 हजार से अधिक नैमित्तिक कर्मचारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार जहाज मालिकों की आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य करेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांदराम) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें आवश्यक सूचना दी हुई है।

विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में दिहाडी के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्थायी आदेश पहले

से ही दर्ज हुए हैं। इन आदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि दिहाडी के आधार पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वह अगर एक कार्यालय में या एक ही कार्यालय के अधीन छह महीने लगातार ऐसा कर लेते हैं तब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 बी के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अनुसार उन्हें नियमित करने की व्यवस्था है। इन आदेशों में यह भी व्यवस्था है कि इन कर्मचारियों का वेतन नियत करते समय उन्हें वह न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए जो उन्हें तब मिलता था जब वह दिहाडी के आधार पर काम करते थे।

इस प्रकार काम करने वाला जो एक ही कार्यालय में या कार्यालय के अधीन नब्बे दिन तक लगातार काम करता रहेगा उसे इन कर्मचारियों की प्रवरता दी जायेगी जिन्होंने नब्बे दिन पूरे नहीं किए होंगे ।

जहां तक जहाजी उद्योग का सम्बन्ध है नाविकों को रोजगार यात्रा के आधार पर मिलता है अनेक भारतीय नाविकों को विदेशी जहाजों पर भी नौकरी मिल जाती है। इनकी नौकरी की शर्तें नाविक रोजगार कार्यालयों द्वारा तय की जाती है। जो भारत सरकार ने बम्बई और कलकत्ता में खोल रखे हैं। जिन लोगों को बहुत दिनों तक बेकार पड़े रह जाना पड़ जाता है उनको राहत देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना में ऐसे नाविकों को इस अवधि तक जरूरत मन्द नाविक समझा जाता है जब उन्हें बेकार रहना पड़ जाता है। यह अवधि पिछली नौकरी के समाप्त होने की अवधि से गिना जाता है जो पिछली नौकरी के प्रति मास के लिए दस दिनों की अवधि नियत पर शुरू की जाती है। इन जरूरत मन्द नाविकों को नाविक कल्याण कोष समिति के द्वारा दस रु० में प्रति दिन के हिसाब से अनुग्रहपूर्ण तब तक सहायता दी जाती है जब तक कि उन्हें दुबारा नौकरी नहीं मिल जाती । यह सहायता अधिक से अधिक 90 दिनों तक की जाती है।

(ग) नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई। कलकत्ता में पहली अप्रैल, 1979 तक केवल 39.47 नाविक रजिस्टर्ड थे।

(घ) नाविकों का वेतन और उनकी सेवा की शर्तें जहाज मालिकों (देशी और विदेशी दोनों) के संगठनों द्वारा नाविकों के सगठनों अर्थात् राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड द्वारा आपस में बातचीत कर तय की जाती हैं। इससे विदेशी और देशी जहाज मालिकों और भारतीय नाविकों (अपनी-अपनी यूनियनों द्वारा) आपस में समझौता करने की व्यवस्था स्थगित हो जाती है जिसका उद्देश्य—

(1) जहाज मालिकों और नाविकों के बीच आपसी मतभेदों को दूर करना और समझौता स्थगित करना।

(2) नौकरी, नौकरी के वेतन की उचित दर (यह दरें) और सेवा की अनुमोदित शर्तें।

(3) समय-समय पर समान हितों के बारे में आपस में तय करना होता ऊपर दिये गये हिसाब से यह स्पष्ट है कि नाविकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित व्यवस्था बनी हुई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुर्वेदिक/होम्योपैथी अथवा सिद्ध डाक्टरों की नियुक्ति

*1165. **श्री गंगा सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक आयुर्वेदिक/होम्योपैथी अथवा सिद्ध डाक्टर नियुक्त करना सरकार की नीति है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने डाक्टर नियुक्त किये गये हैं; और

(ग) इस योजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है और इसकी लागत क्या होगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अधीन आने वाले प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी का एक अतिरिक्त पद मंजूर कर दिया गया है । इन पदों पर किस चिकित्सा पद्धति के डाक्टर नियुक्त किए जाएं यह बात राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की इच्छा पर छोड़ दी गई है ।

(ख) अब तक 1789 अतिरिक्त पद मंजूर किए जा चुके हैं । कुल कितने डाक्टर नियुक्त किए गए हैं अथवा राज्यवार उनकी संख्या कितनी-कितनी है यह ब्यौरा अभी तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) आशा है कि जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है उनमें यह योजना मार्च, 1983 तक पूरी तरह कार्यान्वित कर दी जायेगी । 1978-83 की योजनावधि में जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए प्रस्तावित आबंटन 200 करोड़ रुपये है । राष्ट्रीय विकास परिषद् के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं में ट्रांन्सफर कर दिया जायेगा, इसमें कुछ फेर बदल हो जाने की सम्भावना है ।

रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, मद्रास

*1166. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, मद्रास-30 ने मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उन्हें हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए पेंशन आयोग बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) ऐसा कोई औपचारिक ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है । लेकिन कुछ पेंशनरों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी तकलीफें मुझे बतलायी और मूल्य-वृद्धि को देखते हुए पेंशन की मात्रा में वृद्धि करने के बारे में उन्होंने अनुरोध किया था ।

(ग) और (घ) रेल कर्मचारियों के लिए अपनायी गई पेंशन योजना वही है जो वित्त मंत्रालय द्वारा सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनायी गयी है । जब समग्र रूप से

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पेंशनीय लाभों के उदारीकरण के संबध में कोई निर्णय लिया जाता है तो वह रेल कर्मचारियों के लिए भी लागू होता है। अतः रेल कर्मचारियों के लिए अलग से पेंशन आयोग गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

रेलवे यार्डों में कूड़ा-करकट

*1167. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे यार्डों, रेल सम्पत्तियों, रेलवे की जमीनों आदि पर, विशेष रूप से अहमदाबाद सहित देश के बड़े-बड़े रेलवे स्टेशनों पर तथा उनके चारों ओर कूड़ा-करकट तथा गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं तथा देखने में भी बुरे लगते हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या तत्काल कारगर उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) रेल प्राधिकारी इस संबंध में कारगर उपाय करते हैं कि एकत्र कूड़े-करकट और मिट्टी को हटाकर और उसका निपटान कर दिया जाये ताकि वातावरण को अस्वास्थ्यकर होने से रोका जा सके। रेल परिसर से कूड़ा-करकट समय से हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित नगर प्राधिकारियों से सम्पर्क रखा जाता है।

भारत-पाक सम्बन्ध

*1168. **श्री शंकरसिंह जी बाघेला**
श्री चिमनभाई एच० शुक्ल } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 अप्रैल, 1979 के 'सन्डे स्टेण्डर्ड' में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के वक्तव्य के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि "भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध बहुत नाजुक हैं"; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के इस आशय के वक्तव्य के बारे में अखबार और रेडियो की रिपोर्टें देखी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह वक्तव्य इसलिए दिया था कि जमशेदपुर के दंगों पर उनकी प्रतिक्रिया के सिलसिले में उन्हें "गलत न समझा जाए"।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का हमेशा सख्ती से अनुसरण किया है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का वक्तव्य पाकिस्तान के इसी प्रकार के दृष्टिकोण का शुभ संकेत है।

प्रबन्ध में मजदूरों की साझेदारी सम्बन्धी समिति का प्रतिवेतन

*1169. **श्री सौगत राय**
श्री निहार लास्कर } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध में मजदूरों की साझेदारी सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इन सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है और उन पर निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें समिति की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं।

(ग) और (घ) सरकार रिपोर्ट पर समुचित विचार कर रही है।

विवरण

***प्रबन्ध और ईक्विटी में श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी समिति की मुख्य सिफारिशें**

1. सामान्यत: यह स्वीकार किया गया कि यह योजना 500 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले उपक्रमों में शुरू की जाए तथा उसमें एक समर्थकारी उपबन्ध हों ताकि इस योजना को ऐसे अन्य उपक्रमों पर भी लागू किया जा सके, जहां कम से कम 100 श्रमिक नियोजित हैं।

2. इस योजना को शुरू करने के मामले में निजी, सरकारी या सहकारी क्षेत्रों में कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है।

3. अधिकांश सदस्यों ने सहभागिता की तीन-सूत्री प्रणाली, अर्थात् कारपोरेट स्तर पर, प्लांट स्तर और शाप-फ्लोर स्तर पर, अपनाने का समर्थन किया। नियोजकों के प्रतिनिधि बोर्ड स्तर पर प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं थे। यह सुझाव दिया गया कि उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, जहां उद्योग स्तर पर सामूहिक सौदेकारी पद्धति है, उद्योग स्तर पर सहभागी फोरमों की स्थापना के प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाए।

4. यह वांछनीय समझा गया कि जहां तक सम्भव हो, सहभागी फोरमों में प्रतिनिधि शाप या प्लांट में, जैसी स्थिति हो, नियोजित श्रमिकों में से होने चाहिए और इन फोरमों में नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच समता होनी चाहिए। तथापि, कारपोरेट स्तर पर श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सर्वसम्मति नहीं थी।

---

*21 सदस्यों में से 16 सदस्यों ने बिना किसी टीका-टिप्पणी या आलोचना के रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

5. यह स्वीकार किया गया कि सहभागी फोरमों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मत-दान द्वारा किया जाए।

6. यह सामान्यतया अनुभव किया गया कि सहभागी फोरमों में पर्यवेक्षकों और मध्य-स्तरीय प्रबन्धतंत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में उन्हें पूरी तरह शामिल किया जा सके।

7. योजना के कार्यों और स्तरों के सम्बन्ध में, जो सहभागी प्रबन्धकों में आते हैं, सदस्यों के बीच आम सहमति थी। शाप स्तर, प्लांट स्तर और कारपोरेट। बोर्ड स्तर पर सहभागी फोरमों के कार्यों की विस्तार से व्याख्या की गई।

8. सामान्यत: यह स्वीकार किया गया कि केन्द्र और राज्य दोनों में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की योजना को कार्यान्वित करे और उसके कार्य की पुनरीक्षा भी करे।

9. जहां तक इक्विटी सहभागिता का सम्बन्ध है, श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा इस सम्बन्ध में जोरदार इच्छा व्यक्त की गई कि इक्विटी सहभागिता की संकल्पना को सरकारी क्षेत्र में लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल राज्य स्वामित्व के स्वरूप में कमी हो जाएगी और यह कि यह संकल्पना केवल निजी क्षेत्र से सम्बन्धित है। अधिकांश प्रतिनिधियों का विचार था कि इक्विटी में सहभागिता वैकल्पिक होनी चाहिए और प्रबन्धतन्त्र में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इसे कानूनी तरीके के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह सामान्यत: स्वीकार किया गया कि कम्पनी द्वारा भविष्य में जारी किए गए कुल शेयरों के कम से कम 10 प्रतिशत शेयरों को बिल्कुल श्रमिकों के शेयरों के रूप में आरक्षित किया जाना चाहिए और ये शेयर सबसे पहले उस कम्पनी के श्रमिकों को विक्रय किया जाना चाहिए। यदि वे शेयरों को नहीं खरीदते हैं, तो इन्हें अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया जाना चाहिये।

गोदी विस्तार के लम्बित प्रस्ताव

*1170. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदी में काम को बढ़ाने के अनेक प्रस्ताव मन्त्रालय के पास 6 से 9 महीनों से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनको निपटाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी मन्त्री (श्री चाद राम) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य बड़े पत्तनों में पत्तन विस्तार कार्यों सम्बन्धी मुख्य प्रस्तावों के स्वीकृत किये जाने का उल्लेख कर रहे हैं। एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। जिसमें विलम्ब के कारणों के साथ-साथ ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

गोदी विस्तार कार्य के लम्बित प्रस्तावों के बारे में श्री एस० आर० रेड्डी द्वारा 17-5-79 को लोक सभा में पूछे गये मौखिक प्रश्न संख्या 1170 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

बड़े पत्तनों में पत्तन विस्तार कार्यों सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव छह महीने के अधिक समय से नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में लम्बित हैं और उनके लम्बित रहने के कारण प्रत्येक प्रस्ताव के सामने दिखाए गए हैं :—

क्र० सं०	पत्तन का नाम	प्रस्ताव का नाम	लम्बित रहने के कारण
1.	मद्रास	मद्रास पत्तन पर एक सूखी गोदी के निर्माण के लिए एक अनुमान की स्वीकृति	कुछ बातों पर पत्तन न्यास से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।
2	मद्रास	मद्रास पत्तन पर वोट वेसिन के रिमोटलिंग के लिए एक अनुमान की स्वीकृति	पत्तन से कुछ बातों पर अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	कोचीन	कोचीन पत्तन पर समाकलित विकास के लिए एक अनुमान की स्वीकृति	पत्तन से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित एजेंसियों और विभिन्न प्रयोकर्ताओं के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करना पड़ा। की गई चर्चा के सन्दर्भ में प्रयोजना पर एक पूरक रिपोर्ट पत्तन को मार्च, 1979 में भेजी थी। इस योजना पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

जनता भोजन की सप्लाई

*1171. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने सभी मुख्य स्टेशनों पर तथा रेलगाड़ियों में जनता भोजन सप्लाई करने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी मुख्य स्टेशनों पर तथा रेलगाड़ियों में जनता भोजन सप्लाई किये जाने की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) दो राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर, भोजन/पेंट्री यानों से सज्जित सभी गाड़ियों में 'जनता खाना' के पैकेट देने

की प्रणाली प्रारम्भ की गई है। यह प्रणाली सभी भारतीय रेलों के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कम मूल्य के भोजन पैकेटों के अलावा प्रारम्भ की गई है। 'जनता खाना' की लोकप्रियता को देखते हुए क्षेत्रीय रेलों द्वारा 'जनता खाना' की बिक्री की व्यवस्था और अधिक गाड़ियों में तथा सभी महत्व-पूर्ण स्टेशनों पर धीरे-धीरे की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उपभागों के लिए मंजूरी देने का प्रस्ताव

*1172. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के विजयवाडा, विशाखा-पत्तनम खण्ड के राजनग्राम और पट्टिपडु के निकट उपमार्गों की मन्जूरी के लिए प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने छटी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए निर्माण कार्यों की एक सूची भेजी है। राजनग्राम और पट्टिपडु के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनः संरेखण का कार्यक्रम इस सूची में शामिल है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से आवश्यक आंकड़े और अनुमान अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन निर्माण कार्यों को चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है जो साधनों के उपलब्ध होने और सारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्यक्रम की प्राथमिकता पर भी निर्भर करेगा।

स्कूटर मोटरों के बारे में शिकायतें

*1173. **श्री अमर सिंह वी० राठवा**
श्री श्याम सुन्दर लाल } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक ही दूरी के लिए स्कूटरों द्वारा भिन्न-भिन्न मीटर रीडिंग बताये जाने की शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में महीने वार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां, हाल में इधर ज़्यादा शिकायतें सुनने को मिली हैं।

(ख) पिछले तीन महीनों की अवधि में परिवहन निदेशक, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को जो शिकायतें मिलीं वह इस प्रकार हैं :—

	परिवहन निदेशालय	ट्रैफिक पुलिस
फरवरी, 1979	2	22
मार्च, 1979	3	8
अप्रैल, 1979	कुछ नहीं	254
	5	284

(ग) इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने का अधिकार दिल्ली प्रशासन को मिला हुआ है। इस प्रशासन ने नीचे लिखे उपाय अपनाये हैं :—

(i) किराए में संशोधन करते समय राज्य परिवहन अधिकरण ने अनुमान लगाया था कि तीन महीने के भीतर मीटरों को फिर से संशोधित कर दिया जाएगा। इस नियम के अनुसार स्कूटर और टैक्सी के सभी चालकों को यह हिदायत दी गई कि वे अपने-अपने मीटरों को उद्योग निदेशालय के नियंत्रण, तोल और माप के मार्फत बदलवा लें।

(ii) परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन कर्मचारियों, दिल्ली प्रशासन और तोल व माप के नियंत्रण द्वारा सम्मिलित रूप से चैकिंग की गई और दोषपूर्ण मीटरों के स्कूटरों और टैक्सियों के चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

यूनियन टैक्सटाइल्स, कलकत्ता की ओर भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना का बकाया

11074. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यूनियन टैक्सटाइल्स, कलकत्ता ने अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों की भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना निधियां जमा नहीं कराई हैं और यदि हां, तो टैक्सटाइल मिल की ओर कितनी धन राशि बकाया है और उसको वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि 16-2-1979 की स्थिति के अनुसार, मैसर्स यूनियन टैक्सटाइल्स, 16, नूरमल लेन कलकत्ता, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन नहीं आता है, क्योंकि इसमें बीस से कम व्यक्ति नियोजित हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि मैसर्स यूनियन टैक्सटाइल्स, नूरमल लोहिया लेन, कलकत्ता एक "दुकान" है और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबन्धों को पश्चिम बंगाल राज्य में दुकानों पर लागू नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा लगाये गये दौरे

11075. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने कितने दिन अपने कार्यालय में काम किया और कितने दिन वह सरकारी दौरे पर बाहर रहे; और

(ख) इन दौरों की वजह से उन्हें कुल कितनी धन राशि की प्रतिपूर्ति की गई ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि—

(क) और (ख) मार्च, 1978 से मार्च 1979 की अवधि के दौरान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश सतानवे दिनों के लिए सरकारी दौरे पर रहे और इन दौरों के सम्बन्ध में उन्हें यात्रा भत्ते के रूप में 8315.60 रुपये की राशि का भुगतान किया गया ।

राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

11076. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मन्त्रालय में (रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) श्रेणी-3 और 4 के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या प्रत्येक मंत्रालय में कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के अनुपात में संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद् में सीटों को फिर से आवंटन करने का मामला विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार के उन ग्रुप "ग" और "घ" कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के सम्बन्ध में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है, जो संयुक्त सलाहकार मशीनरी की योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

(ख) संयुक्त सलाहकार मशीनरी की योजना के अनुसार राष्ट्रीय परिषद में, जो एक शीर्ष निकाय है, कर्मचारियों की सीटों की संख्या 60 निर्धारित की गई है । 1966 में संयुक्त सलाहकार मशीनरी की योजना को प्रारम्भ करते समय राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारियों की सीटों को विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के बीच ग्रुप "ग" और "घ" कर्मचारियों की कुल संख्या के आधार पर वितरित किया गया था । मंत्रालयों/विभागों ने आवंटित की गई सीटों को विभिन्न मान्यता प्राप्त संघों/यूनियनों/संस्थाओं के बीच वितरित किया । इन सीटों का बटवारा प्रत्येक ग्रुप की अलग-अलग सदस्य संख्या को ध्यान में रख कर किया गया । गृह मंत्रालय ने यह बताया है कि तमाम सीटों को मन्त्रालय/विभागों के बीच पहले से ही आवंटित किया जा चुका है और

पात्र कर्मचारियों की वर्तमान संख्या जो कि अब प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में बढ़ गई है, के आधार पर इन सीटों का फिर से आवंटन करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

पोरबन्दर वाणिज्य मंडल से अभ्यावेदन

11077. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पोरबन्दर उद्योग तथा वाणिज्य मंडल, पोरबन्दर ने उन्हें 9 अगस्त, 1978 को इस स्थान पर उनके दौरे के समय रेल सुविधाओं के बारे में एक अभ्यावेदन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मांगों का स्वरूप क्या है और इनमें कौन सी मांग स्वीकार कर ली गई है और कब तथा इस बारे में विवरण क्या है;

(ग) अब तक कौन सी मांग स्वीकार नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शेष मांग कब तक और किस प्रकार स्वीकार की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अभ्यावेदन में की गयी विभिन्न मांगों के संबंध में स्थिति नीचे स्पष्ट की गई है :—

1. 45 अप/46 **डाउन पोरबन्दर-अहमदाबाद गांधीग्राम एक्सप्रेस को अहमदाबाद तक/ से चलाने की बजाय दिल्ली तक/से बढ़ाना**

अहमदाबाद और रेवाड़ी के बीच ट्रंक मार्ग के कुछ भागों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता उपलब्ध न होने के कारण, पोरबन्दर-अहमदाबाद एक्सप्रेस को दिल्ली तक बढ़ाना सम्भव नहीं है।

इसके अलावा, किसी अतिरिक्त गाड़ी को सम्हालने के लिए दिल्ली क्षेत्र के मीटर लाइन स्टेशनों पर अनुरक्षण की फालतू सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

2. **वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर परियोजना का शीघ्र आमान-परिवर्तन**

वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर परियोजना के आमान-परिवर्तन का काम दो चरणों में होगा।

चरण—1 : वीरमगाम से हापा-न्यू जामनगर तक का आमान-परिवर्तन तथा विंडमिल तक स्पर लाइन-1980 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

चरण—2 : न्यू जामनगर से ओखा-कानालुस और पोरबन्दर तक के शेष भाग का आमान-परिवर्तन-1982 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

3. **पोरबन्दर में एक रेल मंडल का सृजन**

भारतीय रेलों पर मंडलों का गठन प्रशासनिक और परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर और कार्य-कुशलता तथा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

किसी नये मंडल के गठन पर भारी खर्च करना पड़ता है और उस नये मंडल में काम करने के लिए कर्मचारियों का 'सामूहिक' स्थानान्तरण भी करना पड़ता है जिससे कर्मचारियों को असुविधा होती है। इसलिए, नये मंडलों के गठन के बारे में केवल तभी विचार किया जाता है जब उपर्युक्त मानदन्ड के आधार पर ऐसा करना नितांत अपरिहार्य समझा जाये। इस आधार पर, पोरबन्दर में नये मंडल के गठन का कोई औचित्य नहीं है। पोरबन्दर और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के रेल उपयोगकर्त्ताओं की जरूरतें मौजूदा भाव नगर मंडल, पोरबन्दर जिसका इस समय एक भाग है, द्वारा समुचित रूप से पूरी की जा रही है।

4. **पोरबन्दर पोर्ट में एक अलग रेलवे स्टेशन की व्यवस्था और वर्ष भर खुला रहने वाले नए पत्तन के लिए रेल भाड़े में रियायत**

इस मामले की रेल प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है।

5. **खनिज-पदार्थों पर आधारित उद्योगों का विकास**

उद्योगों के इस्तेमाल के लिए कच्चे माल को पहले ही निम्नतर दरों पर वर्गीकृत किया गया है, इसलिए ऐसे पण्य-पदार्थों के भाड़ा प्रभारों में कोई आम कमी करने की गुंजाइश नहीं है। यदि इनमें कोई कमी कर दी जाती है, तो ऐसे पण्य-पदार्थों के परिवहन में होने वाली हानि बढ़ जायेगी।

बौक्साइट कैलसाइड को माल-डिब्बा भार में श्रेणी 65 पर वर्गीकृत किया गया है और इसकी भाड़ा दरों में यदि कोई कमी कर दी गई, तो इस यातायात की ढुलाई में हानि होगी। अतः इस पण्य पदार्थ की भाड़ा दरों में कोई कमी करना सम्भव नहीं होगा।

6. **माल-डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई**

वर्ष 1978-79 के दौरान भाव नगर, मंडल के कुल दैनिक लदान का औसत 401 माल-डिब्बे रहा जिसमें मद 'ई' के 28 माल-डिब्बे शामिल हैं जबकि 1977-78 के दौरान कुल दैनिक लदान का औसत 414 माल-डिब्बे था जिसमें मद 'ई' के 33 माल-डिब्बे शामिल हैं। स्टाक की कमी के कारण लदान में मामूली कमी आई और रेल इंजन के कोयले की कमी के कारण संचलन में शिथिलता आयी। प्राथमिकता 'ई' के अन्तर्गत लदान पर स्टाक की कमी और सीमेंट यातायात की भारी मांगों के कारण प्रभाव पड़ा।

7. **निजी रेलवे साइडिंगों के लिए अनुरक्षण और निरीक्षण प्रभारों की दरों में वृद्धि**

श्रमिकों की मजदूरी और सामान की कीमतें बढ़ जाने के कारण, साडिंगों के अनुरक्षण की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। इसलिए, ऐसे प्रभारों का वास्तविक अनुमान लगाने के लिए, रेलों की लागत समय-समय पर अद्यतन करनी पड़ती है। लेकिन पार्टियों को यह विकल्प है कि निजी साइडिंगों का अनुरक्षण वे स्वयं कर सकती हैं। उस दशा में, उन्हें केवल निरीक्षण प्रभार अदा करने होते हैं जो अपेक्षाकृत कम होते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन साइडिंगों का अनुरक्षण अपेक्षित स्तर काहो, रेल कर्मचारियों द्वारा इन साइडिंगों के आवधिक निरीक्षणों की लागत को पूरा करने के लिए ये प्रभार लगाये जाते हैं। निरीक्षण प्रभारों में समय-समय पर संशोधन भी करना पड़ता है, ताकि रेल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का तत्व भी उनमें आ जाये।

8. **दावों का शीघ्र निपटारा**

अप्रैल से जून 1978-79 की अवधि में, कुल दावों में से 68 प्रतिशत दावे 42 दिन की निर्धारित अवधि, जो 1977 के बजट भाषण में निर्धारित की गई थी, के भीतर निपटा दिये गये थे। अप्रैल से जून 1978 की अवधि में, पश्चिम रेलवे पर दावों के निपटारे का औसत समय 29 दिन था और जुलाई 1978 में यह समय केवल 30 दिन था।

अधिक मूल्य के, विशेष रूप से कोयले के परेषणों से सम्बन्धित, दावों के निपटारे के संबंध में अधिक समय लगता है। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि अप्रैल से जून 1978 तक की अवधि के दौरान पश्चिम रेलवे को प्राप्त हुए दावों की कुल संख्या में से, लगभग 68 प्रतिशत दावे ऐसे थे जो अन्य क्षेत्रीय रेलों को बुक किये गये परेषणों के संबंध में थे और शेष 32 प्रतिशत स्थानीय बुकिंग के संदर्भ में थे। अन्य क्षेत्रीय रेलों से बुक किये गये यातायात से सम्बन्धित दावों के निपटारे में अपेक्षाकृत अधिक समय लग जाता है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाई और अन्य सम्बद्ध आंकड़ों के सम्बन्ध में छान-बीन करने के काम में दो या अधिक रेलें सम्मिलित होती हैं।

निरामणी, पोलिक्लिनिक, कलकत्ता को दी गई राशि

11078. **श्री सरदीश राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरामणी, पोलिक्लिनिक, गड़ियाहारा, कलकत्ता को भवन निर्माण तथा उपकरणों आदि की खरीद के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई और दी गई;

(ख) ऐसी अदायगी की शर्तें क्या हैं और क्या ये पूरी की जाती हैं;

(ग) क्या इस पालिक्लिनिक को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं और किन शर्तों पर;

(घ) क्या शर्तें पूरी की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस कमी के बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) निरामय पोलिक्लिनिक (न कि निरामणी पोलिक्लिनिक जो मुद्रण की गलती मालूम होती है), कलकत्ता को अस्पताली उपकरणों की खरीद के लिए निम्नलिखित धन राशियां मंजूर की गई थीं :—

वर्ष	धनराशि
1966-67	40,000.00 रुपये
1967-68	80,000.00 रुपये
1977-78	67,178.68 रुपये

(ख) सहायता के पात्र होने की शर्तों की एक प्रति अनुबन्ध-1 संलग्न है। स्वीकृत अनुदानों की रकम का भुगतान अनुदान की सभी शर्तों को स्वीकार करने वाली संस्था से वचन-पत्र, बांड आदि जैसे अपेक्षित कागजात मिल जाने के बाद किया जाता है। उन शर्तों की एक प्रति अनुबंध-2 संलग्न है। इस संस्थान ने अनुदान के पात्र होने की शर्तें पूरी कर दी थीं इसलिए उसे ये

अनुदान रिलीज कर दिये गए थे। तथापि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के एक अधिकारी द्वारा 30 मई, 1978 को अस्पताल का निरीक्षण किए जाने पर यह पता चला था कि उसमें 60 पलंगों के लगाने की व्यवस्था थी परन्तु यह संस्था केवल बाह्य रोगी क्लिनिक ही चला रही थी। चूंकि इस संस्था को 67,178.68 रुपये का अनुदान इस आधार पर दिया था कि उनके पालीक्लिनिक में कुल 60 पलंग थे जिनमें से गरीब रोगियों आदि के लिए 5 पलंग जनरल वार्ड में और 2 पलंग बाह्य रोगी विभाग में निःशुल्क उपलब्ध किए थे (अर्थात् कुल पलंगों का 10 प्रतिशत), इसलिए अनुदान को वापस करने का मामला सीधे ही संस्था के साथ उठाया गया है तथा पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से भी उठाया गया है।

(ग) और (घ) यह पोलिक्लिनिक 3-7-1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या—डी० 12014/9/76-सी० जी० एच० एस०, प्रतिलिपि संलग्न अनुबन्ध-3, में निर्धारित शुल्क सूची के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के इलाज के लिए मान्यता प्राप्त है। अनुमोदित शुल्क सूची के अनुसार उक्त पोलिक्लिनिक द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों का भुगतान संबंधित क्लिनिक द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने पर सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कलकत्ता द्वारा किया जाता है। यह क्लिनिक लाभार्थियों को स्वीकृत शुल्क सूची के अनुसार ही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4533/78]

विवेकानन्दपुरी के पास चन्द्रशेखर आजाद मार्ग को चौड़ा करना

11079. **श्री बलबीर सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवेकानन्दपुरी, नई दिल्ली के पास चन्द्रशेखर आजाद मार्ग पर यातायात का भारी जमाव रहता है;

(ख) यदि हां, तो घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं को दूर करने के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और पूरा किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांदराम) : (क) से (ग) सराय रोहेला ओवर ब्रिज और ओल्ड रोहतक रोड को जोड़ने वाले डायवर्जन के बीच प्रश्नगत सड़क पर भारी यातायात है। दिल्ली नगर निगम, जो सड़क का इन्चार्ज है, ने बताया है कि यातायात को ओल्ड रोहतक रोड की तरफ मोड़ने के लिए इस भाग को चौड़ा किया जा रहा है। अधिकांश कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और सम्पूर्ण कार्य लगभग तीन महीने में पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये स्पीड-ब्रेकर्ज और रम्बल भी लगाए गए हैं।

परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए श्रीलंका को सहायता

11080. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका ने परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चाँद राम) : (क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय को परिवहन सैक्टर की सहायता के लिए श्रीलंका की सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

निजामाबाद के लिए दिये गए रेल माल डिब्बे

11081. **श्री अब्दुल लतीफ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1979 से 20 अप्रैल, 1979 तक की अवधि में प्रतिदिन रेलवे द्वारा कितने रेल माल डिब्बे दिए गये और विभिन्न प्रयोक्ताओं और दावेदारों की उनके संबंध में पारस्परिक प्राथमिकताएं क्या थीं;

(ख) क्या उन्हें निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) में 9 अप्रैल, 1979 से बाद रेल माल डिब्बों के अभाव में बन्द हुए बाजारों और उसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के किसानों को हुई परेशानी की जानकारी है;

(ग) क्या संसद सदस्यों तथा अन्य प्रतिनिधियों से इस बारे में कोई ज्ञापन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परेशानी को दूर करने के लिए उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) माल डिब्बे मांग पत्र की वरीयता और प्राथमिकता के अनुसार सप्लाई किये जाते हैं । 1 जनवरी, 1979 से 20 अप्रैल, 1979 तक की अवधि के दौरान निजामाबाद को तदनुसार माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे, जिसका तारीख-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) रेलवे को बाजार बंद रहने की कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) माल डिब्बों की सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । निम्न प्राथमिकता के यातायात के लदान को बढ़ाने के उद्देश्य से निजामाबाद स्टेशन को हफ्ते में तीन दिन निम्न प्राथमिकता का यातायात लदान के लिए स्वीकृति दे दी गई है ।

विवरण

निजामाबाद स्टेशन को सप्लाई किए गये माल डिब्बों की संख्या

तारीख	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
1	21	19	8	22
2	28	40	25	10
3	21	10	9	11
4	30	20	6	24
5	21	30	14	38
6	15	35	13	22
7	24	20	29	31
8	17	25	18	38
9	11	28	42	16
10	20	13	8	29
11	29	37	22	7
12	32	22	36	2
13	26	29	7	20
14	11	30	15	32
15	6	8	9	30
16	27	30	9	12
17	21	13	34	26
18	13	17	14	18
19	19	28	11	—
20	23	15	40	15
21	26	18	23	
22	41	21	26	
23	29	29	42	
24	50	32	5	
25	30	5	26	
26	33	18	27	
27	38	11	35	
28	21	21	8	
29	22		14	
30	30		13	
31	26		25	
जोड़	761	624	613	403

बम्बई पत्तन से आय में कमी

11082. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से बम्बई पत्तन से होने वाली आय में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आय बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं। वस्तुत इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"रोड्स विंग" की दोनों सेवाओं में प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या

11083. **श्री युवराज** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय के "रोड्स विंग" के क्रमश: केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क और केन्द्रीय इन्जीनियरिंग पूल में दोनों सेवाओं के बनाये जाने के समय प्रत्येक ग्रेड में कितने-कितने पद थे और कितने-कितने अधिकारी रौल पर थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : दो सेवाएं अर्थात केन्द्रीय इन्जीनियरी सेवा (सडक) ग्रुप 'ए' और केन्द्रीय इंजीनियरी पूल ग्रुप 'ए', फरवरी, 1976 में बनायी गई थी। दोनों सेवाओं के बीच विभिन्न ग्रेडों में पदों का नियतन नौवहन और परिवहन मन्त्रालय (सड़क पक्ष) की दो अधिसूचनाओं सं० ए-23 (14)/76, दिनांक 21-4-76 में अधिसूचित किया गया था। दोनों अधिसूचनाओं की एक प्रति संलग्न है।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4534/79]

2. दो सेवाओं के बनाये जाने के समय विभिन्न ग्रेडों में नियमित आधार पर सेवारत अधिकारियों (सड़क और पुल) की संख्या निम्न प्रकार थी :

क्रम सं०	पद नाम और पद	अधिकारियों का नाम		
		सेवा	पूल	
1.	महानिदेशक (सड़क विकास) और अतिरिक्त सचिव	1	—	
2.	अतिरिक्त महानिदेशक	2	—	
3.	मुख्य इंजीनियर	1	—	(ग्रेड में अन्य पदों
4.	अधीक्षक इंजीनियर	13	8	पर वे अधिकारी हैं
5.	कार्यकारी इंजीनियर	11	61	जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए हैं)।

1	2	3	4
6.	सहायक कार्यकारी इंजीनियर	28	69 (कुछ सहायक कार्यकारी इंजीनियर तदर्थ आधार पर उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं) ।

दिल्ली परिवहन निगम की रूट नं० 73 पर बस सेवा

11084. **श्री बालक राम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने हरि नगर क्लाक टावर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच रूट नं० 73 पर सब दुमंजली बसों की व्यवस्था की है;

(ख) क्या इसके कारण बसों की खराबी की दर बहुत अधिक है और प्रतिदिन अनेक फेरे मिस हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो मार्च, 1979 और अप्रैल, 1979 में अलग-अलग कितने फेरे मिस किए गए ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चाँद राम) : (क) पांच बसें। जिनमें चार डबल-डैकर और एक सिंगल-डैकर बसें हैं, रूट न० 73 पर चलाई जा रही हैं ।

(ख) और (ग) बसों के खराब होने की दर बहुत अधिक नहीं है, परन्तु, मार्च, 1979 की स्थिति की तुलना में अप्रैल, 1979 में इस रूट पर मिस किए फेरों की संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई है । इसके मुख्य कारण ये हैं कि निगम में बहुत से ड्राईवर, जो निकटवर्ती राज्यों के किसान परिवारों से हैं, फसल की कटाई के समय छुट्टी पर चले गए हैं । खराब मौसम का भी गाड़ियों के अनुरक्षण पर बुरा असर पड़ता है । दिल्ली परिवहन निगम स्थिति में सुधार करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है ।

(घ) सूचना नीचे दी गई है ।

मास	फेरों की सं०		मिस किए फेरे	परिचालनात्मक कुशलता
	निर्धारित	लगाए गए		
मार्च, 1979	2128	1734	394 (19 %)	81%
अप्रैल, 1979	2100	1637	463 (22%)	78%

कल्याण नगर परिषद

11085. **श्री लक्ष्मण राव मानकर** : क्या रेल मन्त्री कल्याण नगर परिषद के बारे में 22 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4314 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण नगर परिषद (जिला थाना, महाराष्ट्र) ने रेलवे द्वारा दायर प्रतिदावों की जांच की है और रेलवे प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कल्याण नगर परिषद के निर्णय पर रेल प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) 26-3-79 को कल्याण नगर परिषद ने सूचित किया कि रेलवे ने जिन 7 मदों का दावा किया है उनमें से 5 नगर परिषद को स्वीकार्य नहीं है। रेलवे इन पांच मदों पर नगर परिषद द्वारा उठाये गये मुद्दों की जांच कर रही है। शेष दो मदें अभी तक नगर परिषद के विचाराधीन हैं।

ग्रेड-II के स्टेनोग्राफरों के लिए चयन ग्रेड योजना

11086. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एफ० एस० (बी) के ग्रेड-II के स्टेनोग्राफर संवर्ग में पदोन्नति के अवसरों में गतिरोध को दूर करने के लिए उनके मन्त्रालय में चयन ग्रेड योजना वास्तव में लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मंत्रालय में 1956 से एक ही ग्रेड में ग्रेड-II के कितने स्टेनोग्राफर अभी भी काम कर रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) 1-6-1978 से।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 19

सतारा रोड रेलवे स्टेशन

11087. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे**
श्री आर० के० महालगी } : क्या रेल मन्त्री सतारा रोड रेलवे स्टेशन के बारे में 8 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन का पुराने सतारा रोड रेलवे स्टेशन (महाराष्ट्र) को मेल लाइन पर लाने के बारे में दक्षिण मध्य रेलवे के सर्वेक्षण संगठन का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे प्रशासन ने इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि अब तक कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सर्वेक्षण दल ने क्षेत्र-कार्य पूरा कर लिया है, परन्तु रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि जिला योजना बोर्ड, सतारा से अभी विचार-विमर्श किया जाना है। जनवरी, 1979 में जिलाधीश से अनुरोध किया गया था कि ब्यौरे के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए जिला योजना बोर्ड के साथ बैठक रखी जाय। जिला योजना बोर्ड, सतारा रोड के साथ ब्यौरे के बारे में विचार-विमर्श हो जाने के तत्काल बाद रेल प्रशासन द्वारा रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

मानदेय की दर

11088. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोनल रेलवे के लेखा विभाग में कर्मचारियों को दिये गये मानदेय की दरें अलग-अलग हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोनल रेलवे में मानदेय की दरें अलग-अलग क्या हैं और इन दरों में समानता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। प्रत्येक रेलवे पर लेखा विभाग के कर्मचारियों को मानदेय की दरें, काम के स्वरूप और मात्रा तथा सम्बद्ध कारणों जिनमें स्थानीय परिस्थितियां भी शामिल हैं, के अनुपार निर्धारित की जाती हैं और इसलिए यह एक क्षेत्रीय रेलवे से दूसरी रेलवे पर भिन्न-भिन्न होती हैं।

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर लागू मानदेय की दरों के बारे में सूचना मांगी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी। लेकिन, इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों को शक्ति दी गयी हैं कि वे अपने वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से ऐसे मानदेय की स्वीकृति दे सकते हैं। सभी रेलों पर समान दरें लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों को पास

11089. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ जोनल रेलवे विभागों में कर्मचारियों के मुख्यालय के अधिकार-क्षेत्र के बाहर पास जारी करने में प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे जोनल रेलवे विभागों के नाम क्या हैं जहां ऐसे प्रतिबंध लगाये गये हैं और ऐसे प्रतिबंधों को खत्म करने और नियमों में एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा-पटल पर रख दी जायगी।

प्रशिक्षुओं के लिए पुरस्कार

11090. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1977 में प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित 18 वीं अखिल भारतीय दक्षता प्रतियोगिता के विजेता प्रशिक्षुओं के लिए घोषित पुरस्कार अभी तक वितरित नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) पुरस्कार कब वितरित किये जायेंगे और भविष्य में ऐसे विलम्ब से बचने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय शिक्षु कौशल प्रतियोगिता राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद् के तत्वावधान में आयोजित की जाती है । विजेताओं को पुरस्कार देने सम्बन्धी समारोह परम्परागत ढंग से राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद् की बैठक के साथ-साथ आयोजित किया जाता है ताकि राज्य सरकारें, केन्द्रीय मन्त्रालयों, नियोजक और श्रमिक संगठनों इत्यादि के प्रतिनिधियों को, जो एन० सी० टी० वी० टी० की बैठक में सदस्यों के रूप में भाग लेते हैं, इस समारोह में भाग लेने में सुविधा हो सके । 18 वीं अखिल भारतीय शिक्षु कौशल प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार वितरण सम्बन्धी समारोह अब तक इसलिए आयोजित नहीं किया जा सका क्योंकि परिषद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उसका पुनर्गठन किया जा रहा है। पुरस्कार वितरण करने सम्बन्धी कार्यवाही यथाशीघ्र की जाएगी ।

रेल-सड़क समन्वय नीति

11091. **चौधरी हरि राम मक्कासर गोदारा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार विशेषकर कोयला, सीमेंट और अनाज आदि के लदान के लिए वैगनों की भारी कमी को देखते हुए और इस सम्बन्ध में शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्पष्ट, प्रभावशाली और तुरन्त रेल सड़क समन्वय नीति तैयार करने के बारे में परिवहन मंत्री के साथ बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन पर उनका चर्चा करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर जब परिवहन क्षमता बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) कोयले, सीमेंट और अनाज आदि के लिए मालडिब्बों की कमी एक अस्थाई चरण है । रेलें और सड़क वाहन देश की बढ़ती हुई यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले से ही एक दूसरे के पूरक प्रयास कर रहे हैं । इसके अलावा, देश की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने और परिवहन के सभी साधनों से सम्बन्धित राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने के लिए योजना आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पांडे समिति) का गठन किया जा चुका है।

रक्त केन्द्र

11092. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में चिकित्सा सहायता के विभिन्न एककों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली में एक नया रक्त केन्द्र खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो कहां, और उस पर कितनी लागत आई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सावधानी बरती गई है कि निर्धन ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लोगों को, जो पड़ोसी राज्यों से दिल्ली के अस्पतालों में आते हैं, जरूरत पड़ने पर रक्त प्राप्त हो सके ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जरूरतमंद रोगियों को आमतौर पर रक्त के बदले में रक्त देने में कोई भेदभाव बरते बिना और आपाती मामलों में रक्त के बदले रक्त दिए बिना भी निःशुल्क रक्त उपलब्ध किया जाता है ।

हमारे देश में सेवारत तथा अपेक्षित जहाजों की संख्या

11093. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश के पास इस समय कितने जहाज चालू हालत में हैं;

(ख) देश को भिन्न-भिन्न क्षमताओं वाले कितने और जहाजों की अगले पांच वर्षों के दौरान आवश्यकता पड़ेगी; और

(ग) जहाजों की बढ़ती हुई इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्राभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) एक अप्रैल, 1979 के अनुसार 378 जहाज ।

(ख) और (ग) नौवहन टनभार लक्ष्य देश की व्यापार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर योजनाओं में सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । आगामी पांच वर्षों के लिए टनभार लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ।

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

11094. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1978 के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत लोक सभा के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके अपने और/अथवा परिवार के सदस्यों के उपचार

पर किये गये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कितने मामले उनके मन्त्रालय में प्राप्त हुए;

(ख) कितने मामलों में प्रतिपूर्ति की गई, प्रतिपूर्ति के प्रत्येक मामले को निपटाने में कितना समय लगा, प्रत्येक दावे की प्राप्ति और निपटान में जारी किए गए चैक की तारीख क्या थी;

(ग) चैक जारी किये जाने की तारीख के बाद सदस्य को चैक देने में कितने दिन लगे; और

(घ) सदस्यों और कर्मचारियों के सीधे प्रतिपूर्ति दावों के निपटान की वर्तमान प्रक्रिया में, यदि यह पता लगता है कि उक्त प्रक्रिया में एक सप्ताह से अधिक समय लगता है, सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) ज्यों ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वेतन और लेखा कार्यालय से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यालय में प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में कोई चैक मिलता है त्यों ही उनके मिलने की सूचना लाभार्थी को दे दी जाती है। उसे यह सलाह दी जाती है कि वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यालय में या तो स्वयं निर्धारित कार्यालय समय के बीच उस चैक को लेने के लिए आयें या अपना कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि भेजें।

(घ) इस प्रक्रिया को अबाध गति से चलाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी प्रतिपूर्ति के दावों की समुचित छानबीन करने के लिए काफी समय की जरूरत होती है और कभी-कभी तो स्पष्टीकरण आदि के लिए दावे को सम्बन्धित कार्यालय को दोबारा भेजना होता है।

हल्दिया तेल पोत की अधिक व्यवस्था

11095. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन सम्बन्धी मामलों में 60 प्रतिशत व्यस्तता, अर्थात् एक महीने में औसतन 18 दिन, प्रत्येक पोत के लिए काफी व्यस्तता समझी जाती है;

(ख) क्या हल्दिया तेल-पोत के बारे में आंकड़े एक महीने में 24, 25 दिन हैं और इस अधिक व्यस्तता के कारण टैंकरों के पहुंचने में विलम्ब होता है और इसमें बहुत लागत आती है; और

(ग) इस प्रकार के असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) घाट की व्यस्तता कई बातों पर निर्भर करती है जैसे उपलब्ध घाटों की संख्या, जहाजों का आगमन पैटर्न, रखरखाव, डिजाइन जलस्तर बनाए रखने के लिए अपेक्षित निकर्षण आदि-आदि। कुछ मामलों में 60% घाट व्यस्तता को संतोषजनक माना जा सकता है।

(ख) और (ग) 1978-79 में हल्दिया तेल जेट्टी पर औसतन घाट-व्यस्तता प्रति-मास 23 दिन थी। कुछ टैंकरों को विभिन्न कारणों से रुकना पड़ा जैसे घाटों की अनुपलब्धता, नौगम्य कठिनाइयां, टैंकरों का अनियमित रूप से उपलब्ध होना आदि। इसके अतिरिक्त, हल्दिया में आने वाले प्राडक्ट टैंकरों की पम्पिग दर क्रूड टैंकरों की तुलना में बहुत कम होती है और वे घाट पर अधिक समय तक रहते हैं जिससे अन्य जहाजों को घाट उपलब्ध नहीं हो पाता।

उपनगरों के लिए नि:शुल्क कार्ड पास

11096. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे का मुख्यालय) में कार्य कर रहे कर्मचारियों को, जो दिल्ली-किशनगंज में रह रहे हैं, उपनगरों के लिए नि:शुल्क कार्ड पास की सुविधा दी गई है;

(क) क्या यह भी सच है कि दिल्ली-किशनगंज में उत्तर और पश्चिम रेलवे के यातायात (ट्रैफिक) लेखा कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों को, जो नई दिल्ली में रह रहे हैं, इस सुविधा से वंचित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) रेल कर्मचारियों को नि:शुल्क आवासीय कार्ड पास देने के प्रश्न की सन् 1953 में समीक्षा की गयी थी और यह विनिश्चय किया गया था कि प्रत्येक रेलवे पर 14-12-53 की वर्तमान परिपाटी को जारी रखा जाए। चूंकि दिल्ली में रहने वाले उत्तर और पश्चिम रेलों के यातायात लेखा कार्यालयों के कर्मचारियों को 14-12-1953 से पूर्व यह सुविधा नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्हें नि:शुल्क आवासीय कार्ड पास देने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन, बड़ौदा हाउस, उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को दिल्ली किशनगंज और नयी दिल्ली/तिलक ब्रिज के बीच यात्रा करने के लिए एक विशेष छूट दी गयी है।

इस प्रश्न की अभी हाल में भी समीक्षा की गयी, लेकिन सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के क्षेत्र को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

खान-पान विभाग

11097. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ लेखा अधिकारी, विदेश यातायात लेखा कार्यालय द्वारा खान-पान विभाग में कर्मचारियों को भेजने के लिए कोई समान नीति नहीं अपनाई जा रही है;

(ख) क्या एफ० ए० और सी० ए० सी०, चर्च गेट, बम्बई द्वारा इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोरखपुर-मिलानी रेलगाड़ी में डकैती

11098. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें गोरखपुर-मिलानी रेल गाड़ी के बरहातू और तिकोनिया के बीच 5 तथा 6 जनवरी, 1979 की रात्रि को हुई डकैती के बारे में पता है;

(ख) डकैतों ने यात्रियों से कितना नकद रुपया तथा कितने मूल्य के जेवर आदि लूटे थे;

(ग) लूटे गये यात्रियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक से कितनी धनराशि लूटी गई;

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें कोई मुआवजा देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) यात्रियों की 24,148 रु० के मूल्य की नकदी और सामान लूटा गया था ।

(ग) 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद 13,830 रु० नकद और 225 रु० का कीमती सामान ।

2. श्री एस० के० अरोड़ा 1,120 रु० नकद और 300 रु० का कीमती सामान ।

3. श्री शफी 80 रु० नकद ।

4. श्री मोहम्मद इमान 300 रु० नकद और 200 रु० का कीमती सामान ।

5. श्री परमानन्द 4,200 रु० नकद और 200 रु० का कीमती सामान ।

6. श्री सर्फराज अली 1,507 रु० नकद और 350 रु० का कीमती सामान।

7. श्री कैलाश नाथ 104 रु०नकद ।

8. श्री इकबाल अहमद 152 रु० नकद ।

9. श्री अमरेज बहादुर 30 रु० नकद ।

10. श्री बिपिन कुमार 500 रु० नकद और 600 रु० का कीमती सामान ।

11. श्री मोहन 205 रु० नकद ।

12. श्री अयोध्या 15 रु० नकद और 200 रु० का कीमती सामान।

13. श्री रामचन्द्र 10 रु० नकद ।

14. श्री कन्हैया लाल 20 रु० नकद ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) वर्तमान नियमों के अनुसार, ऐसे अपराधों के शिकार व्यक्तियों को कोई मुआवजा देय नहीं है ।

धनबाद-पाथरडीह-बोकारो लाइन से आय

11099. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में धनबाद-पाथरडीह और धनबाद-बोकारो (चन्द्रपोड़ा) लाइन पर औसतन दैनिक आय कितनी रही;

(ख) इस अवधि में इन दोनों गाड़ियों के चलाने पर औसतन कुल दैनिक व्यय कितना हुआ;

(ग) वर्ष 1978 में बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध कितनी बार जांच की गई और उनसे कितनी राशि एकत्र की गई;

(घ) जनवरी, 1979 को कितने प्रतिशत पंखे, बिजली और पानी के नल ठीक रखे गये और उन सब के समय को पूरा करने के लिए कितनी औसत गति रखी गई; और

(ङ) क्या कोयला क्षेत्र में मुख्य परिवहन पर इन दोनों स्थानीय गाड़ियों में सुधार किया जा सकेगा, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स जिन्दल अल्युमीनियम लिमिटेड, नई दिल्ली पर भविष्य निधि की बकाया राशि

11100. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जिन्दल अल्युमीनियम लिमिटेड, 1/6 बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराने के मामले में नियमित रूप से दोषी रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कब से भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई है और तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स जिन्दल अल्युमीनियम लिमिटेड, 1/6 बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली ने अपने पात्र कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय आयुक्त, दिल्ली के पास मार्च, 1979 तक भविष्य निधि अंशदान जमा कर दिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भविष्य निधि अधिनियम को पत्रकारों पर लागू करना

11101. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम पत्रकारों पर लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली स्थित प्रत्यापित संवाददाता सुविधा उठा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो समाचार-पत्रवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे समाचार-पत्रों के प्रबन्धकों के खिलाफ, जिन्होंने अपने संवाददाताओं के लिए इस अधिनियम को लागू नहीं किया है, की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) यह अधिनियम बीस या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों को लागू है ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

रोड्स विंग के तदर्थ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर

11102 **श्री अघनसिंह ठाकुर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सात वर्ष पूर्व रोड्स विंग के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियरों के रूप में पदोन्नत अधिकारी अब भी तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनको अब तक नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) तदर्थ आधार पर नियुक्तियां अधिकांशतया परस्पर वरीयता विवाद के कारण की गयी थी। फरवरी, 1976 में दो सेवाएं अर्थात् केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप 'ए' और केन्द्रीय इन्जीनियरी पूल ग्रुप 'ए', बनाई जाने के बाद, तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित करने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू की गयी है। इस समय इस तरह के 20 अधिकारी कार्यकारी इंजीनियर के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त है और पदों की उपलब्धता के अनुसार और भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार इन्हें विनियमित करने की कार्यवाही की जा रही है।

मुरादाबाद डिवीजन में प्रदर्शन और आन्दोलन

11103. **श्री बृजराज सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रभागीय अधीक्षक और प्रभागीय कार्मिक अधिकारी, मुरादाबाद के उद्दण्ड और पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और आन्दोलन हुए थे;

(ख) अधिकारियों के विरुद्ध महा-प्रबन्धक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और कोई समाधान ढूंढा गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) 1978 में एक मान्यता-प्राप्त यूनियन ने कुछ स्थानीय निर्णयों के विरुद्ध आन्दोलन किया था। जो मामले उठाये गये, उन

पर अनौपचारिक बैठकों में और स्थायी वार्ता-तंत्र में चर्चा की गयी। कई मामले पहले ही सुलझाये जा चुके हैं। औपचारिक और अनौपचारिक चर्चा एक अनवरत प्रक्रिया है जहां मामलों पर विचार-विमर्श करके उन्हें वहीं सुलझाया जाता है।

भविष्य निधि संगठन में अन्तर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण

11104. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक ही स्थान पर 3 वर्ष पूरा होने पर अन्तर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण करने की नीति को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में विशेष कर केन्द्रीय कार्यालय में, जहां अधिकारी 10 से 15 वर्षों से अधिक समय से रुके हुए हैं, लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति के एक सहायक आयुक्त का दो वर्षों में पंजाब से दिल्ली क्षेत्र तथा केन्द्रीय कार्यालय को 3 स्थानों को स्थानान्तरण हुआ; और

(ग) कितने अधिकारियों ने एक ही स्थान पर तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं किन्तु जिनका अभी तक स्थानान्तरण नहीं हुआ है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पहले ही ऐसे सहायक भविष्य निधि आयुक्तों के सम्बन्ध में सूचना भेजने के लिए कहा गया है, जो विभिन्न हैसियतों में तीन वर्ष से अधिक अवधि से दिल्ली में हैं। सूचना अभी प्राप्त होनी है।

(ख) एक सहायक भविष्य निधि आयुक्त (अनुसूचित जाति) का नवम्बर, 1977 में क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब, चंडीगढ़ से क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली में स्थानान्तरण किया गया था। उसकी अनुवर्ती नियुक्ति (क्षेत्रीय कार्यालय से केन्द्रीय कार्यालय में और वापिस केन्द्रीय कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय में) उसी स्टेशन अर्थात् दिल्ली में हुई थी।

(ग) ऐसे अस्सी अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने-अपने स्टेशनों पर तीन वर्ष पूरे किए हैं और उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है।

भारतीय रेलों में रेल डिब्बों का रखरखाव

11105. **श्री सूरजभान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में रेलवे-वार प्रतिदिन कितने रेल डिब्बों का प्राथमिक एवं माध्यमिक रखरखाव संबंधी कार्य किया जाता है और उनमें से पैसेन्जर, एक्सप्रैस तथा मेल गाड़ियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक रेलवे में अलग-अलग पैसेन्जर, एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों के कितने रेल डिब्बों का रखरखाव कार्य गढ्ढों वाली धुलाई लाइनों, बिना गड्ढों वाली धुलाई लाइनों, प्लेटफार्मों, यार्डों में किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेलों में प्रतिदिन रेलवे-वार रेकों को दी गयी प्राथमिक और अनुषंगी अनुरक्षण की कुल संख्या—बड़ी लाइन और मीटर लाइन ।

रेलवे	सवारी गाड़ियां	एक्सप्रेस और डाक गाड़ियां
मध्य	74	100
पूर्व	122	38
उत्तर	215	107
पूर्वोत्तर	47	20
पूर्वोत्तर सीमा	56	23
दक्षिण	79	60
दक्षिण मध्य	144	47
दक्षिण पूर्व	52	62
पश्चिम	159	66

(ख) रेलवे वार गर्तवाली धुलाई लाइनों, गर्त-हीन धुलाई लाइनों और प्लेटफार्मों तथा यार्डों में अनुरक्षित रेकों की संख्या बड़ी लाइन और मीटर लाइन ।

रेलवे		अनुरक्षित रेक		प्लेटफार्म तथा यार्ड
		गर्त वाली धुलाई लाइन	गर्तहीन धुलाई लाइन	
मध्य	सवारी	57	3	14
	एक्सप्रेस एवं मेल	95	2	3
पूर्व	सवारी	1	49	72
	एक्सप्रेस एवं मेल	23	14	1
उत्तर	सवारी	105	72	38
	एक्सप्रेस एवं मेल	73	28	6
पूर्वोत्तर	सवारी	42	—	5
	एक्सप्रेस एवं मेल	20	—	—
पूर्वोत्तर सीमा	सवारी	49	—	7
	एक्सप्रेस एवं मेल	21	—	2
दक्षिण	सवारी	71	—	8
	एक्सप्रेस एवं मेल	60	—	—

1		2	3	4
दक्षिण मध्य	सवारी	62	16	66
	एक्सप्रेस एवं मेल	46	1	—
दक्षिण पूर्व	सवारी	15	17	20
	एक्सप्रेस एवं मेल	53	9	—
पश्चिम	सवारी	74	38	47
	एक्सप्रेस एवं मेल	38	24	4

कोट्टायम-क्विलोन सेक्टर में स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था

11106. **श्री बी० के० नायर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि दक्षिण रेलवे के कोट्टायम-क्विलोन सेक्टर में लगभग स्टेशनों की स्थिति बहुत खराब है, यात्रियों के लिए बिल्कुल नगण्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्टेशनों की इमारतें बहुत छोटी हैं, प्लेटफार्मों की ऊंचाई कम है, प्रतीक्षालय भी नहीं है, और न ही पेय जल अथवा शौचालय की सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) सैकड़ों यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कर्मचारियों की संख्या भी अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) कोट्टायम और कोल्लम खंड में 13 स्टेशन हैं। इन स्टेशनों के स्टेशन भवन इन स्टेशनों पर मौजूदा यातायात की जरूरतों को सम्हालने के लिये पर्याप्त हैं। कोट्टायम और कोल्लम में ऊंचे तलों के प्लेटफार्मों की व्यवस्था है और अन्य स्टेशनों पर निम्न तल वाले प्लेटफार्मों की व्यवस्था की गई है। केवल चिंगवनम, कायनकुलम और करुनागपल्ली में पटरियों की सतह के दूसरे प्लेटफार्म की व्यवस्था है। सभी स्टेशनों में प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की गई है और ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिए 7 स्टेशनों में प्रतीक्षालयों की व्यवस्था है। सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था है। कोट्टायम, चेंगन्नूर, करुनागपल्ली और कोल्लम स्टेशनों पर पाइप से पानी की सप्लाई की सुविधा सुलभ है। सभी स्टेशनों पर शौचालयों की व्यवस्था है। यात्रियों की मौजूदा सुविधाओं में सुधार/वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है और प्रस्तावित यात्री यातायात और रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति के अनुमोदन के अनुसार तथा निधि की उपलब्धता पर विचार करके योजनाबद्ध आधार पर इसे कार्यान्वित किया जाता है।

सभी स्टेशनों पर अपेक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है, इस समय अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं सहित कोट्टायम और चेंगन्नूर स्टेशन भवनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

दिल्ली परिवहन निगम का बस रूट संख्या 91

11107. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूट नम्बर 91 का मार्ग अस्थायी रूप से ओल्ड रोहतक रोड से न्यू रोहतक रोड़ में बदल दिया गया है;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों को इस नये रूट के संचालन में किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं;

(ग) क्या ओल्ड रोहतक रोड पर यातायात की भारी भीड़-भाड़ और त्रिनगर कालोनी की वेलफेयर एसोसिएशन की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग को देखते हुए सरकार का विचार इस रूट को स्थायी रूप से न्यू रोहतक रोड के रास्ते से होकर विनियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में आदेश कब तक जारी किए जायेंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) रूट नं० 91 की सेवा त्रिनगर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच चलाई जाती है। मूल रूट त्रिनगर से शुरू होकर दया बस्ती, किशन गंज मार्केट, माडल बस्ती, झण्डेवालां, गोल मार्केट और बाबा खड़गसिंह मार्केट से गुजरता है। चूंकि किशन गंज के निकट रेलवे पुल के नीचे ओल्ड रोहतक रोड का कुछ भाग मरम्मत के लिए बन्द है, इसलिए सड़क पर केवल एक तरफा यातायात हो रहा है। इससे दिल्ली परिवहन निगम के लिए यह आवश्यक हो गया है कि ओल्ड रोहतक रोड पर चलने वाली सभी बसें जखीरे की ओर से सरायरोहेला ओवर ब्रिज के रास्ते मोड़ दी जाएं। बसों को मोड़ने की यह अस्थायी व्यवस्था है, और इसे स्थायी किए जाने से किशन गंज क्षेत्र के बहुत से निवासी इस रूट की बस सेवा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। न्यू रोहतक रोड पर सम्पूर्ण रूट को जखीरे से दाहिनी ओर मोड़ना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस सड़क पर दो रेलवे लैवल क्रासिंग पड़ते हैं जो अक्सर बन्द कर दिए जाते हैं/ जिससे यातायात काफी समय तक अवरुद्ध हो जाता है।

लामपुर सीमा दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय के लिए परिवहन निगम बस सेवा

11108. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने टीकरी सीमा, दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय टर्मिनल तथा धांसा सीमा से केन्द्रीय सचिवालय टर्मिनल तक सीधी बस सेवा की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लामपुर सीमा दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय टर्मिनल तक सीधी बस सेवा की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं हालांकि दैनिक यात्री संघ से बार-बार अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम का लामपुर सीमा दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय के लिये सीधी बस सेवा कब तक प्रारम्भ करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सभी स्थानों और केन्द्रीय टर्मिनल के बीच सीधी बस सेवा चलाना संभव नहीं है जबकि बसें बदलने की सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली परिवहन निगम के विचाराधीन नहीं है ।

हावड़ा से अहमदाबाद तक सीधी रेलगाड़ी

11109. **श्री राघवजी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से मिलाने के लिये मन्त्रालय का विचार पटना, इलाहाबाद, बीना, भोपाल, उज्जैन होते हुए हावड़ा से अहमदाबाद तक सीधी रेलगाड़ी चलाने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निकट भविष्य में इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस रेलगाड़ी को चलाये जाने से चार राज्यों की राजधानियों का सम्पर्क एक रेलगाड़ी के कारण जुड़ जायेगा जो अब तक एक दूसरे से न जुड़ सका ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) हावड़ा से अहमदाबाद तक पटना, इलाहाबाद, बीना, भोपाल और उज्जैन होकर सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सप्ताह में चार दिन चलने वाली एक जोड़ी गाड़ी 133/134 एक्सप्रेस हावड़ा और अहमदाबाद के बीच नागपुर होकर चलती है जो कि एक छोटा रास्ता है । एक गाड़ी 165/166 साबरमती एक्सप्रेस भी है जो अहमदाबाद को लखनऊ से भोपाल के रास्ते जोड़ती है ।

प्रस्तावित मार्ग अधिक चक्करदार होने की वजह से वाणिज्यिक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं होगा । ये मार्ग पहले से ही अतिसंकुलित हैं और इन पर अतिरिक्त गाड़ी चलाने की गुंजाइश नहीं है ।

उत्तर पूर्वी राज्यों में बंधुआ श्रमिक प्रथा समाप्त किया जाना

11110. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व में त्रिपुरा और प्रत्येक अन्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने बंधुआ श्रमिक प्रथा को समाप्त करने के लिये 1976 में कानून के बनने के बाद से बंधुआ श्रमिक प्रथा को समाप्त करने और बंधुआ श्रमिक प्रथा से मुक्त किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बंधुआ श्रमिक प्रथा से कितने व्यक्तियों और परिवारों को मुक्त कर दिया गया और कितने व्यक्तियों/परिवारों को आजीविका का नियमित साधन उपलब्ध किया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह सूचना एकत्र हो जाएगी, इसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) इस सम्बन्ध में 1978-79 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई भी केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

दिल्ली परिवहन निगम के बस रूट संख्या 730 में किराया

11111. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री दिल्ली परिवहन निगम के बस रूट संख्या 730 के बारे में 3 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय तथा ए-1 ब्लाक, जनकपुरी के बीच दिल्ली परिवहन निगम के रूट संख्या 730 द्वारा तय किये जाने वाली दूरी 20 किलोमीटर से कम है;

(ख) यदि नहीं, तो वास्तविक दूरी कितनी है;

(ग) क्या इस रूट के दैनिक यात्रियों से सी-2 बी बस स्टाप जो 18.1 किलोमीटर है, से आगे तथा 20 किलोमीटर से कम दूरी के लिए 75 पैसे किराया लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषमता को दूर करने और 20 किलोमीटर की दूरी वाले बस स्टाप तक के लिये 50 पैसे किराया लेने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) दूरी 20.8 किलोमीटर है।

(ग) ऐसा हो सकता है, यदि यात्री सी-2 बी से आगे और ए-1 ब्लाक से पहले उतरते हों। इन यात्रियों से लिया जाने वाला किराया अगले भाड़ा स्टेज तक होगा अर्थात् ए-1 ब्लाक तक, जिसकी दूरी 20 किलोमीटर से अधिक है।

(घ) और (ङ) सवारी बसों में दूरी का हिसाब एक स्टेज प्वाइंट से दूसरे स्टेज प्वाइंट तक लगाया जाता है, न कि उन बस स्टापों के बीच की दूरी का, जो एक यात्री तय करता है। शहरी क्षेत्रों के स्टेज-कैरेज सिस्टम में, भाड़े का हिसाब लगाने के लिए एक बस रूट पर प्रत्येक दो स्टापों के बीच वास्तविक दूरी का हिसाब लगाना संभव नहीं है। इस तरह, सी-2 बी बस स्टाप से आगे तक यात्रा करने वाले व्यक्तियों से अगले भाड़ा-स्टेज अर्थात् ए-1 ब्लाक तक किराया लिया जाता है।

महरोली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का अस्पताल तथा औषधालय खोलना

11112. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महरौली, दिल्ली के लोगों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधायें असन्तोषजनक हैं और डाक्टर-रोगी अनुपात अत्यधिक कम है;

(ख) यदि हां, तो वहां पूर्ण साज-सामान युक्त अस्पताल खोलने जैसा पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या सरकार को महरौली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलने के बारे में महरौली रेजीडेंट वेलफेयर एसोसियेशन (पंजीकृत) की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की एक सूची तैयार की है जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आते हैं और महरौली में तथा पास के गांवों में रह रहे हैं; यदि हां तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी और यदि नहीं, तो क्या ऐसी सूची अब तैयार की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। महरौली तथा इसके आस पास के गांवों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय उस स्थान पर खोला जाता है जहां से तीन किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर 2000 से 2500 तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हों। महरौली रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसियेशन से जिन 32 गांवों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की बात कही है वे बहुत बड़े क्षेत्र में दूर-दूर फैले हुए हैं। इनमें से कोई भी स्थान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने के मान-दण्ड पर पूरा नहीं उतरा है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि महरौली तथा इसके आस-पास के गांवों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

ई० एस० आई० डाक्टरों द्वारा हड़ताल

11113. **श्री भगतराम** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टरों ने अपनी मांगों के समर्थन में 7 मई, 1979 को सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा अधिकारी एसोसिएशन, जिसने तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों को नियमित करने तथा कर्मचारी राज्य बीमा भत्ते का भुगतान करने की अपनी मांगों के सम्बन्ध में 7 मई, 1979 से हड़ताल पर जाने का निर्णय किया था, ने अब प्रस्तावित कार्रवाई को स्थगित करने का निर्णय किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पारादीप न्यास निधि का कथित दुर्विनियोग

11114. **श्री डी० अमात** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1979 के वरल्ड न्यूज में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पारादीप न्यास निधि से एक बड़ी राशि का दुर्विनियोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी राशि का दुर्विनियोग किया गया है; और

(ग) राशि को वसूल करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) 13 मार्च, 1979 के समाचार पत्र 'वरल्ड न्यूज' में छपा समाचार देखा गया है ।

(ख) और (ग) समाचार में यह आरोप लगाया गया था कि 1972 में संगोष्टि के अवसर पर निकाले गए सूवनियर के सम्बन्ध में पारादीप पत्तन न्यास के धन का दुरुपयोग किया गया था । सूवनियर पत्तन न्यास द्वारा या इसकी ओर से नहीं निकाला गया था । वह इसके सम्पादक द्वारा निकाला गया था

इसलिए पत्तन न्यास के धन के दुरुपयोग करने का प्रश्न नहीं होता ।

जमालपुर कारखाने में श्रमिकों की संख्या

11115. **डा० रामजी सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता से पूर्व और इस समय जमालपुर कारखानों में श्रमिकों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) आस-पास के क्षेत्रों से जमालपुर कारखानों में किस अनुपात में छोटे कल-पुर्जे सप्लाई किये जाते हैं;

(ग) क्या जमालपुर को सहायक औद्योगिक नगर घोषित किया गया है; यदि हां, तो यहां से खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा क्या है और यदि नहीं, तो इसे सहायक औद्योगिक नगर कब घोषित किया जायेगा; और

(घ) क्या जमालपुर कारखाने के मुख्यालय को जमालपुर ले जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या करण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) स्वतन्त्रता से पूर्व जमालपुर फैक्टरी के कर्मचारियों की संख्या 12,742 थी । वर्तमान संख्या 13,431 है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) रेल कारखानों से सम्बद्ध सहायक यूनिटों के विकास की संकल्पना की गहराई से जांच की गयी है और रेल कारखानों के निकट लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने का विनिश्चय किया गया है ।

(घ) जमालपुर कारखाना स्वतन्त्र रूप से अधीक्षक यांत्रिक (कारखाना) के अधीन है, जिसका मुख्यालय जमालपुर में है । स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । जमालपुर और पूर्व रेलवे के अन्य सभी कारखाने मुख्य कारखाना इंजीनियर, पूर्व रेलवे के समग्र नियंत्रण के अधीन हैं, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है ।

जावरा शूगर मिल के विरुद्ध भविष्य निधि की बकाया राशि

11116 **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की भविष्य निधि की जावरा शूगर मिल्स के प्रबन्धकों पर लगभग 5 लाख रुपये की राशि बकाया है;

(ख) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इन्दौर ने भारतीय दन्ड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन पुलिस को रिपोर्ट दर्ज की है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि ता विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन उक्त मिल को छूट प्रदान की गई है;

(घ) क्या छूट के बारे में उपबन्ध को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मिल के विरुद्ध दायर किए गए भविष्य निधि के मामलों की संख्या कितनी है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) मार्च, 1979 के अन्त तक, मैसर्स जावरा शूगर मिल्स लिमिटेड, जावरा, मध्य प्रदेश को भविष्य निधि अंशदानों के रूप में 3,47,259.21 रुपये की धन राशि न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित करनी थी, जो उनके भविष्य निधि का संचालन करता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) अभी नहीं ।

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14 (2 क) के अधीन दस अभियोजन मामले न्यायालयों में दायर किए गए हैं तथा भारतीय दंड संहिता

की धारा 406 और 409 के अधीन पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के टेलीफोन बिल

11117. **श्री रामप्रकाश त्रिपाठी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक की गत एक वर्ष का, महीनेवार, टेलीफोन बिल कितनी राशि का है और क्या यह सभी सीमाओं को पार नहीं करता; और

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निम्नानुसार सूचित किया है :—

टेलीफोन बिल प्राप्त होते हैं और उनका त्रैमासिक भुगतान किया जाता है। 11-2-1978 से 10-2-1979 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के टेलीफोन बिलों की राशि नीचे दी गई है।

कार्यालय टेलीफोन

(1) 11-2-1978 से 10-5-1978	14,322.30 रुपये
(2) 11-5-1978 से 10-8-1978	15,224.25 रुपये
(3) 11-8-1978 से 10-11-1978	9,724.85 रुपये
(4) 11-11-1978 से 10-2-1979	10,506.35 रुपये

रिहायशी टेलीफोन

(1) 21-11-1978 से 10-12-1978	219.00 रुपये
(2) 11-12-1978 से 10-3-1978	1,201.20 रुपये

(ख) सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सलाह दी है कि वह खर्चे में कमी लाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करें, जो कि अधिक प्रतीत होता है।

उत्तरी क्षेत्र में नौवणिकों की सहायता करने के लिए भारतीय निगम की योजना

11118. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने उत्तरी क्षेत्र में नौवणिकों की सहायता करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम का इस समय दिल्ली में एक छोटा सा संपर्क कार्यालय है। इस कार्यालय को एक क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है ताकि वह समुद्री यात्राओं, माड़ा

दरों और अन्य मामलों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सके जिससे उत्तरी क्षेत्र के पोतवणिकों को सहायता मिल सके ।

बालवपुर-सूरजगढ़ रेलवे लाइन

11119. **श्री राज विश्वेश्वर राव** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने चन्द्रपुर, जिला महाराष्ट्र राज्य के लोगों को, जब उन्होंने पिछली बार चन्द्रपुर का दौरा किया था, बालवपुर से सूरजगढ़ तक एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए वचन दिया था;

(ख) इस लाइन को बिछाने में सरकार द्वारा विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इस रेलवे बजट में बहुत सी अन्य नई लाइनों की मन्जूरी दी गई है; और

(ग) सूरजगढ़ से लोह अयस्क निकालने हेतु सरकार का विचार इस रेलवे लाइन को मन्जूरी कब तक देने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय बल्हारशाह से सूरजगढ़ तक (115 कि०मी० लम्बी) रेल लाइन से है । इस लाइन के लिए टोह इंजीनियरी सर्वेक्षण दिसम्बर 1967 में शुरू किया गया था, जो सितम्बर, 1968 में पूरा हुआ था । उस समय वर्तमान मूल्यों के आधार पर, इस लाइन के निर्माण पर 16 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था । यह परियोजना अलाभप्रद पायी गयी थी, क्योंकि इससे 2.95 प्रतिशत वित्तीय प्रतिफल प्राप्त होने की आशा थी । इसलिए, इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया । उस क्षेत्र में देगी लोहे के कारखाने के किसी प्रस्ताव के बारे में रेलवे को कोई जानकारी नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डाक्टरों की शिकायतों का अभ्यावेदन

11120. **श्री राजकृष्ण डान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन डाक्टरों के, जिन्होंने काफी समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है, सेवा में आयी वरिष्ठता के बारे में अभ्यावेदनों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और वे अपनी देय पदोन्नति से वंचित रह गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार के पास लम्बित हैं और उन पर कब निर्णय लिया जाएगा; और

(ग) डी० एस० ओ० एक ऐसे उच्च पद तथा अन्य वरिष्ठ वेतनमानों में डाक्टरों का चयन करने में संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका क्या है जबकि अनेक डाक्टरों की वरिष्ठता के बारे में निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जिन डाक्टरों ने काफी समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया हो, उनकी वरिष्ठता से संबंधित ऐसा कोई अभ्यावेदन उन्हें मुनासिब पदोन्नति से वंचित रखते हुए अनदेखा नहीं पड़ा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन विभिन्न पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर आधारित होती है। अधिकांश मामलों में संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष होता है। उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की सिफरिश विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारियों की पहले से तय की गई वर्तमान वरिष्ठता तथा निर्धारित की गई उपयुक्तता पर आधारित है। जब कभी किसी अधिकारी की वरिष्ठता कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बदली जाती है तो उन्हें पिछली तारीख से लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है। प्रसंगवश, यह भी कहा जाएगा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में की गई सेवा के आधार पर वरिष्ठता में कोई अतिरिक्त महत्व देने का प्रावधान नहीं है।

जहाजों की खरीद के लिए नौवहन कम्पनियों को ऋण

11121. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जहाजों की खरीद के लिए सभी नौवहन कम्पनियों नौवहन विकास निधि समिति के माध्यम से 4.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मंजूर करती है;

(ख) क्या ऐसे ऋण लेने वाली नौवहन कम्पनियां ऋण लौटाने के लिये बाध्य हैं क्योंकि कम्पनियों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होती है;

(ग) क्या ये ऋण कम्पनियों द्वारा शीघ्र वापस नहीं लौटाये जा रहे है जिससे नये जहाज खरीदने के लिए अन्य कम्पनियों को ऋण देने में कठिनाई हो रही है; और

(घ) क्या यह पाया गया है कि इन नौवहन कम्पनियों ने ऋणों की अदायगी के रूप में लौटायी जाने वाली राशि से बम्बई में तथा अन्य स्थानों पर बहुमंजिले भवन बनाये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा नौवहन कम्पनियों को जहाज प्राप्त करने के लिए स्वीकृत ऋणों पर प्रतिवर्ष 4-1/2% की रियायती दर से ब्याज होता है, बशर्ते कि वे ऋण करार की शर्तें पूरी करती हों।

(ख) और (ग) नौवहन कम्पनियों के साथ ऋण करारों में वापसी भुगतान की शर्तें निर्धारित की जाती हैं परन्तु, नौवहन उद्योग में वर्तमान मन्दी के दौरान कुछ कम्पनियों द्वारा चूक करने के मामलों का पता चला है और सरकार ने नौवहन कम्पनियों को जो सहायता देने का निर्णय किया है वह, जो 31-3-79 तक किया जाने वाला वापसी भुगतान तीन वर्षों तक स्थगित कर दिये जाने के बारे में है। परन्तु इससे जहां आवश्यक हो, नौवहन कम्पनियों को नये ऋण स्वीकृत करने पर कोई असर नहीं पड़ा है।

(घ) कुछ नौवहन कम्पनियों ने कार्यालय/रिहायशी मकान बनाये हैं। परन्तु यह सुनिश्चित किया गया है कि जहाज प्राप्त करने के लिए नौवहन विकास निधि समिति का धन नौवहन से भिन्न कार्यों के लिये प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि क्रियाविधि के अनुसार ऋण की किश्तें कम्पनी को नहीं दी जाती बल्कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के जरिये विक्रेताओं और शिपयार्डों को दी जाती हैं।

भारत और पुर्तगाल के बीच सहयोग

11122. **श्री एडुआर्डो फैलोरो** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पुर्तगाल के बीच मित्रता एवं सहयोग की संधि के अनुसरण में क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) इस बारे में आगे क्या कदम उठाये जाने हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) दिसम्बर 1974 में भारत और पुर्तगाल के बीच मित्रता एवं सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद 1975 के मध्य में दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए थे। 14 मार्च, 1975 को दोनों देशों के विदेश मन्त्रियों के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था जिनमें पुरालेखों आदि को सम्बन्धित देशों में रखने पर सहमति हुई थी। अप्रैल, 1977 में दोनों देशों के बीच व्यापारिक आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न हुआ। दोनों देशों के बीच कुछ सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक करार सम्पन्न करने पर बातचीत चल रही है।

कानपुर रेलवे स्टेशन में आरक्षण

11123. **श्री राम चरण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर रेलवे स्टेशन में खिड़की पर गोमती एक्सप्रेस के लिए टिकटों का आरक्षण केवल नाम मात्र के लिए है और टिकटों की बहुत बड़ी संख्या का आरक्षण बोगस नामों से, चोरबाजारी में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और इसके लिए अवधि क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) 1-3-1979 से गोमती एक्सप्रेस गाड़ी में 3 अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ दिए जाने के बाद, उसमें उपलब्ध दूसरे दर्जे की 1,074 सीटों में से, 492सीटें कानपुर से बुक करने के लिए निर्धारित कर दी गयी हैं। चूंकि इस गाड़ी में उपलब्ध सारा स्थान आरक्षित होता है और यह गाड़ी दिन में ही चलती है, इसलिए गाड़ी की यात्रा वाले दिन ही बहुत बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित की जाती हैं। गोमती एक्सप्रेस के लिए चार्ट बनाने का काम सरल बना दिया गया है क्योंकि सीट नम्बर के सामने यात्रियों के नाम न लिखकर केवल उनके टिकट नम्बर ही लिख दिए जाते हैं। कुछ असामाजिक तत्व कल्पित नामों में आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वाणिज्य और सतर्कता विभागों द्वारा की गयी सकेन्द्रित जांच के परिणामस्वरूप इस प्रकार की घटनाओं में काफी कमी कर दी गयी है। चोर-बाजारी के किसी विशेष मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

परिक्रमा रेलवे दिल्ली के लिए व्यापक योजना

11124. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने सरकार को दिनांक 31 मार्च,

1979 को दिल्ली में परिक्रमा रेलवे परियोजना के बारे में एक व्यापक योजना के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) अब तक योजना आयोग के समक्ष कोई व्यापक योजना न रखने के क्या कारण हैं हालांकि मंत्रालयों सम्बन्धी समिति काफी लम्बे अर्से से कार्य कर रही हैं;

(घ) योजना आयोग के समक्ष यह व्यापक योजना कब प्रस्तुत की जाएगी;

(ङ) दिल्ली में परिक्रमा रेलवे परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस बारे में दिल्ली प्रशासन से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने निर्माण एवं आवास मंत्री के नाम अपने 31-3-1979 के पत्र में दिल्ली के लिए एक समेकित योजना की आवश्यकता का उल्लेख किया है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में आबादी की वृद्धि की गति को धीमा करने और अन्ततः विपरीत दिशा में मोड़ने के लिए परिक्रमा रेलवे परियोजना भी सही रूप में काम में आ सकती है।

(ग) और (घ) निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर योजना आयोग का ध्यान दिलाया गया है। इन सिफारिशों में दिल्ली के लिए एक समेकित रेल-सड़क परिवहन योजना का प्रावधान है। यह योजना दिल्ली में आबादी की सघनता में कमी लाने और दिल्ली से कार्य व्यापार के विकेन्द्रीकरण की समग्र नीति में भी उपयोगी होगी।

(ङ) इस प्रस्ताव में परिक्रमा रेलवे पर जिसमें शकुरबस्ती और तुगलकाबाद के विशाखन सहित दैनिक यात्रियों के लिए बिजली चालित गाड़ियों का प्रावधान है। प्रतिदिन 110 दैनिक यात्री गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है जिसमें से 18 प्रातः के व्यस्त समय में और 20 शाम के व्यस्त समय में चलायी जायेंगी।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 21.61 करोड़ रुपये है और इसे पूरा होने में तीन वर्ष लग जायेंगे।

(च) और (छ) दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने अपने 3-2-1979 के पत्र में 1979-80 के बजट में दिल्ली के नगरीय क्षेत्र में परिक्रमा रेलवे परियोजना के लिए कुछ धन-राशि के नियतन का अनुरोध किया था। उनके पत्र के उत्तर में उन्हें बताया गया था कि पहले योजना आयोग ने इस शर्त पर कि काम शुरू करने से पहले उनकी अन्तिम रूप से अनुमति ले ली जाए, इस परियोजना को 1979-80 के बजट में शामिल करने की अनुमति दे दी थी। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय इस मामले में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से लिखा पढ़ी भी कर रहा है।

उड़ीसा में सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल

11125. **श्री के० प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त कितने अस्पताल हैं तथा उनकी शय्या क्षमता कितनी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने अधिक वित्तीय सहायता देने और छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में अधिक अस्पताल खोलने हेतु अनुमोदन देने के लिए केन्द्रीय सरकार को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के बारे में ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1-1-1978 की स्थिति के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों आदि द्वारा 38 प्राइवेट अस्पताल चलाये जा रहे थे जिनमें 1809 पलंग थे।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए छठी योजना (1978—83) के लिए 5272.00 लाख रुपये और 1979-80 के लिए 913.44 लाख रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों पर योजना आयोग ने 11 और 12 जनवरी, 1979 को विचार-विमर्श किया और उड़ीसा में 1979-80 के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 385.00 लाख रुपये की सिफारिश की।

विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाना

11126. **श्री भानुकुमार शास्त्री** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश मंत्रालय में राजभाषा विभाग के सहयोग से भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी नहीं। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सहयोग से भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के अमले को हिन्दी पढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। लेकिन, परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अमले के पहले से व्यस्त रहने के कारण तथा विशेषरूप से संस्कृति विभाग से भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद को हाल ही में सौंपे गए अतिरिक्त काम के कारण हिन्दी कक्षाओं के लिए स्टाफ के किसी भी सदस्य को भेजना सम्भव नहीं हो सका। जुलाई, 1979 में प्रारम्भ होने वाले आगामी पाठ्यक्रम के लिए परिषद अपने अमलों को विभिन्न बैचों में हिन्दी कक्षाओं में भेजना चाहती है, ताकि आगे आने वाले कुछ वर्षों के दौरान उन सभी अमलों को हिन्दी कक्षाओं में भेजा जा सके, जिन्हें प्रशिक्षित करना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

11127. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून से दिसम्बर, 1978 तक महीने-वार अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के आंकड़े क्या हैं तथा महीने-वार बारह महीने के औसत आंकड़े क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) और जून, 1978 से दिसम्बर, 1978 तक (आधार 1960=100)
12 मास का परिवर्तित औसत

मास	मासिक सूचकांक.	12 मास का परिवर्तित औसत
1978		
जून	327	325.92
जुलाई	330	326.33
अगस्त	331	326.67
सितम्बर	336	327.08
अक्तूबर	340	327.92
नवम्बर	340	328.75
दिसम्बर	335	329.17

स्वास्थ्य सेवाओं में समन्वय

11128. **श्री वसंत साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की एक समेकित अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा में समन्वित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है और राज्य-वार राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया सहित उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत दो वर्षों में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का विभिन्न संगठनात्मक/प्रशासनिक ढांचों के साथ विविधिकरण हुआ है और सेवा शर्तों में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो संगठनों की अनेकता में संगठनात्मक परिवर्तनों के बारे में गत दो वर्षों में तथा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और एजेन्सियों में समन्वय में सुधार करने तथा यदि कोई

विशेष अभियान शुरू किया गया है तो उसके ब्यौरे सहित क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों से परामर्श करके भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया था और इस प्रस्ताव के प्रति कुछ राज्य सरकारों के विरोध और इसके कार्यान्वयन में होने वाले भारी खर्च को देखते हुए, इसे छोड़ देने का निर्णय लिया गया था ।

(ग) जी हां, यह सही है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का विभिन्न संगठनात्मक ढांचों अर्थात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रक्षा मंत्रालय आदि, के साथ विविधिकरण किया ।

कम्पाउण्डरों की शिकायतें

11129. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कम्पाउण्डरों ने अपनी मांग के समर्थन में गत वर्ष हड़ताल की थी और सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें पूरी की जायेंगी, परन्तु उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और उनकी मांगें कब तक पूरी की जायेंगी ?

संसदीय एार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मेसिस्ट अपनी निम्नलिखित मुख्य-मुख्य मांगों को लेकर 6-11-78 से 1-12-78 तक हड़ताल पर रहे :—

(i) वेतनमान को 330-560 रुपये से बढ़ा कर 425-700 रुपये किया जाये, और

(ii) संवर्ग कुल पदों में से वर्तमान 10 प्रतिशत सलैक्शन ग्रेड पदों को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करके पदोन्नति के अवसर बढ़ा दिये जायें। उनकी मांगें मानने के बारे में कोई विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था।

(ख) फार्मेसिस्टों का वेतनमान 330-560 रुपये से बढ़ाकर 425-700 रुपये करने के बारे में उनकी मांग पर विचार किया गया है और इसे मानना सम्भव नहीं पाया गया है। उनकी दूसरी मांग को, जो इस संवर्ग के सलैक्शन ग्रेड पदों को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के बारे में थी, मान लिया गया है इस विषय में आवश्यक आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा द्वारा संसद सदस्यों को चिकित्सा सुविधायें

11130. **श्री सरत कार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा द्वारा संसद सदस्यों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कुछ संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर विचार किया जा रहा है तथा सम्बन्धित माननीय सदस्यों को उपयुक्त उत्तर भेज दिया जाएगा ।

विलम्ब शुल्क से रेलवे को प्राप्त हुआ राजस्व

11131. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे वैगनों की ठीक-ठीक संख्या कितनी है जिन पर विलम्ब शुल्क लगाया जाता है और उससे रेलवे को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

रेल मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पर्वतीय (हिल स्टेशन) भत्ता

11132. **श्री लहान सिड़वाकोम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हिल स्टेशन के रूप में इगतपुरी को मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान नीति के अनुसार, रेल कर्मचारियों सहित, केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों को पर्वत प्रतिकर भत्ता दिया जाता है जो 1000 मीटर अथवा इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थलों पर तैनात हों, चाहे सम्बन्धित राज्य सरकार ने उस स्थान को पर्वतीय स्थल माना हो अथवा न माना हो। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के तृतीय वेतन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस मानदण्ड का पालन किया है और वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये आदेश रेलों पर अपनाये गये हैं । चूंकि इगतपुरी उस ऊचाई से कम पर स्थित है जिस पर पर्वत प्रतिकर भत्ते का भुगतान अर्ह होता है, इसलिये वहां तैनात रेल कर्मचारी उस भत्ते के पात्र नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में डाक्टरों की कमी

11133. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की विशेषकर गरमी के दिनों में, जब उनमें से अधिकांश छुट्टी पर चले जाते हैं, भारी कमी रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको देखते हुए सरकार का विचार अतिरिक्त स्टाफ को उपलब्ध करने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कुल मिलाकर चिकित्सा अधिकारियों की कमी है। गरमी के मौसम में जब कुछ चिकित्सा अधिकारी छुट्टी पर चले जाते हैं तो यह स्थिति और भी खराब हो जाती है।

(ख) और (ग) खाली पदों को शीघ्र भरने के लिए पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं। इस बीच उपयुक्त आंतरिक व्यवस्था करके लाभार्थियों की असुविधाओं को यथासंभव दूर किया जा रहा है।

दिल्ली को छोड़कर अन्य स्थानों के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठनों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर डाक्टरों को मासिक आधार पर तथा अन्य स्टाफ को तदर्थ आधार पर नियुक्त कर सकते हैं।

बड़े पत्तनों में महत्वपूर्ण रिक्त पद

11134. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े पत्तनों में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई में चीफ कंजरवेटर, चीफ इंजीनियर और जनरल मैनेजर के पद रिक्त हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन पर पत्तन संवर्ग के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों में असंतोष के कारण भीड़भाड़ है जिनकी सेवाओं का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है; और

(घ) बड़े पत्तनों पर महत्वपूर्ण रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) मद्रास पत्तन न्यास और मार्मुगाव पत्तन न्यास के अध्यक्षों के पद खाली हैं। उपाध्यक्ष का कोई पद खाली नहीं है।

(ख) मुख्य इंजीनियर और उपसंरक्षक के पद खाली हैं। बम्बई पत्तन न्यास के प्रतिष्ठान में महा प्रबन्धक का कोई पद खाली नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ऊपरी पुल के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव

11135. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद-शोलापुर रोड, राष्ट्रीय राजपथ संख्या-9 पर मील 19 पर रामचन्द्रपुरम और पटनचरम पर रेलवे फाटक के दूसरी ओर सड़क पर ऊपरी पुल बनाने का मंजूरी हेतु एक प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अतिविशिष्ट व्यक्तियों को भर्ती करना

11136. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 मार्च, 1779 के बाद डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कितने अति विशिष्ट व्यक्तियों को भर्ती किया गया और उनमें से कितने : (1) वहीं पर मर गये और; (2) आगे इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में अन्तरित कर दिये गए;

(ख) श्री एल० एल० पटवारी, संसद सदस्य को किस रोग के कारण डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया और किस रोग के लिए और किन डाक्टरों द्वारा उनका इलाज किया गया तथा उनके निधन का सही कारण क्या था; और

(ग) क्या श्री एच० एल० पटवारी को "इटेंसिव केयर यूनिट" में रखा गया था, यदि हां, तो किस समय और किस तारीख को तथा उन्हें मृतक घोषित किए जाने से पहले उनके इलाज के लिये कौन-कौन डाक्टर उनकी देख-रेख कर रहे थे इसका विस्तृत विवरण क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :

(क) **भर्ती किये गए** (25 **मई**, 1977 **से** 31 **मार्च**, 1979 **तक**)

(1)	संसद सदस्य	193
(2)	भूतपूर्व संसद सदस्य	19
(3)	मन्त्रीगण	10
		222

मृत

(1)	संसद सदस्य	3
(2)	भूतपूर्व संसद सदस्य	1
		4

अन्य अस्पतालों को स्थानान्तरित : 1

उस समय पीस मेकर उपकरण के उपलब्ध न होने के कारण)

(ख) (1) श्री एच० एल० पटवारी को वमन होने, छाती में दर्द होने, दम घुटने और दो दिन से दिल में जलन होने की शिकायत के कारण भर्ती किया गया था। गहन जांच करने पर यह पता चला कि लगभग 14 घन्टे में दर्द और दम घुटने की शिकायत ने उग्र रूप धारण कर लिया था। यह लगा कि वे 26-3-1979 को अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व दो दिन से बीमार थे।

(2) उनका निदान किया गया था और उनका तीव्र हृत्पेशी रोधगलन (एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारक्शन) के रोगी के रूप में इलाज किया गया था।

(3) डा० के० पी० माथुर, वरिष्ठ चिकित्सक के मार्गदर्शन में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम के डाक्टरों के एक दल ने उनकी चिकित्सा की थी। जी० पी० पन्त अस्पताल के डा० पी० डी० निगम, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डा० एच० लाल और डा० एम० वी० गुप्त, को भी परामर्श और सलाह के लिए बुला लिया गया था।

(4) तीव्र हृत्पेशी रोधगलन (एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन) उत्पन्न हृदयजन्य आघात और गम्भीर डाइसर रिदमियास के कारण श्री पटवारी की मृत्यु हुई।

(ग) 26 मार्च, 1979 की सुबह श्री पटवारी का इलाज पहले कैजुएल्टी विभाग में किया गया था, जहां से उन्हें उसी दिन प्रातः लगभग 5.00 बजे पुराने नर्सिंग होम के एक कमरे में स्थानान्तरित कर दिया गया था। उस कमरे में उन्हें कार्डिक मानीटर पर रखा गया था और लगभग 15 मिनट के अन्दर-अन्दर श्री पटवारी को नर्सिंग होम की गहन परिचर्या यूनिट में स्थानान्तरित किए जाने के प्रबन्ध कर दिए गए थे।

(2) श्री पटवारी को दो दिन से वमन, हृदय जलन और छाती में दर्द होने की शिकायत के कारण भर्ती किया गया था। छाती में दर्द के साथ-साथ उन्हें दम घुटने की भी शिकायत थी जिसने लगभग 14 घन्टे के बाद गम्भीर रूप धारण कर लिया था। जांच करने पर यह पता चला था कि उनकी नब्ज की गति मंद थी और ब्लड प्रेशर कम था और उन्हें पल्मोनरी कंजेशन के लक्षण थे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हृदय की गति मंद चलने और कभी कभार मंद होने के साथ-साथ एक्यूट एन्टेरिओसेप्टल मायोकार्डियल इन्फारक्शन का प्रमाण मिला। अतः यह रोगी मायोकार्डियल इन्फारक्शन के परिणामस्वरूप मामूली रूप से हृदयपात होने और अनियमित रूप से कार्य करने की स्थिति में था। उनका उपयुक्त इलाज किया गया था अर्थात आक्सीजन दी गई थी, धीरे-धीरे ग्लूकोज ड्रिप दी गई थी। पेथिडीन लेसिक्स आदि के इंजेक्शन लगाये गए थे। उन्हें नर्सिंग होम की गहन परिचर्या यूनिट में कार्डिक मानीटर पर लगातार रखा गया था। रोगी को सतत निरीक्षण और पर्यवेक्षण में रखा गया था। परन्तु शमन और अन्य उपचार के बावजूद छाती का दर्द बना रहा और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हृदयपेशी को क्षति पहुंचने का पता चला। हृदय का कार्य भी अनियमित और अव्यवस्थित हो रहा था। अतः रोग के प्रवाह को रोकना और रोगी को एण्टीकोगुलैंट चिकित्सा करना उचित समझा

गया। परन्तु हृदय की क्रिया अत्यधिक अनियमित हो गई थी, कभी-कभी बहुत तेज और कभी-कभी बंद हो जाती थी, रोगी को भिन्न-भिन्न डिग्रियों का चालन दोष, ब्लाक पैटर्न्स और ए० वी० वियोजन (डिस्सोसिएशन) रक्तचाप भी काफी कम हो गया था जिसके परिणामस्वरूप मूत्राघात हो गया था। हृदय व्यवस्थित ढंग से अपने आप चलने और जीवन को बनाये रखने के लिए उपयुक्त रक्तचाप बनाये रखने में असमर्थ था। पहले उनका औषधियों से इलाज किया गया था। चूंकि औषधीय उपचार से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ इसलिए कृत्रिम पेस मेकिंग का निर्णय लिया गया। एक इमर्जेंसी पेस लेकर लगाया गया जिसने रोगी को अगले दिन तक जीवित रखा। तथापि यह उचित समझा गया कि रोगी को बचाने के लिए फ्लोरास्कोपिक नियन्त्रण के अन्तर्गत एक और पेस मेकर लगाया जाए। पंत अस्पताल के डा० एम० पी० गुप्त परामर्शदाता (हृदयरोग विज्ञान) ने यह पेश मेकर लगाया। इस सबके बावजूद रोगी को बचाया नहीं जा सका और 28-3-1979 को 5.15 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया था।

(3) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम के एक दल ने, जिसमें डा० के० पी० माथुर, वरिष्ठ चिकित्सक, डा० एस० एन० वर्मा, डा० जावा, एस० एस० दास थे, स्वर्गीय पटवारी का अंन्तिम समय तक उपचार किया था।

डायलेसिस मशीन

11137 **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे अस्पतालों की संख्या कितनी है जिनमें रोगियों के जीवन की रक्षा के लिये डायलेसिस मशीनें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बाहर के कुछ देशों से कुछ और डायलेसिस मशीनों का आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त देशों के नाम क्या हैं और उनकी लागत के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1978 तक देश में लगभग 42 अस्पताल और उपचर्या गृह थे जिनमें डायलेसिस मशीनें लगी हुई थीं।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य परिचर्या एक राज्य विषय है और यह सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने आर्थिक साधनों, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उचित उपाय करें।

मध्य प्रदेश में शाहडोल जिले के कोयला क्षेत्रों में श्रमिक आन्दोलन

11138 **श्री सुभाष आहूजा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले के कोयला क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने श्रमिक आन्दोलन हुए;

(ख) कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या शाहडोल जिले में श्रम उप-आयुक्त का पद महीनों से खाली पड़ा हुआ है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) प्रश्न के भाग (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य का आशय उन औद्योगिक विवादों की संख्या के बारे में है, जिनके बारे में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) शाहडोल द्वारा पिछले 3 वर्षों में कार्रवाई की गई है। इन आंकडों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) पहली जनवरी, 1979 को 62 मामले अनिर्णीत पड़े थे।

(ग) सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का पद जुलाई, 1978 से खाली पड़ा है। लोक सभा के

विवरण

वर्ष	प्राप्त हुए मामले	निपटाए गए मामले	अनिर्णीत पड़े मामले
1976	149	135	14
1977	132	124	8
1978	281	219	62

न्यू मैनागुड़ी से सितई तक रेल लाइन

11139. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यू मैनागुडी से सितई तक (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) एक नई रेल लाइन बिछाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में न्यू मैनागुड़ी से सितई तक (84 कि० मी०) बड़े आमान की एक नई रेलवे लाइन के लिए एक यातायात एवं टोह इंजीनियरी सर्वेक्षण 1976-77 में किया गया था और उस समय इस परियोजना को अलाभप्रद पाया गया था और पूंजी निवेश पर प्रतिफल नगण्य था। नयी लाइनों के निर्माण के लिए धन-राशि की उपलब्धता में अत्यन्त कमी को देखते हुई, फिलहाल इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।

शालीमार यार्ड में लावारिस माल

11140. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री निहार लास्कर
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक असाधारण कार्यवाही में कलकत्ता स्थित शालीमार यार्ड

में लावारिस माल को जब्त करने और पश्चिम बंगाल की सरकार को उनका वितरण करने की अनुमति देने के बारे में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या देश में सभी स्थानों पर इस प्रक्रिया का पालन किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह पाया गया है कि व्यापारिक समुदाय अनेक स्थानों पर वैगनों को रोक रहा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल विभाग माल गोदामों पर बिना छुड़ाये पड़े माल को जब्त नहीं करता। जब कभी व्यापारियों द्वारा परेषण पड़े रखने का कोई मामला रेलवे के नोटिस में आता है तथा माल-डिब्बों को शीघ्र मुक्त करना सुनिश्चित करने के लिए भी, भारतीय रेल अधिनियम की धारा 56 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है और अधिसूचित स्टेशनों पर पारवहन समाप्त होने के बाद 7 दिन के भीतर परेषण न छुड़ाने पर उन्हें या तो नीलामी द्वारा बेच दिया जाता है या अनिवार्य वस्तुओं को सम्बद्ध राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। यदि माल की नीलामी से मिली राशि अथवा राज्य सरकार से उसे हस्तांतरित की गयी अनिवार्य वस्तुओं के लिए मिली राशि में से रेलवे की देय प्रभार तथा माल और उसकी नीलामी के सम्बन्ध में किये गये खर्च के बराबर राशि रेलवे द्वारा काट लेने के बाद कुछ बचता है, तो उसे उसके हकदार व्यक्ति को दे दिया जाता है।

(घ) कुछ स्टेशनों पर माल डिब्बों के रुके रहने के मामले हुए हैं। जब भी आवश्यक होता है अधिसूचित स्टेशनों पर बिना उतारे गये परेषणों की शीघ्र निकासी के लिए उपर्युक्त भाग (ग) में बताये अनुसार कार्यवाही की जाती है।

तेल की खेप

11141. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 197 से 31 दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, बम्बई द्वारा राय जानने के लिए और विकासी आदेश जारी किये जाने के लिए मन्त्रालय को कितनी तेल की खेपें भेजी गई;

(ख) सम्बद्ध अधिकारियों से अपने खाद्य तेल की खेपों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आयातकर्ताओं को कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी;

(ग) इन खेपों के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने में सबसे अधिक कितना समय लगा;

(घ) क्या यह सच है कि खाद्य तेल की अनेक खेपों के लिए, जो पी० एफ० ए० मानकों के अनुरूप नहीं थे, बम्बई के प्रतिनिधियों ने अपीलीय परीक्षाशाला में दूसरा अवसर नहीं दिया; और

(ङ) बम्बई के अधिकारियों ने कितनी खेपों के बारे में पुनर्विचार नहीं किया और ऐसी खेपों का क्या हुआ ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 247 ।

(ख) और (ग) विश्लेषण के बाद जहां कोई खेप निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप मालूम होती है तो पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी तत्काल क्लीयरेंस दे सकते हैं । परन्तु जो खेपें विनिर्देशों को पूरा नहीं करती हैं तब इस मामले को परामर्श के लिए मंत्रालय को भेजना पड़ता है । जहां कहीं माल को फिर से संसाधित/परिष्कृत करके उसकी किसी कमी को तकनीकी रूप से ठीक करना सम्भव पाया जाता है तो तदनुसार ऐसा करने की सलाह दे दी जाती है । इसके परिणामस्वरूप यह मामला मंत्रालय को भेजने और माल को परिष्कृत करने तथा फिर से विश्लेषण करने की प्रक्रिया में और अन्तिम रूप से स्वास्थ्य क्लीयरेंस देने में अवश्य ही कुछ समय लग जाएगा । एक विशेष मामले में इस प्रक्रिया में जो सबसे अधिक समय लगा था वह एक वर्ष चार महीने था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

"मायोपिया" आंख का रोग

11142. **श्री चित्त बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में उच्च "मायोपिया" (आंख का रोग) का कोई इलाज नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आंख के इस रोग को, जो भारत में बढ़ता जा रहा है, का इलाज करने के लिए उपाय का पता लगाने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं । उच्च मायोपिया का उपचार ऐनको कंटेक्ट लैन्स निर्दिष्ट करना और आपरेशन करना है और यह उपचार भारत में उपलब्ध है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बीड़ी कल्याण निधि से पश्चिम बंगाल को अनुदान

11143. **श्री मुकुन मंडल**
श्री ए० के० साहा } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, बीड़ी कल्याण निधि में से पश्चिम बंगाल के बीड़ी श्रमिकों के कल्याणार्थ कितना अनुदान दिया गया और कुल बीड़ी कल्याण निधि में पश्चिम बंगाल का प्रतिशतता के रूप में क्या हिस्सा है; और

(ख) पश्चिम बंगाल के बीड़ी श्रमिकों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लारंग साय) : (क) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि को केवल 15 फरवरी, 1977 से लागू किया गया। 1977-78 और 1978-79 के दौरान पश्चिम बंगाल में विभिन्न कार्यकलापों के लिए धन-राशि का प्रावधान इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	1977-78	1978-79
चिकित्सा	0.87	1.96
आवास	—	4.95
छात्र वृत्तियां	—	0.45

पश्चिम बंगाल ने कुल निधि का लगभग 15 प्रतिशत अंशदान दिया।

(ख) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास के लिए आर्थिक सहायता तथा ऋण, आश्रितों के लिए छात्रवृत्तियां, आदि देने सम्बन्धी योजनायें शुरू की गई हैं। दो चलते-फिरते चिकित्सा यूनिट कलकत्ता तथा मुर्शीदाबाद में कार्य कर रहे हैं। एक चेस्ट क्लीनिक निमनिता में भी स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 4.95 लाख रुपये का तदर्थ अनुदान दिया है। शैक्षणिक शिक्षावृत्तियां भी कुछ स्थानों पर दी गई हैं।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स में तालाबन्दी

11144. **श्री के० ए० राजन** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अप्रैल से कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल के बाद सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के प्रबन्धकों ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग का ब्यौरा क्या है और मामले का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) 21 अप्रैल, 1979 से कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल के बाद हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के प्रबन्धकों ने 23 अप्रैल, 1979 से तालाबन्दी की घोषणा कर दी। यह हड़ताल कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में की। इन मांगों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मजदूरी-दरों में संशोधन, निर्वाह-व्यय में निष्प्रभावन, अनुषंगी लाभ और दूसरे शनिवार के लिए मुआवजे की मांग शामिल है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रबन्धकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते के परिणामस्वरूप 11 मई, 1979 से तालाबन्दी उठा ली गई।

"इण्डियन मौन्क बीईंग ट्राइड इन स्विस कोर्ट" (स्विटजरलैंड के न्यायालय में भारतीय साधु पर मुकदमा चलाया जा रहा है) शीर्षक का समाचार

11145. **श्री अनन्त दवे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अप्रैल, 1979 के 'टाइम्स आफ इंडिया" में

प्रकाशित "स्विटजरलैंड के न्यायालय में भारतीय साधु पर मुकदमा चलाया जा रहा है" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को स्विटजरलैंड सरकार के सामने उठाया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सड़क प्रभाग द्वारा कुछ सहायक कार्यकारी अभियन्ताओं की सेवाओं को स्थायी घोषित किया जाना

11146. **श्री एस० बी० पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय के सड़क प्रभाग ने लगभग पांच वर्ष की अस्थाई सेवा वाले कुछ सहायक कार्यकारी अभियन्ताओं को स्थायी घोषित कर दिया है, और विभाग के अन्य व्यक्तियों की उपेक्षा की है जिन्होंने सहायक कार्यकारी अभियन्ता/कार्यकारी अभियन्ता के रूप में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;

(ख) क्या यह उन अधिकारियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं है, जो पहले भर्ती तथा सेवा के कारण वरिष्ठ हैं; और

(ग) क्या सड़क प्रभाग 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर इंजीनियरों के भविष्य का प्रबन्ध नहीं कर रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) दो सेवाएं अर्थात केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप 'ए' और केन्द्रीय इंजीनियरी पूल ग्रुप 'ए' फरवरी, 1976 में बनाई गई थी । तत्कालीन स्वीकृत पद, जिनमें विभिन्न ग्रेडों के स्थायी पद भी शामिल हैं, दोनों सेवाओं के बीच 21-4-1976 को जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार आवंटित किए गए । दोनों सेवाओं में विभिन्न ग्रेडों के स्थायी पदों पर अधिकारियों का स्थायीकरण उक्त आवंटन के अनुसार किया जाता है । दो अलग-अलग सेवाओं के अधिकारियों के स्थायीकरण के मामले में किसी प्रकार की तुलना करने का प्रश्न नहीं होता ।

न्यू जलपाईगुडी से नई दिल्ली तक नई गाड़ी चलाना

11147. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता अथवा संसद सदस्यों से ऐसे कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें न्यू जलपाईगुडी से नई दिल्ली तक नई गाड़ी चलाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यू जलपाईगुडी से नई दिल्ली तक नई गाड़ी चलाने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 155/156 तिन-सुकिया मेल के न्यू जलपाईगुडी में असुविधाजनक समय पर पहुंचने के विरोध में तथा नई दिल्ली और न्यू जलपाईगुडी के बीच एक ऐसी नई तेज गाड़ी चलाने के लिए, जिसका न्यू जलपाईगुडी में पहुँचने का समय सुविधाजनक समय हो, संसद सदस्यों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) तिनसुकिया मेल जैसी लम्बी दूरी की गाड़ियों का न्यू जलपाईगुडी जैसे मार्गवर्ती स्टेशनों पर सुविधाजनक समय रखना सदैव सम्भव नहीं होता। नई दिल्ली और न्यू जलपाईगुडी के बीच एक नई गाड़ी चलाना, मार्गवर्ती खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी तथा दिल्ली क्षेत्र में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण, परिचालनिक दृष्टि से फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

कार्यालयों और विदेशों में स्थित मिशनों में राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री के चित्रों के बारे में निर्णय

11148. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय ले लिया है अथवा लेने जा रही है कि राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री के चित्रों को मन्त्रालय के कार्यालयों और विदेशों में स्थित मिशनों की दीवारों पर नहीं सुशोभित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के पीछे कारण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में 24 अप्रैल, 1979 के समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार की इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है कि महात्मा गांधी और भारत के राष्ट्रपति के चित्रों को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए और महत्वपूर्ण तथा सम्मानीय नेताओं के चित्र भी भारतीय मिशनों में बराबर प्रदर्शित किए जाने चाहिए। प्रधान मन्त्री यह नहीं चाहते कि सरकारी कार्यालयों में उनके चित्र लगाये जाएं और इस आशय के अनुदेश 1977 में ही जारी कर दिये गये थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 24 अप्रैल, 1979 को इस विषय पर जो खबर छपी थी, वह गलत है और सही स्थिति ऊपर बतायी गयी है।

गुडगांव स्थित मेवात प्रेस पर भविष्य निधि की बकाया राशि

11149. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेवात प्रेस, गुड़गांव, सरकार के पास नियमित रूप से कर्मचारियों की भविष्य

निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि जमा नहीं करा रहे हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कारण बकाया राशि कितनी है;

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रेस को दिया जा रहा अखबारी कागज का कोटा और अन्य वित्तीय सहायता की राशि क्या है; और

(ग) इसकी साप्ताहिक/मासिक परिचालन संख्या क्या है और यह सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रति वर्ष कितना मुनाफा कमा रहा है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि 4 मई, 1979 को किए गए निरीक्षण के अनुसार, मैसर्स मेवात प्रेस, गुड़गांव कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन नहीं आता है, क्योंकि इस प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या बीस से कम है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यह प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन पंजीकृत नहीं है ।

(ख) और (ग) सूचना श्रम मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

मोटी पानीली मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, राजकोट से अभ्यावेदन

11150 **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटी पानीली मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, या पानीली मोटी, जिला राजकोट, सौराष्ट्र, गुजरात ने दिनांक 24 फरवरी, 1979 को रेलवे के बारे में तीन मांगों वाला एक आवेदन पत्र रेल मन्त्री जी को, वे पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडलीय कार्यालय तथा मंडलीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति, राजकोट विभाग, राजकोट को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इन तीन मांगों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार अथवा रेलवे बोर्ड द्वारा इन मांगों पर अलग-अलग क्या कार्रवाई की गई है और कैसी कार्रवाई की जायेगी; और

(घ) मोटी पानीली मर्चेन्ट्स एसोसिएशन की ये मांगें किस प्रकार से और कब पूरी की जायेंगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उठाया गया मुद्दा	वर्तमान स्थिति
(i) पानीली मोटी स्टेशन में डाक तार टेलीफोन की व्यवस्था	पानीली मोटी स्टेशन में डाक तार टेलीफोन लगाने के लिए डाक एवं तार विभाग से मांग की जा रही है ।

उठाया गया मुद्दा	वर्तमान स्थिति
(ii) पानेली मोटी स्टेशन में गांधी-ग्राम एक्सप्रेस से टिकट जारी करना ।	पानेली मोटी स्टेशन में गांधीग्राम एक्सप्रेस के हाल्ट की व्यवस्था करने के लिए यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है, इसलिए इस स्टेशन में टिकट जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।
(iii) एक पहुँच मार्ग के लिए अनुरोध ।	पहुँच मार्ग की मरम्मत 1979-80 के चालू वर्ष में करने का प्रस्ताव है ।

हरिनगर औषधालय, दिल्ली

11151. **श्री युवराज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि हरिनगर औषधालय, दिल्ली में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या 16,000 है, कोई भी विशेषज्ञ (आंख, शिशु, औषधि) औषधालय में नहीं जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि रोगियों को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा जाता है जोकि औषधालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि औषधालय को एक नए स्थान पर, जहां अधिक जगह है, स्थानान्तरित करने से इस औषधालय में ये सेवाएं उपलब्ध कराना सम्भव हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह मामले पर ध्यान देंगे और उक्त औषधालय से विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे ताकि अन्य औषधालयों के लाभार्थियों की भांति इस औषधालय के 16000 लाभार्थी भी लाभान्वित हो सकें ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) इस औषधालय में, जहां लगभग 16,000 लाभार्थियों को देखा जाता है, कोई भी विशेषज्ञ नहीं आता है । विशेषज्ञों की कमी होने के कारण फिलहाल इस औषधालय में विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । वैसे, इस औषधालय के रोगी, आपाती रोगियों को छोड़कर, जिन्हें डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भेजा जाता है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय तिलक नगर में चिकित्सा कराते हैं जो वहां से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है ।

चिक्लोली में स्टेशन

11152. **श्री लक्ष्मण राव मानकर** : क्या **रेल** मन्त्री 15 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3300 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि, जिला थाना (महाराष्ट्र) में कल्याण कारजाल लाइन पर अम्बरनाथ और बादलपुर के बीच चिक्लोली में नया स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर कितनी पूंजी लगेगी और इस पर कितनी भारी आवर्तक हानि होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : इस प्रस्ताव पर लगभग 5.81 लाख रुपये का पूंजी निवेश लगने का अनुमान है और प्रति वर्ष लगभग 3.67 लाख रुपये की आवर्ती हानि का अनुमान है ।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन

11153. **श्री लक्ष्मणराव मानकर** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के बारे में निर्णय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और कर्मचारियों तथा श्रमिकों के संगठनों से प्रस्तावों की कितने समय तक प्रतीक्षा करना चाहती है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : राज्य सरकारों आदि से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने प्रस्ताव 31 मई, 1779 तक अवश्य भेज दें ।

एंगलों की चोरी

11154. **श्री लक्ष्मणराव मानकर** : क्या रेल मन्त्री एंगलों की चोरी के बारे में 8 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज (महाराष्ट्र) मे रेल कर्मचारियों द्वारा एंगलों की चोरी के मामले की जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा किनके विरुद्ध की गई है और उनके नाम क्या हैं तथा वे किस पद पर हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए अन्वेषण रिपोर्टों पर आगे कार्रवाई की जा रही है ।

बम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियों की समय सारिणी

11155 **श्री लक्ष्मण राव मानकर** : क्या रेल मन्त्री बम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियों की समय सारणी के बारे में 1 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1410 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने सुझावों को स्वीकार करके क्रियान्वित किया गया है जिनसे वर्तमान रेल-गाड़ियों का चलन प्रभावित नहीं होता है और जिनसे यात्रियों के विभिन्न समूहों के हित नहीं टकराते हैं;

(ख) ऐसे सुझावों के स्वरूप तथा कार्य क्षेत्र का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन के पास लगभग 1 वर्ष से लम्बित पड़े इन सुझावों को पहले ही स्वीकार करके क्रियान्वित किया जा सकता था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिल्ली परिवहन निगम की बसों का आवंटन

11156. **श्री आर० कौलनथाइवेलू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम ने स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई 90 बसों में से केवल 47 बसें ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आवंटित की हैं;

(ख) उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मांगने के लिए प्रचार की क्या पद्धति अपनाई गई;

(ग) क्या विज्ञापन नियमित अंतराल पर समाचार पत्रों में दिये जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित 90 बसों में से 9-5-79 के अनुसार वस्तुतः 39 बसें चल रही हैं । अतिरिक्त 37 बसें आबंटित की जा चुकी हैं और शीघ्र ही उनके चलाए जाने की संभावना है । शेष 14 बसों के लिए, विलम्ब उन व्यक्तियों की ओर से है जिन के प्रस्ताव बहुत पहले स्वीकार कर लिए गए थे और जो दिल्ली परिवहन निगम द्वारा भाड़े पर लेने के लिए बसें अभी तक नहीं लाए हैं ।

(ख) अगस्त, 1977 में समाचार पत्र में विज्ञापन के जरिये ।

(ग) और (घ) चूंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 90 रिक्तियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 260 आवेदक प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं इसलिए पुनः विज्ञापन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

शाहाद के निकट उपरि पुल

11157. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे** : क्या रेल मन्त्री शाहाद के निकट उपरि पुल के बारे में 29 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में शाहाद (जिला थाना महाराष्ट्र) में सड़क उपरि पुल बनाने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वित्त वर्ष में इस काम को शुरू करने का प्रस्ताव है ।

वाणिज्यिक व्यापार ग्रुपों में प्रशिक्षुओं का खपाया जाना

11158. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे** : क्या रेल मंत्री वाणिज्यिक व्यापार ग्रुपों में प्रशिक्षुओं के खपाये जाने के बारे में 15 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3299 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग, बम्बई ने उन प्रशिक्षुओं को, जिन्होंने 19 अक्तूबर, 1978 और 16 जनवरी, 1979 को अभ्यावेदन दिये हैं, मौखिक परीक्षा के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितने प्रशिक्षुओं को; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) 46 प्रशिक्षुओं की 19 मार्च, 1979 को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शास्त्री नगर के निकट 200 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण

11159. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शास्त्री नगर के निकट 200 फुट चौड़ी सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क के जोड़े जाने के स्थान के बारे में योजना का मुख्य ब्यौरा क्या है और इस सड़क का निर्माण अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त सड़क का निर्माण कब तक किया जायेगा और वह जनता के उपयोग के लिए कब तक खोली जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता ।

क्लर्क ग्रेड-I के रूप में बुकिंग

11160. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में क्लर्क ग्रेड-I के रूप में 1 अक्तूबर, 1962 के बाद सीधे भर्ती किये गये स्नातकों की ही "शेडो' पदों पर बुकिंग की गई है जबकि 1 अक्तूबर, 1962 के बाद भर्ती किये गये क्लर्क ग्रेड-II को अर्हक परिशिष्ट III ए परीक्षा के बाद भी 'शेडो' पदों पर क्लर्क ग्रेड-I के रूप में उनकी पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है ?

रेल मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

लेखा विभाग के लिए कर्मचारियों की भर्ती

11161. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पृथक-पृथक प्रत्येक जोनल रेलवे के लेखा विभाग में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रेड I क्लर्क के रूप में स्नातक रिक्तियों के विरुद्ध कुल कितने कर्मचारी भर्ती किये गए और कितने ग्रेड II क्लर्कों को 'शैडो' पदों के विरुद्ध ग्रेड I क्लर्कों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बाढ़ के लिए अग्रिम राशि

11162. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-किशनगंज में उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय और पश्चिम रेलवे के विदेशी यातायात लेखा कार्यालय में ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने वर्ष 1978 में बाढ़ के लिए अग्रिम राशि हेतु आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) क्या इस बीच कर्मचारियों के लिए भुगतान की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो बाढ़ से प्रभावित कर्मचारियों को राहत देने हेतु भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 395

(ख) एक आवेदक के मामले को छोड़कर जिसमें बाढ़ अग्रिम की स्वीकृति को शासित करने वाले नियमों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थीं, अन्य सभी कर्मचारियो को इसके भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मेडिकल स्टोर डिपो, हैदराबाद

11163. **श्री ए० मुरुगेशन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेडिकल स्टोर डिपो, हैदराबाद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए आरक्षित आरक्षण आदेश की क्रियान्विति नहीं की जा रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि इसकी क्रियान्विति की गई है तो आदेशों के जारी किये जाने की तारीख से केडरवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आंध्र प्रदेश सेन्ट्रल गवर्नमेंट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एम्पलाइज वैलफेयर एसोसियेशन, हैदराबाद ने (डी० जी० एम० एस०) गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, हैदराबाद की शिकायतें दूर करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं, यदि हां, तो उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनकी शिकायतों का अध्ययन करने और त्रुटियों को भूतलक्षी प्रभाव से दूर करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली से किसी अधिकारी को भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मुगल सराय में लेखा विभाग के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

11164. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल सराय (पूर्व रेलवे) में लेखा विभाग के कर्मचारियों को आवंटन हेतु कुछ क्वार्टरों का पूल बनाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लेखा विभाग के कर्मचारियों को आवंटन हेतु इस प्रकार से रखे गए क्वार्टरों पर कुछ अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा गैर-कानूनी रूप से कब्जा किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन क्वार्टरों को खाली कराने और इन्हें लेखा विभाग के कर्मचारियों को आवंटन करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) आवंटित किये गए कुल 26 क्वार्टरों में से 18 क्वार्टरों पर अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है । इन कर्मचारियों से कहा गया था कि इन क्वार्टरों को खाली कर दें परन्तु उन्होंने अभी तक इन्हें खाली नहीं किया है । उन क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है ।

स्कूटर के लिए अग्रिम राशि

11165. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजमेर में पश्चिम रेलवे के यातायात (ट्रैफिक) लेखा कार्यालय में कार्य कर रहे कुछ कर्मचारियों ने वर्ष 1977 में स्कूटर के लिए अग्रिम राशि हेतु आवेदन-पत्र दिये थे लेकिन उन्हें अब तक इसका भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम रेलवे के मुख्यालय में अगस्त, 1978 से इन कर्मचारियों के आवेदन-पत्र पड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और 31 मार्च, 1979 से पूर्व इस भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर, पश्चिम रलवे के कुछ कर्मचारियों से अगन्त, 1977 में स्कूटर अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । आवश्यक बजट प्रावधान प्राप्त करने के बाद, स्वीकृति दी गई और 1978-79 में भुगतान की व्यवस्था कर दी गई थी ।

(ख) अगस्त 1978 में मुख्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र संशोधन के लिए यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर को तुरन्त लौटा दिये गए थे क्योंकि ये अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण थे ।

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र मुख्यालय में प्राप्त हुए थे

और जांच करने के बाद उनकी मंजूरी जारी कर दी गई थी। सभी आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 से पूर्व भुगतान की व्यवस्था कर दी गई थी।

दैनिक यात्रियों की इच्छानुसार टैक्सी और स्कूटर ड्राइवरों का जाने से मना किया जाना

11166. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार की व्यवस्था के बावजूद दिल्ली में टैक्सी और स्कूटर ड्राइवर दैनिक यात्रियों की इच्छानुसार चलने से मना करते हैं, और केवल अपनी सुविधा देखते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुचित व्यवहार से यात्रियों को बचाने के लिए क्या कारगर और ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां, कई बार ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन के मामले में निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) यात्रियों को सुविधा के लिए इंकार किये जाने पर दिल्ली निदेशालय द्वारा बनाए गये बूथों पर भी टेलीफोन द्वारा शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। इसके साथ-साथ तिलक मार्ग पर नई दिल्ली कार्यालय द्वारा भी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। टेलीफोन सं० 224379 पर निदेशालय में 24 घटे टेलीफोन पर शिकायतें प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

(2) सभी लिखित शिकायतों की पावती दी जाती है और प्रत्येक मामले में कानूनों की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) निदेशालय के अधिकारियों को मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 15 और 60 की व्यवस्थाओं के अनुसार शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसके अनुसार टैक्सियों, ओटोरिक्शाओं के ड्राइवरों परिचालकों के लायसेंसों/परमिटों को तत्काल छानबीन के बाद निलम्बित कर सकते हैं।

(4) अचानक जांच के द्वारा दिल्ली सर्कल यातायात पुलिस और दिल्ली परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है। जनवरी, अप्रैल, 1979 के दौरान यातायात पुलिस ने यात्रियों को वांछित स्थानों पर ले जाने से इंकार किए जाने पर 2011 मामले दर्ज किए हैं।

(5) सवारियों के सामान सहित यात्रा की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों और आई० एस० बी० टी० बसों की आवासी कालोनियों से और वापसी के लिए व्यवस्था की गई है जिससे कि उन्हें टैक्सी और स्कूटरों का प्रयोग न करना पड़े।

कोटा-बीना सेक्शन पर गाड़ियों का समय पर न आना

11167. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कोटा-बीना सेक्शन पर अधिकांश गाड़ियां देरी से चल रही हैं जिसके परिणामस्वरूप यात्री और माल के यातायात में बाधा पड़ रही है और जनता को कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या इस सैक्शन में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप इस सैक्शन से गुजरनेवाली सब अप और डाउन गाड़ियों में विशेषकर महिलाओं के लिए, अधिक डिब्बे लगाने की मांग अनुभव की जा रही है;

(ग) क्या मंत्रालय को हाल ही में इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

हल्दिया पत्तन पर जहाजों का रोके रखना और उन्हें घाट पर लगाने में विलम्ब होना

11168. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन पर जहाजों को रोके रखने और उन्हें घाट पर लगाने में विलम्ब होने की वजह से, केवल वर्ष 1978 में ही अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने पर केन्द्रीय सरकार को एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि का विलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान करना पड़ा था;

(ख) क्या उर्वरक की ढुलाई करने वाला एक विदेशी जहाज, एरिफान पिछले वर्ष अगस्त में पत्तन में आया था और उसी वर्ष नवम्बर में वह पत्तन से बाहर निकल सका; और

(ग) क्या इस बारे में विलम्ब शुल्क रूप में जितनी राशि का भुगतान करना पड़ा वह इतनी अधिक होगी कि विलम्ब शुल्क की राशि से ही एक नये जहाज की खरीद की जा सकती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पैट्रोल उत्पादनों और आयातित कच्चे तेल का विलम्ब शुल्क जहाजों को रोके जाने के कारण 1978 में लगभग 45 लाख थी।

(ख) एम० बी० एरिफान जोकि भारी उर्वरकों की ढुलाई कर रहा था 18 अगस्त, 1978 को हल्दिया में पहुंचा और उसने 25 नवम्बर, 1978 को कार्य समाप्त किया ।

(ग) विलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि लगभग 2.4 लाख डालर थी (अर्थात् लगभग 20 लाख रुपये) जिसका भुगतान जहाज मालिकों को दिया गया। भुगतान किया गया विलम्ब शुल्क इस आकार के नए जहाज की लागत की अपेक्षा बहुत कम था।

कम्पाइलेशन ब्रांच में अनियमितताएं

11169. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे प्रशासन से मान्यता प्राप्त संघों की ओर से कम्पाइलेशन ब्रांच, विदेशी यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे दिल्ली में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में अनियमितताएं किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की तारीख क्या है और न्याय देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) 5-2-79 मांग का कोई औचित्य नहीं है। पदोन्नति पूर्णतः वर्तमान हिदायतों के अनुसार की गई है।

फोरेन ट्रैफिक लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे में क्लर्क ग्रेड II में रिक्त पदों की संख्या

11170. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली और यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर में प्रत्येक कार्यालय और प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग 1 जनवरी, 1976 से अद्यतन क्लर्क ग्रेड II, क्लर्क ग्रेड I और सब-ग्रेड में कुल कितने पद रिक्त हुए हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए कुल कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

माल डिब्बों का आबंटन

11171. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सौराष्ट्र अंचल के धोराजी, उपलेटा, भायावदर, पानेली-भोटी, जाय-जोधपुर, वास जालिया, वेरावल, केशोद, चोरवाड़ राणावाव, घेटबन्दर, माणावदर, बांटवा, जूनागढ़ आदि रेलवे, स्टेशनों को 1 जनवरी, 19 से 30 अप्रैल, 1979 के बीच खाद्य तेलों, प्याज, चाक पाउडर, खली रुई की बंधी हुई गांठों, चूना पत्थर तथा सीमेंट के लिए प्रति मास अलग अलग वस्तु के लिए कितने माल डब्बों का आबंटन किया गया ;

(ख) स्टेशन-वार तथा वस्तु-वार कितने माल डिब्बों के लिए 1 मई, 1979 की मांग लम्बित थी;

(ग) इन लम्बित मांगों को कब तथा किस प्रकार पूरा करने का विचार है;

(घ) क्या पश्चिम रेलवे के बम्बई तथा भावनगर स्थित दोनों कार्यालय उपरोक्त वस्तुओं के लिए अपेक्षित रेल डिब्बों की सप्लाई नहीं कर सके हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ये दोनों रेलवे कार्यालय नियमित रूप से और पूरे माल डिब्बे सप्लाई करने और माल डिब्बों की बकाया मांगों को पूरा करने के लिए आगे क्या कार्यवाई करेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ग) से (ङ) पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल सहित सभी क्षेत्रीय रेलों में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लागू रहते हुए भी मालडिब्बों का आबंटन प्राथमिकता और मांग-पत्र के पंजीकरण की वरीयता के आधार पर किया जाता है । जहां तक उल्लिखित पण्यों का सम्बन्ध है, खाद्य तेलों और प्याज के अनिर्णीत अधिकांश मांग-पत्र पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गंतव्य स्टेशनों के लिए हैं जिसके लिए दूसरे अधिक आवश्यक पण्यों, जैसे सरकारी खाद्यान, चीनी, नमक, सैनिक यातायात आदि के साथ-साथ इन पण्यों के लदान के लिए कोटा दिया गया है। जहां तक चाक के चूरे का सम्बन्ध है, पश्चिम रेल प्रशासन उपलब्ध संसाधनों के भीतर मालडिब्बों का अधिक से अधिक सप्लाई करने का प्रयास करेगा ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी० 4535/79]

रेलवे सुविधाएं

11172. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1979 में गुजरात विधान सभा के एक सदस्य द्वारा रेलवे सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में प्राधिकारियों को आठ मांगों से युक्त एक ज्ञापन बम्बई और भावनगर पश्चिम रेलवे में दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किस प्रकार की मांगें की गई हैं; और

(ग) क्या-क्या मांगें स्वीकार की गई हैं और अन्य मांगें स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल प्रशासन द्वारा ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ दिखाई नहीं देता ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

असंगठित श्रम सम्बन्धी स्थायी समिति

11173. **श्री सचीन्द्र लाल सिंधा** : क्या **संसदीय कार्य तथा** श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित श्रम सम्बन्धी केन्द्रीय स्थायी समिति ने अपनी पहली बैठक में (1) कृषि श्रम के लिए केन्द्रीय कानून (2) ग्रामीण श्रमिक संगठन तथा शिक्षा और (3) बन्धुआ श्रम के बारे में तीन उप समितियां बनाने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय पर अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक उप-समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) ये उप-समितियां अपने प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देंगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) तीन उप-समितियां गठित की गई हैं और बधित श्रमिक तथा खेतिहर श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान सम्बन्धी उप-समितियों की प्रथम बैठक क्रमश: 7 और 10 मई, 1979 को हुई है। ग्रामीण श्रमिक संगठन और शिक्षा सम्बन्धी उप-समिति की बैठक 18 मई, 1979 को होगी। तीन उप-समितियों के सदस्यों के नाम परिशिष्ट में दिए गए हैं।

(ग) उप-समितियों से अनुरोध किया गया है कि वे लगभग तीन महीनों में रिपोर्ट दे दें।

विवरण

उप-समिति—1

खेतिहर श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान

1.	श्री एन० एम० बरोट श्रम मन्त्री, गुजरात सरकार	अध्यक्ष
2.	श्री हरकिशन सिंह सुरजीत, संसद सदस्य	सदस्य
3.	श्री एम० जी० डोंगरे	
4.	श्री रामचन्द्रन नायर	
5.	भारतीय कृषक समाज	
6.	श्री एच० चल० चावला	
7.	श्री चित्त बसु, संसद सदस्य	
8.	श्री एम० टी० शुक्ला	
9.	प्रोफेसर टी० के० एन० उन्नीथन	

उप-समिति—2

ग्रामीण श्रमिक संगठन और शिक्षा

1.	श्री जगदीश गुप्त, श्रम मन्त्री, मध्य प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
2.	श्री एन० जी० रंगा, संसद सदस्य	सदस्य
3.	प्रोफेसर प्रयाग मेहता	
4.	श्री कादर नवाज	
5.	श्री ए० सी० कुलश्रेष्ठ	
6.	श्री पी० एस० कृष्णन	
7.	श्री शाम लाल गौड़	
8.	प्रोफेसर अशोक सेन	
9.	श्री एम० वी० राजशेखरन	

उप-समिति—3

बंधित श्रमिक

1.	श्री बी० भगवती	अध्यक्ष
2.	श्री एम० वी० एस० राव	सदस्य
3.	श्री सुन्दरलाल बहुगुणा	
4.	श्री एस० जगन्नाथन	
5.	श्री एम० वी० बलराज	
6.	श्री भूपिन्द्र सिंह	
7.	प्रोफेसर सच्चिदानन्द	
8.	श्री ई० बालनन्दन	
9.	श्री सुरेन्द्र मोहन, संसद सदस्य	

राष्ट्रीय श्रम संस्थान की कार्यकारी परिषद और मंजूर की गई धनराशि

11174. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संस्थान की कार्य कारी परिषद का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय श्रम संस्थान के कार्यकारी परिषदों का ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि की मंजूरी दी जा चुकी है; और

(घ) इस समय संस्थान से सम्बद्ध अनुसंधान अधिकारी का नाम क्या है और उसका अनुसंधान का विषय क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी परिषद में 10 सदस्य हैं, जिनमें 7 निर्वाचित सदस्य, 2 पदेन सदस्य और सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी० टी० लाकड़ावाला को कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(ग) संस्थान एक स्वायत्त निकाय है, जिसका उत्तरदायित्व शोध करना है जिसमें कार्य अनुसंधान, शैक्षिक कार्यक्रम, परामर्श, शान्तिपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रण और प्रलेखन कार्य और गरीब ग्रामीणों के संगठन को बढ़ावा देना शामिल है। अब तक अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि
1974-75	7,17,000 रुपये
1975-76	17,30,500 रुपये
1976-77	17,32,000 रुपये
1977-78	20,31,000 रुपये
1978-79	17,79,000 रुपये
1979-80	20,06,000 रुपये

(घ) अनुसंधान और कार्य अनुसंधान कार्यक्रमों से संबंधित अधिकारियों की सूची विवरण-1 में दी गई है। ये अनुसंधान अधिकारी अनेक समकालीन विषयों से सम्बन्धित हैं, जोकि एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये शिक्षा, ग्रामीण प्रशिक्षण कैम्पों, परामर्श, आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं।

विवरण 1

राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसन्धान कार्यक्रमों से सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारियों की सूची

प्रोफेसर प्रयाग मेहता
प्रोफेसर बी० चट्टोपाध्याय
डा० के० जी अग्रवाल
श्री आर० एन० महाराज
श्री टी० के० पचाल
श्री सैयद अख्तर
श्री जोसफ चेरियन
श्री एस० सी० बजाज
श्री वी० के० कुलकर्णी
श्री एम० पी० जैन
श्री आर० एस० जोशी

पत्रकारों को सांविधिक लाभ

11175. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि समाचार-पत्र उद्योग के प्रबन्धक पत्रकारों को विशेषकर दिल्ली से बाहर रहने वाले दिल्ली-आधारित संवाददाताओं को, जो प्रेस सूचना ब्यूरों के मान्यता प्राप्त है, बोनस, महंगाई भत्ते आदि के सांविधिक लाभों से वंचित रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दैनिक समाचार-पत्रों के पत्रकारों की उचित शिकायतों को कम करने के लिए अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग में काम करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) दिल्ली से बाहर रहने वाले दिल्ली आधारित संवाददाताओं को, जो प्रेस सूचना ब्यूरों के मान्यता प्राप्त है, बोनस, महंगाई भत्ते, आदि का भुगतान न करने के बारे में भारत सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जो समाचार पत्र उद्योग के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकारें हैं, दोषी प्रबन्धतन्त्रों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

(ग) राज्य सरकारों से स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

बरेली में समाप्त किया गया विलम्ब-शुल्क

11176. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे, बरेली में मीटर गेज लोको शेड में रोके गये एम० जी० लोको कोयले के माल डिब्बों के बारे में दिसम्बर, 1976 से फरवरी, 1978 तक कितना विलम्ब शुल्क समाप्त किया गया था;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

शाहजहांपुर में साइकिल स्टैण्ड का ठेका

11177. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर साइकिल स्टैंड का ठेका इस वर्ष दो वर्ष के लिए 2000 रुपए में दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1978 में वही ठेका इसी अवधि के लिए 32,000 रुपये में दिया गया था;

(ग) केवल दो वर्ष के लिए ठेका दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने ठेका दिया था और जिसके परिणामस्वरूप सरकार को हानि हुई ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) शाहजहांपुर में सर्व-प्रथम साइकिल स्टैंड का ठेका देने के लिए समाचार-पत्रों के जरिए टेंडर आमन्त्रित किये गये थे और उन्हें 27-2-75 को खोला गया था। केवल 790/- का सिर्फ एक टेंडर प्राप्त हुआ था। टेंडर समिति ने नये टेंडर आमंत्रित करने का विनिश्चय किया था क्योंकि पहले टेंडर का निपटारा नहीं हो सका था। नये नोटिस के उत्तर में केवल एक टेंडर प्राप्त हुआ था जिसे 12-10-76 को खोला गया था। चूंकि इस स्टेशन पर साइकिल स्टैंड की अत्यन्त आवश्यकता थी तथा यहां साइकिल स्टैंड शीघ्र चालू करने के बारे में स्टेशन परामर्श समिति को आश्वासन दिया जा चुका था, अत: टेंडर समिति की यह सिफारिश, कि 2001/- रुपये के एकमात्र टेंडरदाता श्री राकेश शर्मा को 1-1-77 से 31-12-78 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए ठेका दे दिया जाए, स्वीकार कर ली गई थी। इस स्टेशन पर साइकिल स्टैंड का ठेका देने का यह सबसे पहला मामला था।

1978 में, 1-1-79 से दो वर्षों के लिए साइकिल स्टैंड का ठेका देने के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थे। टेंडर समिति ने 40,000 रुपए की सर्वोच्च बोलीदाता को ठेका देने की सिफारिश की थी किन्तु यह बोलीदाता लौटा ही नहीं। उसे नोटिस जारी कर दिया गया है। ठेके को पुन: विज्ञापित किया जा रहा है। तथापि, अन्तरिम अवधि में इस स्टेशन पर साइकिल स्टैंड द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा जिसकी बोली 32,000 रुपये की थी, चलाया जा रहा है।

(घ) चूंकि ठेके खुले टेंडरों के आधार पर दिए जाते हैं। अत: रेलवे राजस्व को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलगाड़ी परीक्षकों की भरती

11178. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलों में लगातार कई वर्षों से गाड़ी परीक्षकों की कोई भरती नहीं की गई है;

(ख) क्या भारतीय रेलों में गाड़ी परीक्षकों के काडर में बहुत से रिक्त पद हैं;

(ग) यदि हां, तो रेलवे का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाये जाने हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) रेलों पर गाड़ी परीक्षकों की कोटि में रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

रेलवे	संख्या
मध्य	73
पूर्व	45
पूर्वोत्तर	—
पूर्वोत्तर सीमा	44
दक्षिण	30
दक्षिण-मध्य	56
पश्चिम	33
उत्तर	76
दक्षिण-पूर्व	सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) वर्तमान आदेशों के अधीन, गाड़ी परीक्षकों की 40 प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति द्वारा, 20 प्रतिशत माध्यमिक प्रशिक्षु गाड़ी परीक्षकों के रूप में और 40 प्रतिशत रेल सेवा आयोगों के माध्यम से सीधी भरती द्वारा भरी जानी होती है। आयोगों द्वारा जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई, वे पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे हैं। रिक्तियों का पदोन्नति वाला कोटा भरने के लिए भी रेलों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

उत्तर रेलवे में रेलगाड़ी परीक्षकों के स्थायी पद

11179. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में, मंडलवार, विभिन्न ग्रेडों में रेलगाड़ी परीक्षकों के कुल स्थायी पद कितने-कितने हैं;

(ख) इन पदों के विरुद्ध स्थायी किए गए रेलगाड़ी परीक्षकों की संख्या क्या है;

(ग) अन्य रेलगाड़ी परीक्षकों को स्थायी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक स्थायी करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख)

700-900 रु०	20
550-750 रु०	65
425-700 रु०	524
जोड़	609

(ग) (I) जिन पदों का ग्रेड बढ़ाया गया है, उन पर पदोन्नत कर्मचारियों ने इन ग्रेडों में अभी तक एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है अतः वे स्थाई किए जाने के पात्र नहीं हैं।

(II) दिल्ली मण्डल में, गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में विवाद है और उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने तक उनकी पुष्टि आस्थगित कर दी गई है।

(III) अपेक्षित अवधि का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद बहुत से प्रशिक्षु मैकेनिक/इंटरमीडिएट प्रशिक्षुओं को 425-700 रु० (सां० वे) वेतनमान में गाड़ी परीक्षकों के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। वे जिस पद पर काम कर रहे हैं, उस पद पर या तो ठीक एक वर्ष पूरा कर चुके हैं अथवा पूरा करने वाले हैं।

(घ) जैसे ही पुष्टि के लिए वे पात्रता की शर्तें पूरी कर लेंगे।

विवरण

उत्तर रेलवे में मंडलवार स्थायी पदों की संख्या

मंडल	विभिन्न ग्रेडों में पद			
	700-900	550-750	425-700	जोड़
दिल्ली	15	54	157	226
फिरोजपुर	6	22	73	101
इलाहाबाद	8	45	123	176
मुरादाबाद	6	27	68	101
लखनऊ	6	24	48	78
बीकानेर	3	20	81	104
जोधपुर	4	10	39	53
मुख्यालय	6	—	—	6
	54	202	589	845

रेलगाड़ी परीक्षकों का दर्जा बढ़ाया जाना

11180. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पी० सी०-III/78/यू० पी० जी०/8, दिनांक 1 जनवरी, 1979 द्वारा ट्रेन एग्जामिनरों का दर्जा बढ़ाने के लिए जारी किये गये आदेश आई० आर० सी० ए० के ट्रेन एग्जामिनरों पर भी लागू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनकी क्रियान्विति की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनकी शीघ्र क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह संगठन एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए ग्रेड ऊंचा करने की योजना उन पर लागू नही होती।

(घ) भारतीय रेल सम्मेलन को सूचित किया गया है कि क्षेत्रीय रेलों पर गाड़ी परीक्षकों एवं मुख्य माल-डिब्बा निरीक्षकों के लिए लागू संशोधित प्रतिशत भारतीय रेल सम्मेलन के कर्मचारियों पर भी लागू किए जाने में रेल मन्त्रालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कर्मचारियों की वरिष्ठता स्थिति

11181. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की वरिष्ठता स्थिति के बारे में जानकारी वार्षिक आधार पर प्रकाशित करने की रेल प्रशासन से आशा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे में ट्रेन एग्जामिनरों की वरिष्ठता सूची नियमित रूप से जारी की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में 1968 के बाद तैनात किए गए कर्मचारियों की आज तक उनकी वरिष्ठता के बारे में जानकारी नहीं दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रशासन का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एक्सप्रेस गाड़ियों को जिला एलेप्पी मे रोका जाना

11182. **बी० के० नायर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि केरल राज्य के जिला एलेप्पी के लोगों की यह बहुत पुरानी शिकायत है कि जिले के रेलवे स्टेशन पर अर्थात् कायमकुलम, मावेलीकारा, थीरकला तथा चेगांनूर शायद ही कोई एक्सप्रेस गाड़ी रुकती हो;

(ख) क्या इन स्टेशनों पर बुकिंग व्यवस्था न होने के कारण लम्बी दूरी के सैंकड़ों यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए उनका क्या उपाय करने का विचार हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) कोल्लम-कोट्टायम खण्ड में चलने वाली 7 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में से 6 जोड़ी गाड़ियां चेगन्नूर, 5 जोड़ी तिरुवल्ला, 3 जोड़ी गाड़ियां मावेलिकारा और 2 जोड़ी गाड़ियां कायनकुलम में ठहरती है। इसके अलावा इन स्टेशनों के बीच 3 जोड़ी सवारी गाड़ियां भी चलती हैं। ये गाड़ियां कम और लम्बी दूरी के यातायात की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं। इन स्टेशनों में अतिरिक्त गाड़ियों का ठहराव औचित्यपूर्ण नहीं है। इन स्टेशनों में यात्रियों के बुकिंग तथा अन्य सुविधाओं की जो व्यवस्था की गयी है वह इन स्टेशनों पर होने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप है।

"डैनीडा स्कीम"

11183. **डा० लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से जिलों में "डैनीडा स्कीम" लागू की जा रही है;

(ख) योजना के प्रथम चरण का ब्यौरा क्या है तथा यह योजना कब से लागू की जायेगी;

(ग) क्या उपरोक्त योजना में आयुर्वेदिक पद्धति भी लागू होगी; और

(घ) टीकमगढ़, दतिया और सागर जिलों के लिए, अलग-अलग कितनी राशि स्वीकृत हुई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) दो राज्यों के निम्नलिखित नौ जिलों में स्वास्थ्य और परिवार सेवाओं में सुधार लाने के लिए "डैनीडा" की सहायता से एक परियोजना चलाने का विचार है :—

मध्य प्रदेश	तमिलनाडु
1. सागर	1. सेलम
2. टीकमगढ़	2. दक्षिण अर्काट
3. ग्वालियर	
4. मुरैना	
5. शिवपुरी	
6. गुणा	
7. भिंड	

(ख) से (घ) इस परियोजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं तथा इसके लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता और इसके अन्य पहलुओं का प्रश्न तभी पैदा होगा जब परियोजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

प्राईवेट मेडिकल कालेजों में प्रवेश

11184. **श्री राघव जी** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) देश में इस समय कितने प्राईवेट मेडिकल कालेज कार्य कर रहे हैं **और** वे **किन-किन स्थानों** पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्यार्थियों को वहां बड़ी धनराशि दान के रूप में लेने के बाद प्रवेश किया जाता है; और

(ग) क्या उक्त त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया को रोकने के उद्देश्य से सरकार इन कालेजों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) प्राइवेट संगठनों द्वारा 9 मेडिकल कालेज चलाए जा रहे हैं । उनके नाम और वे कहां-कहां स्थित हैं, नीचे दिए गए हैं :—

(1) कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल

(2) जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव

(3) जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवनगेरी

(4) एम० आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्ग

(5) दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना

(6) क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना

(7) क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लौर

(8) सेंट जानस मेडिकल कालेज, बंगलौर

(9) एम० जी० कालेज आफ मेडिकल साइंसेस, सेवाग्राम, वर्धा ।

(ख) जी हां । यह विदित है कि उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित क्रम संख्या 1 से 4 तक कालेज प्रति व्यक्ति फीस लेते हैं ।

(ग) इस मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना है क्योंकि "स्वास्थ्य" एक राज्य-विषय है । इस मंत्रालय को इन सेवाओं के कार्य की शर्तों में गिरावट आने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कुंजी कोलियरी में दुर्घटना

11185. **श्री ए० के० राय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद जिले में न्यू कुंजी कोलियरी में 22 अप्रैल, 78 को दुर्घटना हुई थी जिसके परिणामस्वरूप एक खनिक की मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि कोलियरी गैर-कानूनी तौर पर चल रही थी और यदि हां, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या मालिक के विरुद्ध कोई मुकद्दमा दायर किया गया है और मृतक कामगर के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद को 22 अप्रैल, 1978 को न्यू कुंजी कोलियरी में हुई अभिकथित दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई नोटिस या सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) खान सुरक्षा महानिदेशक इस बारे में पूछ-ताछ कर रहे हैं ।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का कार्यकारी कार्यकरण

11186. **श्री सचीन्द्र लाल सिंहा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के कार्यकारी कार्यकरण को आधुनिक बनाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इसका क्या परिणाम निकला ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) प्रशासन को सुचारू बनाने और निगम के कार्य में सुधार लाने के लिए एक नए अध्यक्ष एवं महानिदेशक की नियुक्ति की गई है। प्रशासन के दूसरे स्तर पर इसे उपयुक्त रूप से सशक्त करने के लिए कुछ सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।

(ख) नयी सेवाएं जिन्हें पहले बन्द कर दिया गया था को नए प्रबन्धकों द्वारा फिर से चालू कर दिया गया है। नए मार्गों पर भी सेवाएं शुरू की गई हैं। अब नदीं सेवाओं के लिए पर्याप्त माल उपलब्ध हो रहा है।

इन्जीनियरी विभाग में कर्मचारी

11187. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी चार इंजीनियरी विभागों यथा, सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल तथा सिगनल इन्जीनियरिंग में, रेलवे-वार, रेलवे बोर्ड नियन्त्रित प्रतिष्ठान-वार, सभी श्रेणियों के ऐसे अधिकारियों तथा निरीक्षण कर्मचारी कितने हैं जिनके पास इन्जीनियरी की अर्हतायें नहीं है परन्तु तकनीकी पदों पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या अफसर लोग तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त कार्मिकों के ऊपर चयन में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपने रिश्तेदारों का पक्ष लेने की अपनी प्रछन्ननीति से उन्हें चतुर्थ श्रेणी तथा निम्न श्रेणी तीन के पदों पर नियुक्त कर रहे हैं:

(ग) क्या वह गत दस वर्षों के दौरान सभी चार इन्जीनियरी विभागों में, रेलवे-वार तथा रेलवे बोर्ड द्वारा नियन्त्रित एकक-वार-गैर-तकनीकी कार्मिकों द्वारा अतिलंघन किए गये तकनीकी अर्हता प्राप्त ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को दर्शाने वाली सूची रखेंगे; और

(घ) क्या वह निराशा दूर करने और विभागों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सभी तकनीकी पदों के लिए शैक्षिक तकनीकी अर्हता रखने को जरूरी बनाने के लिए अपरिवर्तनीय मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करेंगे, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) इन्जीनियरी विभाग में सीधी भरती के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार पर्यवेक्षण स्तर पर भरती 425-700 रु० के प्रारम्भिक वेतनमान में इन्जीनियरी शिक्षा में डिप्लोमाधारियों से की जाती है। सरकार को यह भी देखना होता है कि निम्न वेतनमानों में काम करने वाले कर्मचारियों की उन्नति के लिये उचित अवसर हों। यद्यपि निम्न वेतनमान के इन कर्मचारियों के पास सीधी भरती के लिए निर्धारित तकनीकी अर्हता नहीं होती है, फिर भी उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो जाता है।

जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और पदोन्नति कोटे के लिए उनके संबंध में विचार किया जाना होता है । उन्हें पदोन्नति और पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे उपयुक्त बन सकें ।

फरीदाबाद रेलवे मालशेड़ में माल का जमाव

11188. **श्री बाला साहेब बिखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 1979 के 'इकनामिक टाइम्स' (नई दिल्ली संस्करण) में 'फरीदाबाद रेलवे माल शेड में माल का जमाव, (कनजेशन हिट्स फरीदाबाद रेलवे गुड्स शैड) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या शेड में उक्त जमाव माल लदान, माल उतारने तथा अन्य सुविधाओं के मामले में अड़चन पैदा कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप ईमानदार मालिकों को अनुचित परेशानी हो रही है और उन्हें सड़क परिवहन का सहारा लेने को बाध्य होना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त आरोप सही है तो रेलवे को इस कारण राजस्व की अनुमानत: कितनी हानि हुई;

(घ) क्या हाल में आग लग गई थी जिससे बड़ी मात्रा में पटसन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और उस विशिष्ट खेप को नहीं उठाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि संकुलन के कारण लदान करने तथा माल उतारने और अन्य सुविधाओं में कठिनाइयां हो रही हैं जिसके फलस्वरूप यातायात सड़क के रास्ते किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जिन परेषणों में आग लग गई थी उनके निपटारे के लिए कार्रवाई की जा रही है । स्थिति में सुधार लाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा रहा है :—

(1) फरीदाबाद माल शेड में अग्निशमन सुविधा की अतिरिक्त व्यवस्था ।

(2) फरीदाबाद माल शेड में छतदार स्थान की अतिरिक्त व्यवस्था ।

(3) पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से फरीदाबाद माल शेड तक माल बुक किए जाने वाले जूट के माल डिब्बों का कोटा निर्धारित करना ।

द्वितीय श्रेणी के सहायक इन्जीनियर

11189. श्री **दयाराम शाक्य** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में 1976-77 के पैनल में चुने गए द्वितीय श्रेणी के कितने सहायक इन्जीनियरों, जिनके विरुद्ध स्टोर के दुर्विनियोग अथवा अपने कर्त्तव्य का ठीक प्रकार पालन न करने के गम्भीर आरोप है, आरोपों का निराकरण किये बिना पदोन्नत कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के टाउन इन्जीनियर के अधीन एक निर्माण निरीक्षण (इन्सपैक्टर आफ वर्कस) के अधीन सीमेंट के 621 अतिरिक्त बैगों के जारी करने के मामले का पता लगा था;

(ग) ठेकेदार/ठेकेदारों अथवा दोषी अधिकारियों जिन्हें यह जारी किया गया था अथवा जिसने इसे जारी किया था, उनसे कितनी वसूली की गई, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिन्होंने कार्य की प्रगति को ध्यान में रखे बिना अतिरिक्त सीमेंट जारी किया; और

(घ) गंभीर आरोपों के निपटाये बिना कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश देने के क्या कारण हैं और वह आदेश किसने दिये तथा मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कोई नहीं।

(ख) यह सही है कि टाउन इन्जीनियर के अधीन कार्यरत एक निर्माण निरीक्षक द्वारा ठेकेदार को उसके अन्तिम बिल का निपटान करते समय 521 बोरी सीमेंट (न कि 621 बोरी) की अधिक सप्लाई का एक मामला पकड़ में आया है।

(ग) 22,390.20 रुपये की कुल वसूली की बजाय 5,336.00 रुपये की रकम ठेकेदार के अन्तिम बिल से पहले ही वसूल कर ली गई है । प्रतिभूति निक्षेप और बयाने के मद में रेल प्रशासन के पास 7,548.00 रुपये की रकम और पड़ी है । 9,506.20 रुपये की बकाया रकम की वसूली के उपायों पर रेल प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है । ठेकेदार को अधिक सीमेंट जारी करने के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है ।

(घ) जब सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति के मामले पर तत्कालीन मुख्य इन्जीनियर अब सेवा-निवृत्त) द्वारा विचार किया था तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध प्रत्यक्षतः कोई मामला नहीं बनता था और नियमानुसार उसकी पदोन्नति को रोका नहीं जा सकता था ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा माल छोड़ने से इंकार करना

11190. श्री **आर० के० महालगी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिए 40,000 टन गंधक लेकर आने वाले दो जहाज खनिज तथा धातु व्यापार निगम के जिद् भरे रवैये के कारण बम्बई बन्दरगाह पर 22 नवम्बर, 1978 से लगभग 50 दिन तक रुके रहे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि माल पाने वाली पार्टियां गंधक की डिलीवरी बीच समुद्र में लेने को सहमत थीं और पत्तन प्राधिकारी भी समुद्र के बीच में माल उतारने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करने को सहमत हो गए थे जिससे कि माल को तेजी से खपत केन्द्रों में भेजा जा सके; और

(ग) पत्तन अधिकारियों की सहायता करने के लिए तत्पर होते हुए भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा समुद्र के बीच में माल की डिलीवरी देने से इंकार करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) दो जहाज अर्थात आर्टेमिस और फेम्का जो कि क्रमश: 19,273 टन और 7,300 टन गंधक की ढुलाई कर रहे थे और जिन्हें एम० एम० टी० सी० ने डिसचार्ज करना था, बम्बई में 22 नवम्बर, 1978 और 30 दिसम्बर 1978 को पहुँचे। दूसरा जहाज 18 जनवरी, 1979 को घाट पर लगा, अर्थात् बम्बई में पहुचने के 16 दिन के भीतर जबकि पहला जहाज 18 जनवरी, 1979 को घाट पर आया। एम० एम० टी० सी० को पहले जहाज से पहले सप्ताह जनवरी, 1979 में धारा के बीच उतराई का अनुरोध प्राप्त हुआ, तथा उन्होंने अतिरिक्त लागत का मूल्यांकन करने के पश्चात् उन्होंने पार्टी के बीच धारा सामान उतारने की अनुमति दे दी। आर्टेमिस जहाज से बीच धारा में उतारी कुल मात्रा 2,089 टन थी।

ईरान में भारतीयों की सुरक्षा

11191. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अप्रैल, 1979 के 'हिन्दुस्तान' में इस आशय का समाचार छपा है कि ईरान में रहने वाले भारतीयों को 24 अप्रैल, 1979 तक ईरान छोड़ कर चले जाने के आदेश दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों का जीवन खतरे में है; और

(ख) यदि हां, तो ईरान में भारतीयों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) सरकार ने यह प्रेस रिपोर्ट देखी है। ऐसी कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं आयी है।

देश में कोयला खानों की सुरक्षा

11192. **श्री दलपत सिंह परास्ते** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला खानों की सुरक्षा की प्रतिशतता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या कुछ कोयला खान प्रबन्धक सुरक्षा का दायित्व लेने के पक्ष में नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कोलया खानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार क्या उपचारात्मक उपाय करना चाहती है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, नहीं। खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खानों का निरीक्षण किया जाता है ताकि सुरक्षा के स्तर और सुरक्षा उपबन्धों के अनुपालन की स्थिति की जांच की जा सके।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि कोयला खान प्रबन्धक सुरक्षा के दायित्व लेने में इच्छुक नहीं है। खान अधिनियम, 1952 की धारा 18 के अधीन यह खान के मालिक, एजेन्ट या प्रबन्धक की जिम्मेदारी होती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि खान में सभी संक्रियाएं अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों, नियमों आदि के उपबन्धों के अनुसार की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्टेशनों से राजस्व एकत्र किया जाना

11193. **श्री युवराज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर सीमान्त रेलवे के सोनैली, बारसी जंक्शन, सूरजकमल और हरिशचन्द्रपुर स्टेशनों से वर्ष 1978-79 में कुल कितना राजस्व एकत्र किया गया और उसी अवधि में इन प्रत्येक रेल स्टेशनों की पृथक्-पृथक् आय क्या रही ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण में स्टेशनों के नाम हिन्दी में लिखा जाना

11194. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि उत्तर भारत के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा में स्टेशनों के नाम और स्टेशनों पर बिकने वाली वस्तुओं के मूल्य आदि में हिन्दी में न लिखे होने के कारण भारी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : वर्तमान आदेशों के अनुसार, अहिन्दी भाषी राज्यों में स्टेशनों के नाम-पट्टों पर स्टेशनों के नाम अंग्रेजी

और प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त हिन्दी में भी लिखे जाते हैं। किन्तु तमिलनाडु में, केवल महत्वपूर्ण जंक्शनों तथा तीर्थयात्रा की दृष्टी से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ही स्टेशनों के नाम अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा के अलावा हिन्दी में प्रदर्शित किये जाते हैं। अतः इस कारण कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

तथापि, बेची जाने वाली वस्तुओं की मूल्य-सूची, दर-सूची आदि हिन्दी में भी प्रदर्शित करना सम्भव नहीं है क्योंकि अहिन्दी-भाषी राज्यों में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। छोटे आकार के दर-सूची कार्डों, मूल्य-सूचियों तथा मूल्य-पट्टों आदि में तीसरी भाषा का प्रयोग करना कठिन होगा।

मध्य प्रदेश को दालों तथा खाद्यान्नों के लिए वैगन

11195. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1979 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि रेल वैगन न मिलने के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में भारी मात्रा में अनाज और दालें इकट्ठी हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के लेखे में अनाज के संचलन को अति उच्च प्राथमिकता दी जाती है और उसकी निकासी प्राथमिकता 'ख' के अन्तर्गत की जाती है। व्यापारियों के लेखे में अनाज और दलहनों की निकासी प्राथमिकता घ/ङ में की जाती है इसलिए कार्यक्रमबद्ध और उच्चतर प्राथमिकता यातायात को इस पर तरजीह दी जाती है। लेकिन इस यातायात के लिए भी पंजीकरणों की प्राथमिकता और वरीयता के अनुसार बारी आने पर उपलब्ध स्रोतों के अन्तर्गत अधिकाधिक संख्या में माल-डिब्बे सप्लाई करने के लिए हर प्रयास किया जाता है।

पूर्व रेलवे के कार्मिक संघ के नेताओं को परेशान किया जाना

11196. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मार्च, 1979 के अन्तिम सप्ताह के बाद से पूर्व रेलवे के बड़े-पैमाने पर कार्मिक संघ के नेताओं को परेशान किये जाने के बारे में पता है;

(ख) क्या पूर्व रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन के सभी सक्रिय सदस्यों को नियम 149 के अन्तर्गत बर्खास्त कर दिया गया है अथवा विभिन्न डिवीजनों में स्थानान्तरित कर दिया गया है, और यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या धनबाद रेल कर्मचारी समन्वय समिति के मंत्री को भी धनबाद से अचानक सियालदह डिवीजन में स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(घ) क्या इन सभी बातों से रेल कर्मचारियों में बहुत असंतोष फैल गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) पूर्व रेलवे पर कर्मचारियों के एक वर्ग ने 'धीरे काम करो' और 'नियमानुसार काम करो' आंदोलन चलाया था जिसके फलस्वरूप 29-3-79 से 11/12-4-79 तक गाड़ी परिचालन पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा। दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक हित में कार्रवाई करनी पड़ी ताकि गाड़ी परिचालन में फिर से शीघ्र सामान्य स्थिति लाई जा सके। किन्तु बाद में उनके मामलों पर पुनर्विचार किया गया था और जिन कर्मचारियों ने अपनी कार्रवाई के लिए खेद प्रकट किया था, उनके मामलों में सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया गया। उत्पीड़न बिल्कुल नहीं हुआ।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के रेडियोलाजी विभाग को दो भागों में बांटना

11197. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने परामर्श दिया है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के रेडियोलाजी विभाग को दो भागों में बांटा जाये;

(ख) क्या इस बीच रेडियोलाजी विभाग को दो भागों में बांट दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो नियमों का उल्लंघन करने और भारतीय चिकित्सा परिषद के परामर्श के विरुद्ध कार्य करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने यह सिफारिश की है कि भारत के सभी शिक्षण अस्पतालों में स्नातकोत्तर अध्यापन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले रेडियोलाजी विभागों को रेडियो-डायगनोसिस विभाग तथा रेडियो-थिरापी विभाग नामक दो विभागों में विभाजित किया जाना चाहिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रेडियोलाजी विभाग को अभी तक दो भागों में विभाजित नहीं किया गया है। इस मामले में दिल्ली प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करनी है।

राजनयिकों के रूप में कार्य कर रहे सेवा निवृत्त हुए सरकारी कर्मचारी

11198. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी सेवा से निवृत होने के बाद राजनयिकों के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशी सेवाओं में उनकी पुनर्नियुक्ति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) एवं (ख) इस समय ऐसे दो अधिकारी राजनयिक के रूप में काम कर रहे हैं जिन्हें सरकारी नौकरी से सेवा-निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद 10 और अधिकारियों ने राजनयिक के रूप में कार्य किया है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद राजनयिक के रूप में कार्य कर रहे/कर चुके अधिकारियों का विवरण

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	पुनर्नियोजन की अवधि	मिशन का नाम जिसमें कार्य किया है/कर रहे हैं।
1	2	3	4
1.	श्री आर० जयपाल संयुक्त राष्ट्र संगठन, न्यूयार्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि,	1-1-75 से आज तक	भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क
2.	जनरल टी० एन० रैना, हाई कमीश्नर	5-2-79 से आज तक	भारत का हाई कमीशन, ओटावा।
3.	श्री टी० एन० कौल, राजदूत	14-6-73 से 6-10-76	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन।
4.	एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह, हाई कमिश्नर	27-3-73 से 24-12-76	भारत का हाई कमीशन, नैरोबी।
5.	श्री इमदाद अली, राजदूत	7-7-74 से 3-8-77	भारत का राजदूतावास, साना।
6.	श्री के० बी० लाल, राजदूत	30-5-73 से 10-8-77	भारत का राजदूतावास, ब्रसल्स।
7.	श्री केवल सिंह, राजदूत	30-11-76 से 23-9-77	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन।
8.	श्री बी० के० नेहरू हाई कमिश्नर	8-11-73 से 15-10-77	भारत का हाई कमीशन, लंदन।
9.	श्री समर सेन, हाई कमिश्नर.	15-7-74 से 30-11-76	भारत का हाई कमीशन ढाका
	राजदूत,	13-12-76 से 31-12-77	भारत का राजदूतावास, स्टोकहोम।
10.	श्री एम० ए० कुरैशी, राजदूत	25-4-76 से 11-1-78	भारत का राजदूतावास, जेद्दा।
11.	जनरल जी० जी० बेवूर, राजदूत	12-2-76 से 28-2-78	भारत का राजदूतावास, कोपनहेगन।
12.	श्री छेदी लाल, राजदूत	5-10-76 से 31-5-78	भारत का राजदूतावास पनामा।

कर्नाटक में रोजगार

11199. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सार्वजनिक क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में, पृथक-पृथक कुल रोजगार में कर्नाटक का अंश कितने प्रतिशत है;

(ख) इन क्षेत्रों में अन्य दक्षिणी राज्यों के अंश से इस प्रतिशतता की क्या तुलना है; और

(ग) यदि कोई असमानता है तो इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए तरीकों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) और (ख) : रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अधीन अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में (जिसमें सरकारी क्षेत्र के सम्पूर्ण प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के गैर कृषि प्रतिष्ठान शामिल हैं) रोजगार से सम्बन्धित आंकड़े त्रैमासिक आधार पर संकलित किए जाते हैं। निम्न-लिखित तालिका में पांच दक्षिणी राज्यों तथा सम्पूर्ण भारत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुई तिमाही से सम्बन्धित इस प्रकार के आंकड़े (अनंतिम) दिए गए हैं।

31-3-78 (अ०) की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित में रोजगार

	संगठित (सरकारी क्षेत्र सहित)	सरकारी क्षेत्र
अखिल भारत	214.53	144.02
	(100.0)	(100.0)
दक्षिणी राज्य	50.96	33.28
	(23.8)	(23.1)
1. आंध्र प्रदेश	13.11	9.90
	(6.1)	(6.9)
2. कर्नाटक	10.68	7.36
	(5.0)	(5.1)
3. केरल	9.54	4.59
	(4.4)	(3·2)
4. पांडिचेरी	0.39	0.23
	(0.2)	(0·2)
5. तमिलनाडु	17.24	11.19
	(8.0)	(7.8)

नोट :—कोष्टकों में दिए गए आंकड़े अखिल भारतीय योगों की तुलना में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

(ग) चूंकि उपर्युक्त प्रतिशतताएं मुख्यतः इन राज्यों में जनसंख्या के वितरण के अनुसार हैं, इसलिए इनमें कोई खास असमानता प्रतीत नहीं होती।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि 1978-83 की पंचवर्षीय योजना (जिसे योजना आयोग ने अन्तिम रूप दे दिया है) का एक मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार अवसर सर्जित करना है। अधिकतम रोजगार अवसरों की सम्भाव्यता गहन कृषि में विद्यमान है। यह काम विस्तारित सिंचाई, डेरी विकास, उद्यान और वानिकी, ग्रामीण कार्यों तथा कुटीर तथा लघु उद्योगों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विद्युत उत्पादन तथा कृषि सम्बन्धी निवेश सामग्री की व्यवस्था तथा सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों में निवेशों द्वारा भी नए कार्य सर्जित किए जाएंगे। योजना के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र तथा राज्यों की योजनाओं की निवेश सम्बन्धी प्राथमिकताओं में समुचित संशोधन किया जाएगा ऐसे उपायों से कर्नाटक की राज्य सरकार को भी उतना ही लाभ होगा जितना कि अन्य राज्यों की सरकारों को।

वेगनों का रोका जाना

11200. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, तथा 'टिस्को' कोयलाखान समूह, धनबाद द्वारा वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में रेल वेगनों को रोके रखने के लिए रेलवे को कितना विलम्ब शुल्क दिया गया तथा अभी देना है;

(ख) क्या यह सच है कि वेगनों की अनुपलब्धता और वेगनों को रोके रखने के कारण उद्योगों को कोयले के परिवहन में वर्तमान संकट पैदा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विभिन्न उद्योगों को निर्धारित कार्यक्रम की तुलना में कम मात्रा में कोयले के संचलन में कमी विविध कारणों से हुई है जिनमें अनाज उर्वरक आदि के संचलन के स्वरूप में परिवर्तन, सितम्बर-अक्तूबर, 1978 में बाढ़ और रेलपथ की टूट-फूट, बिहार तथा अन्य क्षेत्रों में जन आन्दोलन हैं। इनमें से कुछ कारणों से कोयले का उत्पादन और उपलब्धता-दोनों प्रभावित हुए जबकि अन्य कारणों से रेलों के संचलन पर प्रभाव पड़ा और इसलिए माल डिब्बों की सुलभता में कमी आ गई थी।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए विविध उपाय किए गए हैं जिनमें नए माल डिब्बों की खरीद, रेल प्रशासनों और कोयला कम्पनियों के बीच बेहतर समन्वयन और माल संचालन के स्वरूप में योक्तिकीकरण सरीखे उपाय शामिल हैं।

अनधिकृत रोजगार एजेंसियां

11201. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी और अरब देशों में नौकरी तलाश करने वालों को पासपोर्ट अथवा

टिकट आदि दिलाने के लिए फीस के रूप में आवेदकों से भारी धनराशि ले कर उनको धोखा देने के विचार से देश में अनेक अवैध तथा अनधिकृत रोजगार एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ख) क्या उनको यह भी पता है कि देश में पुलिस अधिकारियों ने ऐसी रोजगार एजेंसियों से अनेक पासपोर्ट बरामद किये है;

(ग) गत दो वर्षों में पुलिस ने पासपोर्ट के गोलमाल के कितने मामलों का पता लगाया है और इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त रोजगार एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस बुराई को मिटाने के लिए इन रोजगार एजेंसियों के प्रबन्धकों को दंड देने के लिए क्या कठोर उपाय किये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) कुछ बेईमान व्यक्तियों द्वारा नौकरी दिलाने का झूठा लालच देकर तथा गलत आश्वासन के आधार पर लोगों को विदेश भेजने से सम्बन्धित धोखा धड़ी और नाजायज रूप से उन लोगों की मजबूरी से फायदा उठाने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ।

(ख) और (ग) 15 राज्य सरकारों तथा 8 संघ-राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1976 और 1978 के दौरान 26 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और 794 पासपोर्ट बरामद किए गए जो या तो जाली थे अथवा उन पर गलत पृष्ठांकन किए गए थे । अन्य राज्यों की रिपोर्ट संकलित की जा रही है और तैयार हो जाने पर उनका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(घ) गैर कानूनी उत्प्रवासन के मामले जैसे ही सरकार के ध्यान में आते हैं, उन्हें उचित कानूनी कार्रवाई के लिए तुरन्त राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है। इस बात के सुनिश्चय के लिए राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क रखा जाता है कि राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारी अनधिकृत एजेंटों के कार्यों पर निगरानी रखें और उन लोगों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई करें, जो नौकरी खोजने वाले लोगों को धोखा देकर विदेश उत्प्रवासित करते हैं ।

वैगनों को रोके जाने के समय में कमी करना

11202. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के गत तीन वर्षों में प्रत्येक में कुल कितने टन माल ढोया; और

(ख) सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी एजेंसियों, पृथक-पृथक उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) (क) विगत तीन वर्षों में लदान किए गए राजस्व मी० टन और उनसे प्राप्त आय निम्नलिखि हैं :—

	1976-77	1977-78	1978-79
(i) प्रारम्भिक मी० टन (दस लाख में)	212·59	210·78	198·96
(ii) आय (करोड़ रुपयों में)	1275·6	1298·6	1251·0

(ख) सूचना रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

खाई जाने वाली आयुर्वेदिक गर्भ निरोधक दवा

11203. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक फार्मूले के आधार पर खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाई का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे परिवार कल्याण प्रयोजनों से लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) प्राकृतिक संसाधनों से एक मान्य नान-स्टेरायड गर्भ निरोधक दवा रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ख) आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के अधीन भिन्न-भिन्न केन्द्रों में अनेक ऐसी दवाइयों पर परीक्षण किए जा रहे हैं जिनमें गर्भरोधक क्षमता पाई जाती है । उनकी प्रभाव कारिता के बारे में किसी निश्चित परिणाम तक पहुँचने में कुछ समय लग जाएगा ।

(ग) इस समय यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

बक्सर और भागलपुर के बीच बिना टिकट यात्री

11204. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री पूर्व रेलवे के बक्सर और भागलपुर स्टेशनों के बीच पहले और दूसरे दोनों दर्जों के डिब्बों में घुस जाते हैं और जिसके कारण मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले वास्तविक यात्रियों को काफी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) बक्सर और भागलपुर के बीच चलने वाली लम्बी दूरी की मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के आरक्षित यानों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश करने के मामले रेल प्रशासन के नोटिस में आए हैं ।

(ख) पहले दर्जे के गलियारेदार यानों और शयनयानों में चलने वाले कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश है कि अनधिकृत यात्री उनके यानों में प्रवेश न करने पायें । लेकिन कभी-कभी ऐसे यात्रियों को नियन्त्रित करना कठिन हो जाता है । रेलवे मजिस्ट्रेटों के साथ अधिक संख्या में चल टिकट निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी तैनात करके गहन अचानक जांच की जाती है । और इन यानों में यात्रा करने वाले अनधिकृत यात्रियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है । कर्मचारियों की ओर से जानबूझकर होने वाले लापरवाही के मामले गम्भीरतापूर्वक लिए जाते हैं और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है ।

रेलवे में केन्टीनों में कमीशन के आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों का खपाया जाना

11205. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों के सभी जोनों में विभिन्न रेलगाड़ियों के साथ लगी कैन्टीनों में कितने व्यक्ति कमीशन के आधार पर काम कर रहे है; और

(ख) उनको विभागीय कर्मचारियों के रूप में खपाए जाने और कमीशन की प्रथा को समाप्त करने में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पुनर्वास कालोनी सुल्तानपुरी में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के अनेक चक्कर न लगाना

11206. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसें पुनर्वास कालोनी सुल्तानपुरी दिल्ली-41 में समय पर नहीं चल रही हैं और क्या कारण है कि दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों के चक्कर मिस नहीं होते जब कि रूट संख्या 908, 903, 954, 937 पर चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों के चक्कर लगातार मिस होते हैं और अप और डाउन चक्करों पर इन बसों के ड्राइवरों को चक्कर मिस होने पर विश्राम देने के क्या कारण है; और

(ख) क्या सरकार ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को यह आदेश देगी कि जैसे ही कोई चक्कर मिस हो वह उसके लिए अन्य बसें वहां भेजे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) मार्ग संख्या 903 और 908 पर सेवाएं सामान्य रूप से संतोषजनक है । परन्तु अन्य दो मार्गों पर अर्थात 937 और 954 पर न लगने वाली फेरियों की संख्या कुछ अधिक है । केवल 908 के मार्ग को छोड़कर किसी भी अन्य मार्ग पर प्राइवेट बस नहीं लगाई गई हैं जो कि सुल्तानपुरी से चलती हो । मार्ग संख्या 908 पर 10 बसें लगाई गई हैं जिनमें से 3 बसें प्राइवेट हैं । उस मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों और दिल्ली परिवहन निगम की बसों में न लगने वाली फेरियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । प्राइवेट बसों और दिल्ली परिवहन निगम की बसों के चालकों को दो फेरियों के बीच विश्राम की आज्ञा नहीं है । परन्तु 2 से 5 मिनट की छूट दी गई है जिससे कि वे कंडक्टरों से टिकट लेकर यात्रियों के चढ़ने वाले लगने वाले समय को भी दिखा सकें । यह किसी भी दिन दोपहर के खाने के लिए दिए गए आधे घन्टे के समय के अतिरिक्त है ।

(ख) बस के टूट जाने पर, दूसरी बस की व्यवस्था की जाती है यदि कोई बस उस समय उपलब्ध हो । दिल्ली परिवहन निगम ने सम्बन्धित यूनिट अधिकारियों से नियमित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है । परन्तु मार्ग संख्या 937 और 954 की सेवाओं में निकट भविष्य में विशेष सुधार नहीं किया जा सकता क्योंकि किशनगंज के निकट

सड़क को मोड़े जाने के कारण मार्ग संख्या 954 पर सड़क को अक्सर न्यू-रोहतक रोड पर रेलवे क्रासिंगों पर बन्द करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप बसों को काफी समय तक रुकना पड़ता है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा टाटा परामर्शदायी सेवा को काम पर रखना

11207. **चौधरी हरी राम मक्कासर गोदारा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा परामर्शदायी सेवा ने, जिसे दिल्ली परिवहन निगम ने अपने कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए काम पर रखा था, इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) टाटा परामर्शक सेवाओं ने विस्तृत अध्ययन किया है। उनके मुख्य विचारों को नीचे संक्षेप में दिखाया गया है :—

(1) दिल्ली परिवहन निगम में सभी स्तरों पर व्यावसायिक प्रवृत्ति की कमी है। दिल्ली परिवहन निगम का संगठनात्मक ढांचा प्रभावशाली नहीं है। प्रबन्ध में विवेक की कमी है।

(2) परिचालनात्मक नियन्त्रण के लिए प्रबन्धकों को उपयुक्त सूचना पद्धति कार्यकरण और नीति निर्णय लेने का अभाव है।

(3) कार्मिकों के कार्य को ठीक प्रकार से नहीं समझाया अथवा बनाया गया है जिसके कारण विद्यमान कार्मिकों में साहस की कमी है, अन्तसंघीय वैमनस्यता है और अन्य सम्बन्धित समस्याएं हैं।

(4) दिल्ली परिवहन निगम का पूंजी ढांचा उपयुक्त नहीं और इसके फलस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम को संचित हानि उठानी पड़ी है। कुल वार्षिक हानि में ब्याज का भुगतान और ऋणों की अदायगी का अंश 50% से अधिक है।

(5) दिल्ली परिवहन निगम के भाड़ों की दर अवास्तविक रूप से कम है। सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के पूंजी प्रसार के लिए यातायात को दिल्ली निवासियों की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए अथवा दिन प्रतिदिन के परिचालनों के प्रबन्ध के लिए कोई भी साफ और पूर्णरूप से परिभाषित राज सहायता सन्बन्धी नीति नहीं बनाई गई है।

(6) दिल्ली की जन संख्या वृद्धि, आवासी वृद्धि, वाणिज्यिक और औद्योगिक काम्पलैक्सों की वृद्धि के अनुसार दिल्ली की विस्तृत सड़क पद्धति को नहीं बनाया गया है।

(7) दिल्ली परिवहन निगम की रूट पद्धति को यात्रियों की मांग के अनुसार नहीं तैयार किया गया है। वर्तमान कार्य सूचियां केवल पूर्ति मात्र है और दिल्ली की

वर्तमान एक दिशा के व्यस्ततम समय की यात्रियों की मांग की पूर्ति करने में असमर्थ है।

(8) बसों की संरक्षण पद्धति अपर्याप्त है। केन्द्रीय कार्यशाला वर्तमान बसों की संख्या की देखरेख (मरम्मत) करने में असमर्थ है। डिपुओं में संरक्षण प्रक्रिया गुण अथवा परिणाम के अनुसार नहीं सम्पन्न की जाती।

(9) सामग्री की योजना का कार्य, खरीद के तरीके, भण्डारों के स्थान और उनकी सुरक्षा सभी अपर्याप्त हैं और उनके फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है।

(10) वित्तीय नियन्त्रण नाम मात्र है। कोई भी बजट अथवा लागत पद्धति नहीं है जिससे कि निर्णय तैयार करने में गुण के सुधार का ध्यान रखा जा सके।

(11) डिपुओं का संगठन अपर्याप्त है। पूर्व परिचालन क्रियाविधि कार्य सम्बन्धी जिम्मेदारियां और सूचना देने के स्तर और प्रबन्ध शोक जनक हैं।

(ग) रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों की शिकायतें

11208. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, मद्रास ने 18 जनवरी, 1979 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मद्रास को एक पत्र प्रस्तुत किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है, यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और उनकी मांगें कब तक पूरी की जायेंगी;

(ख) क्या सी० जी एच० एस०, मद्रास के पात्र कर्मचारियों को स्थायी और अर्ध-स्थायी आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं, यदि हां, तो संवर्गवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि जारी नहीं किये गये हैं तो उसके क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किया जायेगा; और

(ग) क्या सी० जी० एच० एस०, मद्रास कार्यालय में नियुक्तियों, पदोन्नतियों और स्थायीकरण के समय आरक्षण देने सम्बन्धी आरक्षण आदेशों का पालन नहीं किया गया है, यदि पालन किया गया है तो कार्यालय के आरम्भ होने से तत्सम्बन्धी संवर्गवार ब्यौरे क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां। एक विवरण, जिसमें पत्र की विषय-वस्तु और की गई उपचारी कार्रवाई दी गई है, विवरण—1 पर है।

(ख) पात्र कर्मचारियों को स्थायीवत घोषित करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। अस्थायी पदों को सरकारी नियमों के अनुसार स्थायी पदों में परिणत किया जा रहा है और पात्र कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने के आदेश यथा समय जारी कर दिए जायेंगे।

(ग) जी नहीं। नियुक्तियां करते समय आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखा गया है। इस सम्बन्ध में एक विवरण विवरण—2 पर रखा गया है।

विवरण—1

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कर्मचारी कल्याण संघ, मद्रास के 18-1-1979 के पत्र में उठाये गये विभिन्न मुद्दों और उनके सम्बन्ध में किये गये उपचारी उपायों का विवरण

	कल्याण संघ द्वारा उठाये गये मुद्दे	किये गये उपचारी उपाय
1.	इस संगठन के शुरू से लेकर अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित किये गये खाली पदों की वर्गवार संख्या तथा नियुक्त किये गये कर्मचारियों के नाम।	इस सम्बन्ध में एक विवरण जिसमें सौ बिंदुओं वाले रोस्टर के अनुसार आरक्षित रिक्त स्थानों पर सी० जी० एच० एस० मद्रास के अधीन नियुक्त किये गये कर्मचारियों के नाम आदि का विवरण दिया गया है इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में सभा-पटल पर रख दिया गया है। इसके बारे में कोई उपचारी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर की गई सवंर्मवार तदर्थ नियुक्तियों की संख्या तथा उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा भरने के लिए की गई कार्रवाई।	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित फार्मसिस्ट के एक पद पर एक अन्य उम्मीदवार तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है क्योंकि रोजगार कार्यालय द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र दिया गया है। इस रिक्त पद के बारे में पुनः रोजगार कार्यालय को लिखा गया है।
3.	सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में काम को देखने के लिए एक जूनियर क्लास-1 चिकित्सा अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामजद कर दिया गया है।
4	प्रशासनिक कार्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिपिक वर्गीय स्टाफ की तैनाती।	सी० जी० एच० एस०, मद्रास के अधीन अतिरिक्त स्टाफ के सृजन के प्रस्तावों पर वित्त प्रभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है। चूंकि यह न्यूनतम स्टाफ के साथ चलाया जा रहा है इसलिए वर्तमान प्रशासनिक कर्मचारियों में किसी भी तबदीली से काम में बड़ी गड़बड़ पैदा हो जायेगी।

1		2
5.	वरिष्ठता सूची	यह सूची संकलित कर ली गई है।
6.	भर्ती नियम	सी० जी० एच० एस० के अधीन विभिन्न वर्गों के पदों के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
7.	डेपुटेशन आधार पर यूनिट के प्रारम्भ में नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कर्मचारी तथा उन्हें इस यूनिट में खपाने के लिए की गई कार्रवाई।	डेपुटेशनिस्टों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की नियमित संस्थापना में खपाने का प्रश्न मान्य नहीं पाया गया है।
8.	कर्मचारियों को स्थायीवत प्रमाण-पत्र जारी करना।	विभागीय पदोन्नत समिति ने इन पात्र कर्मचारियों को स्थायीवत प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो स्थायीवत प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।

विवरण—2

सौ बिन्दु वाले रोस्टर के अनुसार आरक्षित रिक्त स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मद्रास के अधीन नियुक्त किये गये कर्मचारियों का विवरण

क्रम सं०	पद का नाम	1975-78 तक की गई नियुक्तियां	सौ बिन्दु वाले रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्वाइंट		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों द्वारा भरे गये वास्तविक पदों की संख्या		अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो कोटा आरक्षित है, क्या उसे पूरा कर लिया गया है।	टिप्पण
			अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**ग्रुप तीन**							
1.	उच्च श्रेणी लिपिक	7	डेपुटेशन के आधार पर भरी गई		3	1		
1.	अवर श्रेणी लिपिक	27	6	2	7	2	हां	आरक्षित कोटे से अधिक रोजगार कार्यालय अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नामित नहीं कर सका।
2.	फार्मासिस्ट	28	10	3	11	1	अनुसूचित जाति का कोटा पूरा हैं, किन्तु अनुसूचित जनजाति के कोटे में दो की कमी है।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	स्टोर-कीपर							
(2)	स्टोर-कीपर एवं क्लर्क (होम्योपैथी)							
(3)	फार्मासिस्ट एवं क्लर्क (आयुर्वेद)	20	4	1	4	—	अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है, किंतु अनुसूचित जन-जाति के कोटे में एक कम है ।	उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था ।
(4)	स्टाफ नर्स							
(5)	लेबोरेटरी टेक्नीशियन							
(6)	डेन्टल टेक्नीशियन							
	ग्रुप-चार							
	महिला परिचारिका	12	3	1	4	1 हां		आरक्षित कोटे से अधिक ।
	ड्रेसर	18	4	1	5	1 हां		तदैव
	प्रयोगशाला परिचारक	3	1	—	2	— हां		तदैव
	पैकर	4	1	1	1	1 हां		तदैव
	नर्सिंग अर्दली	8	2	1	3	1 हां		तदैव
	चपरासी	17	4	7	7	1 हां		तदैव
	चौकीदार	12	3	1	3	2 हां		तदैव
	सफाईवाला	21	5	1	9	2 हां		तदैव

अ०जा० = अनुसूचित जाति

अ०ज०जा० = अनुसूचित जनजाति

खड़गपुर-दिघा रेल लाइन का प्रस्तावित सर्वेक्षण

11209. **प्रो० समर गुह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर-दिघा रेल लाइन का प्रस्तावित सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य किन अधिकारियों को सौंपा जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) खड़गपुर और दीघा के बीच (40 कि० मी०) बड़े आमान की रेल लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम 1.20 लाख रुपये की लागत से 1979-80 के बजट में शामिल किया गया है और चालू वर्ष में इसके लिए एक लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

(ग) सर्वेक्षण का काम वर्षा ऋतु के बाद प्रारम्भ होने की प्रत्याशा है और तब तक सर्वेक्षण के लिए अनुमानों को स्वीकृति मिल जाने की सम्भावना है।

(घ) सर्वेक्षण का काम उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) की सहायता से मुख्य इंजीनियर (निर्माण) बिलासपुर द्वारा किया जायेगा। आजकल इन पदों पर क्रमशः श्री एच० आर० सत्यनारायण और श्री ए० सत्तनाथन कार्यरत हैं।

छुट्टी यात्रा रियायत में धोखाधड़ी

11210. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अधिकारी अपनी छुट्टी यात्रा रियायत लेने के सम्बन्ध में एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी से जाली किराये की रसीदें पेश करके सरकार को धोखा देने के अपराधों में दोषी पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों द्वारा पेश की गई किराये की रसीदें एक ऐसी रसीद पुस्तिका से थीं, जिसके बारे में पुलिस के पास चुराये जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है;

(ग) क्या यह मामला जांच-पड़ताल के लिए पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजा गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय के उच्च अधिकारियों ने धोखाधड़ी के ऐसे गम्भीर अपराध के लिए उन्हें केवल मामूली दंड देकर छोड़ दिया था; और

(ङ) क्या अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें दी गई चेतावनी न्याय की पूर्ति करती है और यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) इस मंत्रालय के केवल एक कर्मचारी ने, जिसने 1974—77 के ब्लाक वर्ष के लिए (जो कि जून, 1979 तक बढ़ा दिया गया था) छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन अग्रिम धन लिया था, एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम्पनी की एक रसीद पेश की थी जिसे विभागीय छान-बीन करने पर असली नहीं पाया गया था।

(ख) इसके बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) चूंकि इस मामले में विभागीय कार्यवाही की गई थी इसलिए पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यौरों को कोई सूचना नहीं दी गई।

(घ) और (ङ) इस मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार-पूर्वक विचार किया गया था और विभागाध्यक्ष के स्तर पर यह निर्णय लिया गया था कि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पंजीका में दर्ज की जाने वाली (रिकार्डेबल बारनिंग) देने से न्याय की पूर्ति हो जायेगी। तदनुसार कार्यवाही की गई थी और कर्मचारी द्वारा लिया गया अग्रिम धन एक मुश्त में वापिस दे दिया गया था।

नाविकों की सेवा शर्तें

11211. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाविकों की सेवा शर्तों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की किसी भी सिफारिश को भारतीय जहाज मालिकों ने स्वीकार नहीं किया है हालांकि विदेशी कम्पनियों ने कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या सरकार इन बेचारे श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है, और

(ग) यदि हां, तो क्या कदम उठाये जाएंगे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चाँद राम) : (क) यह सच नहीं है कि भारतीय जहाज मालिकों ने आई० एल० ओ० की कोई भी सिफारिश स्वीकार नहीं की है।

(ख) और (ग) नेशनल मैरिटाइम बोर्ड जिसमें जहाज मालिक और नाविक दोनों के प्रतिनिधि होते हैं, आपसी सलाह से सेवा शर्तों पर विचार करके निर्णय लेता है। इंडियन मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 के अधीन गठित नेशनल वैलफेअरर बोर्ड फार सीफेयरर्ज की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार भी स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करती है।

विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में दिहाड़ी के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्थायी आदेश पहले ही दर्ज हुए हैं। इन आदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि दिहाड़ी के आधार पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वह अगर एक कार्यालय में या एक ही कार्यालय के अधीन छह महीने लगातार ऐसा कर लेते हैं तब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25बी० के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अनुसार उन्हें नियमित करने की व्यवस्था है। इन आदेशों में भी यह व्यवस्था है कि इन कर्मचारियों का वेतन नियत करते समय उन्हें वह न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए जो उन्हें तब मिलता था जब वह दिहाड़ी के आधार पर काम करते थे।

इस प्रकार काम करने वाला जो एक ही कार्यालय में या कार्यालय के अधीन नव्वे दिन तक लगातार काम करता रहेगा उसे इन कर्मचारियों की प्रवरता दी जाएगी जिन्होंने नव्वे दिन पूरे नहीं किए होंगे।

जहां तक जहाजी उद्योग का सम्बन्ध है नाविकों को रोजगार यात्रा के आधार पर मिलता है अनेक भारतीय नाविकों को विदेशी जहाजों पर भी नौकरी मिल जाती है। इनकी नौकरी की शर्त नाविक रोजगार कार्यालयों द्वारा तय की जाती है जो भारत सरकार ने बम्बई और कलकत्ता में खोल रखे हैं। जिन लोगों को बहुत दिनों तक बेकार पड़े रह जाना पड़ जाता है उनको राहत देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना में ऐसे नाविकों को इस अवधि तक जरूरत मन्द नाविक समझा जाता है जब उन्हें बेकार रहना पड़ जाता है। यह अवधि पिछली नौकरी के समाप्त होने की अवधि से गिना जाता है जो पिछली नौकरी के प्रति मास के लिए दस दिनों की अवधि नियत होने पर शुरू की जाती है। इन जरूरत मन्द नाविकों को नाविक कल्याण कोष समिति के द्वारा दस रु० में प्रति दिन के हिसाब से अनुग्रहपूर्ण तब तक सहायता दी जाती है जब तक कि उन्हें दुबारा नौकरी नहीं मिल जाती। यह सहायता अधिक से अधिक 90 दिनों तक की जाती है।

(ग) नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई/कलकत्ता में पहली अप्रैल, 1979 तक केवल 39347 नाविक रजिस्टर्ड थे।

(घ) नाविकों का वेतन और उनकी सेवा की शर्तें जहाज मालिकों (देशी और विदेशी दोनों) के संगठनों द्वारा नाविकों के संगठनों अर्थात् राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड द्वारा आपस में बातचीत कर तय की जाती है। इससे विदेशी और देशी जहाज मालिकों और भारतीय नाविकों (अपनी-अपनी यूनियनों द्वारा) आपस में समझौता करने की व्यवस्था स्थगित हो जाती है जिसका उद्देश्य—

(1) जहाज मालिकों और नाविकों के बीच आपसी मतभेदों को दूर करना और समझौता स्थगित करना।

(2) नौकरी, नौकरी के वेतन की उचित दर (यह दरें) और सेवा की अनुमोदित शर्तें।

(3) समय-समय पर समान हितों के बारे में आपस में तय करना होता—

ऊपर दिये गये हिसाब से यह स्पष्ट है कि नाविकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित व्यवस्था बनी हुई है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता फार्मूला की व्यवस्था

11212. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता तय करने और उन्हें इसका भुगतान करने के मामले में सरकारी फार्मूला जो 1961 में बनाया गया और बाद में 1971 में पुनरीक्षण किया गया फार्मूला अभी तक बिना किसी परिवर्तन के चला आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फार्मूले को अद्यतन बनाने के लिए सरकार का इसका पुनरीक्षण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कैसे और कब; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) इस प्रकार का 1961 या 1971 का महंगाई भत्ते का कोई सरकारी फार्मूला नहीं है। तथापि, 1960 के आधार पर वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीरीज के (जिससे औद्योगिक श्रमिकों का महंगाई भत्ता निर्धारित होता है) 1971 के आधार पर सीरीज द्वारा बदलने का विचार है। चूंकि विभिन्न स्थानों से यह मांग की गई थी कि मूल्य सूचकांक की नई सीरीज को जारी करने से पहले वर्तमान सीरीज को सभी पहलुओं से संशोधित किया जाए, इसलिए मई, 1977 में प्रोफेसर नीलकंठ रथ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 6-2-1978 को प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर 31-8-1978 को रख दी गई थी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 1971 के आधार पर नई सीरीज शुरू करने की सिफारिश की गई थी। समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

मेडिकल कालेज

11213. **श्री वसन्त साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों से, वर्षवार, प्रत्येक राज्य में कितने गैर-सरकारी मेडिकल कालेज चल रहे हैं तथा इन कालेजों से प्रति वर्ष कितने विद्यार्थी, एम० बी० बी० एस० पास करके निकलते हैं और वर्ष 1979-80 के दौरान प्रत्येक राज्य में नए कालेज खोलने के बारे में कितने प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त हुए और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं/निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या देश में विभिन्न गैर-सरकारी कालेजों में एम० बी० बी० एस० डिग्रियों के शैक्षिक स्तरों में बहुत अधिक विभिन्नता है और इस सम्बन्ध में प्रभावी निगरानी एजेंसियां स्थापित करने की आवश्यकता है जो भारतीय चिकित्सा परिषद् में अपेक्षित परिवर्तन करें; और

(ग) यदि हां, तो भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों की एम० बी० बी० एस० डिग्रियों के स्तर में सुधार करने हेतु गत दो वर्षों के दौरान की गई विचाराधीन प्रशासनिक संगठनात्मक और कानूनी कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) गत तीन वर्षों से भारत में काम कर रहे चिकित्सा कालेजों की कुल संख्या 106 रही है। इनमें से 9 गैर-सरकारी चिकित्सा कालेज है, शेष या तो सरकारी चिकित्सा कालेज हैं अथवा सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा कालेज हैं। चिकित्सा कालेज की संख्या के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों की राज्यवार तथा वर्षवार विस्तृत सूचना तथा प्रति वर्ष एम० बी० बी० एस० पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या विवरण में दी गई है। 1979 के दौरान नये चिकित्सा कालेजों को शुरू करने के सुझाव कुछ पार्टियों से प्राप्त हुए थे। इस समय

भारत सरकार देश में नये चिकित्सा कालेज खोलने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि प्रति वर्ष पास करके निकलने वाले लगभग 12,000 चिकित्सा स्नातक पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को देश में चिकित्सा शिक्षा का एक समान स्तर बनाये रखने के मुख्य उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह परिषद् चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक मानीटरिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह परिषद् इस बात को सुनिश्चित करती है कि विभिन्न मेडिकल कालेजों से जो चिकित्सा स्नातक पढ़कर निकलें वे इसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों के अनुरूप हों। इसको देखते हुए प्राइवेट मेडिकल कालेजों और सरकार द्वारा चलाये जा रहे कालेजों की एम० बी० बी० एस० डिग्री के स्तर में कोई बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है। वर्तमान भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 को संशोधित करने संबंधी एक प्रस्ताव पर सरकार पहले ही विचार कर रही है ताकि यह परिषद् चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सके।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन छात्रों की संख्या जिन्होंने इन वर्षों में एम० बी० बी एस० पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया		
		1974-75	1975-76	1976-77
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1297	1039	1045
2.	आसाम	364	231	426
3.	बिहार	690	526	664
4.	दिल्ली	331	482	477
5.	गुजरात	684	767	639
6.	जम्मू-कश्मीर	112	153	157
7.	केरल	586	392*	611
8	तमिलनाडु	1370	1005	1199
9.	मध्य प्रदेश	754	809	708
10.	महाराष्ट्र	1440	1461	1502
11.	कर्नाटक	1172	1385	1639
12.	उड़ीसा	474	283	367
13.	पंजाब	365	410	373
14.	हरियाणा	144	153	151
15.	हिमाचल प्रदेश	45	68	55
16.	पांडेचेरी	61	65	65
17.	गोवा, दमन एवं दीव	80	62	66
18.	राजस्थान	630	752	594
19.	उत्तर प्रदेश	918	881**	938
20.	प० बंगाल	671	1058	276***
	योग	11911	11982	11962

नोट :*=टी० डी० मेडिकल कालेज, अलेप्पी के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

** आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

***=आर०जी० कारमेडिकल कालेज, कलकत्ता के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

महानगरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था

11214. **श्री वसन्त साठे : क्या नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के महानगरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिए, 1977-78 और 1978-79 के दौरान अनुदानों/राजसहायता के कुछ ऋण मन्जूर किए थे;

(ख) यदि हां, तो नगरवार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है तथा वास्तव में कितना उपयोग किया गया और कितनी प्रगति हुई तथा 1979-80 के लिये क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) दी गई सहायता इसी अवधि में पहले ही दी गई इसी प्रकार की सहायता की तुलना में कितनी न्यूनाधिक है; और

(घ) देश के महानगरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के प्रबन्ध एवं संचालन में सुधार करने के लिए कार्य दल विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और 1979-80 के दौरान क्रियान्वयन के लिए क्या-क्या प्रस्ताव तैयार किये गये हैं । कितने निर्णय किये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते । 1979-80 के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(घ) दिल्ली को छोड़कर, महानगरों में लोक सड़क परिवहन निगम सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधीन है, जिन्हें वहां लोक परिवहन पद्धति के विकास के लिए कदम उठाने होते हैं । महानगरों सहित राज्य सरकारों को सड़क परिवहन पद्धति के विकास के लिए प्रस्ताव योजना आयोग को देने होते जो कि राज्य योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय उनको ध्यान में रखते हैं ।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है सड़क परिवहन पर कार्यालय ने पांच वर्ष की अवधि 1-4-78—31-3-83 के लिए 67.70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है । दिल्ली परिवहन निगम ने बसों के बेड़े में वृद्धि और उनकी अनुरक्षण सुविधाओं में वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त डिपुओं के लिए दूसरी कार्यशाला के गठन के लिए क्या कदम उठाए हैं ।

राजकोट में आरक्षण की सुविधाएं

11215. **डा० विजय मण्डल**
श्री मुस्तियार सिंह मलिक } : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट में राजकोट से वीरमगाम जाने वाली मेल रेल गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी

के यात्रियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि वीरमगाम में वीरमगाम से राजकोट जाने वाली रेल गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के लिए आरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसा भेदभाव होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुविधा राजकोट से वीरमगाम के लिए भी देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) राजकोट और वीरमगाम के बीच चलने वाली एक मात्र डाक गाड़ी 37 अप/38 डाउन वीरमगाम-बेरावल मेल है। राजकोट और वीरमगाम के बीच दोनों दिशाओं में इन गाड़ियों से यात्रा दिन के समय होती है। इसलिए, किसी शयनयान की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दर्जे में सीटों का आरक्षण गाड़ी/यान प्रारम्भिक स्टेशनों से किया जाता है। चूंकि दूसरे दर्जे के सामान्य यानों में परिचर नहीं होते इसलिए राजकोट सरीखे मध्यवर्ती स्टेशनों पर इन्हें खाली और चौकीदारी में लाना सम्भव नहीं है। चूंकि वीरमगाम एक गाडी प्रारम्भिक स्टेशन है इसलिए वहां से 38 डाउन मेल में वेरावल तक के स्टेशनों के लिए दूसरे दर्जे में सीट आरक्षण की सुविधा सुलभ है। इन स्टेशनों में राजकोट भी शामिल है। मध्यवर्ती स्टेशन होने के कारण, वीरमगाम के लिए दूसरे दर्जे में यात्रा के लिए सीटों का आरक्षण, राजकोट से नहीं किया जाता है।

वेरावल-ओखा खंड का बड़ी लाइन में बदलाव का काम पूरा हो जाने के बाद ही राजकोट स्टेशन से दूसरे दर्जे में स्थान सुलभ करने की व्यवस्था सम्भव हो पाएगी।

दिल्ली में मच्छरों की समस्या

11216. **श्री चिमन भाई एच० शुक्ल**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अब मच्छरों (मलेरिया के तथा अन्य) की समस्या गम्भीर रूप ले रही है;

(ख) क्या मच्छरों के उन्मूलन हेतु, पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है;

(ग) क्या लोदी रोड और कोटला के बीच का नाला एक ऐसा स्थान है जहां मच्छरों का प्रजनन होता है; और

(घ) क्या कनक्रीट से बनी पाइपों को डालकर नाले को कम-से-कम अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर, ढकने का सरकार का कोई प्रस्ताव है जिससे आस-पास बदबू आना बन्द हो जाएगी ?

ससदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) हालांकि दिल्ली में मलेरिया की स्थिति में आमतौर पर सुधार हुआ है फिर भी दिल्ली के कुछ इलाकों में मच्छरों की समस्या चिन्ता का विषय बनी हुई है। इसका कारण उन इलाकों में गन्दे पानी की निकासी की असन्तोषजनक व्यवस्था है।

(ख) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका दोनों अपने-अपने इलाकों में मच्छरों पर काबू पाने के लिये पर्याप्त उपाय कर रहे हैं।

(ग) जी हां। लेकिन उस नाले में मच्छरों की उत्पत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए जीव-विज्ञान सम्बन्धी नियन्त्रण उपाय समेत लार्वारोधी उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुशासन और अपील नियम

11217. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशासन और अपील नियमों में निर्धारित विभिन्न जुर्मानों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों/त्रुटियों के स्वरूप के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गए हैं तथा रेलवे के विभिन्न जोनों तथा उनके मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अन्य एककों को दिए गए है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे;

(ग) क्या रेलवे के विभिन्न जोन नियन्त्रक अधिकारियों के गर्व को बनाए रखने के लिए जुर्माने की बड़ी मदों के अन्तर्गत साधारण आरोप लगाकर अपने कर्मचारियों को परेशान करने के भिन्न-भिन्न स्टैंडर्ड अपनाते हैं;

(घ) क्या वह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी एककों में अपनाई जाने वाली विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन करवायेंगे और बड़े या छोटे जुर्मानों के अन्तर्गत अपराधों का नामकरण करने के बारे में अपरिवर्तनीय मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नियन्त्रण प्राधिकारी जब अनुशासन प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, तो वे अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी की हैसियत से काम करते हैं और उसी हैसियत से प्रत्येक मामले के गुण दोषों पर दण्ड का निर्णय देते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इगतपुरी रेलवे स्टेशन

11218. **श्री लहानू सिडवा कोम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इगतपुरी रेलवे स्टेशन में श्रेणी दो, तीन और चार के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए और क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ये कब तक बन जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हरि नगर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय, दिल्ली

11219. **श्री बालक राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरि नगर औषधालय से 16,000 लोगों को लाभ प्राप्त होता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस औषधालय के रोगियों को विशेषज्ञों के उपचार के लिए डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा जाता है जोकि औषधालय से 15 कि० मी० की दूरी पर स्थित है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दीनदयाल अस्पताल उक्त औषधालय से आधा मील की दूरी पर स्थित है और उस अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) क्या सरकार इस अस्पताल की सेवाओं में सुधार करने और अस्पताल का 500 शैयाओं वाले पूर्ण अस्पताल के रूप में विकास किए जाने तक इस औषधालय के लाभ पाने वालों को एक्स-रे, ई० सी० जी०, क्लिनिकल परीक्षण आदि सुविधाए उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए रोगियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तिलकनगर स्थित औषधालय में भेजा जाता है जहां विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं और जो हरिनगर औषधालय से 3—4 कि० मी० की दूरी पर है। केवल आपाती रोगियों को ही डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भेजा जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिए गए कारणों की दृष्टिगत करते हुए इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा दीन-दयाल उपाध्याय अस्पताल की सेवाओं से लाभ उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कमर्शियल क्लर्क

11220. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमर्शियल क्लर्कों को अनुसचिवीय वर्ग की तुलना में सभी ग्रुपों में अथवा केवल प्रारम्भिक ग्रेड में ही बेहतर वेतनमान दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कमर्शियल क्लर्कों को पांचवी अवस्था पर अनुसचिवीय कर्मचारियों के वर्ग की तुलना में एक ग्रेड कम दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है और क्या 1 दिसम्बर, 1978 को रेलवे मन्त्री को प्रस्तुत ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर सरकार ने कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन से पूर्व के वेतनमानों की तुलना में वाणिज्य लिपिकों और सचिवालय कोटि के कर्मचारियों को आवंटित सशोधित वेतनमानों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गयी है :—

वाणिज्य लिपिक		सचिवालय कोटियां	
संशोधन से पूर्व वेतनमान	संशोधित वेतनमान	संशोधन से पूर्व वेतनमान	संशोधित वेतनमान
110-200	260-430	110-180	260-400
150-240	330-560	130-300	330-560
205-280	425-640	210-380	425-700
250-380	455-700	335-425	425-700 (1/3)
335-425			550-750 (2/3)
370-475	550-750	350-475	550-750
450-575	700-900	450-575	700-900

(ख) और (ग) वाणिज्य लिपिकों और सचिवालय कोटि के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान पूर्णत: तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आवंटित किए गए हैं। वेतन आयोग ने वेतनमानों की सिफारिश करते समय सभी बातों, जैसे ड्यूटी और उत्तरदायित्व, भरती का स्रोत, अर्हताएं, पदोन्नति सरणियां, विभाग में तथा विभाग से बाहर दोनों की सापेक्षिताओं, को ध्यान में रखा था। उन्होंने विभिन्न कोटि के कर्मचारियों की एसोसिएशनों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर भी विचार किया और उनके प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य भी लिए थे। इसलिए कर्मचारियों की किन्हीं दो कोटियों को आवंटित संशोधित वेतनमानों के बीच किसी प्रकार की तुलना करना उपयुक्त नहीं है।

इस मंत्रालय को पहली दिसम्बर, 1978 का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली और नई दिल्ली के रेलवे स्टेशनों में वाटर कूलर

11221. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलवे स्टेशनों में ठंडे पेय जल की सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या दिल्ली और नई दिल्ली के रेलवे स्टेशनों में अधिकांश वाटर कूलरों में ठंडे जल की बजाए सामान्य पानी उपलब्ध है और कुछ स्थानों पर कूलर कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। दिल्ली और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर लगे सभी जलशीतकों से ठंडा पानी सुलभ होता है और सभी जलशीतक सामान्यतः चालू हालत में रहते हैं।

(ग) जलशीतकों के कार्य सम्पादन पर निरन्तर निगाह रखी जाती है और जब कभी नुक्स पैदा होते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है। नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अधिक विश्वसनीय द्रुतशीतन संयंत्र लगा दिया गया है। शीघ्र ही इसी तरह का एक संयंत्र दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी लगा दिया जायेगा।

गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर चोरी तथा छीन लेने की घटनायें

11222. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर चोरी तथा छीन लेने की घटनाओं की संख्या पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही करेगी और गत दो वर्षों में रेलवे सुरक्षा केन्द्रों को ऐसे कितने मामले रिपोर्ट किए गए और सरकार ने कितने मामलों की सफलता पूर्वक जांच की; और

(ख) क्या सरकार गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर अधिक रेल सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रश्न पर विचार करेगी और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय शिपयार्डों के समक्ष संकट

11223. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा जहाज निकासी उद्योग को ठोस प्रोत्साहन के अभाव में भारतीय शिपयार्डों को बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय शिपयार्डों को भारी हानि हुई है, प्रत्येक शिपयार्ड में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है और प्रत्येक शिपयार्ड में गत तीन वर्षों में वर्ष वार अलग.अलग कुल मिलाकर कितनी हानि हुई और यदि ऐसी कोई हानि हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : वर्तमान नौवहन संकट से विश्व भर के जहाज निर्माण उद्योग पर जिसमें भारत भी शामिल है, असर पड़ा है। इस मंत्रालय के प्रशासन अधीन दो बड़े शिपयार्डों में से जो समुद्रगामी जहाजों का निर्माण करते हैं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० लाभ कमा रहा है जबकि कोचीन शिपयार्ड ने अपना पहले जहाज का निर्माण अभी पूरा करना है। कोचीन शिपयार्ड लि० की पूंजीगत लागत 1 : 1 के ऋण इक्विटी अनुपात से सरकार द्वारा उपलब्ध की जा रही है। ऋण पर सेवाई प्रभार कंपनी को घाटे के रूप में माने जा रहे हैं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० में कुल पूंजी निवेश 19·56 करोड़ रु० है और कोचीन शिपयार्ड लि० में 52·61 करोड़ रु० है। उपरोक्त आधार पर कोचीन शिपयार्ड लि० को संचयी घाटा 5·36 करोड़ रु० का हुआ है और 1975-76 से 1977-78 तक के तीन वर्षों में क्रमशः 6·71 लाख रु० 14·02 लाख रु० और 5·15 करोड़ रु० का घाटा हुआ।

औद्योगिक तथा कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण

11224. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान कामगर शिक्षः कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने औद्योगिक श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितने खेतिहार श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1978-79 के दौरान श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार प्रशिक्षण दिया गया है :—

औद्योगिक श्रमिक	:	1,74,092
बागान श्रमिक	:	38,666
ग्रामीण श्रमिक	:	7,386
बड़े फार्मों में कृषि श्रमिक	:	713

आंध्र प्रदेश द्वारा एलम टाऊन को जाने के लिए एक उप मार्ग का प्रस्ताव

11225. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 1973 में सरकार को एलम टाऊन जाने के लिए एक उपमार्ग बनाने का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सूचित किया था कि एलम जैसे मुख्य उपमार्ग को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व नौवहन और परिवहन मंत्रालय के किसी वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर विभिन्न विकल्पों पर विचार करना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो क्या वरिष्ठ अधिकारो ने कोई निरीक्षण किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभावी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) संभवतया माननीय सदस्य का आशय आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड में एलूरुशहर में उपमार्ग के प्रस्तावित संरेखन से है। उस सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार से 1973 में प्राप्त हुए थे परन्तु उपमार्ग को निम्न प्राथमिकता और वित्तीय कठिनाइयों के कारण अनुमोदन नहीं दिया जा सका। इन परिस्थितियों में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थल की जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

15 वर्ष से अधिक समय से समुद्री/नौवहन विभागों में विलयित क्लिनिकल प्रतिष्ठान के अन्तर्गत नियुक्त किये कर्मचारी

11226. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 15 वर्षों से अधिक समय से हार्बर मास्टर/मैरीन इंजीनियर्स के अन्तर्गत स्थानान्तरणों सहित अडमान और निकोबार द्वीप के समुद्री और नौवहन विभाग में विलयित क्लिनिकल अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 15 वर्ष से अधिक समय से लगातार समुद्री/नौवहन विभाग में विलयित क्लिनिकल प्रतिष्ठान के अन्तर्गत नियुक्त कुछ कर्मचारियों के बारे में दो बार/तीन बार स्थानान्तरण आदेश जारी किए लेकिन ये लागू नहीं हो सके थे, ऐसे स्थानान्तरण आदेशों के रद्द करने का ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार 15 वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर नियुक्त ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोकसभा के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों में आपात सेवा

11217. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के किन्हीं होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों में आपात सेवा विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) इस समय एमर्जेन्सी सेवायें केवल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के गोल मार्किट, नई दिल्ली वाले होम्योपैथिक औषधालय में ही हैं। यह औषधालय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से सायं 7 30 बजे तक खुला रहता है।

क्षतिपूर्ति की अदायगी

11228. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे द्वारा माल की खेपों के रास्ते में खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण गत तीन वर्षों में माल भेजने वालों एवं माल प्राप्त करने वालों को अलग-अलग कितनी क्षतिपूर्ति अदा की; और

(ख) सरकार द्वारा मध्य रेलवे को इस प्रकार हुई हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों पर बुक किए गए माल, पार्सल और सामान की हानि, विनष्टि, क्षति, बिगाड़ और सुपुर्दगी न होने के कारण, मध्य रेलवे द्वारा किए गए भुगतान का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	क्षतिपूर्ति की मद में भुगतान की गयी रकम
	(लाख रुपयों में)
1976-77	124·22
1977-78	133·03
1978-79	133·48

परिवहन में हानि और क्षति के सम्बद्ध परेषितियों और परेषकों को किए गए भुगतान के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें हानियों को न्यूनतम रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए दावा निवारण के प्रमुख उपायों का उल्लेख किया गया है :—

विवरण

सरकार द्वारा दावों की रोकथाम के लिए अपनाये गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) भेद्य खंडों में लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, चीनी, तिलहन, आदि ले जाने वाली माल गाड़ियों की रेलवे सुरक्षा दल द्वारा मार्ग में अनुरक्षा ।

(2) भेद्य यार्डों में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा बल, के कार्मिकों द्वारा गश्त लगाए जाने की व्यवस्था ।

(3) अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति को लेने वाले लोगों का पता लगाने और छापे मारने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों की अपराध आसूचना शाखाओं और रेलवे बोर्ड की केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा अपराध सम्बन्ध आसूचना इकट्ठी करने और अचानक छापे मारने के लिए तैनात किया जाता है ।

(4) परेषणों को होने वाली हानि और क्षति की रोकथाम की जरूरत के बारे में कर्मचारियों को और अधिक जाग्रत करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए मार्ग दर्शन और शिक्षण के लिए व्यवस्था ।

(5) चीनी, अनाज, दाल, तिलहन आदि के डिब्बा भार वाले परेषणों के मामले में पल्लेदार दरवाजों की हिफाजत के लिए निभार की व्यवस्था करने पर बल दिया जाना ।

(6) परेषणों के भटक जाने की रोकथाम के लिए उन पर सही अंकन, पता लेखन और लेबन चिपकाने की व्यवस्था ।

(7) कीमती माल से लदे माल डिब्बों में रिबट लगाने के लिए ढिबरियों और काबलों का उपयोग ।

(8) माल डिब्बों का उपयुक्त अनुरक्षण, जिससे माल डिब्बों में खराबी आ जाने और परिणामतः विलम्ब और यानान्तरण की घटनाओं में कमी आ सके और दरवाजों

और डिब्बों के खोलों में छेदों के द्वारा उठाईगीरी की घटनाओं में कमी लायी जा सके।

(9) दोषमुक्त माल-डिब्बों के परिचालन में कमी लाने के लिए मरम्मत लाइनों यार्डों और गुड्स शैडों में ही माल-डिब्बों की पैनल कांटों पर पैबन्द लगाने की व्यवस्था।

(10) बरसात के महीनों में सीलन से होने वाली क्षति के निवारण के लिए विशिष्ट पूर्वोपाय।

(11) माल लादने और उतारने के समय पैकेजों का उचित पर्यवेक्षण और सावधानी-पूर्वक मिलान।

(12) ग्रामान परिवर्तन यानान्तरण स्थलों और पुनः पैकिंग स्थलों पर पर्यवेक्षण में तेजी लाना।

भारत के पश्चिमी तट से आस्ट्रेलिया तक कन्टेनर सेवा

11229. **श्री आर० कोलनथाईवेलु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पश्चिमी तक से आस्ट्रेलिया तक जहाजरानी निगम की कन्टेनर सेवा से कितनी मात्रा में माल की ढुलाई की जाती है एक महीने में वास्तव में कितनी बार यह सेवा उपलब्ध होती है; और

(ख) उक्त सेवा की आर्थिक व्यवस्था के अध्ययन के क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) भारतीय नौवहन निगम ने सितम्बर 1978 से भारतीय पश्चिमी तट से आस्ट्रेलिया के लिए मासिक कन्टेनर सेवाएं शुरू की और उसने अप्रैल, 1979 तक 8 यात्राओं की व्यवस्था की अर्थात 1 सेवा प्रतिमास। इस अवधि के दौरान सेवा ने बम्बई से 420 कन्टेनरों की ढुलाई की और कोचीन से 277 की।

(ख) इस सेवा के शुरू किए जाने से भारतीय नौवहन निगम ब्रेक-बल्क सेवा पर उठाई गई हानि की अपेक्षा उस क्षेत्र में अपनी हानियों को कम करने में सफल हुआ। इस मौजूदा कन्टेनर सेवा के चलाए जाने से वाणिज्यिक परिचालनों में सहायता मिली है। इससे पूर्व आस्ट्रेलिया के लिए सेवा चलाने के लिए तीन यूनिटें लगानी पड़ी परन्तु घाटीय विलम्ब के कारण वर्ष में आठ परिचालन ही किए जा सके। अब केवल दो यूनिटों के लगाए जाने से निगम नियमित सेवा करने में सफल हुआ है। आने जाने के समय को 150 दिन से घटाकर 63 दिन कर दिया गया है जो समय, कि पहले ब्रेक बल्क सेवा में लगता था।

जहाज मालिकों को राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई वित्तीय सहायता किया जाना

11230. **श्री आर० कोलनथाईवेलु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज मालिकों को प्रदत्त राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) जहाज मालिकों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों का सही ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने और किन जहाज मालिकों को वित्तीय सहायता दी गई है और इसके परिणामस्वरूप उद्योग में क्या सुधार हुआ है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) भारतीय नौवहन कम्पनियों की सहायता के लिए नेशनल शिपिंग बोर्ड ने निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है :—

1. मौजूदा विदेशी मुद्रा ऋणों को विदेशी मुद्रा जहाज खरीद योजना जिसे सफोंस कहते हैं में बदला जाना।

2. उपयुक्त बिलम्बन काल की स्वीकृति द्वारा वर्तमान नौवहन विकास निधि समिति के रुपया ऋणों को फिर से सूचीबद्ध करना।

(ख) माड़ा मार्केट में भारी गिरावट के कारण भारतीय नौवहन कम्पनियां परिसमापन सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना कर रही है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन लि० के वर्तमान नौवहन कठिनाई का सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अन्य कम्पनियों को भी सहायता देने का प्रस्ताव है। फिलहाल 31, मार्च, 1979 तक की परिसमापन समस्याओं को पूरा करने के अपेक्षित कम से कम धन राशि तक ही देने की स्वीकृति है।

व्यापारिक बेड़े के नौसैनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

11231. **श्री रागावेलू कोलनथाइवेलु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारिक बेड़े नौसैनिक अधिकारियों के लिए छः प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के केवल बम्बई कलकत्ता में ही स्थित होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मद्रास तूतीकोरिन और कोचीन आदि में ऐसे प्रतिष्ठानों को खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) सभी मर्चेन्ट नैवी अधिकारियों और नाविकों के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केवल बम्बई, कलकत्ता में ही केन्द्रित नहीं है। यह प्रतिष्ठान सारे भारत में फैले हुए हैं अर्थात्—

अधिकारी

1. प्रशिक्षण पोत राजेन्द्र बम्बई।

2. समुद्र इन्जीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है और शाखा बम्बई में है।

3. लाल बहादुर शास्त्री नाटिकल एण्ड इंजीनियरी कालिज, बम्बई।

नाविक (रेटिंग्स)

1. प्रशिक्षण पोत भद्रा कलकत्ता
2. प्रशिक्षण पोत मेखला, विशाखापत्तनम
3. प्रशिक्षण पोत नौकक्षी नवलखी (गुजरात)

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर बड़े पुलों का निर्माण

11232. **श्री विजयकुमार एन० पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर और सूरत को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर अभी भी कितने बड़े पुलों का निर्माण किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) तेजी से निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) वर्तमान पुलों की कमी को पूरा करने के लिए नागपुर से धुलिया के बीच 8 बड़े पुलों का राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर अभी निर्माण किया जाना है जिसमें कुछ निमज्नक पुल शामिल हैं धूलिया से सूरत के बीच का भाग एक राज्य सड़क है।

(ख) और (ग) एक समय राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर नागपुर से धूलिया के बीच 20 पुल थे जिन्हें बड़े पुलों में बदला जाना था। 20 पुलों में से 10 पुलों का निर्माण किया जा चुका है, दो और पूरे किए जाने को हैं। बाकी बचे 8 पुलों का निर्माण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा अर्थात् वर्तमान स्थिति, योजना प्राथमिकताएं जो कि सारे देश के आधार पर है और धन की उपलब्धि।

टिकट कलैक्टर आदि की नियुक्ति

11233. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टिकट कलैक्टरों, स्टेशन मास्टरों, बुकिंग क्लर्कों जैसे रेल कर्मचारियों को उन राज्यों में नियुक्त करने की आवश्यकता अनुभव करती है जिनकी वे भाषा जानते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेल सेवा आयोग कर्मचारियों की भर्ती करते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) श्रेणी III की कोटियों में भर्ती क्षेत्रीय रेलवे के आधार पर होती है। क्षेत्रीय रेलवे के अन्तर्गत भी, गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों के लिए भर्ती मंडल-वार होती है और उम्मीदवारों को अपनी पसन्द का मंडल बताने के लिये कहा जाता है । जो उम्मीदवार चुन लिये जाते हैं, उन्हें यथा-सम्भव उनके ही पसन्द के मन्डलों में उनके विकल्प के अनुसार तैनात किया जाता है और अधिकांश मामलों में वे उस क्षेत्र की भाषा से परिचित होते हैं।

चल टिकट परीक्षक और ट्रेन परिचालक

11234. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चल टिकट परीक्षक और ट्रेन परिचारक को परिचालक वर्ग में शामिल करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कर्मचारियों की केवल ऐसी कोटियां, जो गाड़ियों, के संचलन के लिए सीधे प्रभारी और उत्तरदायी होती हैं, अर्थात् ड्राइवर, गार्ड आदि, रनिंग कर्मचारी मानी जाती हैं। चूंकि चल टिकट परीक्षक और गाड़ी परिचर (डिब्बा परिचर) का कार्य किसी भी तरह गाड़ियों के संचलन से सीधे सम्बद्ध नहीं होता, इसलिए उन्हें रनिंग कर्मचारी नहीं माना जाता। इसके अलावा, यह मुद्दा संयुक्त वार्ता-तन्त्र के अन्तर्गत पंचाट बोर्ड के सामने देखा गया और बोर्ड ने चल टिकट परीक्षकों को रनिंग कर्मचारी माने जाने की मांग को रद्द करते हुए 30-6-72 को निर्णय दिया। तीन वेतन आयोगों में से किसी ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय नहीं दिया।

दिल्ली के अस्पतालों के विरुद्ध शिकायतें

11235. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान दिल्ली के अस्पतालों के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वे शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अस्पताल के कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण रोगी की मृत्यु हो गई अथवा वह अस्थायी रूप से विकलांग हो गया;

(ग) इन शिकायतों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली के डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इरविन अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अन्य बड़े अस्पतालों में हालत बहुत ज्यादा खराब है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत एक वर्ष के दौरान स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) इन अस्पतालों के आपात वार्डों में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) इस बात की सम्भावना नहीं है कि पिछले 2 वर्षों की सूचना एकत्र की जा सके ।

(ग) जब कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, निरपवाद रूप से इनकी जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है, उपचारी कार्यवाही की जाती है ।

(घ) से (च) स्टाफ तथा धन में लगातार वृद्धि करने के बावजूद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में और सुधार करने की गुंजाइश है । वर्तमान कमियों का मुख्य कारण अस्पतालों में आने वाले मरीजों की बढ़ती हुई संख्या है । दिल्ली के चार बड़े अस्पतालों के आपात तथा कैजुअल्टी वार्डों में कुछ सुधार किए गए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	सफदरजंग अस्पताल
1. आपातकालीन विभाग में 15 पलंगों तथा डाक्टरों के एक विश्राम कक्ष सहित एक शौच का निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया गया है ।	1. जुलाई 1973 में बनाए गए दुर्घटना तथा आपातकालीन सेवा ब्लाक के नए भवन के यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल साइंसिस के कब्जे में होने के कारण इस विभाग में कोई कारगर सुधार करना सम्भव नहीं हुआ है । 8 आबजरवेशन पलंगों वाले एक नए कैजुअल्टी ब्लाक का निर्माण किया गया है ।
2. बाल चिकित्सा आपातकालीन वार्ड में 6 और पलंग बढ़ा दिए गए हैं ।	2. आपातकालीन तथा कैजुअल्टी विभागों समेत विभिन्न विभागों के लिए वातानुकूलकों तथा वाटर कूलरों की व्यवस्था की गई है ।
3. आपातकालीन विभाग में परिचारों के लिए एक प्रतीक्षालय कक्ष की व्यवस्था कर दी गई है ।	3. अस्पताल के विभिन्न विभागों की संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए पी० ए० बी० एक्स० की 100 अतिरिक्त लाइनें बिछाने की मंजूरी दे दी गई है ।

डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल

4. आपातकालीन विभाग में रोगियों की देख-भाल करने वाले सम्बन्धियों के लिए विभागीय कैन्टीन के दिन रात खुले रहने की व्यवस्था कर दी गई है।

5. आपातकालीन विभाग में विशेषज्ञ सेवा प्रदान करने के लिए कार्य-चिकित्सक, शल्य-चिकित्सक तथा विकलांग शल्य-चिकित्सक के दो-दो पदों की मंजूरी दे दी गई है।

6. मोबाइल कोरोनरी केअर यूनिट स्थापित करने के लिए 2.50 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी पहले ही दे दी गई है। इस यूनिट के लिए अतिरिक्त स्टाफ की मंजूरी भी दे दी गई है।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल

1. अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में कार्य पर वरिष्ठ डाक्टरों को तैनात किया गया है और समय-समय पर आकस्मिक छापे भी मारे जाते हैं।

2. कैजुअल्टी वार्ड के प्रवेश द्वार के निकट एक काउण्टर खोल दिया गया है जहां पर कैजुअल्टी में दाखिल और उपचार किये गए रोगियों के सम्बन्ध में सूचना रखी जाती है तथा रोगियों के सम्बन्धियों और मित्रों को रोगियों की स्थिति की सूचना दी जाती है।

3. विभिन्न यूनिटों के वरिष्ठ प्रभारी डाक्टरों को जरूरत पड़ने पर बुलाने पर उपलब्ध रहने के अनुदेश दिये गये हैं।

सफदरजंग अस्पताल

4. आपातकालीन विभाग में विशेषज्ञ सेवा प्रदान करने के लिए कार्य-चिकित्सक, शल्य-चिकित्सक तथा विकलांग शल्य-चिकित्सक के दो-दो पदों की मंजूरी दे दी गई है।

5. मोबाइल कोरोनरी केअर यूनिट स्थापित करने के लिए 2.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी पहले ही दे दी गई है। इस यूनिट के लिए अतिरिक्त स्टाफ की मंजूरी भी दे दी गई है।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल

1. आपातकालीन विभाग में विशेषज्ञ सेवा प्रदान करने के लिए स्त्री रोग विज्ञानी तथा बाल-चिकित्सक के एक-एक पद की मंजूरी दे दी गई है।

2. मोबाइल कोरोनरी केअर यूनिट स्थापित करने के लिए 2.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी पहले ही दे दी गई है। इस यूनिट के लिए अतिरिक्त स्टाफ की मंजूरी भी दे दी गई है।

वैगनों की कमी के बारे में शिकायतें

11236. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में वैगनों की कमी तथा वैगन प्राप्त करने में भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस वर्ष वैगनों की कमी के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि श्रमिक विवाद इस कमी का एक प्रमुख कारण है;

(घ) वैगनों की कमी के कारण कितनी हानि का अनुमान है; और

(ङ) इसके लिए कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) माल डिब्बों की कमी के सम्बन्ध में काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हालांकि माल डिब्बों के आवंटन में भ्रष्टाचार की अस्पष्ट शिकायतें थी, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप नहीं लगाये गये थे। फलस्वरूप, जांच पड़ताल से किसी प्रकार का ठोस परिणाम नहीं निकला। फिर भी, सतर्कता तंत्र में कड़ाई बरती जा रही है।

(ख) 1978-79 में निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप लदान के लिए माल डिब्बों की कुछ कमी रही :—

(1) 1978 के उत्तरार्द्ध में भारी वर्षा और भीषण बाढ़ और उसके बाद के परिणामों के फलस्वरूप रेल परिचालन में गम्भीर अस्त-व्यस्तता आ गयी। अनेक महत्वपूर्ण रेल मार्ग अस्त-व्यस्त हो गये और अकेले पूर्वी क्षेत्र में लगभग 35,000 माल डिब्बे रुके रहे।

(2) विभिन्न राज्यों में सिविल आन्दोलनों (जैसे बिहार/उत्तर प्रदेश में आरक्षण विरोधी आन्दोलन और महाराष्ट्र में मराठवाड़ा आन्दोलन) के दौरान रेल सम्पत्ति पर हमले किये गये और रेल परिचालन अस्त-व्यस्त कर दिया गया।

(3) बाढ़ के बाद की अवधि में रेलों के लिए भाप कोयला उपलब्ध न होना जिसके फलस्वरूप भाप से कर्षित अधिकांश सवारी गाड़ियों तथा यार्डों में माल गाड़ी पायलेटों को रद्द करना पड़ा।

(4) पत्तन हड़ताल के कारण अनेक पत्तनों में अधिक संकुलन जिसके फलस्वरूप माल डिब्बों के स्टाक में भारी रोधन तथा छोटे पत्तनों के रास्ते यातायात भेजना जहां पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नहीं थी।

(5) अप्रैल-मई, 1978 में सिंगरेनी कोयला खानों में हड़ताल के कारण बंगाल/बिहार के कोयला क्षेत्रों से दक्षिण के लिए कोयले की ढुलाई करनी पड़ी थी।

(6) पश्चिम बंगाल में जूट कर्मचारियों की हड़ताल जिसके फलस्वरूप लगभग तीन महीने तक लगभग 5000 माल डिब्बे रुके रहे।

(7) रेल कर्मचारियों विशेषकर पूर्व, दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा छुट-पुट आन्दोलन जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में रेल परिचालन धीमा हो गया।

(8) यातायात के स्वरूप में सशक्त परिवर्तन जिसके फलस्वरूप असंगत और लम्बी वहन दूरी तक ढुलाई करनी पड़ी जिसके फलस्वरूप माल यातायात की समग्र वहन दूरी में वृद्धि हो गयी। खाद्यान्न का आयात बन्द कर देने के परिणामस्वरूप, अब उत्तरी छोर से दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी छोर तक खाद्यान्न की सभी ढुलायी की जाती है। इसी प्रकार, उर्वरक, सीमेंट और खाना बनाने के कोयले का बड़ी मात्रा में आयात होता है। इन्हें रेलों के सामान्य ढुलाई कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था। कुछ प्रमुख पणयों के मामलों में वहन दूरी में वृद्धि इस प्रकार थी :—

	वहन दूरी कि० मी० में	
	1977-78	1978-79
खाद्यान्न	1184	1251
उर्वरक	992	1031
सीमेंट	662	717

उपर्युक्त वृद्धि के फलस्वरूप 1978-79 के दौरान बड़ी लाइन पर माल डिब्बों के फेरों का समय बढ़कर 14.5 दिन हो गया जबकि 1977-78 में 13.3 दिन था।

(ग) नौ क्षेत्रीय रेलों में से 3 रेलों में श्रमिकों के गैर-मान्यता प्राप्त वर्ग द्वारा छुट-पुट अस्त-व्यस्तता के कारण माल डिब्बों के फेरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पूर्वी क्षेत्र में "धीरे काम करो" नियमानुसार काम करने और अचानक हड़ताल की घटनाएं हुयीं जो देश में कोयला और इस्पात के अधिकांश यातायात की सप्लाई करता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की पूर्ति करता है। ये छुट-पुट कार्रवाइयां ज्यादातर गैर मान्यता प्राप्त कोटि-वार यूनियनों द्वारा की गयीं।

(घ) भाग (ख) के उत्तर में दिये गये अनेक कारणों के फलस्वरूप रेलों ने 1978-79 में प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक माल यातायात का केवल 1989.3 लाख टन की ढुलाई की थी जबकि मूल बजट में 2220 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राज्य विधान सभाओं और संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते

11237. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों सहित प्रत्येक राज्य में विधान सभाओं के सदस्यों को दिये गये वेतन, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत एक वर्ष में इन विधान सभाओं की कितनी बैठकें हुईं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस वर्ष परिलब्धियों तथा भत्तों आदि में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) सदस्यों को भत्ते तथा परिलब्धियों आदि के भुगतान के सम्बन्ध में गत एक वर्ष में प्रत्येक राज्य में कुल कितना व्यय किया गया ?

संसदीय कार्य और श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) नवीनतम सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं की हुई बैठकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका "जर्नल आफ पार्लमेंटरी इनफार्मेशन" में उपलब्ध है ।

(ग) और (घ) इस मामले का सम्बन्ध मूलतः भारत सरकार से नहीं है क्योंकि यह मामला राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है ।

रेल दुर्घटनायें

11238. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री पी० एम० सईद } : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 60 प्रतिशत रेल दुर्घटनाएं माननीय भूल के कारण होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा रेल ड्राइवरों और उनसे सम्बद्ध कर्मचारियों पर काम के अतिरिक्त बोझ के कारण होता हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसे ध्यान में रखते हुए सरकार कुंजरु समिति की इस आशय की सिफारिशों पर विचार कर रही है कि रेल कर्मचारियों ने कुछ श्रेणियों के पदों पर भर्ती करने के मामले में रेल कर्मचारियों के पुत्रों और आश्रितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1978-79 में हुई गाड़ी दुर्घटनाओं में से लगभग 50 प्रतिशत दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । रेल कर्मचारियों के पुत्रों/आश्रितों को भर्ती के मामले में बरीयता देने से संवैधानिक उपबन्धों में विनिर्दिष्ट समता के अवसर की गारन्टी का उल्लंघन होगा ।

मारिशयस द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए भारतीय विशेषज्ञता के लिए अनुरोध

11239. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारिशयस ने लघु उद्योगों के विकास के लिए भारतीय विशेषज्ञता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) फरवरी 1978 में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के नेतृत्व में 3 सदस्यों के एक विशेषज्ञ दल ने मारीशस की यात्रा की और मारीशस में लघु उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समय उक्त रिपोर्ट पर मारीशस के प्राधिकारी विचार कर रहे हैं। भारत-मारीशस संयुक्त आयोग के हाल में हुए प्रथम अधिवेशन के दौरान भारत ने जूते बनाने, रेशा उद्योग, मधु-मक्खी पालन उद्योग, हस्तनिर्मित कागज उद्योग तथा रंगाई उद्योग जैसे कुछ ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी सहयोग की पेशकश की है।

इस समय लघु उद्योग के दो विशेषज्ञ, एक औद्योगिक अर्थ-शास्त्री और एक मैकेनिकल, इंजीनियर, मारीशस सरकार में विशेषज्ञ के रूप में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं।

बाराखम्बा लेन नई दिल्ली में प्लाट दिया जाना

11240. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यालय इमारत के लिए बाराखम्बा लेन स्थित भूमि का प्लाट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को वापिस नहीं लौटाया गया है जैसा कि उन्होंने संसद में 1977 में वचन दिया था और न ही ब्याज सहित 3.5 लाख रुपये घाटे की राशि भूमि किराया और ढांचे को हटाने पर किया गया व्यय लौटाया गया है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और प्लाट के पुनः आवंटन में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सूचित किया है कि बाराखम्बा लेन स्थित भूमि के प्लाट के आबंटन को मार्च 1973 में रद्द किया गया था और इस प्लाट को वापस नहीं लौटाया गया है। ब्याज तथा अन्य खर्चों के रूप में 4,06,000/- रुपये की अदायगी का संगठन द्वारा किया गया दावा स्वीकार नहीं किया गया। अन्य खर्चों में जमीन का भाड़ा, वस्तु-शिल्पी द्वारा भवन नक्शा बनाने पर खर्च और प्लाट पर पुराने बंगले को गिराने की लागत शामिल है।

(ख) जमीन के उपयुक्त प्लाट को प्राप्त करने के प्रश्न की निर्माण और आवास मंत्रालय के साथ पैरवी की जा रही है।

शिपयार्डों का निर्माण करने के लिए स्थल

11241. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पश्चिमी तथा पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में शिपयार्डों का निर्माण करने के लिए स्थलों का निर्धारण करने के मामले में अभी हाल में कोई उल्लेखनीय प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में निष्क्रियता अथवा बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चाँद राम) : (क) और (ख) गुजरात में हजीरा और उड़ीसा में पारादीप के निर्माण स्थलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो कि अतिरिक्त शिपयार्डों की स्थापना के लिए, विचाराधीन है को विदेशी परामर्शी कम्पनी मैसर्स आई०एच०आई० को लगाकर सितम्बर, 1978 में चालू किया गया। रिपोर्ट के शीघ्र प्राप्त हो जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

बेकार जहाजों की बिक्री

11242. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयोग के लिए अयोग्य घोषित किये जा चुके पुराने जहाजों को बंगाल स्क्रेप के नाम से बेचा जाता है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त स्क्रेप पर 45 प्रतिशत सीमा शुल्क लगा रखा है जिसके फलस्वरूप भारतीय जल सीमा में बड़ी संख्या में जहाज एकत्रित हो गये हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) क्या अधिक सीमा शुल्क के कारण ऐसे जहाजों की बिक्री घट गई है और क्या सरकार का विचार सीमा शुल्क में कमी करने का है ताकि नौवहन कंपनियों पुराने जहाज बेचकर आधुनिक जहाज खरीद सकें ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जहाजों, नावों और तिरते निर्माणों पर मूल्यानुसार 45 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क लाया जाता है। परन्तु तोड़े जाने वाले आयातित जहाजों को छोड़ कर समुद्रगामी जहाजों के ड्यूटी से छूट दी जाती है बशर्ते कि ऐसे जहाजों को अन्ततः तोड़ दिया जाय उन पर ड्यूटी ली जायेगी जो उन पर देय होगी यदि उसे तोड़े जाने के लिए आयात किया गया है। यह कहना सही नहीं है कि सीमा शुल्क लगाये जाने के कारण भारत की सीमा के भीतर जहाजों का बड़ी संख्या में जमाव हो गया है।

(ख) 1978-79 के दौरान तोड़े जाने वाले जहाजों में कमी नहीं आई थी। 1977-78 की अपेक्षा इसमें वृद्धि हुई है। भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ ने सरकार को अभ्यावेदन किया है कि तोड़े जाने वाले जहाजों पर सीमा शुल्क में कमी की जाये।

आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय

11243. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री 6 अप्रैल, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 626 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने 1974-75 के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति 7.85 रुपये का चिकित्सा व्यय किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यय को 1976-77 और 1977-78 के दौरान बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) क्या सरकार अब तक किये गये प्रति व्यक्ति व्यय से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य देशों से कुछ सहायता लेने के पक्ष में है और ऐसी सहायता लेने के लिए, इस समय किन-किन देशों के साथ बात-चीत चल रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) राज्य और केन्द्रीय दोनों सरकारों द्वारा किए गए योजना तथा योजना भिन्न खर्च सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति खर्च 7.85 रुपये था। आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च 1975-76 में 8.86 रुपये बढ़कर 1976-77 में 10 61 रुपये हो गया था। 1977-78 वर्ष के खर्च के आंकड़े अभी एकत्र किए जाने हैं।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है और राज्य सरकार को विभिन्न योजनाएं चलाने के लिए योजना आयोग द्वारा मंजूर किए गए खर्च के अनुसार सहायता दी जा रही है।

आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों पर प्लान खर्च 1976-77 में 307.98 लाख रुपए से बढ़कर 1977-78 में 506.58 लाख रुपए प्रत्याशित हो गया।

सरकार किसी विशेष राज्य के लिए विदेशी सहायता नहीं ले रही है। तथापि, विदेशों ने मलेरिया नियन्त्रण, दृष्टिहीनता निवारण, चिकित्सा शिक्षा रिओरियन्टेशन आदि जैसी कुछेक राष्ट्रीय योजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है। राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए तय किये गए समग्र प्लान सम्बन्धी खर्च में कुल मिलाकर दी गई देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार की सहायता का पता चलता है।

"एरेसिस्ट रेडियो काल्ड एनाक" शीर्षक का समाचार

11244. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 19-3-1979 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली के पृष्ठ 1 पर "ए रेसिस्ट रेडियो काल्ड एनाक शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) यह समाचार 18 मार्च, 1979 के ब्रिटिश समाचार-पत्र "आबजर्वर" में छपे एक लेख पर आधारित था जिसमें एक ऐसे अवैध रेडियो स्टेशन के बारे में बताया गया है जो महीने में एक-बार तीव्र दक्षिण पक्षीय विचारधारा का प्रसारण करता है। श्री एनाक पावेल ने बताया है कि उन्हें इसके संचालन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। ब्रिटिश सरकार उपयुक्त कार्रवाई के लिए मामले की छानबीन कर रही है।

भारत सरकार आशा करती है कि किसी भी ब्रिटिश रेडियो स्टेशन से जाति-भेद सम्बन्धी प्रचार नहीं किया जाएगा।

लोगों को देश के बाहर भेजने सम्बन्धी ब्रिटिश प्रक्रियाओं की यूरोपीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भर्त्सना किया जाना

11245. श्री **ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनके ध्यान में लाई गई है कि यूरोपीय मानव अधिकार आयोग ने उन स्वेच्छाचारपूर्ण ब्रिटिश प्रक्रियाओं की घोर भर्त्सना की है जिनके अन्तर्गत इस आरोप पर लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है अथवा देश से बाहर निकाल दिया जाता है कि वे गैर कानूनी आप्रवासी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) 13 मार्च, 1979 को "गार्जियन" में प्रकाशित आप्रवासी-कल्याण संयुक्त परिषद के महासचिव, श्री ईयान मार्टिन के पत्र के अनुसार "न्यायालय ने कथित अवैध प्रवेश करने वालों से सम्बद्ध मामले में बन्दी प्रत्यक्षीकरण को समाप्त कर दिया है।" मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा सम्बन्धी यूरोपीय अभिसमय में यह व्यवस्था है कि "कोई भी व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार किए जाने या बन्दी बनाए जाने के कारण इस स्वतन्त्रता से वंचित रखा जाता है, उसे कानूनी कार्यवाही करने का हक होगा जिससे न्यायालय बन्दी बनाए जाने की वैधता का निर्णय शीघ्रता से कर सके और यदि बन्दी बनाना वैध नहीं हो, तो उसकी रिहाई के आदेश दिए जा सकें।" इस पत्र में अवैध रूप से बन्दी बनाए जाने का उल्लेख किया गया है और आप्रवासन सेवा के आचरण और संचालन की सार्वजनिक तथा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गयी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रवेश केन्द्रों पर आप्रवासन सेवा को प्राप्त अधिकारों के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति भी आप्रवास अधिकारियों के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं जो ब्रिटेन में कई वर्षों से रह रहे हैं।

ब्रिटेन के न्यायालयों ने आप्रवासन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत होम सेक्रेटरी तथा आप्रवासन अधिकारियों को प्राप्त बन्दी बनाने के अधिकारों पर आपत्ति करने या इन्हें कम करने पर अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

आशा है कि आप्रवासन कल्याण संयुक्त परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के प्राधिकारी इस समस्या का समाधान खोज लेंगे। भारत सरकार कष्ट अथवा भेद-भाव के प्रत्येक मामले को अलग-अलग ब्रिटेन के प्राधिकारियों के साथ उठाती रहेगी।

बम्बई पत्तन में भीड़-भाड़ अधिभार में वृद्धि

11246. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान-बंगलादेश-मध्य पूर्व नौवहन सम्मेलन ने 16 मार्च, 1979 से बम्बई पत्तन में भीड़-भाड़ अधिभार में वृद्धि करने और कलकत्ता पत्तन में एक नया अधिभार लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या ये अधिभार मध्य पूर्व की मंडियों में भारतीय जहाज मालिकों के निर्यात प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां। भारत-पाकिस्तान-बंगलादेश-मिडल ईस्ट सम्मेलन ने बम्बई पोर्ट में जमाव अधिभार को बढ़ाकर 30% से 35% कर दिया है और कलकत्ता पोर्ट में 10% की दर से जमाव अधिभार लगाया है जो कि 16-3-1979 से लागू है ।

(ख) और (ग) चूंकि अधिभार माल पर लगाया गया है अतः भाड़ा अधिक हो जाता है। इसलिए इसका विशेषज्ञों की लागत पर प्रभाव पड़ता है। सम्मेलनों/दर करारों जिन्होंने अधिभार लगाया है, से भी समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे स्थिति के अनुसार पत्तनों में अधिभार को कम करें/घटाएं ।

पत्तन स्वास्थ्य तथा हवाई अड्डा स्वास्थ्य अधिकारी

11247. **श्री मुकुंद मण्डल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पत्तन स्वास्थ्य तथा हवाई अड्डा स्वास्थ्य अधिकारियों के अन्तर्गत सभी श्रेणियों में तृतीय, श्रेणी के कर्मचारियों को 1959 के बाद स्थायी घोषित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) समूचे देश में काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उनकी सेवा का कार्यकाल कितना है;

(घ) क्या सरकार उन्हें स्थायी रिक्त स्थानों में खपाने और सेवा सुरक्षा तथा उपदान, पेंशन आदि जैसे लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) भारत में विभिन्न पत्तन/विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठनों में सफाई निरीक्षकों, मलेरिया निरीक्षकों और चूहा निरीक्षकों के तृतीय श्रेणी (समूह "ग") के कर्मचारियों के संयुक्त काडर के 27 अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई आधार पर नियुक्त करने के आदेश 24 फरवरी, 1979 को जारी कर दिये गये थे।

(ख) और (ङ) तृतीय श्रेणी (अब समूह "ग") के भिन्न-भिन्न सेवा काल वाले कुल 75 कर्मचारी हैं जिन्हें अभी स्थाई किया जाना है। सम्बन्धित व्यक्तियों के सेवा सम्बन्धी ब्यौरे सम्बन्धित पत्तन/विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठनों के विभाग-अध्यक्षों से एकत्र और सत्यापित किए जा रहे हैं। आशा है कि शेष पात्र कर्मचारियों को स्थाई आधार पर नियुक्त करने के आदेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे ।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बचना

11248. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाल ही की अवधि में कई गंभीर दुर्घटनाओं से बाल-बाल बची है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) संभवतः आशय उन दो दुर्घटनाओं से है जो 10-4-1979 और 28- -1979 को होने से बची थीं। पहले मामले में उत्तर रेलवे के भरथना स्टेशन पर 101 अप राजधानी एक्सप्रेस को अप लूप लाइन पर पहले से खड़ी पार्सल एक्सप्रेस से कुछ ही दूर रोक लिया गया था। दूसरे मामले में, पूर्व रेलवे के भवुआ रोड स्टेशन की अप लूप लाइन पर यही गाड़ी माल गाड़ी से कुछ ही दूर रोक ली गयी थी। लेकिन, दूसरे मामले में अचानक ब्रेक लगाने के कारण आये तेज झटके के परिणाम स्वरूप एक कुर्सीयान पटरी से उतर गया। इन दोनों मामलों में किसी को चोट नहीं पहुंची।

(ग) चूंकि मानव विफलता का तत्व गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी सबसे बड़ा एकल कारक है अतः रेलों पर कार्यरत संरक्षा संगठन, गाड़ियों के प्रचालन से सम्बद्ध कर्मचारियों में संरक्षा चेतना की उच्चतर भावना के पैदा करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों की अवहेलना नहीं करते या दुर्घटनाओं का कारण बनने वाली लाघव विधियां नहीं अपनाते, अनवरत अभियान चलाने में लगे हुए हैं। मानव तत्व पर निर्भरता को कम करने के लिए पहियों, धुरों और रेल पटरियों के लिए अल्ट्रा सोनिक फ्ला डिटेक्टर धुरा काउंटर रेलपथ परिपथन, स्वचालित चेतावनी प्रणाली आदि, सरीखी विविध सुपरिष्कृत युक्तियों को उत्तरोत्तर इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

उद्योग के रूप में राष्ट्रीय शरकरा संस्थान

11249. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर वाटर सिवरज बनाम एन० राजप्पा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में निर्धारित कानून के अनुसार राष्ट्रीय शरकरा संस्था कानपुर एक उद्योग है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान के एकमात्र श्रम संगठन राष्ट्रीय शरकरा संस्थान कर्मचारी संघ को, इस तथ्य के बावजूद भी कि इस बारे में सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं, मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त संगठन के लिए कोई कर्मचारी समिति गठित की गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या प्रयोगिक चीनी कारखाने, जो उक्त चीनी कारखाने की एकक है, के मजदरों को कोई बोनस दिया जाता है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि उच्चतम न्यायालय के उल्लिखित निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन 'उद्योग' है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

पशोटे टी गार्डन दार्जिलिंग में श्रमिकों के उपदान की बकाया राशि

11250. **श्री के० वी० चेतरी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशोटे टी गार्डन, दार्जीलिंग में श्रमिकों की उपदान की बकाया राशि देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) 1977-78 और 1978-79 के लिए लाभ तथा हानि के आंकड़े क्या हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से, जो इस प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में 'समुचित सरकार' है, अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

डेकन क्वीन 301/302

11251. **श्री पुण्डलोक हरि दानवे**
श्री आर० के० महालगी } : क्या **रेल** मन्त्री 1 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार सवारी डिब्बों द्वारा 301/302 डेकन क्वीन के भार में वृद्धि करने की सम्भावना की जांच करने के परीक्षणों के परिणाम अन्तिम और पूर्ण हैं और यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परिणामों के अनुसरण में रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है अथवा शीघ्र करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि उपरोक्त परीक्षणों के परिणाम अब तक पूरे नहीं है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) 301/302 दकन क्वीन में डिब्बे बढ़ाने के लिए किये गये परीक्षणों के परिणामों की अभी जांच की जा रही है। प्लेट फार्मों तथा अनुरक्षण व्यवस्था, मार्ग का परिवर्तन, अतिरिक्त पावर जनित्र क्षमता आदि-आदि के सम्बन्ध में गम्भीर कठिनाइयां हैं। 301/302 दकन क्वीन में डिब्बे बढ़ाने की दृष्टि से मध्य रेलवे इन तकनीकी समस्याओं पर विचार कर रही है। इन सभी समस्याओं की छानबीन करने के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है।

पाकिस्तान की परमाणु क्षमता

11252. **श्री यादवेन्द्र दत्त**
श्री निर्मल चन्द जैन } : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान न्यूयार्क से 2 मई के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान एक पलूटोनियम संयंत्र स्थापित कर रहा है जिससे हथियार बनाने वाला यूरेनियम और परमाणु हथियार बनाए जा सके; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं, जिनमें यह बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों ने यह कहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लीयर कार्यक्रम शान्तिपूर्ण नहीं है और उसमें एक प्लूटोनियम (या पुनर्संसाधन) संयंत्र और एक ऐसा यूटेनियम संवर्धन संयंत्र स्थापित करने का कार्यक्रम शामिल है, जो न्यूक्लीयर आयुध बनाने के लिए हाथियारों की कोटि की न्यूक्लीयर सामग्री तैयार करने में सक्षम हो ।

(ख) भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है और पाकिस्तान तथा अमरीका सहित सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ इस मामले को द्विपक्षीय रूप से उठाया है ।

उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की चल और अचल सम्पत्ति

11253. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 से 31 दिसम्बर, 1978 तक की अवधि में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की चल और अचल सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त आयुक्त के आश्रितों की सम्पत्ति का भी विवरण प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या सरकार अहमदाबाद में निर्मित उनके मकान का मूल्य पुनः निर्धारित करेगी और जीवन यापन पर उनकी मासिक आय से अधिक खर्च किए जाने की जांच करेगी ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति के वार्षिक विवरण केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजे जाते हैं ।

(ग) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अधिकारी से अनुरोध किया है कि वह अहमदाबाद में अपने मकान के निर्माण के पूरा होने के पश्चात उसके सम्बन्ध में मूल्यांकन रिपोर्ट भेजें । इन परिस्थितियों में उनके मकान के मूल्य का पुनः निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह भी बताया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार इस बात की कोई शंका नहीं है कि श्री पांडा अपनी सामान्य आमदनी से अधिक खर्च कर रहा है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में घटिया किस्म की औषधियां

11254. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गयी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में रोगियों की, कुछ अतिथिवार व्यक्तियों के लिए औषधालयों को छोड़कर, घटिया किस्म की औषधियां सप्लाई की जाती हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के माध्यम से रोगियों को सप्लाई की जाने वाली औषधियों के स्तर की जांच-पड़ताल करने वाला कौन अधिकारी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि चिकित्सा अधिकारी कुछ औषधियां लिखकर नहीं दे सकते हैं और औषधालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ही वे औषधियां लिख सकते हैं और यदि हां, तो ऐसी औषधियों के नाम क्या हैं, और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसी औषधियां लिखकर देने से चिकित्सा अधिकारियों को अक्षम समझती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस अन्तर को समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन गणमान्य व्यक्तियों की कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की विभिन्न डिस्पेंसरियों में आने वाले रोगियों को जो दवाइयां दी जाती हैं उनकी किस्म में कोई विभिन्नता नहीं होती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा सामग्री भंडार में जब दवा की सप्लाई आती है तो आकस्मिक रूप से उसके नमूने लेकर उन्हें सरकारी औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजा जाता है और उस सप्लाई को तभी स्वीकार किया जाता है जब वह उस परीक्षण में पास हो जाती है।

(ग) और (घ) कुछ दवाइयां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की फार्मुलरी की विशेषज्ञ सूची में रखी जाती हैं जिन्हें केवल एक विशेषज्ञ या कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी ही लिख सकता है। इन दवाइयों की सूची संलग्न है। ये दवाइयां मंहगी होती हैं और खर्च पर कुछ नियंत्रण रखने के लिए ऐसा करना अनिवार्य समझा जाता है। इसलिये, सभी चिकित्सा अधिकारियों को इन दवाइयों को लिखने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4536/79]

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के विरुद्ध कार्यवाही

1125. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों की ओर से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के विरुद्ध विशिष्ट

घटनाओं और दस्तावेजी प्रभाव सहित शिकायतों के प्राप्त होने पर तत्कालीन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा उप केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने पटना का दौरा किया था और उसे दोषी पाया तथा उसे पटना से जयपुर स्थानान्तरित कर दिया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अधिकारों के दुरुपयोग के लिए उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की और मामले के तथ्य क्या हैं तथा क्या सरकार उचित जांच करवाएगी और तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० **राम कृपाल सिंह**) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार से सूचित किया है :—

(क) 1974 में कुछ संसद सदस्यों ने तत्कालीन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के खिलाफ कुछ शिकायतें की थीं। इन शिकायतों की जांच तत्कालीन अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने की, जिन्होंने सितम्बर, 1974 में पटना का दौरा किया। उन्होंने रिपोर्ट दी कि अधिकारी की ओर कोई गम्भीर भूल नहीं हुई हालांकि कुछ युक्तिहीनता की घटनाएं तथा कार्यविधिक अनियमितताएं हुईं। दिसम्बर, 1974 में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव दिये और इनमें इस अधिकारी का पटना से जयपुर स्थानान्तरण करना भी शामिल था। तदनुसार, उनका स्थानान्तरण किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टरों के पद

11256. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टरों के पद हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में इस प्रणाली में अधिकारी सहायक सलाहकार उप सलाहकार के पदों पर आसीन है;

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में आई० एस० एम० और होमियोपैथिक डाक्टरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा लिखी तथा पुनरीक्षित की जाती है;

(घ) क्या आई० एस० एम० और होमियोपैथी सब केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय एलोपैथी से सम्बद्ध अधिकारियों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं;

(ङ) क्या आई० एस० एम० और होमियोपैथी को एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से घटिया समझा जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो इन असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (**श्री रवीन्द्र वर्मा**) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

पद का नाम	मन्जूर किये गये कुल पद	भरे गये पद	खाली पद
भरतीय चिकित्सा पद्धति प्रभाग			
सलाहकार (भारतीय चिकित्सा पद्धति)	एक	एक	—
उप-सलाहकार (आयुर्वेद)	दो	दो	—
सहायक सलाहकार (आयुर्वेद)	एक	—	एक
होम्योपैथी			
अवैतनिक सलाहकार (होम्योपैथी)	एक	एक	—
उप-सलाहकार (होम्योपैथी)	एक	—	एक
सहायक सलाहकार (होम्पोपैथी)	एक	एक	—
यूनानी			
उप-सलाहकार (यूनानी)	एक	एक	—

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपथी के औषधालयों के बारे में वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की स्थिति नीचे विवरण में दी गई है :—

वह कर्मचारी जिसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखी गई है	गोपनीय रिपोर्ट भरने वाला पहला अधिकारी	गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला अधिकारी
(क) दिल्ली क्षेत्र		
1. औषधालयों के चिकित्सक	प्रभारी चिकित्सक	चिकित्सा पद्धतियों के अपने-अपने सलाहकार
2. औषधालय के प्रभारी चिकित्सक	चिकित्सा पद्धति का सलाहकार	निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना।
3. एलोपैथिक औषधालयों में अलाट किये गये भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक	दो डाक्टरों में से वरिष्ठ डाक्टर कनिष्ठ की रिपोर्ट भरता है और वरिष्ठ डा० की रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा पद्धति के सलाहकार द्वारा लिखी जाती है।	निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना।
(ख) दिल्ली क्षेत्र से बाहर		
सभी चिकित्सक	क्षेत्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी*	सहायक महा-निदेशक (मुख्यालय)*

*यह एलोपैथिक पद्धति से सम्बद्ध चिकित्सा अधिकारियों का द्योतक है।

(घ) जी हां, मुख्यालय में एलोपैथी के चिकित्सा अधिकारियों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत आने वाले ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अस्पताल में ड्यूटी पर अधिकारी पर किया गया हमला

11257. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को अस्पताल में ड्यूटी पर एक अधिकारी पर एक उपद्रवी द्वारा चाकू से 22 मार्च, 1979 को हमला किये जाने के बारे में डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अनेक कर्मचारियों से 23 मार्च, 1979 का एक पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी अस्पताल के कुछ भूतपूर्व अधिकारी उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित आक्रमण की योजना में शामिल हैं और यदि हां तो आक्रमणकारी और योजना बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उपर्युक्त अधिकारियों जिन पर हमला किया गया है के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) 22 मार्च, 1979 को सुबह 10.30 बजे श्री तेजा सिंह रावत जो डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में दैनिक मजदूर के रूप में लगभग 2 वर्ष से कभी-कभी कार्य करते आ रहे थे । (इस समय पिछले छः महीनों से बेकार) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के मुख्य प्रशासन अधिकारी श्री डी० एन० चौहान के कमरे में आए और बहस करने लगे । उनका विचार था कि मुख्य प्रशासन अधिकारी होने के नाते श्री चौहान ही उनकी बरखास्तगी के जिम्मेदार थे और वह ही उन्हें उसी वक्त नौकरी दे सकते थे । जब श्री चौहान ने उन्हें बताया कि किसी भी सरकारी नौकरी में लेने के लिये एक तरीका होता है और औपचारिकताएं पूरी किए बिना उन्हें तत्काल नौकरी में नहीं लिया जा सकता तो श्रीरावत ने अपनी कमीज के अन्दर से बन्द चाकू निकाला । वहां पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने शोर मचाया और उन्होंने श्री रावत से चाकू छीन लिया ।

(ग) अभी तक इस यत्न के पीछे किसी साजिश के होने का पता नहीं चला है तथापि पुलिस अभी तक छानबीन कर रही है श्री चौहान को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है ।

एक्स-रे मशीनें लगाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की अनुमति

11258. **श्री सोमजी भाई दामोर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, दिल्ली में एक्सरे मशीनें लगाने से पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग से अनुमति ले ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सम्बद्ध अधिकारियों ने बड़ी संख्या में एक्सरे उपकरणों की खरीद किस कारण की तथा उन्हें अस्पताल में उपलब्ध सभी स्थानों पर लगाया ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक्स-रे प्लांट लगाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बारे में कोई विशेष हिदायतें नहीं हैं। वैसे अस्पताल के रोगियों और एक्स-रे विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए रोग-निरोधी उपाए बरतने के लिए समय-समय पर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से परामर्श लिया जाता है। अस्पताल के विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान विभाग के बैज लगाए हुए कर्मचारियों को प्रत्येक पखवाड़े में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में यह देखने के लिए भेजा जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष में कितना विकिरण (रेडिएशन) हुआ है ताकि यदि आवश्यक हो, तो उपचारी उपाए किये जा सकें। अस्पताल में कोबाल्ट संयत्र लगाने के लिए आर्किटेक्चरल प्लानों को स्टाफ तथा रोगियों को रेडियेशन के प्रभावों से बचाने सम्बन्धी सुरक्षा के अपेक्षित उपायों के बारे में सलाह लेने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के पास भेजा जा रहा है।

(ग) इस अस्पताल में 1175 पलंग हैं और इसमें हर रोज औसतन लगभग 3000 रोगी बाह्य रोगी विभाग की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। जो एक्स-रे उपकरण लगाया गया है, उससे अस्पताल की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा

11259. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान अतिरिक्त महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा गत लगभग एक दशक से भी अधिक समय से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के निदेशक तथा उप महानिदेशक तथा अब अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के रूप में कार्य कर रहा है;

(ख) क्या हजारों व्यक्तियों के तबादले, कई करोड़ों रुपए की कीमत की औषधियों और स्टोरों की खरीद के मामले में अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के पद तथा इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं;

(ग) विभिन्न स्टोरों पर एक ही अधिकारी को ऐसे सारे अधिकार देने और उसे न बदलने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के सर्वोच्च स्तर पर सम्पूर्ण कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, नहीं। वर्तमान अपर महा-निदेशक अप्रैल, 1971 में निदेशक (सी० जी० एच० एस०) के रूप में नियुक्त किए गए थे। बाद में इस पद को उप महानिदेशक पद के बराबर माना गया और इस प्रकार वह निदेशक (सी० जी० एच० एस०) और पदेन उप महानिदेशक के पद पर आसीन रहे।

उन्हें अप्रैल, 1978 में अपर महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और तब से वह इस पद पर हैं, उन्हें जिन अनेक विषयों का आबंटन किया गया है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना उनमें से एक है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इस समय एक पूरे निदेशक एवं उप महानिदेशक (सी० जी० एच० एस०) के अधीन है, जिनमें विभागाध्यक्ष की शक्तियां निहित हैं।

(ख) जी, नहीं। इस संगठन के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्टाफ का स्थानांतरण इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों और कार्यविधि के अनुसार ही किया जाता है। डाक्टरों की तैनातियां और तबादले केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रभाग द्वारा किए जाते हैं, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव के अधीन है। अन्य कर्मचारियों का तबादला एक शहर से दूसरे शहर में करने के काम को उप निदेशकों (प्रशासन) की सहायता से निदेशक (प्रशासन और सतर्कता) द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

चिकित्सा सामग्री और दवाइयों की खरीद का काम भी भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार ही किया जाता है। दवाइयां फार्मुलरी समिति के अनुमोदन से खरीदी जाती हैं। माल खरीदने की शक्तियां अधिकतर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उप-निदेशकों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सौंपी गई हैं। अपर महानिदेशक मुख्यतया नीति संबंधी मामलों को देखते हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय ऐसी कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

निर्यात वस्तुओं पर भाड़े में रियायत

11260. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात वस्तुओं पर भाड़े में दी जाने वाली उन रियायतों को पुन: देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो अक्तूबर, 1974 में समाप्त कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काण्डला पत्तन पर प्रभारों में कमी

11261. **श्री अनन्त दवे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन की अपेक्षा जहाज स्वामियों की कान्डला पत्तन पर प्रभार कम करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो बम्बई पत्तन के प्रभारों की तुलना में किस सीमा तक प्रभार कम किए जाएंगे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चाँद राम) : (क) और (ग) काण्डला पोर्ट ट्रस्ट ने कुछ रियायतों के प्रस्ताव किए थे, जिन्हें मंजूरी दे दी गई है, जिससे कि काण्डला में यातायात में वृद्धि की जा सके ।

मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) पहले 1500 टन की अपेक्षा 3000 टन तक सामान्य माल को उतारने/लदान करने वाले जहाजों को आम पायलटेज और घाट भाड़े में 50% की रियायत ।

(2) कर्षनावों के इतवार/छुट्टियों में प्रयोग और रात्रि परिचालनों में अतिरिक्त भुगतान से छूट, और 3000 टन तक के सामान्य माल के लदान/उतार को जहाजों में स्थानांतरित करना ।

(3) निर्यात माल पर रिबेट में 20 से 25% में वृद्धि ।

(4) निर्यात माल के गोदाम में रखने की निःशुल्क अवधि में 7 दिन से 15 दिन में वृद्धि करना ।

(5) लैश बजरों के घाट और मूरिंग प्रभार में 233 रु० से क्रमशः 100 रु० और 24 रु० प्रतिदिन में घटाना ।

(6) लैश बजरों का खींचने के लिए कर्षनाव के भाड़े में 50% कटौती ।

(7) माल गोदामों में लिफ्टों के भाड़े में 50% की कटौती ।

(8) ग्राऊंड फ्लोर की बनिस्बत पहले फ्लोर को घेरने के लिए रिबेट में 25% से 50% की वृद्धि ।

(9) निर्यात माल के लिए घोषित स्थान पर 25% रिबेट देना ।

(10) खुली जगह और गोदाम टैंकों की रिबेट में 20% से 25% की वृद्धि करना ।

(11) निर्यात माल पर क्रेन प्रभारों में 25% की अन्य रिबेट देना ।

निर्यात माल में अन्य पत्तनों को जाने वाला तटीय माल भी शामिल है । बम्बई पत्तन पर देय दरों की अपेक्षा कण्डला पर सामान्य दरें अब कम हैं ।

अहमदाबाद में कीर्ति एक्सप्रेस तथा हावड़ा स्पैशल के समय

11262. **डा० विजय मण्डल**
श्री चिमन भाई एच० पटेल } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र के लिए अहमदाबाद में कीर्ति एक्सप्रैस के पहुंचने और हावड़ा स्पैशल के चलने के समय में केवल 20 मिनट का अन्तर है और इस कारण अनेक बार दोनों गाड़ियों में सम्पर्क नहीं हो पाता और यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दोनों गाड़ियों के पहुंचने और चलने के समय में जो अन्तर है उसको बढ़ाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम तथा परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ

11263. **श्री जी० राजगोपाल नायडू** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम और परिवार पेंशन योजना में यह व्यवस्था है कि पूरा लाभ केवल 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होने पर ही प्राप्त होगा; और

(ख) क्या इससे राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को हानि नहीं होगी जिन्हें क्रमशः 55 तथा 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना पड़ता है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ निम्नलिखित है :—

1. परिवार पेंशन
2. जीवन बीमा
3. सेवा निवृत्ति लाभ, और
4. रुपया निकालने के लाभ

सेवा-निवृत्ति आयु केवल उपयुक्त (3) और (4) में लाभों के सम्बन्ध में संगत है।

(ख) मामले के इस पहलु की जांच की जा रही है।

काश्मीर

11264. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन, सोवियत संघ और अमरीका ने अपने मानचित्रों में काश्मीर को विवादग्रस्त क्षेत्र के रूप में अथवा पाकिस्तान का क्षेत्र दिखाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीन अब भी सिक्किम को भारत का अंग न मानकर इसे स्वतन्त्र देश के रूप में मानता है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ने उपरोक्त देशों की सरकारों को कोई पत्र लिखे हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्ष में लिखे गये पत्रों की तारीखें क्या हैं और इन देशों की सरकारों के उत्तर क्या थे।

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उनके नक्शों में काश्मीर को अलग-अलग ढग से दिखाया जा रहा है।

चीनी नक्शों में काश्मीर को भारत और पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है तथा "पाकिस्तान द्वारा नियन्त्रित क्षेत्र" और "भारत द्वारा नियन्त्रित क्षेत्र" के बीच इसे विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2 मार्च, 1963 को चीन-पाक सीमा करार पर हस्ताक्षर होने के बाद से पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में कराकोरम के पश्चिम में लगभग 2000 वर्ग मील भूभाग को चीनी नक्शों में चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है।

सोवियत एटलस में हाल में जो नक्शा प्रकाशित हुआ है उसमें काश्मीर को भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है। पाकिस्तान के साथ लगी सीमा को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में दिखाया गया है। जम्मू एवं काश्मीर राज्य के क्षेत्र में वास्तवित नियन्त्रण रेखा को भी नीली स्याही से चिन्हित रेखा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सोवियत नक्शे में जम्मू एवं काश्मीर राज्य के उत्तरपूर्व में अक्साई चीन क्षेत्र को चीन के भाग के रूप में दिखाया गया है।

संयुक्त राज्य अमरीका के सरकारी नक्शों में जब केवल भारत को ही मानचित्र में दिखाया जाता है, तो इनमें जम्मू एवं काश्मीर का वही हिस्सा दिखाया जाता है जो भारत के वास्तविक नियन्त्रण में है। तदनुसार इसमें सबसे ऊपरी सीमा रेखा को वास्तविक नियन्त्रण रेखा के साथ-साथ एक बिन्दु चिन्हित रेखा द्वारा दिखाया गया है। यदि नक्शे में भारत और पाकिस्तान दोनों को ही दिखाया जाता है तो सम्पूर्ण जम्मू एवं काश्मीर राज्य को "**जम्मू एवं काश्मीर**" लिख कर नक्शे के इस छोर से दूसरे छोर तक दिखाया जाता है तथा वास्तविक नियन्त्रण रेखा को एक बिन्दू चिन्हित रेखा द्वारा चित्रित किया जाता है। अक्साई चीन के मामले में एक सबसे ऊपरी रेखा (हमारी सीमा के अनुरूप) दिखाई गई है जिस पर "भारत द्वारा दावा किया गया" उल्लिखित है। इसके नीचे एक खंडित-रेखा द्वारा वास्तविक नियन्त्रण रेखा दिखाई गई है। इसके बीच के क्षेत्र में रंगीन धारियों द्वारा वह प्रदेश दिखाया गया है, जिसके सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच मतभेद है।

(ख) 1978 में प्रकाशित चीनी नक्शों में सिक्किम-भारत सीमा को अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संकेत-चिन्हों द्वारा दिखाया जा रहा है। सरकार इस बात पर निगाह रख रही है कि क्या चीनी नक्शों के नवीनतम संस्करणों में भी यही स्थिति रखी जा रही है।

(ग) और (घ) इस मामले को सम्बद्ध सरकारों के साथ उपयुक्त अवसरों पर उठाया गया है जिसमें इस बात की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि वे भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को सही-सही चित्रित करें।

वन श्रमिकों का आर्थिक दर्जा

11265. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री पी० एम० सईद
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्री एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वन श्रमिकों का आर्थिक दर्जा, विशेष रूप से वनों के आस-पास रहने वाले आदिवासियों का वन सम्पदा के विदोहन में उनके समीप से सम्बद्ध किए जाने पर विकसित हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि बिचोलियों, जो वन और स्थानीय श्रमिकों का शोषण करते हैं, का स्थानापन्न विभागीय श्रमिकों द्वारा किया जाना चाहिए;

(ग) केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिये गए अन्य सुझाव क्या हैं; और

(घ) राज्य सरकारों ने किस सीमा तक उनके सुझावों को स्वीकार किया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लारंग साय) : (क) कृषि विभाग, जो मुख्यतया इस मामले से सम्बन्धित है, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी कोई भी सर्वेक्षण उन्होंने नहीं किया है। श्रम मंत्रालय ने भी ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, सरकार की नीति यह है कि वन सम्बन्धी कार्यों के मामले में व्यक्तियों, विशेष रूप से वनों के आसपास रहने वाले आदिवासी लोगों की अधिक अन्तर्ग्रस्तता उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है।

(ख) कृषि विभाग ने 12 जुलाई, 1978 को आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों के वन और आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया और वन जातीय अर्थव्यवस्था में वनों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। इन राज्यों में अधिक संख्या में आदिवासी जनसंख्या हैं। सम्मेलन की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि राज्य के आदिवासी कल्याण विभाग को वन विभाग के साथ परामर्श करके समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर वन श्रमिक सहकारी समितियों का आयोजन करना चाहिए ताकि ठेकेदारों और बिचौलियों को हटाकर आदिवासी क्षेत्रों में वन सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों को शुरू किया जाए। सरकार ने यह सिफारिश मान ली और कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भेज दी।

(ग) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा राज्यों को की गई अन्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) राज्यों ने इन प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और वन श्रमिक सहकारी समितियां, आदिवासी विकास एजेंसियां आदि विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्थितियों में वन कार्य प्रणाली से सम्बद्ध हैं।

विवरण

आन्ध्र प्रदश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के वन तथा आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के 12 जुलाई, 1978 को हुए सम्मेलन में दिए गए सुझाव

1. लघु वन उत्पादों पर आदिवासी लोगों के पूर्ण अधिकार को जहां कहीं मान्यता नहीं दी गई है, वहां दी जाए। आदिवासी लोगों को मात्र मजूरी कमाने वाले या ठेका श्रमिक समझने

की जगह आदिवासी लोगों द्वारा एकत्र किए गए वन उत्पाद की बाजारी कीमत के आधार पर उपयुक्त कीमत निर्धारित की जानी चाहिए ।

2. लघु वन उत्पादों को बाजार में बेचने का कार्य बड़े पैमाने की बहुधंधी सहकारी समितियों की तरह की सहकारी समितियों द्वारा किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में राज्यों द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए । जहां इस प्रकार की सहकारी समितियां गठित न की गई हों वहां वन विभागों को सीधी खरीद शुरू करनी चाहिए या जारी रखनी चाहिए ।

3. आदिवासी क्षेत्रों में लाख और टस्सर के विकास, प्रोसेसिंग तथा मार्किटिंग के लिए क्षेत्रवार योजना बनाई जाए और इस प्रयोजन के लिए लाख के विभिन्न प्रयोगों का पता लगाया जाए और टस्सर हास्ट वृक्षों को रोपने का कार्य हाथ में लिया जाए।

4. वन ग्रामों की प्रथा का उन्मूलन किया जाना चाहिये और उन्हें राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

5. वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने तक, वन कार्यों के लिए प्रत्येक परिवार द्वारा अनिवार्य श्रम प्रदान करने के लिए वन ग्रामों के दायित्व को विशिष्ट अनुबन्ध सम्बन्धी दायित्वों से विस्थापित किया जाए ।

6. आदिवासी क्षेत्रों में वनों के विकास के सम्बन्ध में पृथक योजना बनाने की जगह उन्हें एकीकृत आदिवासी विकास क्षेत्रों की व्यापक योजनाओं का अभिन्न अंग बनाना चाहिए । ऐसे वानिकी कार्यक्रमों में स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

7. औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जिन्सों के रोपण में मिले-जुले जिन्स लगाए जाएं जिनसे चारा, फल या लघु वन उत्पाद उत्पन्न हों ।

8. वन विभागों में वन अधिकारियों का एक ऐसा काडर तैयार किया जाए जो उचित रूप से प्रशिक्षित हों तथा आदिवासी विकास के सिद्धांत में अटूट विश्वास रखते हों एव उन्हें आदिवासी क्षेत्रों में भेजा जाए ।

9. जहां वनोन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाई जानी परिकल्पित हो, वहां एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में विशिष्ट वन अधिकारियों को परियोजनाओं प्रशासकों के रूप में वियुक्त किया जाना चाहिए ।

10. पहले लिए गए निर्णयों के अनुसार वानिकी विकास परियोजनाओं को आयोजित एवं मानीटर करने तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ निकट तथा लगातार संपर्क रखने के लिए केन्द्र में कृषि विभाग में तथा राज्यों में वन विभागों में विशिष्ट संगठन सृजित किए जाने चाहिएं ।

इस्लामाबाद में भारतीय कर्मचारियों पर प्रतिबंध

11266. **श्री पी० एम० सईद**
श्री ए० आर० बद्री नारायण
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने में असमर्थ हैं और पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध लागू किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भी नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी मिशन पर प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत ने इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है;

(ङ) इस कार्यवाही के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा दिये गये कारण क्या हैं; और

(च) क्या इससे इन दो देशों के बीच सम्बन्ध और खराब होंगे ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने में इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूतावास के साथ किसी तरह का भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है और न तो भारतीय राजदूतावास के कर्मचारियों के आने-जाने अथवा उनके कार्य करने पर कोई विशेष प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वोत्तर रेलवे की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कर्मचारी यूनियन द्वारा पारित संकल्प

11267. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर डिविजन के रेलवे सुरक्षा बल सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की बेइज्जती करने और उन्हें परेशान किये जाने तथा उन्हें अकारण ही झूठे मुकदमों में फंसाने के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी यूनियन द्वारा पारित संकल्प के संदर्भ में जांच के आदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कथित मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस मामले की जांच कराने का है जिसमें उक्त सुरक्षा अधिकारी ने 721 रुपये का एक नकली बिल पास कराकर यह राशि धोखाधड़ी से प्राप्त की थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति रेल कर्मचारी एसोसिएशन इज्जतनगर द्वारा की गयी शिकायत/संकल्प की जांच करने के आदेश दिये गये थे। जांच सुरक्षा अधिकारी/लखनऊ ने की थी। आरोप सिद्ध नहीं हुए थे ।

(ख) 8-3-79 को सहायक सुरक्षा अधिकारी इज्जतनगर और सहायक लेखा अधिकारी के बीच गर्मा-गर्मी हो गयी थी। चूंकि यह घटना केवल मौखिक गर्मा-गर्मी तक ही सीमित है, अतः इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) सहायक सुरक्षा अधिकारी, इज्जतनगर वरिष्ठ अधिनस्थों के टाइप 4 के क्वार्टर में रहते थे तथा मंडल अधीक्षक (इंजीनियरी), इज्जतनगर द्वारा निर्धारित किराया उनके वेतन से काटा गया था। महाप्रबंधक (इंजीनियरी) के किराये में संशोधन करके उसे कम कर दिया था संशोधित किराया निर्धारित होने पर सहायक सुरक्षा अधिकारी ने 721 रुपये की वापसी की मांग प्रस्तुत की थी किन्तु मंडल लेखा अधिकारी/इज्जतनगर ने उसे स्वीकार नहीं किया था। अत जाली भुगतान आदेश द्वारा धोखे से रुपया प्राप्त करने का कोई मामला नहीं है।

साइकिल स्टेण्ड

11268. **श्री यादवेन्द्र दत्त**
श्री ए० सुन्ना साहिब } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे की :

(क) क्या उन्हें पता है कि सभी मंत्रालयों/विभागों और सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिये उनमें राज सहायता प्राप्त दरों पर साइकिल स्टैंड चलाये जा रहे हैं जिससे वे नाम मात्र प्रभारों की अदायगी करके अपने वाहन-कार/स्कूटर/साइकिल खड़ी कर सकें।

(ख) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उसके कर्मचारियों के लाभ के लिये कोई साइकिल स्टैंड नहीं चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सफदरजंग अस्पताल के लाभ के लिये साइकिल स्टैंड की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) हालांकि सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों की सुविधा के लिये कोई साइकिल स्टैंड नहीं है, फिर भी वर्तमान स्टैंड पर उनसे रियायती दरों पर शुल्क लिया जा रहा हैं।

(ग) और (घ) पर्याप्त स्थान के न होने के कारण कर्मचारियों के लिये एक अलग साइकिल स्टैंड की व्यवस्था करना संभव नहीं है। वैसे, वर्तमान सुविधायें पर्याप्त समझी जाती हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय, देव नगर

11269. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उन्हें हाल ही में देव नगर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय में डाक्टरों के निष्ठुर व्यवहार के बारे में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वे काफी समय तक रोगियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं और औषधालय का स्वयं प्रभारी डाक्टर भी उसे की गई शिकायतों की ओर ध्यान नहीं देता परन्तु शिकायत के लिए उसके पास आने वाले रोगियों को डांटता है;

(ख) क्या बड़े डाक्टरों द्वारा लिखे जाने पर भी कीमती दवाएं रोगियों को नहीं दी जाती और वे अपने सम्बन्धियों और मित्रों को दे दी जाती हैं;

(ग) औषधालय में स्थिति को सुधारने के लिए क्या ठोस और तात्कालिक उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार दोषी पाये जाने वाले डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । वैसे, इस सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ।

(ग) और (घ) इन शिकायतों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है । यदि जांच पड़ताल के बाद कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध अपेक्षित प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी और साथ ही डिस्पेंसरी के काम-काज में सुधार करने के लिए वे उपचारी उपाय किये जायेंगे जिन्हें आवश्यक समझा जायेगा ।

सीरिया को भारतीय तकनीकी जानकारी

11270. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीरियाई सरकार ने अपने देश के लिए भारतीय तकनीकी जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच इस बारे में किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) 1976 में रेल इण्डिया टेक्निकल एन्ड इकनामिक सर्विसिज लि० (राइट्स) ने सीरिया में डेर एज जोर-आबू कमाल रेल लाइन तथा दो अन्य लाइनों के औचित्य की अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । तब से इस मामले पर सीरिया के साथ समय-समय पर पत्र-व्यवहार हुआ है । सीरिया के परिवहन मन्त्री ने अप्रैल, 1979 के अपने भारत भ्रमण के दौरान यह बताया था कि भारत सीरिया में महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव दे सकता है जिस पर अन्य प्रस्तावों के साथ विचार कर लिया जायेगा । तदनुसार भारतीय रेलों के विशेषज्ञों के एक दल को सीरिया के लिए रवाना किया गया है जो उस प्रस्ताव की तैयारी के लिए लागत के आंकड़े तथा अन्य विवरण इकट्ठे करेंगे ।

न्यू जलपाईगुड़ी से गंतोक तक रेलवे लाइन

11271. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यू जलपाईगुड़ी से गंतोक (सिक्किम) तक नई रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अद्यतन प्रगति क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"ब्लाड रोबरी एट ए० आई० आई एम० एस०" शीर्षक से समाचार

11272. **श्री प्रद्युम्न बाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 मई, 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ब्लाड रोबरी एट मेडिकल इन्स्टीट्यूट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान की तस्वीर को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस संस्थान ने अस्पताल के प्रशासन को सुव्यवस्थित बनाने, कैजुअल्टी में इमरजेंसी पलंगों की संख्या बढ़ा कर और बहिरंग रोगी विभाग में उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों की आय के आधार पर शुल्क वसूल करने की प्रणाली हटा कर पीड़ित रोगियों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। रोगियों और उनके परिचरों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं :—

(1) अस्पताल में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रैचरें और स्ट्रैचर सहित पहिए वाली कुर्सियों की संख्या बढ़ा दी गई है।

(2) अधिक परिचरों के रहने के लिए राजगढ़िया विश्राम सदन का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में परिचरों के लिए एक अतिरिक्त रात्रि शरणालय का निर्माण कार्य चल रहा है।

विवरण

श्री टी० सी० रैना की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला देवी 22-3-79 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के तंत्रिका सर्जरी बहिरंग रोगी विभाग में आई। प्रारम्भिक जांच के पश्चात उनके ब्रेन में एक टयूमर होने का सन्देह था और उन्हें भर्ती होने की सलाह दी गई थी। ब्रेन ट्यूमर की शल्य चिकित्सा के लिए 6-8 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। रोगी के सम्बन्धियों से चार यूनिट रक्त जमा कराने के लिए अनुरोध किया गया था। तांत्रिक सर्जरी विभाग का यह अनुभव रहा है कि यदि परिवार द्वारा रक्तदान करने से पहले रोगियों को दाखिल कर लिया जाता है तो इसके बाद परिबार के सदस्य रक्त दान करने से कतराते हैं। रोगी की शल्य चिकित्सा करने से पहले रोगी को वार्ड में अनावश्यक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ब्लड बैंक अपने स्वैच्छिक रक्तदाताओं से सर्जरी के सभी रोगियों के लिए अपेक्षित रक्त प्रदान नहीं कर सकता। परिवार के सदस्य जब रक्तदान कर भी देते हैं तो भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान

संस्थान अस्पताल के ब्लड बैंक को रेडक्रास के जरिए स्वेच्छिक रक्त दाताओं से लगभग 60-70 प्रतिशत रक्त सप्लाई करना पड़ता है। व्यावसायिक रक्त दाताओं का रक्त इस्तेमाल करने की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि यह रोगियों के लिए विशेषकर जिन्हें बहुत बड़ी मात्रा में रक्तदान की आवश्यकता होती है जैसा कि ब्रेन ट्यूमर वाले बहुत से रोगियों को होती है, संभवतः खतरनाक होता है। जैसे ही रक्तदान के बारे में डाक्टरों को सूचित कर दिया गया था, रोगी को दाखिल कर लिया गया था। रोगी की पूरी तरह से जांच की गई थी। दुर्भाग्यवश उन्हें बहुत से गौण प्रभाव हो गए थे जिनमें केवल ब्रेन ही नहीं था बल्कि उनकी रीढ़, कूल्हा, श्रोणि, सेक्रम और कन्धे भी शामिल हैं। इन परिस्थितियों में एक निश्चित शल्य चिकित्सा करनी संभव नहीं थी। इस बारे में डाक्टरों ने रोगी के पति को बता दिया था।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ब्लड बैंक का कोई प्राधिकृत एजेंट नहीं है। तथापि, अस्पताल में प्रत्येक रक्तदाता को लाने के लिए प्रेरक को एक रुपये का भुगतान किया जाता है। अस्पताल के प्राधिकारियों ने रोगी के पति को रक्त प्राप्त करने के लिए किसी एजेंट के पास जाने की सलाह नहीं दी थी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक ने तथ्य अन्वेषण की जांच करने संबंधी आदेश दे दिये हैं।

अताराँकित प्रश्न संख्या 2734 दिनाँक 17-5-1979 में शुद्धि करने वाला विवरण

7-12-78 को लोकसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2734 के भाग (घ) और (ङ) में यह पूछा गया था कि क्या सरकार का विचार योग और विश्वायतन योगाश्रम के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की तकनीकी मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने तथा क्रियान्वित करने का है। उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि समिति की रिपोर्ट को इस मंत्रालय के सुझावों सहित योग और विश्वायतन योगाश्रम के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के प्रशासक के पास उचित कार्यवाही करने तथा उन्हें लागू करने के लिए भेजा जा रहा है।

अब यह ध्यान में आया है कि उक्त उत्तर में दिए गए तथ्य सही नहीं थे। समिति की रिपोर्ट वास्तव में योग और विश्वायतन योगाश्रम के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के प्रशासक को उनकी टिप्पणियों के लिए 1-11-78 को भेज दी गयी थी और जब इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था तब उनकी टिप्पणियों की इन्तजार की जा रही थी। ये टिप्पणियां 17 अप्रैल, 1979 को प्राप्त हो गयी हैं ओर उनकी जांच की जा रही है। इस प्रकार अब तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है कि प्रशासक को कार्यान्वयन के लिये सरकार के निर्देश/सुझाव भेजे जाते। इस गलती का उस समय पता चला जब 26-4-79 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-8644 का उत्तर तैयार किया जा रहा था।

इस प्रश्न के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर को अब ठीक कर लिया जाए और उसे नीचे लिखे अनुसार पढ़ा जाए :—

(घ) और (ङ) समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो सुझाव दिये हैं उनमें से अधिकांश स्वीकार्य हैं। समिति की रिपोर्ट योग और विश्वायतन योगाश्रम के केन्द्रीय अनुसंधान के प्रशासक को उनकी टिप्पणियों के लिये भेज दी गई है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक हरिजन महिला के बलात्कार का मामला उठाना चाहता हूँ.....(**व्यवधान**)

श्री मोहन लाल पिपिल (खुर्जा) : एक हरिजन महिला के साथ रेप किया गया है। दो बार रेप किया गया है और पार्लियामेंट से मुश्किल से एक फर्लांग के फासले पर यह हुआ है। जब रिपोर्ट लिखाने के लिये वह जाती है तो उसको भगा दिया जाता है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ती, शान्ती। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैंने भी यह समाचारों में पढ़ा है। मैं निश्चिय ही गृह मन्त्री से कहूंगा कि वह इस पर विचार करें (**व्यवधान**) मैं निश्चिय ही गृह मन्त्री से मामले की जांच करने को कहूँगा।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाते हैं इसको कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये। (**व्यवधान**) ××

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं एक मिनट का समय लूंगा। यह हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष के चुनाव के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले महसूस करना चाहिए कि यह कार्य पालिका की कार्यवाही पर आपत्ति उठाना है, इसका निर्णय न्यायालय कर सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप पीठासीन अधिकारियों के चेयरमैन हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ। यह तरीका नहीं है, अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली नगरीय कला आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं दिल्ली नगरीय कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली नगरीय कला आयोग (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 614 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4486/79]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, के वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2)

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

×× कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन भाग 2 (प्रशासन और वित्त) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4487/79]

प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज कुरुक्षेत्र के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वार्षिक लेखे आदि

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : मैं डा० प्रताप चंद्र चंद्र की ओर निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

1. (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष, 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखे तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष, 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4488/79]

2. (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे का हिंदी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4489/79]

3. (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति।

(तीन) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4490/79]

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज कालीकट तथा मोतीलाल नेहरू प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन आदि तथा विश्व भारती शान्ति निकेतन के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे आदि

श्री धन्नासिंह गुलशन : मैं निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(क) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कालीकट का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कलेज, कालीकट के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4491/79]

(ख) (एक) मोतीलाल नेहरू प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) मोतीलाल नेहरू प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 4492/79]

(ग) (एक) विश्वभारती विश्व विद्यालय शान्तिनिकेतन के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 4493/79]

राष्ट्रमंडलीय देशों में भारतीयों के प्रदेश के बारे में दिनांक 26 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8732 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कुण्डू) : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से राष्ट्र मण्डल देशों में भारतीयों के प्रवेश के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 8732 के 26 अप्रैल, 1979 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ ।

विवरण

श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 8732 के सन्दर्भ में, जो कि राष्ट्रमण्डल के देशों में भारतीयों के प्रवेश के विषय में था, और जिसका उत्तर 26 अप्रैल, 1979 को दिया गया था । यह कहा गया था कि आस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय यात्रियों को वीजा की जरूरत नहीं होती । वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रमंडल के नागरिकों को आस्ट्रेलिया होकर अन्यत्र जाते समय वहां तीन दिन तक रुकने के लिए वीजा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते

कि उनके पास आगे की यात्रा का टिकट हो, लेकिन साधारण पासपोर्टधारी यात्रियों को वीजा लेना पडता है।

चूंकि यह गलती अभी ही हमारे ध्यान में आई है, इसलिए इसे पहले सुधार पाना संभव नहीं था ।

भारतीय तलकर्षण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय तलकर्षण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय तलकर्षण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये** । **देखिये** संख्या एल० टी० 4495/79]

तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 1979 की प्रति, इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 311 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये** । **देखिये** संख्या एल० टी० 4496/79]

(.) उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4497/79]

मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण तथा राष्ट्रीय श्रम संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लारंग साय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) विवरण संख्या 13—सोलहवां सत्र, 1976 (पांचवी लोक सभा)
(दो) विवरण संख्या 16—दूसरा सत्र, 1977 ⎫
(तीन) विवरण संख्या 14—चौथा सत्र, 1978 ⎪
(चार) विवरण संख्या 7—पांचवा सत्र, 1978 ⎬ (छटी लोक सभा)
(पांच) विवरण संख्या 4—छठा सत्र, 1978 ⎪
(छः) विवरण संख्या 2—सातवां सत्र, 1979 ⎭

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4498/79]

(2) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेख तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4499/79]

भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) नियम, 1978

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : मैं भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 3 फरवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 172 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4500/79]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश मिला है कि

राज्य सभा 15 मई, 1979 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 अप्रैल, 1979 को पास किये गये कोसनगैस कम्पनी (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1979 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य सभा 15 मई, 1979 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 अप्रैल, 1979 को पास किये गये परेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य सभा 15 मई, 1979 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 मई, 1979 को पास किये गये संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पैंशन (संशोधन) विधेयक, 1979 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे राज्य सभा द्वारा 15 मई, 1979 को हुई उसकी बैठक में पारित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम विधेयक, 1979 की प्रति इसके साथ संलग्न करने का निदेश मिला है।"

श्री चित्रा तिरुनल इन्स्टीट्यूट फार मेडिकल साइन्सेस एण्ड टेकनोलाजी त्रिवेन्द्रम, विधेयक 1979

राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

सचिव : महोदय, मैं श्री चित्रा तिरुरल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एण्ड टेकनोलाजी, त्रिवेन्द्रम, विधेयक, 1979, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।..(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि बिहार के मुंगेर जिले के चिलकारी गांव के हरिजनों पर ऊंचे वर्ग के लोगों ने हमला किया है। समूचे हरिजन के गांव को आग फूंक कर स्वाहा कर दिया गया है। कल आपने कहा था कि इस पर ध्यानाकर्षण मंजूर किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं 377 की अनुमति दे रहा हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्भव नहीं है। बिल्कुल भी समय नहीं है।

श्री बसु, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, आप लोक सभा के अध्यक्ष है और भारत में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के पदेन सभापति हैं।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : समय बिल्कुल भी नहीं है।

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार के मुंगेर जिले में इतनी भयानक घटना घटी है, उस पर यहां चर्चा होनी चाहिए। ·· **(व्यवधान)**

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, इस पर यहां अवश्य चर्चा होनी चाहिए।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : केवल एक ही दिन बाकी बचा है, समय बिल्कुल भी नहीं है, यह सम्भव नहीं है, मैं आपके मामले को नियम 377 के अधीन उठाने की अनुमति दे दूंगा। आप नियम 377 के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जो प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि आप लोक सभा के अध्यक्ष हैं और आप इस देश के प्रजाइडिंग अधिकारियों के सम्मेलन के सभापति भी हैं। यहां हिमाचल प्रदेश में मुख्य मन्त्री के थोड़े से अनुयायियों के·····

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं उनको अनुमति नहीं दे रहा हूं इसको रिकार्ड मत करो।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें कह दिया है कि यह सम्भव नहीं है, रिकार्ड मत करो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कामत को बुला लिया है। मैं आपकी बात उनके बाद ही सुनूंगा ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आदेश की एक बात पर खड़ा होता हूँ, यह आज के कारोबार की सूची के सम्बन्ध में है, मुझे खुशी है कि लोकपाल बिल को 'उचित स्थान' मिल गया है अर्थात् इसे कार्यवाही की सूची के ऊपर लाया गया है। मुझे आशा है कि इसे इस सत्र में ही पारित कर दिया जाएगा। दुर्भाग्यवश हमें मालूम नहीं है, हम अंधेरे में हैं, इसे कितना समय प्रदान किया गया है। कार्यवाही सलाहकार समिति ने इस पर विचार नहीं किया है। हमें अभी जान लेना चाहिये कि इसे कितना समय प्रदान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आठ घण्टे, यदि मुझे भूल नहीं हुई है तो। कामत साहब यह बुलेटिन में मौजूद है, इसे इसी सत्र में पारित किस प्रकार किया जा सकता है—केवल दूसरे सदन में ही पारित किया जा सकता है। इसको सदन में प्रस्तुत कर लिया गया है। इसे सूची में रख लिया गया है।

××रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरी भविष्यवाणी सच निकली ।

अध्यक्ष महोदय : वास्तविकता को देखिये । इसे किस प्रकार किया जा सकता है ?

श्री हरि विष्णु कामत : यह इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप अपने को नियम 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं । नियम 13 के अधीन आपको पूरे सत्र की कार्यवाही को नियमित करने सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं । कृपया नियम 13 देखिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए, सत्र कल समाप्त होने जा रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : कम-से-कम अगले सत्र के लिए हम सबक सीख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उसमें इसके लिए पर्याप्त समय मौजूद है और मैं सोचता हूं कि तब तक वातावरण और ठण्डा हो जाएगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : नियम 13 इसके विषय में स्पष्ट उल्लेख कर देता है आप उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो आपको प्रदत्त की गई हैं । आपने कई बार कहा है कि आप संसद को अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं । आपने उसे एक अथवा दो बार नहीं कहा है अपितु कई बार कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है, इस नियम के अधीन अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित करने का अधिकार होता है परन्तु कठिनाई यह है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्राथमिकता देनी पड़ती है जैसे कि वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आदि ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इसके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यदि हम नियमों का पालन करें और समय को बर्बाद न करें तो हम काफी कुछ कर सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : जो मैं कह रहा हूं वह भी अन्ततः समय को बचाने के लिए ही है । इसके लिए हम आपके इस सम्माननीय सदन को ग्रहण करने से ही उत्सुक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं दूसरों को समझाने में समर्थ नहीं हो पाया हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे अतिरिक्त ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा ही चाहता हूं ।

अब हम अन्तिम चरण में हैं, वाद-विवाद केवल दूसरे ही सत्र में हो सकता है । हम आज और कल के शेष समय का अच्छा उपयोग क्यों न कर लें ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधी नगर) अगले सत्र में इस विधेयक की प्राथमिकता क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसे समुचित प्राथमिकता दे दी जाएगी ।

प्रो० पी० जी मावलंकर : समुचित का क्या अर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही को व्यवस्थित करने में इसे उच्च प्राथमिकता दे दी जाएगी ?

श्री हरि विष्णु कामत : सर्वोच्च ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो कुछ हुआ वह एक राष्ट्रीय संकट है और इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व आपको संसद की ओर से सहानुभूति प्रदर्शित करने के कुछ शब्द अवश्य कहने चाहिए । काफी संख्या में व्यक्ति बेघरबार हो गए हैं और मर चुके हैं ? उनके प्रति हमें अपनी सहानुभूति अवश्य व्यक्त करनी चाहिए और पूरे सदन की ओर से कुछ शब्द बोलने के लिए केवल आप ही उपयुक्त व्यक्ति हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका मतलब समझ गया हूँ ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : महोदय, कई अवसरों पर जबकि चयन समितियां अपने प्रतिवेदनों को सही समय पर प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं तो सदन उसके लिए उनकी आलोचना करता है और जब सरकार सदन के सम्मुख आती है और लालच देती है कि चयन समिति के प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और फिर जब कई महीनों तक प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श नहीं हो पाता है तो आप इसके विषय में भर्त्सना के कोई भी शब्द नहीं कहते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : चेतावनी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हां, चेतावनी और इसलिए मैं श्री कामत से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि सरकार को इन उपायों को लाने और इनका अध्ययन करने में अधिक तत्पर रहना चाहिए । सदन और दल जिससे हम सम्बन्धित हैं, शासक दल, जितना जल्दी सम्भव हो पायेगा इस विधेयक को पारित करने के लिए कृत संकल्प हैं परन्तु यह नहीं किया जा रहा है । मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी चयन समिति का सभापति रहा हूँ । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार से कह दें कि वह भविष्य में इसका ध्यान रखे और इस विषय में उपेक्षा न करे ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी भूमिका अध्यक्ष की है, मुख्याध्यापक की नहीं ?

श्री हरि विष्णु कामत : एक मुख्याध्यापक से कहीं अधिक होती है । उनकी तुलना में मुख्याध्यापक क्या है ? दोनों की तुलना एक-दसरे के साथ की ही नहीं जा सकती इसलिए तो····· ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खड़े हुए ।

अध्क्षय महोदय : नहीं, नहीं । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक भी शब्द नहीं बोला है ।

अध्क्षय महोदय : एक भी शब्द नहीं बोला है, लेकिन प्रचण्ड शब्दों की बौछार की है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे अनुरोध का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुझे और तथ्यों का पता चलेगा और तब मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, आप अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों की कांफ्रेंस के चेयरमैन हैं । यदि कोई बात गलत हुई है तो मैं उसे आपके और सदन के ध्यान में ला रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कृपया उनकी बात सुनिए····· । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात जानता हूँ । वह हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव की वैधता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं । यह मामला अदालतों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, संसद के लिए नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता । (**व्यवधान**) ××

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए । अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती जिलों में समुद्री तूफान के कारण हुए विनाश का समापन

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरु) : मैं कृषि और सिंचाई मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस बारे में वक्तव्य दें :

"आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती जिलों में समुद्री तूफान के कारण विनाश का समाचार और परिणामस्वरूप जानमाल और खड़ी फसलों को भारी क्षति और तूफान पीड़ितों को दी गई राहत ।"

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, सबसे पहले 5 मई, 1979 की शाम को 7० उत्तर तथा 90° पूर्व के निकट (कार नीकोबार से लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम की ओर) हवा का दबाव कम पाया गया था । पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 7 मई की सुबह तक यह समुद्री तूफान के रूप में तेज हो गया । 11 मई की सुबह यह झंझावात के रूप में पुनः तेज हो गया, और यह 13.5° उत्तर तथा 83° पूर्व के निकट (अंगोले से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व) केन्द्रित था । उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए इसने 12 मई को भारतीय समय के अनुसार अपराह्न 2-30 बजे कावली के निकट नैल्लौर और अंगोले के बीच दक्षिणी आन्ध्र तट को पार किया । तट पार करने के बाद यह झंझावत एक समुद्री तूफान के रूप में कमजोर पड़ गया और सामान्य रूप से उत्तरी दिशा में बढ़ते हुए बाद में यह और कमजोर पड़ गया और 14 मई सुबह अत्यधिक कम दबाव के रूप में बदल कर रामागुन्डम के समीप पहुँच गया । 15 मई की प्रातः तक यह उत्तर की ओर बढ़ते हुए मन्द पड़ गया । 10 मई की आधी रात तक मद्रास तूफान चेतावनी राडार की परिसीमा में आने तक उपग्रह परम्परागत आंकड़ों द्वारा इस तूफान पर दृष्टि रखी गई । उसके बाद इस पर इस राडार द्वारा निगाह रखी गई जिससे हर घंटे की स्थिति का पता लगता था ।

वायु का दबाव कम होने की सूचना आकाशवाणी से 7 मई की प्रातः ही प्रसारित कर दी गई थी । उसके बाद आकाशवाणी से लगातार चेतावनी प्रसारित की गई थी ।

×× कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

इस तूफान के साथ तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में दूर-दूर तक वर्षा भी हुई। पता चला है कि समुद्र का पानी भी नैल्लौर जिले के कुछ भागों, कृष्णा जिले के सोराल-गोण्डी-इन-दीवी तालुका और मसूलीपटनम के निचले क्षेत्रों में घुस गया था।

तूफान आने की चेतावनी 7 मई को दी गई थी। सामान्य ज्वार-भाटे के स्तर से 3-4 मीटर ऊंचे ज्वार भाटे तथा आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की चेतावनी 10 मई को दी गई थी और उसके बाद इसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद दोहराया गया था। प्रभावित होने वाले विशिष्ट भूखण्डों के बारे में 24 घन्टे पूर्व ही बता दिया गया था। इस प्रकार इस सम्बन्ध में समय में तथा पर्याप्त चेतावनियां दी गई थीं।

मेरे मन्त्रालय के अधिकारी शुरू से ही भारतीय मौसम विभाग और राज्य सरकार से निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश के राहत आयुक्त से 11 मई, 1979 के अपराह्न को फोन पर सम्पर्क स्थापित किया गया और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि वे इस मामले के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं, स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जिला मजिस्ट्रेटों और सेना के प्राधिकारियों को सचेत कर दिया गया है तथा निचले क्षेत्रों से लोगों को हटाया जा रहा है। मेरे मन्त्रालय के अधिकारियों ने सावधानी के तौर पर सभी उपाय करने के लिए 11-5-79 को स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालय से भी सम्पर्क स्थापित किया।

13-5-79 को सुबह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचना दी कि तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में एक लाख से भी अधिक लोगों को पनाह दी गई है और उसने निःशुल्क राहत के लिए खाद्यान्नों का नियतन करने का अनुरोध किया। तदनुसार भारतीय खाद्य निगम ने 2000 मीटरी टन चावल निर्मुक्त किया हैं। राज्य सरकार को अभी पिछले महीने ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 50,000 मीटरी टन खाद्यान्न दिया गया था। तूफान के बाद 14,000 मीटरी टन और अनाज दिया जा रहा है।

16-5-79 तक स्वास्थ्य मन्त्रालय ने राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सरकार के मेडिकल स्टोर्स डिपो, हैदराबाद से 3.34 लाख रुपये के मूल्य की दवाइयां, रोगाणुनाशी तथा जल-शोधन की गोलियां भेजी हैं। पैंडोजेंट मशीनों से लैस दो चिकित्सा दल भी व्यापक रक्षा हेतु विजयवाड़ा के लिए रवाना हो चुके हैं। मेडिकल स्टोर डिपो, कलकत्ता से दस लाख हैजा निरोधक टीके समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में प्रयोग के लिए हवाई जहाज से भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा पीड़ित पशुओं के लिए 26,000 रुपए के मूल्य की पशु चिकित्सा दवायें भी केन्द्रीय मेडिकल स्टोर से दी गई हैं।

रक्षा मन्त्रालय ने भारतीय वायु सेना के जहाज तथा हैलीकोप्टर पहले ही इस कार्य में लगा दिये हैं। भारतीय वायु सेना के दो वायुयान तथा चार हैलीकोप्टर इस महीने की 13 तारीख की सुबह से प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा खाद्य और राहत सामग्री गिराने के लिए नैल्लौर और विजय-वाड़ा के बीच सेवारत हैं।

राज्य सरकार को 10 मई, को तूफान चेतावनी केन्द्र, विशाखापत्तनम से चेतावनी के संदेश प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने सभी उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी जिसमें निचले क्षेत्रों से लोगों और मछुओं को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, चौबीसों घंटे कार्य करने के लिए

संयुक्त नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टीके लगाना, पड़ोसी जिलों से वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए अग्रिम कार्रवाई करना, खाद्य पदार्थों आदि को हवाई जहाज से गिराना शामिल है।

राज्य सरकार को पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी तथा उसने विनाश से बचने के उपाय शुरू कर दिए थे जिससे जन-जीवन तथा पशुओं की कम हानि हुई। समद्री तूफान के आने से पहले कृष्णा, गुन्टूर, प्रकासम और नैल्लोर तथा पूर्वी गोदावरी व पश्चिमी गोदावरी के प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से 1.50,000 लोगों को निकाल कर पक्के मकानों में सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया था। राहत कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए पड़ौसी जिलों के खण्ड विकास अधिकारी तथा तहसीलदार प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। मुख्य मन्त्री ने स्वयं भी 13, 14 और 15 मई को नेल्लोर, प्रकाशम, गुन्टूर और कृष्णा जिलों में तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक हवाई सर्वेक्षण किया।

राज्य सरकार से 16 तारीख के अपराह्न तक जो नवीनतम सूचना मिली है उससे पता चलता है कि वरिष्ठ अधिकारियों की देख रेख में राहत कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहा है। राज्य के मुख्यालय से 16 मई के अपराह्न तक 233 मौतें होने की सरकारी तौर पर पुष्टि की गई है, जिसमें से 200 मौतें अंगोले में, 14 गुन्टूर में, 2 कुड्डापा में, 3 चिट्टूर में, 9 नेल्लोर में, 4 कुरनूल में और 1 पूर्वी गोदावरी में हुई हैं।

नेल्लोर और प्रकासम जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए है। कृष्णा और गुन्टूर जिलों पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा है। पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में भारी वर्षा हुई है लेकिन हानि अधिक नहीं हुई है। अंगोले के कुछ क्षेत्र अब भी अगम्य है और प्रभावित गांवों तक पहुंचने के लिए सेना की नौकाएं काम में लगाई गई हैं। उनके लिए विमान से खाद्य पदार्थ गिराने की भी व्यवस्था की गई है।

मिर्चे, धान, मुंगफली, केला तम्बाकू, गन्ना और दलहन जैसी फसलें मुख्य रूप से प्रभावित हुई हैं। अकेले नेल्लोर में ही 52,000 एकड़ से अधिक भूमि को क्षति पहुँचने की सूचना मिली है। कृष्णा में 26,000 एकड़ कृष्य भूमि समुद्री जल से प्रभावित हुई है। लगभग 16,650 एकड़ के आम के बागों को क्षति पहुंची है।

मकानों, झोंपड़ियों, सार्वजनिक भवनों, विद्युत संस्थानों तथा रेलवे की सम्पत्ति को सबसे अधिक क्षति पहुंचने की आशंका है। अभी कोई ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, परन्तु अकेले नेल्लोर में ही 8 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। प्रकासम जिले में 2 लाख से अधिक घरों के पूरी तरह से नष्ट हो जाने की सूचना मिली है। अकेले गुन्टूर जिले में ही कुल 4.11 करोड़ रुपए की फसलों और सम्पत्ति की हानि होने का अनुमान है।

स्थिति का मौके पर जायजा लेने तथा केन्द्रीय सहायता की सिफारिश करने के लिए आंध्र प्रदेश को एक केन्द्रीय दल भेजने का फैसला किया गया है। यह दल इस महीने की 21 तारीख को आंध्र प्रदेश के लिए रवाना होगा।

भारत सरकार के अधिकारी नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से निकट तथा निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

श्री के० सूर्य नारायण : आन्ध्र प्रदेश सरकार और आन्ध्र प्रदेश की जनता के बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा की गई तत्काल कार्यवाही के लिए मैं भारत सरकार का आभारी हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी मौसम विभाग से सूचना प्राप्त होने पर 10 तारीख और उसके बाद बहुत शीघ्रता से कार्यवाही की। पिछली बार समुद्री तूफान में लगभग 10,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और इस बार मेरी सूचना के अनुसार पशुओं और फसलों का नुकसान पिछली बार से ज्यादा हुआ है। भारत सरकार ने हमारी सहायता की। यद्यपि आन्ध्र प्रदेश की सरकार और जनता को लगभग 500 करोड़ रु० की क्षति हुई है जबकि भारत सरकार ने केवल 70-80 करोड़ रुपए की मदद दी है और पहले वित्त आयोग के अनुसार पिछली बार यह नियम रखा गया था कि वे जो भी सहायता देंगे उसे भावी योजना की सहायता में समायोजित किया जाएगा। इस बार ऐसा कोई नियम नहीं है और सातवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकारों ने भी स्वीकार किया है, कि इसे इस प्रकार समायोजित नहीं किया जाएगा और भारत सरकार इसे राष्ट्रीय विपत्ति मानकर सारा-का-सारा या कम-से-कम 75 प्रतिशत खर्च वहन करे और केवल 25 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने के लिए छोड़ दिया जाए।

हमारे कृषि मन्त्री ने मद्रास राज्य में 7 तारीख को और उससे आगे तथा आन्ध्र प्रदेश में 10 तारीख को और उससे आगे होने वाली घटनाओं की सही और पूरी तस्वीर पेश की है। हमारी सूचना और प्रैस-समाचारों के अनुसार अब तक मरने वालों की संख्या 500 है। कई करोड़ रुपए की फसल नष्ट हो गई है। कई लाख एकड़ भूमि पर तूफान का असर पड़ा है। नेल्लोर जिले में कई लाख टन चावल नष्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम ने निजी भण्डारण क्षमता न होने के कारण चावल और धान पश्चिमी गोदावरी के बाहर नेल्लोर में रखा हुआ था। ये सब नष्ट हो गया है और भारतीय खाद्य निगम को कई करोड़ रुपए के चावल और धान की क्षति हुई है। गोदामों के निर्माण पर धन खर्च करने की बजाय हम उससे कहीं अधिक तटवर्ती जिलों में तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खो रहे हैं।

मैं सरकार को पूरी तस्वीर पेश करता हूँ जो आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आज सुबह ही मुझे भेजी है। हमारे मुख्य मन्त्री ने भी एक संवाददाता सम्मेलन में यह कहा है कि खाद्य-सामग्री की सप्लाई के अतिरिक्त वे केन्द्र सरकार से राज्य के सामान्य कोटे के अलावा राहत-कार्यों के लिए 10,000 टन इस्पात और 10,000 टन सीमेंट भी चाहते हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे खाद्य-सामग्री और वित्तीय सहायता के अलावा सीमेंट और इस्पात की इतनी मात्रा के लिए भी मंजूरी दें। हमारे मुख्य मन्त्री प्रति घन्टे की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति, वित्त मन्त्री, प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री को दैनिक रिपोर्ट भेज रहे हैं।

उन्होंने कहा है कि प्रकाश्म जिले के कुडूकुरु गांव में चावल की लगभग 6000 पट्टियां (40 लाख रुपये का लगभग 6 लाख टन) बह गया है। कितने ही गांव बह गये हैं और इस तरह आप क्षति का अनुमान लगा सकते हैं। नेल्लोर के केवल एक गांव में ही 30 लाख रुपये मूल्य के पान के पत्तों की हानि हुई है। रिपहले तथा गुंटूर तालुकों में वर्ष 1977 में सैकड़ों एकड़ भूमि में पान के पत्तों की फसल नष्ट हो गई थी, और अब फिर उनकी फसल नष्ट हो गई है। भगवान के

भेजे समुद्री तूफान तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जो हानि हुई है वह बहुत भारी है ऐसे प्राकृतिक प्रकोप विदेशों में भी होते होंगे। सरकार यह पता करे कि वे देश ऐसे मामलों में कौनसे तकनीकी उपाय करते हैं और वे देश हमें इस बारे में तकनीकी जानकारी देवे। लोगों को राहत पहुँचाने के अलावा सरकार इन देशों से उक्त तकनीकी जानकारी प्राप्त करे। यह पहला अवसर तो नहीं है कि समुद्री तूफान ने तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित किया है। बेशक मई के महीने में समुद्री तूफान शायद ही कभी आते हैं। प्रेस समाचारों के अनुसार जो समुद्री तूफान शनिवार को आंध्र प्रदेश में आया था ऐसा तूफान पिछले 85 वर्षों में केवल छः बार ही आया है। यह मई का महीना है। सामान्यतः जनवरी/फरवरी अथवा अक्तूबर/नवम्बर में ही समुद्री तूफान आते हैं। यह समय समुद्री तूफानों का नहीं है। मुझे कुछ और जानकारी मिली है। सरकार को भी वह जानकारी मिली होगी। 360 लोगों की जाने गई हैं। 30 लाख रुपये के मूल्य के मकान नष्ट हो गये हैं, 452 लाख रुपए के मूल्य के मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं। केवल प्रकारुम जिले में ही 1 लाख हैक्टेयर भूमि में फसलें बरबाद हो गई हैं और नेल्लोर में 30,000 एकड़ भूमि में। प्रकारूम जिले में 76,000 टन तम्बाकू की फसल नस्ट हो गई है। 100 रुपये की दर से प्रकारूम में इसका मूल्य 76 लाख रुपये होता है। ये लोग पूंजीपति तो नहीं हैं छोटे-छोटे भूमिकार हैं। जब कभी भी समुद्री तूफान जैसी कोई प्राकृतिक विपदा आती है उसके सबसे पहले शिकार ग्रामीण लोग, कृषक तथा कृषि श्रमिक होते हैं। मेरा कहना यह है कि भारत सरकार ने चाहे वह पहली सरकार थी अथवा अबकी सरकार है, कोई स्थायी उपाय नहीं किए। निस्सन्देह वे तत्कालिक सहायता देते हैं, परन्तु वे कोई स्थायी हल नहीं निकालते। कोई भी स्थायी रक्षात्मक उपाय नहीं किये गये हैं। पिछली बार, उदाहरणार्थ, एक क्षेत्र में एक रक्षात्मक बांध का निर्माण किया गया था। हालांकि पानी अन्दर आ गया था तो भी इस बार वह बह नहीं गया। परन्तु इसके साथ ही, अन्य गांव बह गये। अतः ऐसे और अधिक बांध बनाये जाने चाहियें।

क्योंकि बाढ़ का शिकार कृषक होते हैं और क्षति अधिकांशतः कृषि उत्पादों को ही होती हैं, सरकार को उनकी सहायता के लिए उपाय ढूंढने चाहियें। यदि आवश्यक हो, छोटे किसानों के लाभ के लिये सरकार अन्य देशों से भी सहायता मांग सकती है। बाढ़ ग्रस्त लोगों के मामलों को देखने और उन्हे राहत पहुंचाने के लिये मंत्रालय में एक पृथक संघ होना चाहिये। वस्तुतः इस कार्य को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व समझा जाना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्ता होती है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री के नेतृत्व में तुरन्त कार्यवाही की। उन्होंने सारे क्षेत्र का विमान से निरीक्षण किया, स्थिति का सर्वेक्षण किया और उचित कार्यवाही की। उन्होंने विधायकों तथा सरकार से कहा है कि वे जितनी भी कर सकें सहायता करें। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि सरकार को सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिये।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूँ कि उचित समय पर आवश्यक सावधानियां बरती गई जो कि एक अच्छी बात है। शायद 1977 में, चेतावनी देने वाले उपकरण में कुछ खराबी थी। अतः चेतावनी न तो समय पर गई और न ही प्राप्त हुई या क्रियान्वित की गई। अतः जान व माल की भारी हानि हुई थी। इस वर्ष भाग्य से चेतावनी

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

समय पर दे दी गई थी, वह काफी भी थी और राज्य सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की। उसने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बचाव कार्य किये और अच्छा कार्य किया गया।

ऐसा करना इस बार संभव इसलिए हुआ क्योंकि उस क्षेत्र में अधिक रेडारों की व्यवस्था करके बाढ़ की चेतावनी देने की प्रणाली में सुधार कर दिया गया था। उदाहरणार्थ, उस क्षेत्र में हमारे पास विशाखापत्तनम और मद्रास में समुद्री तूफान की चेतावनी देने के दो यन्त्र हैं। एक और ऐसा यन्त्र अगले एक अथवा दो माह में चालू कर दिया जायेगा।

इसी प्रकार एक यन्त्र मासुलीपटम में भी स्थापित किया जा रहा है। वह वर्ष 1981 तक तैयार हो जायेगा। इस तट पर एक कलकत्ता में तथा एक पारादीप में भी है। अतः पूर्व चेतावनी देने के लिए हमारे पास निरन्तर रेडार प्रणाली है और इस बार चेतावनियां उचित समय पर दी गईं, उचित ढंग से प्राप्त की गई तथा उचित ढंग से ही इस पर अमल भी किया गया।

जहां तक सहायता का सम्बन्ध है, सातवें वित्त आयोग द्वारा एक नया तरीका निकाला गया है और आयोग की सिफारिश के अनुसार ही राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जायेगी।

मैं यह सिफारिश करूंगा कि आवश्यकता-अनुसार सीमेंट तथा इस्पात भी दिया जाना चाहिये।

श्री रामशेखर कोलूर (रामचूर) : इस बार केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों का ही कार्य-करण पिछली बार की अपेक्षा बेहतर रहा है। उन्होंने तुरन्त ही कार्यवाही की है जिसकी वास्तव में ही प्रशंसा हुई है। परन्तु मंत्री महोदय के वक्तव्य में प्रेस समाचारों के विपरीत जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें प्राप्त सूचना के अनुसार 360 मौते हुई हैं, परन्तु आंध्र प्रदेश ने 15 तारीख को एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि 350 मौतें तो केवल प्रकारूम जिले में हो चुकी हैं। समाचार-पत्रों में भी इसी तरह के समाचार छपे हैं। अतः मैं नहीं जानता कि यह सरकार मौतों तथा अन्य क्षति के बारे में राष्ट्र को सही जानकारी क्यों नहीं दे रही है। कुछ स्थानों पर सरकार ने कहा है कि केवल एक ही आदमी की मृत्यु हुई है। यह सम्बन्धित अधिकारियों के लिये अच्छा नहीं है कि वे इस तरह की रिपोर्ट दें।

काम के बदले अनाज द्वारा राहत, जिसका यहां जिक्र किया गया है काफी नहीं है क्योंकि उस क्षेत्र में शीघ्र ही मानसून शुरू हो जायेगा। इसलिये तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह कोटा बढ़ा दें।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार संसदीय कानून के अन्तर्गत आपदा राहत प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय आपदाओं के समय तत्पर राहत प्रदान करने के लिए एक स्थायी निधि बना रही है, जो प्राधिकरण इस निधि को नियन्त्रित करेगा और प्रभावित लोगों को समन्वित ढंग से आवश्यक सेवाएं देने तथा राहत तथा पुनर्वास की व्यवस्था करेगा। इस प्राधिकरण की क्षतिपूर्ति देने की शक्ति सहित पूर्ण शक्तियां होनी चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस प्रकार की स्थायी निधि को बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

मंत्री महोदय ने कहा है कि निचले क्षेत्रों के लोगों को उन इलाकों से निकाल लिया गया है। क्या जो लोग गांवों तथा नगरों में रह रहे थे उनको ऊंचे स्थानों पर ले जाया जायेगा और उन्हें सभी आधुनिक सुविधाएं दी जायेंगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम गल्तियों से सीखते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था गत वर्ष कुछ गल्तियां हुई थीं और इस वर्ष यह देखने के लिये प्रयास किया गया है कि वे गल्तियां फिर से न हों। अतः हमें प्रसन्नता है कि इस वर्ष का निष्पादन अच्छा रहा है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि हम जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त होती है। कल मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि 233 मौतें हुई हैं हरन्तु आज सुबह यहां आने से पूर्व मुझे सूचित किया गया कि मरने वालों की संख्या अब 360 है और यही कारण है कि मैंने सदन को वह संख्या बताई थी।

जहां तक स्थायी निधि बनाने का प्रश्न है इस पर पहले भी विचार किया गया था। छठे वित्त आयोग ने इस मामले पर विचार किया था और राज्य सरकारों से परामर्श किया था परन्तु वह राष्ट्रीय निधि के पक्ष में नहीं था। राज्य सरकारें उक्त निधि के लिए अंशदान देने के लिये सहमत नही थीं और यह चाहती थी कि सभी राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध की जाये। योजना इस प्रकार थी कि निधियां केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी जायें परन्तु वे इससे सहमत नहीं हुई और इस मामले को छोड़ दिया गया।

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान से अवर्णीय क्षति हुई—सैंकड़ों लोग मरे हैं, करोड़ों रुपये की फसल की बरबादी हुई है, इतना ही नहीं आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि 1977 के नवम्बर में जो साइक्लोन आया था उसमें "सोरलागुण्डी" और उसके बगल का जो गांव था --"नागायलंका" दोनों बुरी तरह से प्रभावित हुए थे—इन दोनों गांवों में इस बार भी तूफान आया। 1977 के तूफान के समय वहां की पुलिस ने अपनी ओर से 5 लाख रुपये का दान देकर, अपनी एक दिन की मजदूरी देकर, वहां के पीड़ित लोगों को बसाने का मकान बनवाया था और अभी तूफान आने के सिर्फ तीन दिन पहले वहां के 336 परिवारों को वहां जो मकान बनाये गये थे उनकी कुंजी बांटी गई थी। इस काम में वहां के चीफ मिनिस्टर ने 5 लाख रुपये अपने "चीफमिनिस्टर्स साइक्लोन रिलीफ फण्ड" से दिए थे, टाटा ट्रस्ट की तरफ से वहां एक बड़ा कम्यूनिटी सेन्टर बनाकर दिया गया था—इस बार के तूफान से वे सारे मकान ध्वस्त हो गए।

अध्यक्ष महोदय, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। केवल आन्ध्र और तमिलनाडु की सरकारें अपने बलबूते पर इस काम को नहीं कर सकतीं। इस राष्ट्रीय समस्या को राष्ट्रीय परिपेक्ष से देखने की आवश्यकता है। यह नितान्त आवश्यक है कि इस देश की जनता से भी सरकार को अपील करनी चाहिए। पिछली दफा नवम्बर, 1977 के तूफान के समय जिस तरह सम्पूर्ण देश और विदेशों ने दान देकर पुनर्रचना का काम किया था, इस बार भी उसी तरह से काम करने की आवश्यकता है। अकेले नेलोर जिले में 8 लाख लोग बेघरबार हो गए हैं, करोड़ों रुपये की फसलें बरबाद हुई हैं, सैंकड़ों लोग मर गए हैं। हम देख रहे हैं—हर साल यह घटना घटती है, दक्षिण भारत हर साल तूफान से पीड़ित होता रहता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में—जो मैगनीचूड-आफ-दि-प्राबलम है, उसको रिड्यूस करने के लिए सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की है ? इस बारे में दूसरे देशों में जो एक्सपैरिमेंट्स हुए हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए साइक्लोन को ब्रेक-अप करने के लिए, उसको टेम करने के लिए, हमारी सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं या कौन-सी प्रगति की है ?

[श्री युवराज]

अध्यक्ष महोदय, जब यह साइक्लोन आता है तो सम्पूर्ण इलाके में पीने के पानी के जो स्रोत होते हैं—चाहे नदी का पानी हो, ट्यूब-वेल का पानी या फिल्टर्ड-वाटर लेने का स्रोत हो—वे सब दूषित हो जाते हैं -- सब पानी नमकीन हो जाता है। लोगों को पेयजल मिल सके, वहां पर संक्रामक रोगों के फैल जाने से लोगों को मरने से बचाया जा सके - इस दिशा में सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की है ?

पुनर्वास का काम लम्बे दिनों तक चलता है—इसलिए इसको शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए, ताकि बरसात से पूर्व उन पीड़ित लोगों को, जो बेघरबार हो गऐ है, कुछ छाया मिल सके, शरण मिल सके—इस दिशा में सरकार ने युद्धस्तर पर कौन से प्रयास किए हैं ?

श्रीमन्, यह काम केवल आन्ध्र या तमिलनाडु का नहीं हैं, यह राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं —आन्ध्र के मुख्य मन्त्री डा० चेन्ना रेड्डी ने जो एक लाख टन अनाज की मांग "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत की है—उनको यह सहायता तुरन्त दी जाय—इस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है ? हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जिन चीजों की जरूरत होगी वह सहायता उनको दी जायगी।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब तक इनकी टीम वहां नहीं गई है और 21 तारीख को इनकी टीम वहां जाएगी। संचार साधन अस्तव्यस्त हैं और अभी तक हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने उन क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सिंचाई मंत्री जी स्वयं जाकर स्थिति का अवलोकन करेंगे और मैगनीट्यूड आफ दि प्राब्लम को रिड्यूस करेंगे और साइक्लोन को ब्रेक-अप करने के लिए और उसको टेम करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहे हैं, उस दिशा में कारगर कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पहले तो माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि साइक्लोन को ब्रेक-अप करने या उसको टेम करने का कोई तरीका निकला है या नहीं और कोई इस बारे में रिसर्च हुआ या नहीं जैसा कि दूसरे देशों में हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि देश ने साइक्लोन को टेम नहीं किया है, किसी देश के पास साइक्लोन को ब्रेक-अप करने का पक्का तरीका नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी इस सम्बन्ध में दूसरे देशों के पास ज्ञान है, वैसा ही ज्ञान हमारे पास है। रिसर्च सेन्टर मद्रास में बना हुआ है, जो सारी इन्फार्मेशन इकट्ठी करता है और इकट्ठी करके उससे लाभ उठाने की कोशिश करता है। सबसे ज्यादा काम जो इसमें हो सकता है, वह यह है कि इसकी वार्निंग दे दी जाए और वार्निंग के आते ही ठीक समय पर प्रबन्ध कर लिया जाए। यह सब कुछ काम ठीक तरह से हो रहा है लेकिन अभी तक साइक्लोन को ब्रेक-अप या टेम करने का प्रबन्ध नहीं हो सका है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इसके लिए कोई पक्का प्रबन्ध होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पक्का प्रबन्ध वहां हो सकता है जहां साइक्लोन कम्पलसरीली दो, चार साल में आते हैं और हिस्ट्री से मालूम होता है कि वे वहां आते रहते हैं। हिस्ट्री से यह पता चला है कि कभी नवम्बर में साइक्लोन आया और कभी अक्तूबर में लेकिन मई के महीने में बहुत कम आते हैं। पिछले सौ साल में 5 या 6 दफा मई के महीने में साइक्लोन आया है लेकिन अक्सर नवम्बर के महीने में साइक्लोन आते हैं। पक्का प्रबन्ध करने की जो बात कही गई है, तो मैं आपको बता

दूं कि इसके लिए पक्के शेल्टर बनाए गये हैं और अकेले आन्ध्र में लगभग 1300 शेल्टर कोस्टल बेल्ट पर बनाए हैं, जहां पर ऐसे मौके पर लोग जाकर ठहर सके। ऊंची जगहों पर पक्के शेल्टर बनाए हैं और एक शेल्टर में करीब सौ, डेढ़ सौ आदमी इकट्ठा हो सकते हैं। एक शेल्टर पर एक लाख रुपया खर्च आता है और इसके लिए बहुत सी संस्थाओं ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मदद दी है। इसके लिए ई० ई० सी० से भी एक करोड़ रुपया मिला है। इस तरह से यह काम चल रहा है।

आपने कहा कि सेन्ट्रल टीम अभी तक नहीं गई और 21 तारीख को इसके जाने की बात है। अभी तक वहां पर जाने आने के साधन नहीं हैं। इसलिए सेन्ट्रल टीम के पहले जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां से कम्युनिकेशन्स नहीं मिल रही हैं। सेन्ट्रल टीम उस वक्त जाती है जबकि वहां जाकर वह कुछ अन्दाजा लगा सके कि कितना नुकसान हो गया है। अगर वहां पहुँच नहीं सकते, तो नुकसान का सही अन्दाजा नहीं हो सकता है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार से बात करके वहां 21 तारीख को सेन्ट्रल टीम भेजने का तय किया है। मेरे बारे में यह कहा कि मैं वहां नहीं पहुंचा। यहां पर कालिंग एटेंशन का जवाब देना जरूरी था और परसों राज्य सभा में इसका जवाब दिया था। आज यहां इसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे फुरत मिले तो मैं जाऊं। मेरी अपनी ख्वाहिश तो यह है कि मैं जल्दी से जल्दी वहां जाकर कुछ करूं।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि अन्त में लोक सभा सचिवालय ने सदन में शून्य काल के दौरान दो, तीन दिन की बहस के बाद इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को इस सदन में विचार करने के लिए लेना स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके मन में कोई संशय न रहे इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने इस कारण इसमें विलम्ब किया कि हम चाहते थे कि उन्हें जानकारी मिल जाये। मैंने मंत्री महोदय के साथ इस पर विचार किया था जिससे कि उन्हें वादविवाद के लिए जानकारी प्राप्त हो सके।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : महोदय मैं इस पर आपके साथ सहमत नहीं हूं। माननीय मंत्री द्वारा जो विवरण दिया गया है वह भी पूर्ण नहीं है। यदि उन्होंने इस मामले को गम्भीरता से लिया होता तो हमने तत्काल अगले दिन, इस पर विचार किया होता।

तथापि, मेरे जो माननीय सदस्य इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले चुके हैं उन्होंने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया है कि केन्द्र सरकार इस स्थिति प्रति के पर्याप्त गम्भीर है और आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के प्रभावित क्षेत्रों को सभी सहायता दे रही हैं।

जैसा कि मेरे मित्र श्री युवराज ने बताया है, मैं यह कहना चाहूंगा कि न तो केन्द्रीय कृषि मंत्री ने और न केन्द्र सरकार के किसी उत्तरदायी अधिकारी ने आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्री तूफान से प्रभावित हुए क्षेत्रों का अभी तक दौरा किया है। मैं इस सदन को यह याद दिलाना चाहूंगा कि इस बार ही नहीं अपितु पिछली बार भी जब टी० वी० तालुक में समुद्री तूफान के कारण 10,000 व्यक्तियों की मौत हुई थी, केन्द्र सरकार के किसी उत्तरदायी मंत्री ने वहां का दौरा नहीं किया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री सहित केन्द्र सरकार के मंत्रियों

[श्री के० राममूर्ति]

की यह दैनिक प्रवृति बन गई है। माननीय राष्ट्रपति ने 1977 में समुद्री तूफान ग्रस्त क्षेत्रों का विमान से नही थल मार्ग से दौरा किया। मैं नहीं जानता कि हमारे प्रधान मंत्री किस ढंग से कार्य कर रहे हैं। इतनी बड़ी आपदा—एक राष्ट्रीय आपदा आई और उन्होंने एक बार भी वहां का दौरा नहीं किया। इसके साथ ही यदि बंगाल में अथवा किसी उत्तरी राज्य में यदि कोई बात होती है तो वे तत्काल विमान द्वारा वहां जाते हैं...

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वे एक मास पश्चात् वहां पर गऐ थे।

श्री के० राममूर्ति : मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के साथ सहमत हूं। इस प्रकार की बातों से मेरे जैसे राष्ट्रवादी विचार धारा वाले व्यक्ति के मन में "उत्तर-दक्षिण" की भावना पैदा होती है। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि केन्द्र का इस प्रकार का व्यवहार ही "उत्तर-दक्षिण" भावना के लिए उत्तरदायी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कांग्रेस (आई) का नारा है।

श्री के० राममूर्ति : मैं जानता हूं कि आपकी सहानुभूति जनता सरकार के साथ है चाहे वह आपकी उपेक्षा करे।

माननीय मंत्री ने केवल आन्ध्र प्रदेश के बारे में जान तथा माल की हानि की जानकारी दी है। मैं नहीं जानता की तमिलनाडु में क्या हुआ।

समाचार पत्रों से मुझे पता लगता है कि केवल मद्रास में ही लगभग 20 व्यक्तियों की जानें गईं। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि दल 21 तारीख तक आंध्र प्रदेश जायेगा। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या उक्त दल तमिलनाडु का भी दौरा करेगा क्योंकि केन्द्र सरकार अब तक इसकी उपेक्षा करती आई है और वहां केवल राज्य सरकार ही अकेली संघर्ष कर रही है। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह हमें यह बतायें कि क्या उक्त दल तमिलनाडु भी जायेगा तथा तमिलनाडु को आवश्यक सहायता देने हेतु वहां हुई क्षति का अनुमान लगायेगा।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बाद में चर्चा करने के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि यदि यह दो या तीन दिन पहले आता तो हमारे पास बहुत ही कम जानकारी होती परसों यह राज्य सभा में आया था और जो जानकारी मैंने दी वह आज दी गई जानकारी से कहीं कम थी क्योंकि बाद में मैं और अधिक जानकारी एकत्रित कर सका।

फिर माननीय सदस्य ने कहा है कि केन्द्र सरकार से वहां कोई नहीं जाता है और वह इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करती है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करदूं —शायद उन्हें मालूम नहीं है—कि पिछली बार जब नवम्बर में आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान आया था तो मैं रोम में खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक में भाग ले रहा था। मैंने तुरन्त अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था और मैं रोम से दौड़कर आया तथा सीधा उस क्षेत्र में गया था। सौभाग्य से माननीय राष्ट्रपति भी वहां थे। हम दोनों सड़क मार्ग से दिवी तालुक में गये थे और तीसरे दिन हमने समुद्री तूफान से ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया था। अतः यह कहना गलत है कि कोई वहां नहीं जाता है। मैं तीसरे दिन इस क्षेत्र में गया था।

श्री के० राममूर्ति : मैं तो केवल प्रधान मन्त्री के बारे में कह रहा हूँ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अब भी मैं यहां सभा की बैठकों के कारण हूँ वरना मैं वहीं पर होता । अतः हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि हम यथासंभव शीघ्र उस क्षेत्र का दौरा करें। बेशक हमारा प्रयास रहता है कि हम यह पता लगायें कि कितनी क्षति हुई है और हम आकस्मिक कितनी सहायता कर सकते हैं । यह पूछा गया है कि दल तमिलनाडु का दौरा क्यों नहीं कर रहा है । सामान्य प्रक्रिया यह है कि राज्य सरकार हमें केन्द्रीय दल भेजने को कहती है । इस बार हमने आंध्र प्रदेश सरकार से सम्पर्क किया था और उन्होंने कहा था कि वहां हमारे दल का आना 20 अथवा 21 तारीख को—जो भी हमारे लिए सुविधाजनक हो—आना संभव हो सकेगा । अतः हमने 21 तारीख निश्चित की ।

इसी प्रकार हम तमिलनाडु सरकार से भी सम्पर्क करेंगे, और यदि वे केन्द्रीय दल को बुलाना चाहेंगे तो हम भेज देंगे ।

श्री के० राममूर्ति : उन्होंने तमिलनाडु सरकार से सम्पर्क नहीं किया है । क्यों ? यही मेरा प्रश्न है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यही तो हमें करना है । आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने मुझे पहले लिखा है । अतः हमने तुरन्त ही उन से विचार विमर्श किया और तारीख निश्चत की । इसी प्रकार तमिलनाडु के लिए (**व्यवधान**) मुझे तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री से अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । जब वह आयेंगे हम दल को भेज देंगे । हम उनसे सम्पर्क स्थापित करेंगे और यदि वे एक केन्द्रीय दल को बुलाना चाहेंगे तो हम तमिलनाडु में भी भेजेंगे ।

आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हाल के तूफान द्वारा हुई जान और माल की क्षति के बारे में अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : सभा का कार्य शुरू करने से पूर्व क्या मैं आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हाल ही के समुद्री तूफान के कारण वहां रहने वाले हमारे भाई-बहनों को हुई जान व माल की भारी हानि पर सभा की तरफ से गहरा दुःख व्यक्त कर सकता हूं ।

हमें वहां पर हुई जानों, कृषि, फसलों तथा मकानों की भारी हानि पर और भी अधिक चिन्ता है क्योंकि केवल कुछ मास पूर्व ही उन क्षेत्रों मे एक अनपेक्षित समुद्री तूफान ने तबाही मचाई थी ।

सभा को इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सम्बन्धित अधिकारी हमारे लोगों के कष्टों को कम करने तथा उनके पुनर्वास में उनकी सहायता करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे ।

अब हम कार्यवाही शुरू करते हैं । श्री गुप्त ।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

20वां प्रतिदेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

21वां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (जाधवपुर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तर) प्रस्तुत करता हूँ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति

श्री सूरजभान (अम्बाला) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति से श्री टी० एस० श्रृंगारे द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री ए० सुन्ना साहिब को नियुक्ति करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति से श्री टी०एस० श्रृंगारे द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री ए० सुन्ना साहिब को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करते हैं।

श्री लकप्पा।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

(एक) कर्नाटक में तुमकुर जिले के कई गांवों में गैर-कानूनी खनन-कार्य का समाचार

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं इस सभा को तथा सरकार को कर्नाटक के तुमकुर जिले के कई गांवों में हो रहे अवैध खनन के समाचारों के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन गांवों में 'रूबी' अथवा 'रूबी कोनुमडुम' के भारी निक्षेप विद्यमान हैं और पड़ौसी राज्यों एवम् राजस्थान से व्यापारी लोग तथा तस्कर इस क्षेत्र में घुस आए और उन्होंने मूल्यवान सामग्री प्राप्त करने तथा शीघ्र ही धनवान बनने के लिए अपना काम शुरू कर दिया।

हो सकता है तुमकुर जिले के गांवों में वास्तविक 'रूबी' हो अथवा न हो, परन्तु 'रूबी कोनुमडुम', जो कि स्वयं भी काफी मूल्यवान है तथा एक औद्योगिक अवधर्षक भी है, को भी तस्करों द्वारा वित्त पोषित अन्धाधुन्ध खुदाई गतिविधियों के फलस्वरूप काफी मात्रा में निकाल लिये जाने के समाचार हैं। यह भी खबर मिली है कि इन गांवों में भूमि के मालिकों ने इन व्यापारियों से

सौदे-बाजी कर ली और अपनी-अपनी भूमि पर अवैध खनन कार्य करने की अनुमति दे दी। इस क्रिया में कई बिचौलिये भी अमीर बन गये और राज्य को स्वामित्व की भारी तथा अप्राक्कलित राशि से वंचित होना पड़ा।

जैसाकि प्राय: होता है, इन सभी अवैध कार्यों में यह व्यापार भी पुलिस की जानकारी में आए बिना ही चलता रहा है। खान तथा भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग तो तभी जागा जब यह अवैध व्यापार कुछ दिन चलता रहा और तब कहीं जाकर उसने इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए पुलिस को सूचना दी। परन्तु, तब तक वे तस्कर काफी सारा माल लेकर अन्य राज्यों में भाग गए थे। अवैध खनिकों के घरों पर मारे गये छापों में निकाले कोरुम्डुम के व्यापार के बारे में पता चला तथा बड़ी मात्रा में खनन उपकरण बरामद हुए।

इस्पात और खान मन्त्री से अनुरोध है कि वह तुमकुर जिले के गांवों में 'रूबी' तथा रूबी कोरुम्डुम की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए भू-विज्ञानियों तथा खनन विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही करे और यदि वहां इस मूल्यवान सामग्री के कण पाये जाते हैं तो वहां पर खनन कार्य करने के लिए आवश्यक कदम उठायें। व्यापारियों तथा भू-स्वामियों द्वारा इन गांवों में किए गए अवैध खनन के बारे में जांच भी की जाए तथा दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाये।

(दो) बर्तनों और शल्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में लगे पश्चिम बंगाल के लघु उद्योग एककों की समस्यायें

श्री सोमनाथ चटर्जी (जाधवपुर) : श्रीमन्, बर्तनों, शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण तथा 'फेब्रिकेशन' कार्य में लगे विभिन्न लघु एककों को स्टेनलैस स्टील की रोल्ड शीटें प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप ऐसे लघु उद्योगों द्वारा किये जाने वाले उत्पादन का निर्माण दुर्गापुर अलोह इस्पात परियोजना द्वारा किया जा रहा है। जिसे पुनर्बेलन के लिए देश के अन्य भागों में भेजा जाता है और इसके पश्चात पुनर्बेलित चादरों को पुन: पश्चिम बंगाल भेजा जाता है जिसके कारण, अन्य बातों के अलावा, अतिरिक्त खर्च पड़ता है तथा कम उपलब्धता के साथ-साथ सप्लाई में भी विलम्ब होता है।

इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए संयुक्त क्षेत्र में स्टेनलैस स्टील तथा रोल्ड शीटों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने फरवरी, 1979 में एक आवेदन-पत्र दिया था। उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार ने उक्त आवेदन-पत्र को प्राप्त होने की पावती भेजी है और बताया जाता है कि उस आवेदन-पत्र को विचारार्थ इस्पात मंत्रालय को भेज दिया गया है। परियोजना की लागत 1800 टन वार्षिक क्षमता के लिए 65 लाख रुपये आंकी गई है। इस परियोजना को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में खड़गपुर में, जो कि औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना के अत्याधिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए मैं भारत सरकार से तथा विशेषकर इस्पात और खान मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस परियोजना को शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर दें ताकि संयुक्त क्षेत्र के एककों सहित कई लघु एककों की कच्ची सामग्री की द्रुत आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस परियोजना को तुरन्त कार्यान्वित किया जा सके।

(तीन) दिल्ली के विभिन्न होटलों में आयोजित गोष्ठियों पर किया गया भारी खर्च

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : यह देश के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है कि अभी हाल में राजधानी में 'जूचे विचार' के नाम पर संगोष्ठी द्वारा विदेशी पैसे का वीभत्स प्रदर्शन हुआ। अखबारी रिपोर्ट के अनुसार इस विचार की एक संगोष्ठी दिल्ली के पंचतारक प्रतिष्ठा होटल मौर्या में आयोजित हुई जिसमें लगभग 600 लोगों की शानदार मेहमानवाजी की गई एवं रात्रि भोज आयोजित हुआ जिस पर लगभग 50,000 रुपये खर्च हुए होंगे। इसको मात देने के लिए अशोका होटल में 500 लोगों की शानदार प्रीतिभोज का आयोजन हुआ और शायद तीसरा आयोजन ताजमहल होटल में हुआ जिसमें भी उतनी ही संख्या में लोग पधारे।

मैं किसी भी विदेशी देश से मैत्री की बात समझ सकता हूं किन्तु मुझे समझ में नहीं आता कि एक-एक प्रीतिभोज पर 50-60 हजार रुपये कहां से खर्च किये गये। जिन्होंने भोज निमन्त्रित किया था क्या उनके पास इसकी हैसियत है ? क्या उन्हें किसी विदेशी राष्ट्र से खर्च करने को मिला और उनका प्रचार हो ? यदि ऐसी बात है तो इससे अधिक शर्मनाक और खतरनाक बात कुछ नहीं हो सकती। विदेशी दूतावास की राजनीति में गिरफ्त कुछ लोग इसे व्यापार समझ कर भी करें तो भी यह खतरनाक है। बुद्ध महावीर, गांधी के विचारों पर संगोष्ठी करने के लिए इन आयोजकों के पास न पैसे हैं न समय। इसीलिए यह स्पष्ट है कि थैली किसी की, और खर्च करने वाले कोई दूसरे हैं।

मैं प्रधान मन्त्री जी से इसकी अविलम्ब जांच करने की प्रार्थना करता हूँ। विदेशी धन का प्रवाह जितने ही जोरों से होगा, भारत की राजनैतिक अस्थिरता उसी अनुपात में बढ़ेगी। मध्य युग के मुगलकालीन शानशौकत को मात देने वाले इस भव्य भोजों के आयोजकों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए और आयकर विभाग की जांच तुरन्त शुरू कर देनी चाहिए, तथा फौरेन ऐक्सचेंज ऐक्ट के तहत भी इसकी जांच जरूरी है।

(चार) वाणिज्यिक पायलटों की आयु-सीमा में छूट

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : श्रीमन् नियम 377 के अधीन अनुमति मिलने पर मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

लगभग 500 बेरोजगार कमर्शियल पायलट पिछले पांच-सात साल से भारी परेशानी तथा निराशा का सामना कर रहे हैं। ये युवा विमान चालक जिन्हें सरकारी खर्च पर परीक्षण दिया गया था। सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण रोजगार पाने में असमर्थ हैं।

इंडियन एयर लाइन्स ने सीमा निर्धारित कर रखी है जिसके कारण बहुत सारे कमर्शियल पायलट जो कि कई वर्षों से पंक्ति में लगे प्रतीक्षा कर रहे हैं, आयु-सीमा पार कर जायेंगे तथा अपने शेष जीवन में बेरोजगार ही रहेंगे। परन्तु वर्ष 1972 में आयु सीमा 33 वर्ष थी और अनुसूचित जातियों के लिए यह सीमा 35 वर्ष थी। यदि इस आयु सीमा में ढील देकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में 35 से 38 वर्ष नहीं किया जाता है तो कमर्शियल पायलटों

की बेरोजगारी बनी रहेगी जबकि सरकार को प्रशिक्षण पर खर्च किये गये करोड़ों रुपयों के साथ प्रशिक्षित व्यक्तियों से भी हाथ धोना पड़ेगा ।

यह बात समझ में नहीं आती है कि रक्षा की दूसरी पंक्ति के समान इन बेरोजगार विमान चालकों को रोजगार से वंचित क्यों रखा जा रहा है जबकि इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इंडिया रक्षा सेनाओं से विमान चालक ले रहे हैं ।

द इंटरनेशनल फेडरेशन आफ पायलट्स एसोसियेशन ने सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक उड़ान के समय एक तीसरा विमान चालक भी रखने पर जोर दिया है । इसके अतिरिक्त यह सभी जानते हैं कि बोईंग विमान चालकों को अत्याधिक काम करना पड़ रहा है और कई बार तो उन्हें बेहद थकान हो जाती है । इंडियन एयर लाइन्स उन विमान चालकों को प्रतिमास एक लाख रुपये से भी अधिक समयोपरि भत्ता तथा विशेष दो-विमान चालक भत्ता दे रही है जिन पर काम का बहुत अधिक भार है जबकि इस राशि से 100 से अधिक विमान चालकों को रोजगार दिया जा सकता है ।

बेरोजगार व्यावसायिक पायलटों को विशिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है इसलिए उनके लिए रोजगार का कोई अन्य मार्ग खुला नहीं रह जाता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह बहुत आवश्यक है कि इंडियन एयर लाइन्स आयु-सीमा में उचित छूट दे और 35 से 38 वर्ष के बीच की आयु वाले पायलटों को नौकरी दे । यहां भी वे 15 वर्षों से अधिक समय तक देश की सेवा कर सकेंगे ।

हाल के वर्षों में, इंडियन पायलट्स गिल्ड और इंडियन कमिर्शियल पायलट्स एसोसियेशन ने भारत सरकार से अपनी नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया है ताकि बेरोजगार व्यावसायिक पायलेटों की कठिनाइयों और निराशा का निराकरण किया जा सके ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पायलटों को रोजगार प्रदान करने के बारे में अधिक व्यावहारिक और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए और बेरोजगार व्यावसायिक पायलटों पर हुआ अन्याय दूर किया जाए क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है ।

(पांच) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सात बोइंग-737 विमानों की खरीद सम्बन्धी समझौता

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, नियम 377 के आधीन, मैं निम्नांकित विषय उठाना चाहता हूं :

सही ढंग से सोचने वाले हर व्यक्ति को यह जान कर आश्चर्य होगा की इण्डियन एयर-लाइन्स ने सात और बोइंग-737 की खरीद के लिए अमरीका की बोइंग विमान कम्पनी के साथ 11-3-1979 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं । बोइंग विमान की लागत, जिसमें अतिरिक्त पुर्जों की लागत भी शामिल है, 91.42 करोड़ रु० के लगभग होगी ।

कुछ ही दिन पहले सरकार उपक्रम समिति ने गहन अध्ययन के बाद अपने 52 वें प्रति-वेदन में निम्नलिखित सिफारिशें/टिप्पणियां की थी :—

4.28. जुलाई, 1967 में जब बोइंग 747 विमान खरीदने का निर्णय किया गया था उस

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

समय इस विमान के बारे में ब्रक-ईवन लोड फैक्टर अनुमानत: 32·2 था । यद्यपि 1977-78 में इन विमानों का ब्रेक-ईवन लोड फैक्टर 59·2 रहा ।

4.29. 1971-72 में, जो बोइंग चालू करने का पहला वर्ष था, यह कहा गया था कि व्यवहार्यता अध्ययन में कल्पित 75 प्रतिशत की तुलना में अप्रत्यक्ष चालन लागत प्रत्यक्ष चालन लागत की 14 प्रतिशत है । इस वृद्धि के बारे में बताया जाता हैं कि यह मध्यवर्ती वर्षों में लागत में वृद्धि हो जाने तथा अप्रत्यक्ष चालन लागत का कुछ कम अनुमान लगाए जाने के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप हुई। यह भी बताया गया है कि ब्रेक-ईवन लोड फैक्टर की प्रतिकूल स्थिति का एक और कारण यह भी है कि 747 विमान अधिकतर कम आय वाले मार्गों पर चलाए जाते हैं । तथापि तथ्य यह है कि विमान की खरीद के औचित्य के आधार को काफी बदल दिया गया है ।

4.30. समिति विश्वास नहीं कर पा रही है कि बोइंग-747 विमान के बारे में खर्च का कम अनुमान लगाने और राजस्व का अधिक अनुमान लगाने से अनुमानित और वास्तविक ब्रेक-ईवन लोड फैक्टर के बीच इतने अधिक अंतर की ओर सरकार का ध्यान ही नहीं गया और मामले की केवल अब छानबीन हो रही है । यदि यह सही है, तो यह विदेशी फर्मों से, जो एयरलाइन्स और सरकार की सवारी के लिए सदा प्रतीक्षा में रहती हैं, यानी विमान खरीदने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में देश के हितों की घोर उपेक्षा की द्योतक है । इससे खरीद की सद्भावना के बारे में गंभीर शंका उत्पन्न होती है ।

4.31. समिति को यह जानकर चिन्ता हुई है कि जिन मार्गों पर बोइंग विमान चल रहे हैं उन पर पद्धतिवार आय प्रति आर० टी० के० एम० 3·298 रुपए थी जबकि उन मार्गों पर जिन पर बोइंग-707 विमान चल रहे हैं, प्रति आर० टी० के० एम० 4·469 रुपए थी। उदाहरणार्थ, भारत-आस्ट्रेलिया मार्ग पर, जहां बोइंग 747 विमानों को लगाया गया है, ब्रेक-ईवन लोड फैक्टर 1976-77 में 52.6, 1977-78 में 54.7 और 1978-79 में 59·4 था । एयर इण्डिया को इस मार्ग पर 1976-77 में 2·53 करोड़ रुपये की, 1977-78 में 2·50 करोड़ रुपए की तथा 1978-79 में 0·73 करोड़ रुपए की हानि हुई ।

4.32. समिति को पता लगा है कि पुराने 707 बोइंग विमानों के स्थान पर छोटे खुले विमान खरीदने की वांछनीयता पर सरकार विचार कर रही है । समिति अपेक्षा करती है कि जब तक सरकार के पहले ही विचाराधीन प्रस्तावों की आर्थिक व्यवस्था का भी ईमानदारी और निष्पक्षता से अध्ययन नहीं कर लिया जाता तब तक बोइंग कम्पनी के साथ आगे सौदे तुरन्त बन्द कर दिए जाएं ।

4.33. समिति को मालूम हुआ है कि इसी विधि तन्त्र से, जिसका पूर्ववर्ती अध्ययन में अनुसरण किया गया था, अप्रत्यक्ष चालन लागत प्रत्यक्ष चालन लागत का (उस समय अनुमानित 75 प्रतिशत की तुलना में) 99 प्रतिशत होगी। विमानों की संख्या और चालन में वृद्धि होने से यह धीरे-धीरे कम हो जाएगी । समिति अनुरोध करती है कि खर्च की कड़ी देखभाल करके तथा उस पर कड़ा नियन्त्रण रखकर अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठाए जाएं ।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया एक ही कट्रोलिंग अथारिटी, अर्थात पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अधीन आते हैं, और यह मालूम हो जाने के बावजूद कि बोइंग विमानों का संचालन मुनाफाकर है, उन्होंने इतनी बड़ी खरीद के लिए, जिसमें 100 करोड़ रुपये की राशि निहित है, सरकारी उपक्रम समिति, जो सदन की एक वित्तीय समिति है, की विशिष्ट सिफारिशों की उपेक्षा करने का साहस किया है। सदन की जानकारी के लिए यह बहुत ही गंभीर मामला है। वास्तव में, यह निर्णय लेकर मंत्रालय ने इस सदन की समिति के निष्कर्षों का बहुत अनादर किया है। मैं निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जाए।

(छः) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में तलारा और जवनवाला शहर रेलवे स्टेशन के बीच 12 मई, 1979 को हुई रेल दुर्घटना का समाचार

श्री दुर्गाचन्द (कांगड़ा): अध्यक्ष महोदय, पठानकोट-जोगिन्दर नगर छोटी लाइन पर 12-5-1979 को हिमाचल प्रदेश केजिला कांगड़ा में नरपुर सब-डिवीजन में तालड़ा और जवनवाला शहर रेलवे स्टेशन के बीच एक दुखद रेल दुर्घटना हुई। जैसा कि बताया गया है, दो डिब्बे पटरी से उतर गए थे। दुर्घटना का कारण अभी तक नहीं बताया गया है। नवीनतम सूचना के अनुसार छः व्यक्ति मरे हैं और साठ व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई हैं। यह भी बतलाया गया है कि घायल व्यक्तियों को पठानकोट और अमृतसर के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनमें से कुछ व्यक्ति कांगड़ा के अस्पतालों में दाखिल हैं। यह भी मालूम हुआ है कि श्री के० जी० गोपाल, मंडल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे ने 31 घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 750 रु० और 6 मृतकों में से प्रत्येक के आश्रितों को 1000/- रु० राहत के रूप में दिए हैं। इससे पता चलता है कि इस लाइन पर ऐसी दुखद दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई। वास्तव में, रेल मन्त्री को इस घटना पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए और इस दुखद दुर्घटना की तत्काल जांच कराए जाने और जिन लोगों की लापरवाही से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का आदेश देना चाहिए।

मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप माननीय रेल मन्त्री को इस दुर्घटना के बारे में और इस दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को दी गई राहत के बारे में एक विस्तृत विवरण देने की सलाह दें। घायल व्यक्तियों को और मृतकों के आश्रितों को राहत के रूप में जो राशि दी गई है वह बहुत कम है। घायल व्यक्तियों को निशुल्क चिकित्सा और भोजन की सुविधाएं तथा राहत के रूप में कम से कम 5000/- रु० की राशि दी जानी चाहिए और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को रेलवे नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि रेल मन्त्री इस दुर्घटना के पीड़ितों को अधिकतम सहायता देने के लिए आगे आयेंगे।

(सात) जगुआर विमान के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरण के निर्माण के लिए पंजाब में एक कारखाना स्थापित करने का सरकार का निर्णय

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतूर) : महोदय भारत सरकार ने हाल ही में ब्रिटिश फर्म के सहयोग से जगुआर विमान बनाने का निर्णय किया है। रक्षा उत्पादन मन्त्री, श्री शेर सिंह

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

ने संसद में बताया था कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स, बंगलौर द्वारा जेगुआर का एयर फ्रेम और इंजन बनाया जायेगा तथा तथा 'एविआनिक्स' के निर्माण के लिए एक नया प्रभाग खोला जायेगा। जब हैदराबाद में पहले से एच० ए० एल० का एक प्रभाग है तो इस नये प्रभाग की बात करना विचित्र लगता है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स हैदराबाद प्रभाग (इलेक्ट्रोनिक्स), जहां प्रबंधकों, इंजीनियरों, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष श्रमिकों सहित 3188 व्यक्ति नियुक्त हैं, बहुत बड़ी श्रेणी का इलेक्ट्रोनिक उपकरण बनाने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग अत्यधिक अधुनातन उपकरण बना रहा है और इसने अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त कर लिए हैं तथा यहां तक कि यूगोस्लाविया को निर्यात के लिए आर्डर भी प्राप्त कर लिए हैं। एच० ए० एल० के हैदराबाद प्रभाग को यह काम न सौंपे जाने के लिए यह बहाना बनाया जा रहा है कि हैदराबाद में प्रौद्योगिकियां तथा उत्पाद-मिश्र बहुत अधिक हो गए हैं और इस प्रभाग को अपने उत्पादों का आगे विविधिकरण करने के बजाय अपनी क्षमता के और अधिक उपयोग के लिए विद्यमान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपने कौशलों तथा योग्यताओं को समेकित करना चाहिए। यह एक त्रुटिपूर्ण नीति है। अधिकतर विद्यमान उत्पादों को उनका स्थान लेने वाले नये मॉडलों के बिना, एक या दो वर्षों में धीरे-धीरे करके बन्द किया जा रहा है। अतः 'जेगुआर एविजन्स' का उत्पादन आरम्भ में आयातित वस्तुओं को जोड़कर तथा बाद में उसे देश में ही बना कर किया जा सकता है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद में बहुतायत में जमीन है जो आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त आवंटित की गई है। यदि एकक को मार नहीं दिया गया तो हाल ही में बना एक नया 'हंगर' जिसकी लागत लगभग 55 लाख रुपये है, बेकार हो जायेगा। पुर्जे जोड़ने का भवन पहले ही गत तीन वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा है। यह भी पता चला है कि इस एकक के लिये मूलतः मंजूर किये गये 3 करोड़ रुपये भी अब अन्यत्र लगाये जा रहे हैं। अतः इन विद्यमान सुविधाओं का विस्तार करना सस्ता होगा तथा जल्दी भी होगी।

एक महत्वपूर्ण बात मैं यह बताना चाहूँगी कि इस समय जेगुआर विमान के लिए इलेक्ट्रोनिक उपकरण के उत्पादन के लिए जिस एक और एकक के स्थापना-स्थल की बात की जा रही है वह पंजाब में चित्रापुर है। ऐसे महत्वपूर्ण रक्षा उद्योग को सीमा के निकट ऐसे स्थान पर स्थापित करना खतरनाक होगा, अतः इसके बारे में बिलकुल नहीं सोचा जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में अत्यधिक सस्ती और सक्षम योजना यह होगी कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० के हैदराबाद तथा लखनऊ प्रभागों में ही जेगुआर विमान के लिये इलेक्ट्रोनिक उपकरण बनाने का काम किया जाये।

प्रो पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज चालू बजट सत्र का उपान्तिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : अब व्यवस्था के प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसलिये है कि मुझे नियम 377, विशेषकर इसके क्रियान्वयन भाग को, अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिये आपकी सहायता की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम समिति के विचाराधीन है। यदि आवश्यकता हुई तो हम आपको नियम समिति की बैठक में आमंत्रित करेंगे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से, आपके द्वारा अपनाई गई उस परम्परा को विभिन्न प्रकार के अविलम्बिता और महत्व के बहुत से प्रश्नों का उठाया जाना—को सुदृढ़ करना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए श्रीमती पार्वती कृष्णन् और श्री ज्योतिर्मय बसु ने अत्यधिक महत्व के मामले उठाये जो अन्य सहयोगियों द्वारा आज नियम 377 के अधीन उठाये गये कुछ अन्य मामलों से अधिक महत्वपूर्ण हैं परन्तु मंत्रीगण उत्तर नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, महोदय, कृपया नियम 31 (2) देखिए :

> "इन नियमों में अन्यथा उपबन्धों को छोड़कर, कोई ऐसा कार्य, जिसे उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो, अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी बैठक में निष्पादित नहीं किया जायेगा।"

अब यह स्थापित प्रथा और रिवाज है, यह सदैव विधायी कार्य से पहल आता है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला बहुत बार उठाया गया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जब अगला सत्र आरम्भ हो, तो आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस सम्बन्ध में कम से कम दो बातें हों। प्रतिदिन की कार्य सूची में 377 के अधीन जिन विषयों की अनुमति दी गई है उन्हें मुद्रित किया जाये तथा सदस्यों के नाम भी मुद्रित किये जायें ताकि उन्हें उचित महत्व मिल सके, प्रेस को मालूम हो सके, हमें मालूम हो सके। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि जहां कहीं महत्वपूर्ण उत्तर मांगें जायें उनका मंत्री उत्तर दें, व्यक्तव्य दिये जाने के एक सप्ताह में या उसके आस-पास उसे आ जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस मामले पर नियम समिति में विचार-विमर्श किया जा रहा है। श्री कोडियन।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल आधा मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। श्री कोडियन का नाम पुकारा जा चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि बोइंग कम्पनी के साथ कोई सौदा न किया जाये।

संविधान (46वां संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री धनिक लाल मण्डल द्वारा 16 मई, 1979 को प्रस्तुत निम्न-लिखित प्रस्ताव, अर्थात्—

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" तथा उस पर दिये गये संशोधनों पर आगे विचार किया जायेगा।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं भाषाई तथा धार्मिक अल्प संख्यकों के लिए पृथक्-पृथक् आयोगों के गठन की व्यवस्था करने के लिए संविधान में प्रस्तावित संशोधन स्वागत योग्य कदम है। इसे कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना लाने की दृष्टि से लाया गया है परन्तु आयोगों के गठन मात्र से कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना तब तक नहीं आयेगी जब तक सरकार आगे आकर आयोगों की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने हेतु अपनी तत्परता न दिखाये और जब तक कि ये आयोग कार्यपालिका की इच्छा से कार्य न करके स्वतन्त्र निकाय न हो इसे स्पष्ट करना होगा क्योंकि गत समय में कुछ राज्यों में ऐसे ही आयोगों के बारे में हमारा अनुभव रहा है। उदाहरण के लिए, 1974 में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग गठित किया गया था तथा उस राज्य में उस अल्पसंख्यक आयोग के बारे में अनुभव बहुत ही असंतोष-जनक रहा है। यह लगभग सरकार द्वारा नियन्त्रित था, सरकार द्वारा एक नाम-निर्देशित निकाय था तथा यह राजनीतिक ढकोसला साबित हुआ न कि अल्पसंख्यकों, जिनकी वास्तविक शिकायतें हैं तथा जो अनेक प्रकार से असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं, कि रक्षा के लिए एक गम्भीर प्रयास। इसीलिए मैं इस बात पर बल दे रहा हूँ कि यह आयोग स्वतन्त्र होना चाहिए। इसके प्राधिकार, इसके कार्यकरण की रीतियों तथा इसकी सिफारिशों का कानूनी पक्ष-पोषण करने की व्यवस्था के लिए पृथक् कानून होना चाहिए। यदि ये आयोग सरकारी कार्यालयों की विभिन्न आलमारियों में जंक लग रहे सरकार के पास पड़े बहुत से प्रतिवेदनों के साथ कुछ और प्रतिवेदन जोड़ने के इरादे से ही नियुक्त किये जाने हैं तो कहना चाहिए कि ये भी राजनीतिक ढकोसले के रूप में कार्य करेंगे। सरकार को स्थिति की गम्भीरता, अर्थात्, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों में व्याप्त असुरक्षा की भावना, को समझना चाहिये। जब तक स्थिति की गम्भीरता नहीं समझी जायेगी, इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाये जा सकते। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन समस्याओं के प्रति अपने उदासीन रवैये को त्याग दे—जो आत्म-तुष्टि का एक ऐसा रवैया है कि जब कभी अत्याचार का प्रश्न उठाया जाता है अथवा साम्प्रदायिक दंगों का प्रश्न उठाया जाता है तो सरकार जल्दी-जल्दी यह दिखाने के लिये आंकड़े देती है कि साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं अथवा अत्याचारों की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिये। हम यह तथ्य समझें कि जो शक्तिशाली शक्तियां इस महान देश का विघटन करना चाहती हैं वे देश के बाहर और अन्दर दोनों ही जगह सक्रिय हैं।

हमें इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए, इस ढंग से नहीं करना चाहिये जिससे कि केवल उन शक्तियों को अधिक बल प्राप्त हो जो देश के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, देश की एकता के विरुद्ध और देश की अखण्डता के विरुद्ध कार्य कर रहे हों, दुर्भाग्यवश, मुझे कहना चाहिए, कुछ कार्य जो सरकार कर रही है और शासक दल के कुछ सदस्य कर रहे हैं उनसे ऐसी भावनायें उभर रही हैं कि शासक दल अल्पसंख्यकों के साथ टकराव के रास्ते पर जा रहा है।

मैं विशेष रूप से धर्म परिवर्तन अधिनियम की नवीनतम घटनाओं को सन्दर्भित करना चाहता हूं जिससे कि ईसाई मतावलम्बियों को ऐसे व्यक्तियों में सम्मिलित कर दिया है जो अपने

भविष्य के विषय में पूर्ण रूप से असुरक्षित तथा अनिश्चितता की भावनाओं को अनुभव करते हैं। यहां मैं कह सकता हूं कि कमजोर वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों को ही मिलाकर भारत की पूरी जनसंख्या के एक तिहाई से अधिक हो जायेंगे, यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, ईसाई और पिछड़ी जातियां, समाज के गरीब तबके के लोग, यदि इसमें असुरक्षा की भावना रहेगी, यदि वे यह सोचते हैं वे इस देश में सम्मान और आदर सहित रहने की स्थिति में नहीं हैं तो मुझे कहना चाहिए कि यह देश के भविष्य के लिये अत्यधिक खतरनाक होगा।

हमें यह भी महसूस कर लेना चाहिए कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को यहां तक कि मूल मानवीय अधिकारों से भी वंचित किया जाता है। उनके सामाजिक बहिष्कार के कारण उन्हें पीने के पानी को लेने तथा राशन की दुकानों से दैनिक राशन लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है। यद्यपि, हम इस पर पिछले कई वर्षों से विचार-विमर्श कर रहे हैं परन्तु अब तक भी कोई वास्तविक तथा कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि संयुक्त राज्य के मानवीय अधिकार आयोग के पास जाते हैं और इस मामले को उठाते हैं तो यह हम सब के लिए बहुत बुरा दिन होगा।

हमें यह भी महसूस कर लेना चाहिए कि कमजोर वर्गों में अपने अधिकारों के लिए जागृति और लड़ने की भावना पनप रही है। आपने इस वर्ष 20 मार्च को देखा होगा कि गरीब तबके के लोग भारत की राजधानी में कैसे उमड़ पड़ें, यह दिखाता है कि गरीब जनता अब केवल नारों अथवा मात्र वायदों से ही सन्तुष्ट नहीं रह सकती है।

इसके अतिरिक्त यदि इस देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को यातना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया सीमा पार भी होगी क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में इस्लाम और दूसरे धर्मों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति रहते हैं इसलिए इसकी प्रतिक्रिया दूसरे देशों पर भी होगी। इसलिए सरकार को स्थिति की गम्भीरता महसूस करनी चाहिए, यही कारण है कि मैं यह सुझाव देता हूं कि हम सबको साथ मिलकर बैठना चाहिए चाहे सरकार हो या विपक्ष हो अथवा संसद सदस्य हो अथवा राजनैतिक दलों के नेता हों हमें साथ बैठना चाहिए और समस्या पर विचार करना चाहिए तथा इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे विघटन तथा विनाश की शक्तियों को साहस मिल सके।

मैं सरकार पर जोर डालना चाहता हूँ कि लोगों में, गरीब वर्गों में तथा अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना को पनपाने के लिए, यह प्रदर्शित करने के लिए कि सामुदायिक दंगों, गरीब वर्गों पर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए सरकार गम्भीरतापूर्वक कार्य कर रही है, सरकार को बिना अधिक विलम्ब किये हुए कम-से-कम प्रारंभिक कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए सभी वर्गों द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि हाल ही के सामुदायिक दंगों और घटनाओं के क्रम में तथा अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचारों के समय सशस्त्र सेना टुकड़ियों तथा पुलिस का बर्ताव कुछ राज्यों में संतोषजनक स्थिति से काफी परे रहा है। उनका बर्ताव एक विशेष वर्ग के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण भाव का रहा है। यह एक आम शिकायत रही है। इसलिए सरकार इस मामले में आगे क्यों नहीं आती है और ऐसा कदम क्यों नहीं उठाती है कि पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस में काफी संख्या में हरिजनों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुसलमानों को भर्ती कर दें। यह

[श्री पी० के० कोडियन]

एक ऐसा कदम है जिसे सरकार संविधान में संशोधन किये जाने की प्रतीक्षा किये बिना अथवा आयोग का गठन किये जाने से पूर्व तत्काल ले सकती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस कदम को तत्काल उठा लेवे ताकि हम लोगों में सुरक्षा की भावना को पैदा कर सकें।

तत्पश्चात् मैं सरकार से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि वह अब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी जा रही सुविधाओं को उन लोगों को भी सुलभ करने के प्रश्न पर विचार करे जो दूसरे धर्मों जैसे बौद्ध धर्म अथवा दूसरे अन्य धर्मों से सम्बद्ध हैं। आजकल नये-नये बौद्ध मतावलम्बी और धर्मान्तरित ईसाइयों और दूसरे उन लोगों को जिन्होंने नया धर्म अपना लिया है। अधिकारों से पूर्ण रूप से वंचित किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति जानता है तथा सरकार को भी पता है कि केवल मात्र नये धर्म परिवर्तन से ही वह सामाजिक असामान्यता दूर नहीं हो जाती है जिससे वे पीड़ित हैं इसलिए नये-नये बौद्ध मतावलम्बियों धर्मान्तरित ईसाइयों तथा दूसरे वर्गों के लोगों को भी जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया हैं, इस आयोग की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत ला दिया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें भी दी जानी चाहिये।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है सरकार को जिला स्तरीय समितियों का गठन करना चाहिये जिसमें कि अनुसूचित जातियों, तथा अनुसूचित जनजातियों और दूसरे प्रगतिशील समान विचारधारा के दलों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को रखा जाय ताकि जिले में विकास कार्यों पर नजर रखी जा सके और वे जब कभी भी कोई अत्याचार की घटना घटे उसकी छानबीन कर सकें।

इसी तरह से मैं सरकार से यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि वह इस बात पर भी विचार करे कि अल्पसंख्यकों के आयोग तथा साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग, दोनों को ही सामयिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अत्याचारों की शिकायतों की विशेष घटनाओं तथा मूलभूत अधिकारों और अल्प संख्यकों को दिये गये अधिकारों के न दिये जाने के मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूँ।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय, अब कितना समय बाकी बचा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब दो घण्टे और 25 मिनट बाकी हैं।

श्री गोविन्द राम मिरी (सारंगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन और आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए जनता शासन ने अलग-अलग आयोग गठन करने हेतु यह संविधान संशोधन विधेयक लाया है और उसके लिए मैं जनता सरकार को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरिजन और आदिवासियों की समस्याएं इतनी विशाल हैं और इतनी गुत्थी लिये हुए हैं कि वे आसानी से हल नहीं की जा सकेंगी। मैंने इस विधेयक की कनटेन्ट्स देखी हैं किन्तु जब तक इस विधेयक का जो दायरा है, वह बढ़ाया नहीं जाएगा और जब तक उसको व्यापक शक्तियां नहीं दी जाएंगी तब तक वह आयोग एक मूक-दर्शक, असहाय, लंगड़ा रहेगा। मैं तो यहां तक भी कहूँगा कि वह मिट्टी के माधो की तरह

बनकर रह जाएगा। इस सम्बन्ध में हमारा पिछला अनुभव है। संविधान की विभिन्न धाराओं में अनेकों उपबन्ध रखने के बाद भी, मानवाधिकार और छुआछूत उन्मूलन अधिनियम बनाने के बाद भी इन लोगों को मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है। चाहे नौकरियां हों, भूमि का सवाल हो, मकान देने के मामले हों, जितने भी सामाजिक समानता प्रदान करने वाले काम थे, किसी में उनको कुछ नहीं मिला है।

भारतीय संविधान की धारा 46 में कहा गया है।

"राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

किन्तु आज संविधान को बने 32 साल हो गये, लागू हुए करीब-करीब तीस साल हो गए लेकिन इन पिछड़े लोगों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है इनको गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता है, नाई और धोबी की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। पशुओं से भी बदतर इनकी हालत है और पशुओं जैसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इसलिये इस आयोग को व्यापक अधिकार देने होंगे तभी जाकर हम इस कार्य में सफल हो पायेंगे।

जनता सरकार ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। किन्तु आज तक उन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। दो साल बीतने के बाद यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक को पहले ही लाया जाना चाहिए था और उन लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय, नौकरियों में अयोग्यता के नाम पर हरिजनों और आदिवासियों का कोटा दूसरों से भरा जाता है। इसके अलावा जो विभाग हरिजन और आदिवासियों के लिए बनाये गए हैं उनमें 95 प्रतिशत तक स्वर्ण लोग भर्ती किये जाते हैं। उनमें हरिजनों की संख्या नगण्य है। क्या ये लोग अपने घरों की रक्षा करने में भी असमर्थ हैं।

इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए इस आयोग को व्यापक अधिकार देने होंगे। मेरा एक सुझाव है कि पार्लियामेंट एक कानून बनाये कि इस आयोग के क्या अधिकार होंगे। इस बिल में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इसकी क्या सीमा होगी, क्या कार्यकाल होगा। मेरी शासन में मांग है कि इसके लिए एक एक्ट बनाया जाये जिसमें यह उल्लिखित हो कि इस कमीशन का क्या कार्यक्षेत्र होगा, क्या दायरा होगा। जब तक इस आयोग के उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे तब तक इसको अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में काफी कठिनाई होगी।

इसी प्रकार से इसमें कोई भी ऐसा उपबन्ध नहीं है कि इस आयोग की जो सिफारिशें होंगी वे शासन पर बाइंडिंग होंगी। इसका भी उपबन्ध इसमें होना चाहिए।

इसके साथ-ही-साथ आयोग की शाखाएं हरेक प्रान्त में हों। वरना इतना बड़े देश में जहां 21 प्रदेश हैं और यूनियन टैरीटरीज हैं उनमें एक आयोग कहां तक काम कर पायेगा इसमें मुझे संदेह है। सारे देश में एक आयोग प्रभावशाली नहीं हो पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस आयोग में चेयरमैन को मिलाकर पांच सदस्य होंगे। मेरी मांग यह है कि आयोग में ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जायें जो कि हरिजन और आदिवासी हों। मुझे

[श्री गोविन्दराम मिरी]

खुशी है कि हरिजनों और आदिवासियों के लिये जो आयोग बनाया जा रहा है इसका चेयरमैन एक तजुर्बेकार आदमी बनाया गया है और इसके लिये मैं शासन को धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सदस्य हों, वे भी हरिजन और आदिवासी हों और फुल टाइम हों, पार्ट टाइम न हों। पार्ट टाइम होंगे तो वे काम कहीं और भी करेंगे और उस अवस्था में इस बिल का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। चेयरमैन और सदस्य अनुभवी व्यक्ति होने चाहिएं, इस काम में रुचि रखने वाले हों और ऐसे न हों कि अल्प संख्यकों, हरिजनों और आदिवासियों का गला घोंटने वाले हों। उनकी बैकग्राउण्ड रूचि एवं अनुभव को देखकर ही उनको इन पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिये।

आयोग को जो एट्रासिटीज होती हैं उनसे निपटने के लिए ट्रिब्यूनल एप्वाइंट करने का भी अधिकार होना चाहिए। मेरा अनुभव यह है कि कई आयोगों ने सिफारिशें की हैं लेकिन दो-तीन सिफारिशों को ही लागू किया गया है और सैकड़ों को अभी तक भी लागू नहीं किया गया है। आयोग को कमीशन आफ इनक्वायरी एक्ट 1952 के तहत ट्रिब्यूनल एप्वाइंट करने का भी अधिकार मिलना चाहिये और यह भी अधिकार मिलना चाहिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को वह नियुक्त करा कर उनसे किसी मामले को इंवेस्टीगेट करा सके और इंवेस्टीगेट करवा कर जो फाइंडिंग्ज आएं उनको बाइंडिंग रूप से चालू कर सके।

आयोग को यह अधिकार भी होना चाहिये कि जो डाकुमैंट्स चाहे मंगा सके, जिसको भी एवीडेंस के लिये बुलाना चाहे बुला सके और जहां चाहे जा सके। व्यापक अधिकार आयोग को मिलने चाहियें।

कमिशन का जो स्टाफ होगा वह कितना होगा इसको भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि इसका जो भी स्टाफ हो उसमें से नव्वे प्रतिशत कम-से-कम हरिजन, आदिवासी और अल्संख्यक हों।

आयोग का जो भी स्कोप है वह सैंट्रल गवर्नमैंट तक ही सीमित न होकर पब्लिक अंडर-टेकिंग्ज, स्टेट गवर्नमैंट्स, यूनियन टैरिटरीज और यहां तक कि लोकल बाडीज भी उसके अधिकार क्षेत्र में आनी चाहियें और उन पर भी उसकी सिफारिशें लागू होनी चाहिये।

कमिश्नर जो इस वक्त है वह होम मिनिस्टरी के अन्डर है। शासन के दबाव की वजह से वह हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं को कहां तक हल कर पाया है, उसको कहां तक सफलता मिल पाई है इसमें मुझे सन्देह है और अब जो कमिशन बनाया जा रहा है यह भी अगर होम मिनिस्टरी के अंडर ही रहेगा तो इसको भी सफलता मिल पायेगी इसमें मुझे सन्देह है। मेरी मांग है कि इस कमिशन को होम मिनिस्टरी से इंडिपेन्डेन्ट होना चाहिये। उसके सिर पर नंगी तलवार नहीं लटकती रहनी चाहिये कि गवर्नमैंट के खिलाफ उसने कुछ लिख दिया तो उसकी नौकरी चली जायेगी या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जायेगी। इस प्रकार का भय आयोग के सदस्यों को नहीं होना चाहिए, चेयरमैन को नहीं होना चाहिये।

जहां पर एट्रासिटीज होती हैं वहां पर सामूहिक जुर्माने करने का अधिकार भी इस आयोग को होना चाहिये।

मोबाइल कोर्ट्स की स्थापना करने का भी अधिकार इस आयोग को होना चाहिये ताकि यह छूआछूत के मामलों से निपट सके ।

संविधान की धारा 335 में यह उपबन्ध है कि हरिजनों, आदिवासियों का जो कोटा है वह पूरा किया जाएगा । सबजैक्ट टू मैंटेनेंस आफ एफिशेंसी । यह शर्त इन पर ही क्यों लागू होती है,जनरल पर क्यों लागू नहीं होती है । इसमें एमेंडमेंट होना चाहिए । एफिशेंसी वाली बात सब पर लागू होनी चाहिये केवल हरिजनों और आदिवासियों पर नही । इनका जो कोटा है इसको अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिये । जिस प्रकार से लोक सभा और विधान सभाओं आदि में जो इनके लिये स्थान सुरक्षित हैं वे अनिवार्य रूप से भरे जाते हैं उसी प्रकार से नौकरियों में भी जितने उनके वास्ते स्थान सुरक्षित हैं वे अनिवार्य रूप से भरे जाने चाहियें, अगर विशेष ट्रेनिंग देने की जरूरत हो तो वह भी उनको दी जानी चाहिये । इनको न विदेश भेजा जाता है और न ही विदेशी स्कालरशिप ही दिये जाते हैं । इस प्रकार का जो भेदभाव है उसको दूर करने का सारा अधिकार कमीशन को मिलना चाहिये । वेस्ट बंगाल, मणीपुर, उड़ीसा और असम सरकार ने अनुच्छेद 335 के तहत नौकरियों की भर्ती के लिये कानून बनाया है और अनिवार्य कर दिया है । उसी प्रकार से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी कानून बनाना चाहिये और भर्ती अनिवार्य करनी चाहिये और जिस प्रकार वेस्ट वंगाल सरकार ने पीनल क्लाज रखा है उस प्रकार का क्लाज केन्द्रीय सरकार को भी रखना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय गृह राज्य मन्त्री श्री मंडल ने कहा था कि ऐट्रोसिटीज से निपटने के लिये हमने स्पेशल कोर्ट्स नियुक्त करने के लिये राज्य सरकारों को निर्देश दे दिये हैं । मेरा कहना है कि यह टरकाने वाली बात हो जाती है क्योंकि राज्य सरकार उस बात को पूरा करती है कि नहीं यह उन पर निर्भर करता है । तो जिस प्रकार से इमरजेंसी केसेज के लिए स्पेशल कोर्ट्स केन्द्र सरकार ने बनाये हैं, उसी प्रकार से सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस मामले में भी लीड ले और इस काम को राज्यों पर न छोड़े । अन्यथा हमारा उद्देश्य विफल हो जाएगा ।

इस बिल में है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये एक आयोग होगा और 338 (ए) में है कि अल्प संख्यकों के लिये एक आयोग होगा जिसे अल्प संख्यकों सम्बन्धी आयोग के नाम से जाना जायेगा । अब यह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन किस नाम से जाना जायेगा इसका भी उल्लेख इस बिल में होना चाहिए । चाहे मानवाधिकार आयोग के नाम से हो या जिस किसी भी नाम से हो, वह इस बिल में स्पष्ट हो जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मेरी मांग है कि सरकार मेरे सुझावों पर गौर करे और आयोग को इतना शक्तिशाली बना दे ताकि जिन अधिकारों से यह लोग वंचित हैं उनको यह आयोग दिला सके और सवर्ण समाज के साथ बराबरी में यह लोग आ जायें ऐसा कोई कारगर उपाय करे । इतने व्यापक अधिकार इस कमीशन को दिये जायें । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री के० कुन्हम्बू (ओटापलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री श्री मण्डल द्वारा लगाये गये 46वें संविधान संशोधन अधिनियम का हार्दिक रूप से समर्थन करता हूं । जैसा कि

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण ।

[श्री के० कुन्हम्बू]

हमें इस अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों की विवरणी से ज्ञात होता है इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा साथ ही भाषाई तथा विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग के गठन करने की व्यवस्था है। संविधान का 338वीं धारा में निम्नलिखित निहित है :—

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशिष्ठ अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।

विशिष्ठ अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित मामलों की जांच करे और उन सुरक्षा उपायों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट, राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किये गये समयान्तर से प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति उन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की आज्ञा देगें।"

माननीय मन्त्री श्री मण्डल ने अपने प्रारम्भ करने वाले भाषण में कहा है कि विशिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षा अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी मामलों की देख-भाल करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जायगा जिसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्तियां की जायेंगी। यह प्रस्तावित आयोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित मामलों की जांच करेगा और उपयुक्त सिफारिशों का सुझाव देगा जिससे कि सरकार उनकी समस्याओं को पहले से अधिक अच्छे ढंग से हल कर सके। यह बहुत ही स्वागत योग्य उपाय है और मैं इन उपायों का हार्दिक समर्थन करता हूं।

महोदय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की देख-भाल के लिए विशेष अधिकारी समय-समय पर नियुक्त किये जाते रहे हैं, परन्तु क्या हमने इन विशेष अधिकारियों की कार्यकुशलता की समीक्षा की है ? मेरी राय यह है कि ये विशेष अधिकारी ठीक उसी प्रकार हैं जैसे कि बधिया बैल होते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन विशेष अधिकारियों द्वारा सरकार को पच्चीस से भी अधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं। इनमें से प्रत्येक रिपोर्ट में सैंकड़ों सिफारिशें की गई होंगी परन्तु आज तक उनमें से कितनी सिफारिशों को अमल में लाया गया है ? मैं कहना चाहूंगा कि उनमें से केवल 10 प्रतिशत सिफारिशों पर भी कार्यान्वियन नहीं किया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित कुल राशि में से योजना के अन्त में पांच करोड़ रुपये की राशि को अनुपयुक्त ही छोड़ देना पड़ा है। इसी से पता चल जाता है कि इस मामले में सरकार कितनी दिलचस्पी लेती है।

देश की पूरी आबादी का 20 प्रतिशत भाग केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। विभिन्न सेवाओं में उन्हें 18 प्रतिशत तक का आरक्षण प्रदान किया गया है। सरकार यही एक दावा करती रहती है परन्तु हमारा अनुभव यह है कि जहां एक ओर आरक्षण का यह कोटा अपमार्जक, चपरासी और चौकीदार आदि पदों को पूर्ण रूप से भरा जाता है वहां उच्च पदों के सम्बन्ध में इसे पूर्ण रूप से नहीं भरा जाता है। विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा प्राय: यह कह दिया जाता है कि उच्च पदों की आरक्षित रिक्तियों को भरने

के लिए उपयुक्त व्यक्ति (अभ्यर्थी) मौजूद नहीं है। यह तर्क कुछ अटपटा सा लगता है। यह सरकारी सेवा के महत्वपूर्ण पदों से हरिजनों को बाहर रखे रहने के षड़यंत्र का ही एक भाग है। इसलिए इस स्थिति में परिवर्तन आना ही चाहिए।

जब हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग को गठित करने के विधेयक पर चर्चा कर रहे है, तो मैं उस परिवर्तन के विषय में एक-दो बातें कहना चाहता हूं जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में किया गया है। मैं विशेष रूप से केरल के कुछ वर्गों का उल्लेख करना चाहता हूं। सूची में समय-समय पर संशोधन करने का यही कारण है कि अधिक से अधिक संख्या में पिछड़े लोगों को उसमें सम्मिलित किया जा सके जिससे उन्हें भी वे सभी सुविधायें प्राप्त हो सकें जो कि इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को प्राप्त है। केरल राज्य के मालावार क्षेत्र में पेरुवनन वर्ग के कई लाख लोग हैं। वे सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। इसी प्रकार कुटुम्बीज और ईसाई धर्म को अपनाये हुए लोग काफी पिछड़े हुए हैं। केरल सरकार और केरल के संसद सदस्यों ने कई अवसरों पर मांग की है कि इन वर्गों को भी अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए, परन्तु अब तक इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाये गये हैं। माननीय मंत्री बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं और हरिजनों का कल्याण उन्हें बहुत ही प्रिय है। वे अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा हरिजनों की समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए उनके साथ साथ मैं भी आग्रह करता हूं कि मेरी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय।

महोदय, आरक्षण और दूसरी सुविधायें सन् 1980 के अन्त तक समाप्त हो जायेंगी। हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् 32 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। आरक्षण के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हरिजनों को भी विशिष्ठ तथा आर्थिक प्रगति वाले वर्गों के समकक्ष लाया जा सके। मैं यह नहीं कहता हूं कि पिछले 32 वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया है। वास्तव में कई चीजें कर ली गई है परन्तु सच्चाई यह है कि उन्हें सम्पन्न वर्गों के समकक्ष लाने में अभी कई दशाब्दियां लग जायेंगी, इसलिए मेरी सविनय मांग यह है कि आरक्षण और अन्य सुविधाओं को कम से कम अगले और 30 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया जाय। सरकार को इसलिए दूसरे सत्र में आवश्यक संविधान सशोधन विधेयक लाना चाहिए।

महोदय, हरिजनों की अधिकांश समस्याओं का हल इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं है। सचमुच में ही कोई कानून नहीं है। उदाहरण के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि छुआछूत को समाप्त कर दिया जाय। परन्तु देश के कई भागों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से छुआछूत बनी हुई है। क्या सदन में कोई भी व्यक्ति एक भी ऐसा गांव बता सकता है जहां छुआछूत की प्रथा न हो। यह इसलिए नहीं है कि हरिजनों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कानून ही न हो, अपितु यह प्रमुख रूप से इसलिए है कि कानून को कार्यान्वित करने में अफसरसाहियों की ओर से घोर अवहेलना तथा पूर्ण उदा-सीनता का भाव दिखाया गया है जिससे कि हमारे देश में हरिजन अपना उचित सम्मान प्राप्त नहीं कर पाये हैं। हमें इस आधारभूत तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कानून को बनाते समय हमें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाय।

[श्री के० कुन्हम्बू]

संविधान में संशोधन के इस विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके साथ ही हरिजनों के कल्याण के लिए हमें पूरी ईमानदारी तथा समर्पण के भाव से कार्य करना होगा। जिससे कि वे भी प्रकाश में आ सकें। इस सम्बन्ध में मुझे एक सुझाव भी प्रस्तुत करना है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे। हरिजनों को सहायता देने हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकारें कई योजनाओं को बनाते हैं, परन्तु उन्हें आमतौर पर यह पता नहीं चल पाता है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। यह बहुत ही आवश्यक है कि उन्हें उनके अधिकारों का ज्ञान कराया जाय और उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई और कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में बता दिया जाय, इसलिए मेरा सुझाव यह है कि सरकार इस अभियान को शुरू करने के लिए केन्द्र में और राज्यों में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करे यह एक दुखद सच्चाई है कि हम इस देश में 32 वर्षों की लम्बी अवधि में वही कार्य नहीं कर सके जो अमेरिका में नीग्रो लोगों ने 15 वर्ष में ही कर लिया। हाल में मैंने संसद में एक प्रश्न पूछा था। मेरा प्रश्न यह था कि भारतीय तेल निगम में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो 3000 रु० प्रतिमास से अधिक वेतन ले रहे हैं। मुझे उत्तर दिया गया कि ऐसे 53 अधिकारी हैं जो इस रेंज में वेतन ले रहे हैं जिनमें से केवल 3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। क्या यह केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा या राजदूतों के पदों के मामले में ही हैं कि जहां हरिजनों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के मामले में भी यही बात है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री श्री मण्डल उनके लिए कुछ करेंगे। मैं यह कामना करता हूं कि इन असहाय लोगों की भलाई के प्रयास में उन्हें सफलता मिले। मेरी कामना है कि ईश्वर उनकी मदद करे। एक बार फिर मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री एस० एस० सोमानी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 46वें संविधान (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं और उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में कुछ मौलिक बातें निवेदन करना चाहता हूं।

हमारे देश में जातिवाद काफी समय से चला आ रहा है और हर निष्ठावान भारतीय चाहता है कि इस देश में जातिवाद समाप्त हो, सब लोग समान हों और सब को समान अवसर मिले। हमने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए जो व्यवस्था कर रखी है, उस व्यवस्था में यह आयोग बनाना तो ठीक है, परन्तु वैचारिक दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का एक नया वर्ग खड़ा किया जा रहा है।

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

हम देख रहे हैं कि जहां पर भी कोई घटना होती है; या कोई प्रश्न खड़ा होता है, या किसी पर अन्याय होता है, तो सारा समूह खड़ा होकर उसका विरोध करता है। मैं समझता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें सम्पन्न व्यक्ति, अर्द्धसम्पन्न व्यक्ति और गरीब व्यक्ति हों, और

यह निर्धारित किया जाये कि गरीब आदमियों को हमें क्या सुविधायें देनी चाहिए, अर्द्धसम्पन्न लोगों को क्या सुविधायें देनी चाहिए और सम्पन्न लोगों को क्या सुविधायें देनी चाहिए, या नहीं देनी चाहिए।

हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता में बड़ी-बड़ी कोठियां हैं, जो कारों में सफर करते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के नाम पर उन्हें कई प्रकार की सुविधायें मिलती हैं, परन्तु सवर्ण जाति के जिस गरीब आदमी के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, उसको कोई सुविधा नहीं मिल सकती है, क्योंकि वह शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ड्राइब्ज का नहीं है।

इसलिए हमें इस व्यवस्था पर फिर से विचार करना चाहिए। और यह विचार हो भी रहा है कि लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार सुविधायें दी जायें। जो अभावग्रस्त व्यक्ति है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसे सुविधायें दी जायें।

हमने कुछ जातियों को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज में रखा है। मेरे पास रावल और चारण जातियों के लोगों के रिप्रेजेन्टेशन्ज पड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने उन्हें जबर्दस्ती अनुसूचित जातियों में रखा हुआ है।

तो जहां इस प्रकार की स्थिति पैदा होती हो.....

श्री सूरज भान : हमारे पास भेजिए जो निकलना चाहते हैं। कमेटी बनी हुई हैं इसके लिए।

श्री एस० एस० सोमानी : यह भेजेंगे।

जहां एक ओर हम यह सोचते हैं कि हम यह भेद समाप्त करें, हम सब लोग भारतीय हैं चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे और किसी भी जाति के हों, वहां इस तरह से भेद पैदा करना किस प्रकार उचित हो सकता है? भेद करके काम करना है तो हमें उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार और उनके अभावों के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सूरज भान : आप ईक्वेट नहीं कर सकते हैं। गरीब ब्राह्मण के साथ छुआछूत होता है क्या?

श्री एस० एस० सोमानी : आप जो बात कह रहे है कि ब्राह्मणों के साथ या सवर्ण जातियों के साथ छुआछूत नहीं होता, तो जो परम्पराएं गलत पड़ी हुई हैं उन पर प्रहार करिए.....

श्री सूरज भान : हां, तो उन पर दोहरी मार पड़ती है कि वह गरीब भी हैं और अछूत भी हैं।

श्री एस० एस० सोमानी : शंकराचार्य जी गलत बातें मानते हैं तो उन पर प्रहार करिए। परन्तु उसके कारण एक अलग वर्ग खड़ा करके आप समाज की मूल धारा से अलग होकर चलना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। आज आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब कितने वर्षों के लिए बने रहना चाहते हैं?

श्री सूरज भान : जब तक उन की हालत सुधरती नहीं है तक तक देना पड़ेगा ।

श्री एस० एस० सोमानी : वह स्थिति तो कभी होने वाली नहीं है क्योंकि.....

श्री सूरज भान : नहीं होगी तो बराबर चलता रहेगा ।

श्री एस० एस० सोमानी : आज आप यह मांग कर रहे है, आगे दूसरी मांग बराबर चलती रहेगी;

श्री रूपनाथ सिंह यादव (प्रतापगढ़) : आप यह कहिए कि समाज में जो ऊंच नीच का भाव है वह समाप्त हो, आरक्षण नहीं।

श्री एस०एस० सोमानी : इस वजह से जो एक मनोवैज्ञानिक बात है वह मैं कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य नाराज न हों। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो विचार मेरे मन में है उसे कहने का मुझे अधिकार है और आप को उसे सुनना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज किसी व्यक्ति के सामने जब यह बात आती है, चाहे वह हमारे लोक सभा के सदस्य हों शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के, वह किसी समाज में जाकर खड़े होते हैं और कहीं उसमें यह इशारा होता है कि यह शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के एम.पी. हैं तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका पड़ता है और मैंने कई जगह इस बात का अनुभव किया है। मुझे दुख हुआ इस बात का कि यह हमारे माननीय सदस्य हैं संसद के और इसके बाद भी यह चर्चा पैदा होती है, लोगों के अन्दर एक दुराव पैदा होता है, एक दूरी पैदा होती है, यह अनुचित बात है। इस प्रसंग में मैं यह कहना चाहता हू, हमारे माननीय सदस्य शायद इसमें मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आर० एस० एस० इस मामले में देश में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, इस वजह से कि वहां पर छः-छः सौ, आठ-आठ सौ और हजार-हजार आदमी इकट्ठे होते हैं, उनमें कौन हरिजन है, कौन शेड्यूल्ड कास्ट का है, कौन शेड्यूल्ड ट्राइब का है या कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन महाजन है, कुछ पता नही लगता। सब साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, साथ-साथ सभी तरह के काम करते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा काम आर० एस० एस० इस देश में कर रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, इसको मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य सूरज भान जी भी समझें कि इसको दूर करना चाहिए।

आपने जो आरक्षण की व्यवस्था की है, इस आरक्षण की व्यवस्था को देखने के लिए आप ने आयोग बनाया जो सारे उनके अधिकारों की व्यवस्था करेगा, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि आप संवैधानिक संरक्षण सारे प्रावधानों को दे रहे हैं। परन्तु एक बात जो सरकारी कर्मचारियों से बात करने पर पता लगा है वह मैं कहना चाहता हूं। हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि नौकरियों में जो रिजर्वेशन है वह पूरा उनको नहीं दिया जाता मैं चाहता हूं कि उसकी पूरी तरह से पाबन्दी होनी चाहिए और जो व्यवस्था आप ने कायम कर रखी है उसके अनुकूल उन लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। परन्तु इस प्राथमिकता के आधार पर क्या होता है, राजस्थान में भी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के जो लोग चार साल से नौकरियों में आए वे दस साल या 8 साल से जो उन नौकरियों में काम कर रहे थे, इस आरक्षण की पद्धति के कारण, उनके ऊपर हो गए यानी जो एक

अधिकारी के सबार्डिनेशन में काम कर रहे थे वह उनके आफिसर बन जाते हैं और जो आफिसर थे वह उनके सबार्डिनेट बन जाते हैं। इस कारण प्रशासनिक कार्य में एक फ्रस्ट्रेशन आता है। आज कई अधिकारी इस फ्रस्ट्रेशन के कारण प्रशासन को ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं जहां पर कि इस प्रावधान के कारण वह लोग अधिकारी बन गए और जो अधिकारी थे वह सबार्डिनेट बन गए। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इस आरक्षण के बाद जो प्रोमोशन दिया जाता है वह सारा प्रोमोशन मेरिट्स के आधार पर दिया जाय ताकि किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन लोगों में पैदा न हो।

इसी वजह से मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कदम होगा यदि हम जाति के आधार पर विभाजन करने के बजाय केवल अमीर और गरीब का विभाजन करें और गरीब आदमियों को सब सुविधाएं दे कर उस वर्ग को समाप्त करके उनको भी सब को हम अमीर बना दें, एक वर्ग इस देश के अन्दर बना दें—अमीर। सारे लोगों को सुख-सुविधाएं दे दें। इस तरह से हम एक नये समाज का निर्माण देश में कर सकते हैं, वरना यह अल्पसंख्यकों की बात या शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की बात, यह हमारे देश को आगे बढ़ाने में कभी सहायक नहीं हो सकती, यह देश से जातिवाद को समाप्त करने में कभी सहायक नहीं हो सकती। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज नहीं तो आने वाले कुछ वर्षों में हम इस बात के ऊपर विचार करें। अगर इस देश को आगे ले जाना हैं और सभी लोगों को समान अवसर देना है तो यह नहीं होना चाहिए कि इस देश में सवर्ण जाति का भूखा व्यक्ति तो कोई सुविधाएं नहीं प्राप्त कर सकता परन्तु शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का सर्व-सम्पन्न व्यक्ति, मैंने जैसा निवेदन किया कोठियों और कारों वाला व्यक्ति इस नाम से सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। यह उचित नहीं होगा।

इस सिलसिले में मैं एक उदाहरण राजस्थान की अन्त्योदय योजना का देना चाहता हूं। उस अन्त्योदय योजना के अन्दर प्रत्येक गांव में से पांच-पांच गरीब परिवारों को छांटा गया है।

लोयस्ट परिवार को छांटा गया है। वह ब्राह्मण हैं, हरिजन हैं, सवर्ण हैं, वैश्य हैं या किसी भी जाति के हैं—इस बात को नहीं देखा गया है। जो गरीब परिवार हैं उनको छांटकर आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या सारे देश में आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं।

आयोगों के खर्चे के लिए 25 लाख की धनराशि रखी गई है जोकि मैं समझता हूं और भी बढ़ सकती है। प्रशासनिक आदेश से आपने जो कमीशन गठित किए हैं वही काम कर रहे हैं। उन पर इतनी धनराशि खर्च करके उसी अनुपात में लाभ भी हो सकेगा —इसमें मुझे शंका है।

आज देश में एक नया विचार चल रहा है कि गरीब और अमीर दोनों को एक स्तर पर लाया जाए। जो भी आर्थिक अभाव में अपना जीवन गुजार रहे हैं उनके लिये सारी सुविधायें जुटाई जायें फिर चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हों। मैं समझता हूं इसी प्रकार से इस देश को अधिक लाभ पहुंच सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : सभापति महोदय, पिछले दो वर्षों से इस सदन के हममें से कुछ सदस्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए नियुक्त की गई एक समिति में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक अवस्था का किसी हद तक अध्ययन करने का अवसर मिला । यह आशा की जाती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए नियुक्त की गई समिति के साथ मिलकर काम करेंगे । किन्तु समिति द्वारा गैर सरकारी बातचीत और उन विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के पश्चात्, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अन्य समुदायों के साथ मुठभेड़ हुई हैं या जहां वे अपने पैतृक, पारम्परिक विश्वास और रीति-रिवाजों के साथ रह रहे हैं ये निष्कर्ष सामने आए हैं । हमने तकरीबन हमेशा ही यह महसूस किया है कि संसद या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई शायद एक अधिक शक्तिशाली संस्था द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्वतन्त्रता प्राप्ति के 32 वर्ष बाद की स्थिति के बारे में जांच की जानी चाहिए । उनका जीवन परम्पराओं, अंध-विश्वासों और प्रतिकूल हितों द्वारा नियंत्रित होता है । जनसंख्या का तीन चौथाई भाग, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नहीं हैं, उनमें अब भी ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति वैसा ही प्रेम रखते हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी स्वयं यह प्रयास करना चाहिए कि वे अपेक्षित मापदण्ड तक पहुंच सकें ।

हम बर्मा गये और हमने बर्मा के लोगों को देखा । मुझे यह टिप्पणी करने की अनुमति दी जाये कि यदि बर्मा के लोगों की बुद्धि क्षमता की तुलना भारत की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की बुद्धिमता से की जाए तो हम यह देखेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हमारे लोगों में उनसे अधिक बुद्धि की क्षमता है ।

वे बात को उन देशों अर्थात्, बर्मा और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की सामान्य जनसंख्या से बेहतर समझते हैं । हम यह कहते हैं कि हम सब समान हैं लेकिन वहां समान से भी अधिक समान हैं । हमने 15 से 20 करोड़ लोगों को असमान छोड़ दिया है । उनकी उपेक्षा क्यों की गई । हमें कुछ मामलों का अनुभव है जैसे निम्न श्रेणियों से उच्च श्रेणियों में पदोन्नति । अन्य बातें भी हैं जैसे विचारणीय क्षेत्र, विचारणीय जोन आदि । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये एक और शब्द बहुत खतरनाक है, वह है उपयुक्तता । यदि शासन चलाने वाले लोग, अर्थात् सर्वोच्च प्रशासन अधिकारी उच्च पद के आकांक्षी किसी व्यक्ति को उपयुक्त नहीं समझते तो उसके हितों की रक्षा के लिए आप द्वारा किये गये सभी संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद उसे पदोन्नति नहीं मिलेगी । यह उपयुक्तता खण्ड हमारे लोगों के लिए एक खतरनाक खण्ड है । यदि केन्द्रीय सचिवालय के किसी अनुभाग अधिकारी की तुलना बर्मा सरकार के किसी सचिव या उच्चतर रैंक के अधिकारी से की जाये तो उसमें विद्यमान बुद्धिमानी और कार्य-क्षमता उसके समकक्ष अन्य देशों के अधिकारी से बेहतर होगी । यदि हमारे लोगों को अयोग्य समझा

जाता है तो ये लोग जिन्हें बुद्धिमानी, समझ-बूझ, दक्षता और मस्तिष्क-शक्ति में उसके समकक्ष भारतीयों से घटिया समझा जाता है, सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया और एशिया के अन्य भागों पर राज्य कर रहे हैं। यदि मुझे किसी पर आक्षेप किए बिना यह कहने की अनुमति दी जाए कि वे अपना व्यापार और अपनी सरकार उसी दक्षता से चला रहे हैं शायद जिस दक्षता से हमारे वे लोग चला रहे हैं जो समाज में ऊंचे स्थानों पर हैं और अपने आपको पैदाइशी प्रशासक और सुसंस्कृत लोग कहते हैं। शायद वे अपना प्रशासन उनसे बेहतर ढंग से चला रहे हैं। जापान में जापानी लोग अपना प्रशासन इस प्रकार चला रहे हैं कि वहां गरीबी और मुद्रास्फीति नहीं है लेकिन हमारे यहां गरीबी ही नहीं बल्कि मुद्रास्फीति भी है।

सीमित समय के भीतर हीं मैं कुछ बातें विधेयक के बारे में कहूंगा। आयुक्त के स्थान पर आयोग की नियुक्ति करने से सम्बन्धित यह विधेयक अपने आप में बहुत अच्छा है लेकिन इसमें बहुत-सी बातें छूट गई हैं। आयुक्त सिफारिशें करता है। हम अर्थात्, समिति इस बात की जांच करते हैं कि एक विशेष कार्य क्यों नहीं किया गया, हमारी सिफारिश क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है जिस पर समिति ने विचार-विमर्श किया है। आयुक्त संविधान के अन्तर्गत संसद को एक रिपोर्ट पेश करता है। उस पर यहां चर्चा होती है। लेकिन हो क्या रहा है, केवल अनुभूतियों, भावनाओं और पीड़ा की अभिव्यक्ति और रिकोर्डों को भरना तथा उनका संग्रह करके कुछ पुस्तकें तैयार करना। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां वहीं की वहीं रहती हैं जहां वे 25-30 वर्ष पहले थीं। उनके जीवन में बहुत कम महत्वपूर्ण सुधार हो पाता है। आयुक्त के स्थान पर आयोग आ जायेगा। 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा।' केवल एक वाक्य का एक कानून फिर भी आयोग के कार्यों पर जांच आयोग अधिनियम का नियंत्रण रहेगा। जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आयोग को एक सिविल अदालत के समान अधिकार होंगे। किन्तु क्या सिविल अदालत को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने सामने उपस्थित होने के लिये मजबूर कर सके जिसकी परीक्षा की जानी है। क्या कोई सिविल अदालत छः महीने या एक वर्ष के भीतर किसी मुकदमें की सुनवाई पूरी करके डिग्री पास करने में सफल हो सकी है। मुकदमें कई-कई सालों तक चलते रहते हैं। ये कभी खत्म नहीं होते। जैसे, उदाहरण के लिए कथन प्रति—कथन प्रत्युत्तर, परस्पर अनुरोध पर स्थगन और साक्ष्य दर्ज करना आदि। श्रीमती गांधी त्रिखा आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये इम्फाल गईं। आयोग द्वारा उन्हें अपने सामने पेश करने के लिये तीन-चार बार असफल प्रयास करने के बाद वह एक बार पेश हुईं। पहले दिन की सुनाई के बाद वह वहां से चल दीं। आयोग को ये अधिकार क्यों नहीं दे दिये जाते कि वे सुनाई पूरी करने के लिये उन्हें अदालत या आयोग के समक्ष वापस बुला सकें।

यह है जांच आयोग अधिनियम इसके प्रावधान उस सांप की तरह हैं जो विषहीन और दंशहीन हो। जिस उद्देश्य के लिये इन जांच आयोगों की नियुक्ति की गई थी और जांच आयोग अधिनियम बनाया गया था वे एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। इसलिये मैं विधेयक पेश करने वाले माननीय मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि वे अल्प-संख्यक आयोग और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के गठन में संशोधन के उद्देश्य से और अधिकार देने के लिये एक दूसरा अधिनियम बनाने की व्यवस्था करें। एक अनुवर्ती अधिनियम होना चाहिये। महोदय,

[श्री पूर्ण नारायण सिन्हा]

मैंने काफी समय तक वकालत की है। मैं यह कहूंगा कि एक दूसरा ऐसा अधिनियम अवश्य होना चाहिये जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग को उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की पूछताछ के लिये आवश्यक व्यक्तियों को उनके समक्ष प्रस्तुत होने के लिये मजबूर करने के लिये आवश्यक अधिकार प्रदान करे। इसके अतिरिक्त समय-सीमा भी होनी चाहिये। जब तक आयोग को आदेशात्मक अधिकार नहीं दे दिये जाते, दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का कोई तरीका नहीं है। एक विशेष समुदाय पर ज्यादतियां हो रही हैं। मैं वास्तव में इस विधेयक के हक में हूं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन यह अधूरा है। कुछ माननीय मित्रों ने तो विशेष अदालत अधिनियम का सुझाव दिया है। इस संसद ने विशेष अदालत विधेयक पारित कर दिया है।

सभापति महोदय : आप अब अपनी बात पूरी करें।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : सभापति महोदय, आपने कल मुझे समय नहीं दिया था, आज आपको समय देना पड़ेगा।

सभापति महोदय : इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आपको और समय दूं। आप दस मिनट ले चुके हैं। अब आप अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : मैं यह समझता हूँ कि विशेष अदालत विधेयक की प्रस्तावना का उद्देश्य उन व्यक्तियों के बारे में कार्यवाही करना है जिन्होंने आपात-स्थिति लागू होने के बाद, अर्थात्, आपात-स्थिति के दौरान ज्यादतियां की हैं। यह विशेष अदालत विधेयक उसके लिये है। इसका अल्पसंख्यकों पर की गई ज्यादतियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। कृपया आप प्रस्तावना की दोबारा जांच करें। संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद विशेष अदालत विधेयक बिलकुल बेकार हो जाएगा। इसलिए इस विधेयक को पेश करने वाले माननीय मन्त्री महोदय या पूरी सरकार से मेरा यह निवेदन है कि ये दोनों आयोग, आयोगों का कार्य नहीं कर सकते क्योंकि जांच आयोग अधिनियम में उन विशेष अवसरों के बारे में प्रावधान है जिनके लिये आयोग की नियुक्ति होती है। यह एक सामान्य आयोग है। यह आयोग हमेशा रहेगा। इसके लिये कोई अवधि निश्चित नहीं है या इसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा गया है। आयोग किसके द्वारा भेजे गये मामलों की जांच करेगा ? इन प्रावधानों के लिये दूसरे अधिनियम की आवश्यकता होगी।

अतः, मैं इस व्यवहार्य समस्या पर बल दे रहा हूं कि संविधान में ऐसा संशोधन करने के साथ-साथ जिससे सरकार को आयोगों का गठन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, एक ऐसा अन्य अधिनियम और होना चाहिए, जिसके अन्तर्गत आयोग अथवा सरकार ट्रिब्यूनल की नियुक्ति कर सकें।

सभापति महोदय, कार्यवाही करने के लिए सिफारिशों को लागू करने के लिए ट्रिब्यूनलों का होना आवश्यक है। यहां हमारे सामने जो सिफारिशें पेश की जाएंगी —उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा और हम उन पर 5 घंटे अथवा 15 घंटे या निर्धारित समयावधि तक वाद-विवाद करेंगे। उसके बाद कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा। एक अन्य विशेष न्यायालय विधेयक को लाना होगा। इसलिए, आयोगों की नियुक्तियों के अनुसरण में एक ऐसा अधिनियम होना चाहिए, जो आयोगों को इस बात के लिए भी अधिकार प्रदान करे कि वे कुछ विशेष मामलों को

ट्रिब्यूनलों को भेज सकें, जहां किन्हीं खास व्यक्तियों या एसोसिएशनों या समुदायों और यहां तक कि किन्हीं खास सरकारी प्राधिकारियों के पहले शिकायतें दर्ज की जायेंगी और फिर उन पर मुकदमा चलाया जायेगा। इसके बिना कोई राहत नहीं मिलेगी। आजकल का रवैय्या यही है। मैं अपने साथ बीती एक घटना आपको सुनाता हूं। हमारी समिति कोरापुट पहुँची। हमारे कुछ संसद सदस्यों को वहां दण्डकारण्य प्रोजेक्ट के गैस्ट-हाऊस में ठहरना था। रात के 10 बजे हम वहां पहुंचे। प्रोफेसर मावलंकर को यह जानने की जिज्ञासा होगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां माननीय संसद सदस्यों के स्वागत के लिए कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था यहां तक कि वहां भौंकने के लिए कुत्ता भी न था। जब हम रात 10 बजे वहां पहुँचे तो यह स्थिति थी। वहां किसी न किसी व्यक्ति को उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित होना ही चाहिए था। क्योंकि संसद सदस्यों को वहां ठहरना था। यदि संसद सदस्यों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिये।

प्रो० पी० जी मावलंकर (गांधी नगर) : यदि वहां कोई कुत्ता होता तो उन्हें वहां घुसने कौन देता।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : कुत्ता सेंधमारों, चोरों या ऐसे ही व्यक्तियों के लिए होता है। मेरे कहने का मतलब यह था कि सेंधमारों आदि पर भौंकने के लिए एक कुत्ता भी वहां नहीं था, मैं यह आपको केवल यह दिखाने के लिए बता रहा हूं कि संसद सदस्यों का स्वागत किस प्रकार किया जाता है। सुबह दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण का चेयरमैन मेरे पास सर्कट हाऊस में आया और उसने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन क्या अफसोस जाहिर कर देने मात्र से उनका दायित्व पूरा हो जाता है। यह इस देश के गरीबों, नंगों और अधनंगों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति विश्वासघात है और उन्होंने अपने सामाजिक उत्तर-दायित्व और मानवीय उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया।

महोदय, कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन (आर० एस० एस०) के विषय में बोल रहा था। मैं आर० एस० एस० के खिलाफ नहीं हूं।

कराग्रे वसति लक्ष्मी
करमध्ये सरस्वती
करामूतो च गोविन्दः
प्रभाते करं दर्शनम्।

वे सरस्वती की बात करते हैं। वे लक्ष्मी की बात करते हैं। बिहार में दुमका जिले के देवघर सब-डिवीजन में आदिवासी भूख और बिमारी से मर रहे हैं। क्या आप आर० एस० एस० से यह आशा नहीं करते कि ये वहां जाएं और उनको राहत पहुँचाएं ? उन्हें अवश्य वहां जाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने वहां के लोगों की व्यथा की कथा सुनाई है। निस्सन्देह आर० एस० एस० एक सामाजिक संगठन है। यदि उन्हें सामाजिक संगठन के नाम से पुकारा जाना कोई अर्थ रखता है तो उन्हें वहां जाना चाहिए और वहां के लोगों के लिए राहत-कार्य करना चाहिए। यह मेरा तर्क है। मैं उनके कार्यक्रम की बिल्कुल भी आलोचना नहीं कर रहा हूं। देखना यह है कि वे वहां जाएं और वहां काम करें। लोगों को यह समझने का मौका दें

[श्री पुर्णनारायण सिन्हा]

कि आर० एस० एस० एक सामाजिक संगठन के रूप में वास्तव में अच्छा कार्य कर रही है। उन्हें हरिजनों और आदिवासियों के लिए कार्य करने दें। आर० एस० एस० के विषय में, मैं तो यह कहता हूँ कि वे भी राष्ट्रवादी और भारत माता के बेटे हैं। आर० एस० एस० को उनकी उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए और वहां के लोगों को यह महसूस करा देना चाहिए कि आर० एस० एस० एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो उनकी सहायता करने को इच्छुक हैं। मैं यह आशा करता हूं कि आर० एस० एस० संगठन सभी लोगों के कल्याण के लिए और उनकी उन्नति के लिए कार्य करेगा। उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर भी ध्यान देना है। महोदय, यदि हम ये आवश्यक कदम अब तक उठा चुके होते, तो ऐसी तकलीफ और तनाव के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग की रिपोर्टों पर यहां चर्चा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप आर० एस० एस० को इतना महत्व देते हैं?

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : जी हां, मैं इसे अत्याधिक महत्व देता हूँ। मैं उनका उनके कार्यकर्ताओं के कारण ऐसे निस्वार्थी और समर्पित कार्यकर्त्ताओं का संगठन होने के कारण बहुत आदर करता हूं। मैं चाहता हूँ कि आर० एस० एस० ऐसे लोगों की उन्नति के लिए कार्य करे, जो अभी गिरे पड़े हैं! यही मेरा निवेदन है।

अब मैं यही ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस विधेयक के बाद एक अधिनियम और होना चाहिए, जिसमें आयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन के द्वारा उपरोक्त उपबन्ध रखे जाएं। हमें आयोगों को वास्तविक शक्ति सौंपनी चाहिए, ताकि वे ट्रिब्यूनलों को नियुक्ति कर सकें और मामलों पर निर्णय ले सकें तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों को सजा दे सकें। हाल ही में, श्रीमती गांधी इम्फाल में आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुई और वह हवाई जहाज द्वारा कलकत्ता पहुँच गई और आयोग के खिलाफ वहां एक ब्यान दिया। अतः आयोग को ऐसी वास्तविक शक्तियां दी जानी चाहिए, जिससे कि वह पुलिस को ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी के आदेश दे सकें, ताकि उन्हें जमानत पर न छोड़ते हुए साक्ष्य देने के लिए आयोग के सामने लाया जा सके। अन्यथा आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी जाएगी और उसे ऐसी चर्चा के लिए इस सभा को भेज दिया जाएगा, जो लम्बे समय तक चलती रहेगी। सम्भवतः इस पर पांच से पन्द्रह बार तक वाद-विवाद हो। लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वैसी ही तकलीफें सदा होती रहेंगी।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय मंत्रिमंडल स्तर का कोई भी मन्त्री यहां मौजूद नहीं है। मैं यह चाहूँगा कि आप इस विषय में कोई टिप्पणी करें और फिर हम आगे की कार्यवाही चालू करेंगे। कृपया टिप्पणी करने का कष्ट करें। हम अल्प संख्यकों के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : इतना ही काफी है कि गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री यहां मौजूद हैं।

प्रो० पी०जी मावलंकर : जो कुछ श्री बनातवाला ने कहा है वह ठीक है, लेकिन यह अल्प-संख्यकों का प्रश्न नहीं है। सभा जिस प्रश्न पर चर्चा कर रही है वह संविधान संशोधन विधेयक से

सम्बन्धित है। यह गम्भीर मामला है। ऐसे अवसर पर मन्त्रिमंडल स्तर का मंत्री मौजूद होना चाहिए। मुझे पता है कि श्री एस० डी० पाटिल यहां हैं। मुद्दा यह है कि संविधान संशोधन विधेयक को मौजूद एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है और विधेयक को पारित करने के लिए पूर्ण बहुमत होना चाहिए। क्या कारण है कि मंत्रीमंडल स्तर का मंत्री यहां बिल्कुल भी उपस्थित नहीं हुआ है ?

श्री कंवरलाल गुप्त : यह औचित्य का मामला हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यह संवैधानिक उत्तरदायित्व का मामला है। मैं यहां अब उपस्थित सदस्यों को गिनकर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहता। लेकिन निश्चित रूप से मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को यहां उस समय अवश्य उपस्थित होना चाहिए, जिस समय संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही हो। मैं यह चाहूँगा कि आप इस पर टिप्पणी करने का कष्ट करें।

सभापति महोदय : मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूँगा कि सभा की स्पष्ट इच्छा के अनुसार, इस पर कई बार, कई अवसरों पर ध्यान दिलाया जा चुका है और कम से कम पिछले दो-तीन दिनों में तो इस पर अत्यधिक बल दिया गया है।

मैं नहीं जानता कि मन्त्रिमण्डल के माननीय मन्त्रियों के सामने क्या दिक्कतें हैं। खैर, मैं इतना ही कह सकता हूँ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं फिर से यह कहूँगा कि यह सभी माननीय सदस्यों का भी कर्त्तव्य है कि वे इस मामले के प्रति गंभीर हों। मैं यह भी कहूँगा।

सभापति महोदय : अब श्री बेरो।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : इस 46वें संशोधन विधेयक को 45वें संशोधन विधेयक में बदलने का प्रस्ताव है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के गठन को नियमित किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अल्पसंख्यक आयोग की धारणा का जन्म पाप में हुआ और इसके जन्म के समय जनता रूपी धाय के द्वारा अनजाने में अथवा जनबूझ कर इसका गला दबा दिया गया। मेरा इशारा श्री मीनू मसानी के त्यागपत्र तथा प्रो० वी. वी. जान के लगभग त्यागपत्र की ओर है। श्री मीनू मसानी संसद में बहुत वर्षों तक मेरे सहयोगी थे। वे बहुत बुद्धिमान पुरुष थे। सार्वजनिक जीवन में उनका विशिष्ट स्थान था और उनके त्यागपत्र से बाध्य होकर सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक स्वरूप दिया है। उनका त्यागपत्र इस बात के विरुद्ध एक प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से विरोध था कि अल्पसंख्यक आयोग को सरकार का एक अस्त्र मात्र माना जाता था। मैं सरकार से यह कहना चाहूँगा कि अधिनियम के द्वारा अथवा कार्यकारी आदेशों के द्वारा इस आयोग को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जाये। यह आवश्यक है कि यह गृह मन्त्रालय का केवल एक विभागमात्र न हो। मेरा यह भी अनुरोध है कि इस आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाये—चाहे वह तीन वर्ष का हो अथवा पांच वर्ष, जिससे उनको पता रहे कि एक सीमित अवधि के भीतर उनको अपने कार्यों के परिणाम प्रकट करने हैं।

[श्री ए० ई० टी० बैरो]

मेरे मित्र श्री रचैया ने कल कहा था कि अल्पसंख्यक आयोग का काम बढ़ गया है चूंकि इसे न केवल भाषाई अल्पसंख्यकों की ओर अपितु धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यकों की ओर भी ध्यान देना होगा और इसलिए इस आयोग में पर्याप्त अनुभवी अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि भारत में अल्पसंख्यकों की बहुतायत है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त किन्हीं राज्यों में हिन्दी-भाषी भी भाषायी दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं। दूसरे क्षेत्रों में बंगाली भाषी अल्पसंख्यक हैं। तामिल भाषी उत्तरी भारत में अल्प संख्यक हैं तथा केवल मात्र आंग्ल-भारतीय प्रत्येक राज्य में भाषायी दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं। इस प्रकार यह अल्पसंख्यकों की भूमि है। समस्यायें असंख्य हैं और इसलिए आयोग को कार्यात्मक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, कार्यकाल निर्धारित किया जाना चाहिए और पर्याप्त अनुभवी अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिये।

यह प्राय: ज्ञात नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 338 भी आंग्ल भारतीय अल्पसंख्यकों की ओर निर्देश करता है। यदि आप इस अनुच्छेद के भाग 3 को पढ़ें तो उसमें आंग्ल-भारतीय समुदाय की ओर उल्लेख है। मेरे विचार से इन आयोगों का इतिहास न केवल निरुत्साही रहा है। अपितु हताशाजनक, सामान्य, औपचारिक व निष्प्रभावी भी है। इसमें दो महत्वपूर्ण दोष हैं। इसका एक दोष है पुरातन ढर्रा प्रतिवेदन अनेक वर्षों के पश्चात पेश किए जाते हैं और जब तक संसद द्वारा उन पर विचार किया जाता है तब तक शिकायतों का सब महत्व समाप्त हो चुका होता है। प्रतिवेदन सड़ी हुई मछली की दुर्गन्ध जैसे असन्तोषजनक और अरुचिकर।

इसका दूसरा दोष यह है कि ये प्रतिवेदन केवल मात्र सिफारिशों के रूप में होते हैं। सिफारिशों के सम्बन्ध में आदेशात्मक कुछ नहीं होता, जिसका परिणाम यह है कि सरकार, चाहे अनजाने में अथवा जानबूझकर सिफारिशों को निरर्थक करने के लिए व्यर्थ समय बीतने देती है। यदि सरकार इन सिफारिशों से आदेशात्मक नहीं बनाती तो सरकार को अल्पसंख्यक आयोग तथा अन्य आयोगों की सिफारिशों को रद्द करने के कारण लिखित रूप से सभापटल पर रखने चाहियें।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि आयोगों की सिफारिशों पर दी गई कार्यवाहियों पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों तथा इस आयोगों के सदस्यों को वार्षिक सम्मेलन बुलाये। ऐसा करना बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करे, प्रशासन को इस बारे में कोई सिद्धान्त नहीं दिये गये हैं कि वे अल्प-संख्यकों की दिक्कतों तथा शिकायतों के बारे में क्या रुख अपनाएं। मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार के बारे में दो बातें होनी चाहियें। पहली बात तो है वास्तविक रूप से समानता का सिद्धांत और दूसरी बात है विभेदक व्यवहार का सिद्धांत। सिद्धांत रूप से मौलिक अधिकार तो खोखली और अर्थहीन बात है। यह वास्तविक रूप में अधिकार होना चाहिए। इसके साथ वास्तव में बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित होनी चाहिये, केवल सिद्धांत रूप से नहीं, यदि इसे वास्तविक रूप लेना है। मैं इस बारे में दो उद्धरणों का उल्लेख करूंगा। जब मैं युवक था तो मैंने एक प्रहसन देखा था। जिसका नाम था "जैन्टलमैन प्रैफर ब्लांडीज।" एक

महिला ने कहा "हाथ की चुम्बन बहुत अच्छी बात है। परन्तु हीरो का हार जीवन भर साथ रहता है। यही वास्तविकता और भ्रम मात्र में अन्तर है। परन्तु मैं उस महिला का पक्ष नहीं ले रहा हूं।.....

सभापति महोदय : आप उसको वंचित क्यों करना चाहते हैं।

श्री ए० ई० टी० बैरो : मैं नहीं चाहता। मेरा कहना है कि अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें चलाने का अधिकार प्राप्त है। मुसलमान सम्प्रदाय ने एक विश्वविद्यालय के आधार की स्थापना की परन्तु सरकार अपने दुराग्राही तथा अतार्किक दृष्टिकोण के कारण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दे रही। यह इस बात का उदाहरण है कि भौतिक अधिकार केवल सिद्धांत रूप से विद्यमान है वास्तविक रूप से नहीं।

दूसरा सिद्धांत जिस पर मैं बल देना चाहूंगा वह है अल्पसंख्यकों को वास्तव में बहुसंख्यकों के साथ समानता दी जानी है तो किन्हीं मामलों में विभेदक व्यवहार अपनाया जाना चाहिए और ऐसा व्यवहार न्यायमुक्त होगा। ये थोथे सिद्धांत अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृति सिद्धांत हैं और उच्चतम न्यायालय ने भी इन सिद्धांतों को स्वीकार किया है। मानवीय अधिकारों विषयक उपसमिति की एक सिफारिश निम्न शब्दों में थी :

> "अल्पसंख्यकों का संरक्षण अप्रभावशाली समूहों का संरक्षण है जो बहुसंख्यकों के साथ समानता के व्यवहार के लिए सामान्य इच्छा रखते हैं परन्तु जो उनकी मौलिक विशेषताएं हैं और जो उनको जनसंख्या के बहुमत से अलग रखतीं हैं उनको बचाए रखने के लिए वे विभेदक व्यवहार की कामना करते हैं। समानता ऐसे समूहों के व्यक्तियों तथा उस संरक्षण की इच्छा करने वालों पर समान रूप से लागू होती है.....।"

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय शिक्षा मंत्री यहां पर उपस्थित हैं चूंकि मैं चाहता हूं कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में स्थान दिया जाये।

> "इससे स्पष्ट है कि ऐसे समूहों अथवा ऐसे समूहों के व्यक्तियों के साथ द्विभेदक व्यवहार उस समय न्यायोचित है जब इसे उनके सन्तोष के लिए और सारे समुदाय के कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जाए।"

1933 में अल्बानिया ने कुछ कदमों को इस आधार पर उचित ठहराने का प्रयास किया कि वे एक समान रूप से बहुसंख्यकों तथा अल्पसंख्यकों पर लागू होते हैं।

'लीग आफ नेशन्स' ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्देशित किया और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया :

> "समता वास्तव में तथा प्रत्यक्ष रूप से कानूनी समानता होनी चाहिए जो इस रूप में हो कि कानून के शब्दों में भेदभाव विद्यमान न हों। कानून में समानता का अर्थ है किसी प्रकार के भेदभाव का न होना जबकि वास्तविक समता के अनुसार परिणाम प्राप्त की दृष्टि से विभेदक व्यवहार को भी स्थान दिया जा सकता है जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में साम्य स्थापित होता है।"

[श्री ए० ई० टी० बैरो]

उच्चतम न्यायालय ने अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कालेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य मामले में 1974 में इन निम्न शब्दों में इन सिद्धांतों को सारांश में कहा और उन पर बल दिया :

"अल्पसंख्यकों की समस्या वास्तव में समता की स्थापना की समस्या की नहीं है चूंकि शाब्दिक रूप उमता का अर्थ होगा अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों के साथ नितान्त एक जैसा व्यवहार। इसके केवल कानून में समता स्थापित होगी परन्तु वास्तव में असमता होगी। दोनों में अन्तर के सम्बन्ध में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं चूंकि यह स्पष्ट है कि कानून में समता का अर्थ है किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना जबकि वास्तविक समता के अनुसार परिणाम प्राप्त की दृष्टि से विभेदक व्यवहार को भी स्थान दिया जा सकता है जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में साम्य स्थापित्य होता है।"

"ऐसा विरोधाभास लग सकता है परन्तु फिर भी यह सच है कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जा सकता है उनको समता देकर ही नहीं अपितु किन्हीं परिस्थितियों में विभेदक व्यवहार भी हो सकता है।"

सरकार को इन दोनों सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। जैसा मैंने कहा है कि मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री यहां पर उपस्थित है और मुझे विश्वास है कि जब मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप पर बोलने का अवसर प्राप्त होगा वे कुछ संशोधनों को स्वीकार करेंगे जिनको मैं इस बारे में पेश करूंगा।

इस वास्तविक समता और विभेदक व्यवहार का उद्देश्य क्या है ? मैं बलपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि इसका तात्पर्य समाज में सम्पन्न अथवा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की स्थापना करना नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करना है।

मैं जनता पार्टी के सदस्यों से यह कहना चाहता हूं। आप अपनी पार्टी में ही एक संकट से दूसरे संकट में गुजर रहे हैं और देश दुर्भाग्य से खतरनाक ढंग से धरातल की ओर जा रहा है। प्रधानमंत्री को सभी बातें निर्देशित करके ही स्थिति को संभाला जा सका है। अब मंत्रियों को अपना ध्यान अपने मुख्य कर्तव्य की ओर देना चाहिए जो हैं "मिनिस्टर" करना। इस शब्द का अर्थ 'बाईबल' के संदर्भ में लिया जाना चाहिए। मैं मंत्रियों से यह अपील करता हूं कि वे मिल्टन के इन शब्दों को याद रखें, जो इसने उस समय कहे थे जब इंगलैंड अराजकता में से गुजर रहा था, "भूखी भेड़ ललचाई दृष्टि से देख रही है और उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा।" देश को आज इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। आपने मुसलमानों को इनके विश्वविद्यालय के लिए अल्पसंख्यक स्वरूप नहीं दिया उनका विश्वास हिल चुका है। ईसाई जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ, अशांत हैं और नाराज हैं जिसका कारण है कथित धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयक।

मैं अंत में जनता पार्टी को यह कहना चाहता हूँ कार्य द्वारा बुद्धिमता प्रकट होती है उसी प्रकार जनता सरकार की बुद्धिमता भी उसके कामों से देखी जाएगी।"

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति जी, मैंने अपने मित्र का भाषण अभी सुना, उनका भाषण सुनकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और दु:ख भी हुआ। मैं आशा करता था कि सरकार ने जो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका वे हृदय से स्वागत करेंगे परन्तु जो विचार उन्होंने व्यक्त किए—उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा तो हो गया लेकिन मर गया—बच्चा पैदा तो जरूर हुआ और यह विधेयक जो है वह उसके लिए टानिक है, बच्चे को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए यह लाया गया है। इस विधेयक के लिए मैं सरकार को हार्दिक बधायी देना चाहता हूं।

सभापति जी, इस विधेयक में दो कमीशनों के निर्माण की बात कही गई है—एक शेडयूल्ड कास्ट्स तथा शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिये और दूसरा माइनारिटीज के लिए। जहां तक शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का ताल्लुक है—हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज से नहीं, सैकड़ों सालों से यह हमारे समाज के माथे पर हमारे ही कारणों से एक कलंक है। इन्सान-इन्सान में भेद करना इन्सानियत नहीं है। दु:ख की बात यह है कि 30 सालों की आजादी के बाद भी हम इस कलंक को मिटा नहीं पाये। यह एक अच्छी बात है और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ—हमारे संविधान के निर्माताओं ने शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए संविधान में कुछ सेफगार्ड्स रखे थे और हमारी जनता पार्टी ने पावर में आने के बाद उन सेफगार्ड्स को पूरा करने के लिए कमीशनों से निर्माण के लिए संविधान में दोबारा संशोधन करने का प्रयास किया है। इस में केवल सेफगाईस की ही बात नहीं है, बल्कि कमीशन के फंक्शन को बहुत वाइड बनाया है, उन को पावर्ज दी गई हैं। अब इसमें ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले को उन्हें सौंप सकते हैं और कमीशन भी यदि स्वयं किसी मामले को लेना चाहे तो ले सकता है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूं।

एक बात मैं जरूर कहूँगा कि पिछले तीस सालों में जो सरकार यहाँ पर रही—उसके सामने भी ये रिपोर्ट आती थीं, लेकिन वे सूरज की रोशनी नहीं देख पाती थीं। मैं अपने उन मित्रों से पूछना चाहता हूँ—जो पहले यहाँ राजगद्दी पर बैठे थे—शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए वे आंसू तो जरूर बहाते थे—लेकिन रिपोर्टस को उन्होंने धूप में लाकर नहीं रखा, उनपर विचार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जनता पार्टी के आने के बाद इन रिपोर्टस् पर चर्चा हो रही है और इतना ही नहीं हमारी अपनी पार्टी के लोग इस बात को बहुत जोर से कहते हैं।

लेकिन एक बात मैं सरकार से जरूर कहना चाहूँगा—संविधान बनने के बाद पिछले तीस सालों में संविधान में जो सेफगार्डस दिये गये हैं—उनकी कोई साइन्टिफिक स्टडी होनी चाहिये। पिछले तीस सालों में सरकार ने शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए जो पग उठाये, उनका समाज पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा—इसकी साइन्टिफिक स्टडी होनी चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आहिस्ता-आहिस्ता असर जरूर हो रहा है और सबसे बड़ा असर आज मैं यह मानता हूं कि सैकड़ों सालों से जो लानत चली आ रही थी, पहली बार चारों शंकराचार्यों ने मिल कर यह कहा कि हम छूआछूत की बीमारी को देश से खत्म करना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक यह होता आया था—ये शंकराचार्य ऐसा करते थे कि इस मन्दिर में यह जाएगा,

[श्री कंवर लाल गुप्त]

वह नहीं जाएगा, लेकिन अब शंकराचार्यों ने, जो हिन्दू धर्म की अथारिटी माने जाते हैं, पहली बार कुम्भ के मेले पर विश्व हिन्दू परिषद के सम्मेलन में यह कहा कि हम अनटचेबिलिटी के खिलाफ देश में एक जहाद खड़ा करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे जा रहे हैं, लेकिन प्रगति जितनी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है, गति जितनी होनी चाहिये थी, उतनी नहीं है। यह गति कैसे आयेगी—मेरे अपने विचारों में इसके लिए दो चीजें जरूर होनी चाहिये—एक तो यह कि जब तक इन लोगों की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक यह बीमारी चलती रहेगी। आज बाबू जगजीवनराम जी को कोई हरिजन नहीं कहता कि हम आपको खाना नही खिलायेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस पिछड़े हुए वर्ग की, गरीब पिसे हुए वर्ग, जो सैकड़ों सालों से हमारी वजह से मुसीबत में हैं, आर्थिक स्थिति ठीक करें। हमारी जो एकोनामिक मिनिस्ट्रीज हैं चाहे वह पेट्रोलियम की हो, चाहे वह फाइनेन्स की हो, वह इंडस्ट्रीज की हो या कोलमाइन्स की हो, जितनी भी एकोनामिक मिनिस्ट्रीज हैं, वे इस प्रकार की योजनाएं बनाएं, जिनमें शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और उनकी जो आर्थिक अवस्था है, उसके बराबर आ जाए। इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए। जब तक आर्थिक अवस्था ठीक नहीं होती है, तब तक दस, पांच मन्त्री बना दिये या मेम्बर आफ पार्लियामेंट बना दिये या उनकों कुछ पदों पर बैठा दिया, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आर्थिक अवस्था साधारण लोगों की ठीक होनी चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि यह बीमारी तभी दूर होगी जब समाज के इस अंग में शिक्षा का ज्यादा असर होगा। अभी शिक्षा का प्रभाव बहुत कम है। शिक्षा मन्त्री जी भी यहां पर हैं। मैं उन से कहना चाहूंगा कि इन लोगों को शिक्षा की सुविधाएँ देने के लिए स्पेशल कोचिंग सेन्टर हर एक राज्य में खोले जाएँ, जहाँ पर वे कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स के लिए तैयारी कर सकें। उनकी वहां पर उन परीक्षाओं के लिए तैयारी कारवाई जानी चाहिए और वहां पर मुफ्त में, बगैर पैसे दिए उन लोगों की कोचिंग का इन्जाम होना चाहिए। जब तक ये दोनों चीजें ठीक नहीं होती हैं तब तक ये ऐसे ही बने रहेंगे और जितनी जल्दी इन चीजों को किया जाएगा, मैं समझता हूँ, उतना ही अच्छा होगा।

कन्वर्ट्स के बारे में कहा गया कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। उनको भी हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाएँ देनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि जब एक आदमी ने अपना सोशल स्टेटस बदल लिया तो उसको कोई हक नहीं होना चाहिए कि वह उन सुविधाओं को ले। मै इसके खिलाफ हूँ। ये सुविधाएँ केवल उन्हीं को मिलनी चाहिएँ जो शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के हैं। दूसरे के लिए यह नहीं होना चाहिए।

एक बात और मैं और कहना चाहूँगा और वह यह है कि इस कमीशन का जो इस समय दायरा है, वह बढ़ाना चाहिए। कमीशन की रिपोर्ट आएगी, मैं नहीं चाहता, कि वह सरकार के ऊपर वाइंडिंग हो। अगर सरकार पर बाइंडिंग होगी तो वह ठीक बात नहीं होगी, किसी भी कमीशन की रिपोर्ट सरकार पर वाइंडिंग नहीं होती है। वह तो एडवाइजरी होती है, रिकेमेडेटरी

होती है, लेकिन यह मैं जरूर कहूँगा कि सदन के सामने जो कमीशन की रिपोर्ट आए, उसके साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सदन के सामने आनी चाहिए। उस कमीशन की रिपोर्ट भी सदन के सामने जरूर लाई जाए। इस कमीशन के बारे में मेरा दूसरा सुझाव यह होगा कि इस कमीशन को कुछ अधिक पावर्स मिलनी चाहिए जैसे कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्दर कमीशन को यह अधिकार है कि किसी आदमी को वह बुला सकता है विटनेस के रूप में। तो इसके भी कुछ कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट की तरह के अधिकार होने चाहिए ताकि वह एक जूडीशस डिसिजन ले सके अन्यथा जब तक वह जूडीशस डिसिजन नहीं ले सकेंगे, तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

तीसरी बात यह है कि इन्होंने माईनारिटी कमीशन बैठाने की बात कही है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम है और मैं तो यह कहूँगा इट इज ए फेदर आन दि कैप आफ गवर्नमेंट क्योंकि 30 वर्षों में यह पहली गवर्नमेंट है, जिसने इस प्रकार का माइनोरिटी कमीशन बैठाया है, सेन्टर की तरफ से यह माइनोरिटी कमीशन बैठाया गया गया है।

ये लोग इतने साल तक राज्य करते रहे, आंसू भी इनके लिए बहाते रहे, गीत आज भी गाते हैं लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। चव्हाण साहब ने परसों खुद कहा कि हमने गलती की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनोरिटी कारेक्टर न देकर। कांगी वाले भी कहते हैं कि हमने गलती की थी। लेकिन यह संशोधन किसने किया। हमने किया। हमने कोई गलती नहीं की। हम आज भी कहते हैं कि माइनोरिटी कारेक्टर या हिन्दू या मुस्लिम का सवाल नहीं होना चाहिए। मैं उसके खिलाफ है। अगर मुस्लिम कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ इन्तजाम करना है, क्रिस्चियन कल्चर के लिए कुछ करना है, हिन्दू कल्चर के लिए करना है तो उसके लिए सरकार अलग से मदद करे। जैसे मुसलमानों के लिए देवबन्द हैं।

यह एक सांस्कृतिक स्थान है जहां मुस्लिम विद्यार्थी आते हैं और अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार को इसकी धन देकर या अन्य रूपसे सहायता करनी चाहिए। इसी प्रकार ईसाई संस्कृति के कुछ केन्द्र हो सकते हैं। मैं यहातक कहने को तैयार हूँ कि सरकार उन सबका धन देकर या अन्य रूप में सहायता करे। जहाँ तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है आपको उनका शैक्षिक स्तर ऊँचा करना होगा, ऐसा नहीं है कि यह मुस्लिम विश्वविद्यालय या हिन्दू विश्व-विद्यालय या ईसाई विश्वविद्यालय है। मैं इसमें भावुकता के सिवाय और कोई बात नहीं देखता। हमें भावुकता में नहीं आना चाहिए। क्या हम इससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सेवा कर रहे हैं। मैं जोर देकर कहता हूँ कि 'नहीं' आप मुस्लिमों अल्पसंख्यक को मदद नहीं कर रहे हैं। आप ईसाई अल्पसंख्यकों की मदद नहीं कर रहे हैं। ये सभी केवल भावुकतापूर्ण बातें हैं।

मेरा कहना है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो किस्सा हुआ है क्या वह हिन्दू मुस्लिम रायट था? आज तो आपको पता चल गया है कि नहीं था। हमने यहां पर बहस की और उसको कम्युनल कलर दिया। अपने पौलिटिकल स्वार्थों के कारण हमने उसे इस तरह का बना दिया। बाद में जाकर कम्युनल रायट उसको हमने बना दिया। पहले नहीं था। यह कमिशन जो बैठे वह इस बात की तह में भी जाए, गाइडलाइंज भी दे पालिटिशयंज के लिए भी दें कि उनको क्या

[श्री कंवर लाल गुप्त]

बोलना है और क्या नहीं बोलना है। केवल पोलिटिक्ल एंड्ज को पूरा करने के लिए, कुछ वोट्स लेने के लिए हर चीज़ को पोलिटिकल कलर जो हम दे देते हैं यह बहुत दुःखदायी है। मेरे पास दादरी से चालीस पचास लोग आए। उन्होंने कहा कि हमने समाचार पत्रों में यह सब कुछ पढ़ा है। क्या सारी की सारी पार्लियामेंट ऐसी है कि जिन तथ्यों के बारे में बिल्कुल भी मालूम ही नहीं है? क्या यह कोई हिन्दू मुस्लिम झगड़ा था? नहीं था। क्या पार्लिमेंट में ऐसा आदमी नहीं है जिसको यह सब मालूम हो? यहाँ क्या होता है? यहां एक सैक्शन है जिसकी कोशिश है— मैं कंस्पिरेसी कहूँगा— कि जनता पार्टी से माइनोरिटी को अलग कर दिया जाए और यह वातावरण पैदा कर दिया जाए कि जनता पार्टी के राज्य में माइनोरिटीज सुरक्षित नहीं है हालांकि जनता पार्टी ने ही पहली बार माइनोरिटीज में विश्वास पैदा करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए यह कमिशन एप्वाइंट किया है। आपको हमारी नीतय पर शुबहा करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत बड़ा कदम हमने आगे बढ़ाया है। मैं हिन्दू, मुस्लिम या क्रिस्चियन किसी भी कम्युनलिज्म के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही थी जिसने मुल्क का बटवारा करवाया? क्या आप इससे इन्कार कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि देश में एक ही कम्युनलिज्म है। जितने हम राजनीति में काम करने वाले हैं।

इसके बारे में राजनैतिक आम राय का फैसला होना चाहिए। क्या हिन्दू साम्यवाद.....

एक माननीय सदस्य : सांप्रदायिकता, साम्यवाद नहीं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा मतलब सांप्रदायिकता से है। चाहे यह हिन्दू सांप्रदायिकता है अथवा मुस्लिम सांप्रदायिकता। इसकी जोरदार शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए एक तरफ सांप्रदायिकता की भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो कुछ हो रहा है, वह वोट लेने का तरीका है (व्यवधान)

श्री सी० एन० विश्वनाथन : वह कम्युनिस्ट हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे दुख है, परन्तु दोनों की समान रूप से भर्त्सना करता हूं, (व्यवधान) हमें शक्ति परीक्षण करना चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं। यहां तक साम्यवाद का सवाल है। मैं कम्युनिस्ट के बदले एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा ईसाई और एक अच्छा हिन्दू को पसंद करता हूं।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : श्री बनातवाला एक अच्छे मुसलमान हैं।

श्री कंवललाल गुप्त : जी हाँ, यदि उनमें सांम्प्रदायिकता न हो तो वे कम्युनिस्ट से कहीं अधिक अच्छे हैं।

मैं चाहता हूं कि हम जो राजनीति में काम करते हैं हम बोलने में कोई ऐसी बात न बोलें जिससे एक धर्म और दूसरे धर्म में बहुत ज्यादा खाई हो जाय, जिसमें एक कास्ट की दूसरी कास्ट से लड़ाई हो जाए, एक राज्य की दूसरे राज्य से लड़ाई हो जाय। हमें राजनीति में संयम से काम

लेना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी का सवाल नहीं है, एक नेशनल कांशसनैस डेवलप होनी चाहिए, उसके लिए कुछ गायडलाइन्स तय होनी चाहिए और उनको सरकार को भी अपोजीशन पार्टीज को भी मानना चाहिए।

बिजस लि का जिक्र मेरे दोस्त ने किया मैं समझता हूं उनको इतना आन्दोलन करने की की जरूरत नहीं है। प्राईवेट मैम्बर्स बिल यहाँ तो ऐसे भी आये हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए केवल डेढ़ घंटे ही होने चाहिये। उस पर पूरा शोर नहीं मचाया। मेरा नम्बर तीसरा है और उनके बिल का नम्बर 14 वां है। लेकिन वह शोर भी पौलिटिकल है, उसमें कोई दम नहीं है। अगर कोई औबजेक्शनेबिल बात है तो आप हमें बताइये हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं, सरकार भी दूर करने के लिए तैयार है। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जिसमें माइनारिटीज के ऊपर किसी प्रकार का अविश्वास हो, उनमें इनसेक्योरिटी पैदा करें। लेकिन हम चाहेंगे कि जो माइनारिटीज के लीडर्स हैं, मैं माइनारिटीज को खराब नहीं समझता, लेकिन लीडर्स उनको गुमराह करके कम्युनल कलर दे करके देश में इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे यहां अस्थिरता हो और जनता पार्टी से टूट करके माइनारिटीज के लोग एक ऐसी जगह जायें जहां 19 महीने पहले जेल में रहे ईमरजेंसी में। उस समय श्री बनातवाला की जबान नहीं खुलती थी। अगर खोलनी हो तो अन्दर उस समय सब बन्द थे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पन्नानी) : मैं महाराष्ट्र असेम्बली में बहुत लड़ता था। यहां पर मुस्लिम लीग के मेम्बर श्री सुलेमान सेत बराबर आवाज उठाते रहे हैं। आप लोकसभा की डिबेट्स उठा कर देखिये। मुस्लिम लीग के मेम्बर श्री सुलेमान सेठ कदम कदम पर उसको अपील करते रहे हैं, मैं महाराष्ट्र असेम्बली में अपील करता रहा हूं। आपकी आवाज जरूर बन्द थी, और स्टेरेलाइजेशन के आप हामी बनकर आये थे। अगर एक भी उसके मुखालिफ था तो मुस्लिम लीग थी और बनातवाला था।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं कहना चाहता हूं कि यहां इमरजेंसी के दिनों में जो तुर्कमानगेट में हुआ, किसी ने एक शब्द नहीं बोला।

श्री जी० एम० बनतवाला : श्री सुलेमान सेठ की स्पीचेज यहां रेकार्ड में मौजूद हैं आप उनको देख सकते हैं।

सभापति महोदय : आप ये बातें अनावश्यक रूप से उठा रहे हैं जिसका विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने पहिले ही 20 मिनट से अधिक ले लिया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह सुसंगत बात है।

सभापति महोदय : हो सकता है, परन्तु आगे और समय की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं समाप्त कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि केवल कमीशन से काम होने वाला नहीं है। हम एक गाइडलाइन बनायें जिससे सब पोलिटिकल पार्टीज, लीडर्स गाइड हों। तब इस कमीशन का फायदा होगा, नहीं तो केवल कमीशन बनाने से सारी समस्यायें हल हो जायें, यह तोहो नहीं सकता।

लेकिन यह कमीशन अपनी जगह एक बहुत अच्छा कदम है। उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ।

श्री रामनरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : सभापति महोदय, अभी मैं अपने अच्छे हिन्दू मित्र मित्र का भाषण सुन रहा था, और एक अच्छे मुसलमान के साथ उनकी नोक-झोंक भी सुन रहा था। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एक अच्छे हिन्दू और एक अच्छे मुसलमान को वह एक कम्युनिस्ट से अच्छा समझते हैं। अभी एक अच्छे हिन्दू बोल रहे थे और एक अच्छे मुसलमान उन्हें टोक रहे थे, और हम सुन रहे थे। हमको अपने मित्र, उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री अब्बास अली की एक कहावत याद आ रही है : हम तुम को कहें हाजी, तुम हम को कहो हाजी, पर हैं सचमुच दोनों पाजी।" चाहे कोई हिन्दू साम्प्रदायिक हो और चाहे कोई मुस्लिम साम्प्रदायिक हो, अगर वह साम्प्रदायिक है, तो वह पाजी है।

मैंने कल बताया था कि हमको सबसे ज्यादा हैरत यह हो रही है कि अभी इस देश को हिन्दू राष्ट्र बनना है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोरारजी देसाई तक कोई हिन्दू नहीं था ! हम बहुमत के लोग हिन्दू नहीं थे ! अब कोई नया लोकतंत्र बनेगा, कोई नया हिन्दू राष्ट्र और नया हिन्दूवाद बनेगा, और उसमें हम लोग नये हिन्दू बनेंगे और तब वही स्थिति होगी, जो पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान में जुलफिकार अली भुट्टो मुसलमान नहीं थे। वहां अब नये मुसलमान बन रहे हैं। ईरान में भी नये और असली मुसलमान अब आए हैं; पहले वहां असली मुसलमान नहीं थे। यह बड़ी भयंकर बात है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग बहुत साफ रहने चाहिए, और जो कोई समस्या हो, उसको हम उसी प्रकार से देखें, उसमें हम बढ़ायें घटायें नहीं, और हर मामले को हिन्दू और मुसलमान की दृष्टि से न देखें।

यह जो संविधान (संशोधन) विधेयक आया है, उसमें आयुक्त के कर्तव्य तो सब गिना दिये गए हैं। वह कौन-कौन काम करेगा, यह सारा बोझ आयुक्त पर डाल दिया गया है आयुक्त पर कर्त्तव्यों का बोझ तो इतना डाल दिया गया है कि शायद वह बेचारा मर जाये। लेकिन उन कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उसके अधिकार क्या हैं, यह तो बताया जाये। अधिकार-रहित कर्त्तव्य नपुंसक बना देता है और कर्त्तव्यहीन अधिकार राक्षस बना देता है। जब इस विधेयक में आयुक्त को कोई अधिकार है ही नहीं, तो यह तो अरण्य-रोदन है। हम स्वागत करते हैं कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है और वह "कमीशन" के आगे "ई आर" जोड़ कर उसको "कमिश्नर" बना देगी। लेकिन इस काम को पूरा करना चाहिए। संविधान-निर्माताओं की मंशा थी, और संविधान के मूल आर्टिकल में हर एक स्टेट में भी यह अधिकारी नियुक्त करने की बात साफ-साफ कही गई थी, जिसको बाद में हटा दिया गया। मैं उसका उद्धरण सुना देना चाहता हूं :—

> "मूल अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि केन्द्र और प्रत्येक प्रांत में एक अल्पसंख्यक अधिकारी होना चाहिए। अब यह महसूस किया गया है क्योंकि अल्पसंख्यकों की संख्या काफी कम हो गई है, इसलिए प्रत्येक प्रांत में एक अधिकारी नियुक्त करने जैसा जटिल

उपबंध-वांछनीय नहीं होगा। यदि केन्द्र एक अधिकारी नियुक्त करे और वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे तो इससे मूल अनुच्छेदों का उद्देश्य पूरा हो सकता है।"

मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मूल में ही यह भावना थी और यह प्रावधान था, किन्हीं कारणों से, उस समय काफी टेंशन था, हर जगह कत्लेआम हो रहा था, बहुत सी चीजें हो रही थीं, तत्काल देश का बंटवारा हुआ था, तरह-तरह की भावनाएं थी, इसलिए उस को हटा दिया गया और केवल केन्द्र में ही माइनारिटी आफिसर की नियुक्ति की बात आई लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि केन्द्र और राज्य दोनों में आप माइनारिटी कमिश्नर नियुक्त कीजिए और इस से आप को एक और फायदा होगा स्टेट में नियुक्त करने से कि जहां एक शिकायत होती है कि सारे देश में तो मुसलमान माइनारिटी में हैं लेकिन काश्मीर में वह मेजारिटी में हैं, वहां हिन्दू माइनारिटी में हैं, तो उसका लाभ इनको नहीं मिलेगा अगर आप वहां नियुक्त नहीं करेंगे। इसलिये मेरा आपसे कहना है कि इस को और ज्यादा प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए आप सूबों में भी माइनारिटी कमिश्नर नियुक्त कीजिए और उनको कुछ अधिकार दीजिए कि वह खुद भी कुछ कर सकें। हर जगह वह रिपोर्ट ही करते जाएंगे और अगर कहीं शुद्ध हिन्दू या शुद्ध मुसलमान राष्ट्रपति हो गया या प्रधानमंत्री हो गया तो सब धो-पोंछकर बराबर कर देगा। यह रोज रिपोर्ट करते रहेंगे और वह सब का सब समाप्त करते जाएंगे।

यह मानवता का तकाजा है कि जो लोग भी अल्पसंख्यक हैं या दबे हुए हैं उनको जितनी भी सुविधा चाहिए वह दी जाय, यह जरूरी है और हमको आपको फराखदिली से यह काम करना चाहिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दू लीग और मुस्लिम लीग में से केवल हिन्दू और मुस्लिम शब्द हटा दिया जाय तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के सारे सिद्धांत एक हैं, दोनों के विचार एक हैं, दोनों के सारे दर्शन एक है, केवल हिन्दू और मुस्लिम शब्द हटा दिये जाएं। उस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर इन सब चीजों पर यहां दोनों के विचारों में एकता प्रदर्शित होती है तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यह तो स्वाभाविक है और यह होना ही चाहिए।

गृहमंत्री ने जी ने उस में कुछ संशोधन पेश किया है, मैं उसके लिए भी उनको बधाई देना चाहता हूँ। थोड़ी सी उन्होंने उसमें प्रगति की है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप रोज देखते हैं कि हरिजनों पर और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं और यह सही है कि हम लोग राजनीति से प्रेरित होकर यहां पर गड़बड-सड़बड़ करते हैं, अतिशयोक्ति से बोलते हैं, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों। हम लोगों को सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस देश का क्या बनने वाला है अगर हम लोग इसी तरह से करेंगे। मैं निवेदन करता चाहता हूँ कि ऐसी बातों पर जिनसे हमारी और बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उन भावनाओं का ध्यान रखकर ही ही बात करनी चाहिए और ध्यान रखकर ही कुछ करना चाहिए और बहुमत के लोगों की तथा सवर्ण लोगों की यह जिम्मेदारी है चाहे जिस तरह से हो अल्पसंख्यकों को और हरिजनों आदिवासियों और को यह विश्वास दिलाएं कि चाहे जो कुछ भी होगा तुम्हारे ऊपर अत्या-

[श्री रामनरेश कुशवाहा]

चार होगा तो हम उसको रोकेंगे, जो कुछ भी तुम्हारी रक्षा के लिए करना होगा वह हम करेंगे और मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आखिर यह डर क्यों कि हमको मेज़ारिटी के लोग खा जाएंगे आप भी जरा तन जाइए, जरा खड़े हो जाइए। हिन्दुस्तान में यह थोड़ी गड़बड़ी जरूर है कि जहां के लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज्यादा हल्ला किया वहाँ पाकिस्तान न2हीं बना, पाकिस्तान बना वहां जहाँ किसी ने पाकिस्तान की मांग नहीं की। जब तक खुर्शीद साहब की हत्या नहीं हो गई, सिन्ध में कभी मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी, पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार कभी नहीं बनी लेकिन पाकिस्तान वहां बन गया···

एक माननीय सदस्य : वहां के मुसलमान पाकिस्तान मांगते नहीं थे।

श्री रामनरेश कुशवाहा : बिलकुल वही मैं कह रहा हूँ कि जहां के लोग पाकिस्तान नहीं माँगते थे वहाँ पाकिस्तान बना और जहां के लोग पाकिस्तान माँगते थे वहां पाकिस्तान नहीं बना।

कोई चीज ऐसी है, कोई कमजोरी है जिससे डर लगता है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि शुद्ध हृदय से किसी जायज काम के लिए आप लड़ेंगे तो किसी की इस देश में हिम्मत नहीं है कि साम्प्रदायिकता पैदा करके आपको धमका सके। जनता पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से मुसलमान और हरिजनों की, अगर कोई उनपर उंगली भी उठाता है उससे उनकी रक्षा करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी आयोग के अधिकारों में कुछ वृद्धि करें, कुछ ऐसे अधिकार दें कि अगर इन पर अन्याय और अत्याचार होते हैं तो उनको वह रोक सके। साथ ही हर स्टेट में आयोग की स्थापना करायें ताकि सीधे सीधे असेम्बली में उसकी रिपोर्ट पर विचार हो सके। आयोग को प्रभावी बनाने के लिए कुछ अधिकार दिये जायें वरना यह आयोग तो टालू मिक्सचर है। जब भी किसी समस्या से दूर भागना हो, उसकी तरफ से आँख मूंदना हो, उस ओर से ध्याना हटाना हो, मार्फिया सुंघाकर सुलाना हो तो उसके लिए एक आयोग बना दीजिए, वह आयोग दस साल काम करेगा लेकिन कोई काम नहीं होगा। अगर उसी तरह से टालू मिक्सचर देना है केवल पीठ थपथपाना है, बिना अधिकार के कमीशन बनाना है तो यह बेकार है। यदि आप अधिकार दे करके आयोग से अपने कर्तव्य का पालन करायें तो शायद वास्तव में हरिजन, आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों का कुछ भला हो सकेगा। वरना तीस वर्ष तक राज करने बाले जैसा पिछली सरकार ने धोखा दिया, केवल कागजों पर कहती रही कि दूध पूत सभी कुछ देंगे, लेकिन नरक में भी रहने के लिए स्थान नहीं दिया, उसी का फल वे आज भोग रहे हैं। उनकी दुर्दशा से हमको कुछ सबक सीखना चाहिए। केवल जबानी जमाखर्च नहीं, कुछ नगद इनको देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री भाऊ साहब थोरट (पंढरपुर) : यह 46 वां संविधान संशोधन विधेयक संविधान के 16 वें भाग से संबंधित है। यह कतिपय श्रेणियों से संबंधित विशेष उपबंधों के बारे में है।

अनुच्छेद 338 का संशोधन करने के उद्देश्य तथा कारण बताने वाले विवरण में बताया

गया है कि इससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में विश्वास जागेगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आयुक्त की नियुक्ति वर्षों पहले की गई थी। यदि आप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आयुक्त का कार्य देखेंगे तो आप इसे निराशाजनक पायेंगे। आयुक्त ने जांच कार्य किया है और अनेक बातों के बारे में पूछताछ की है। वह सरकार को कुछ सिफारिशें करता हैं। परन्तु सरकार ने आयुक्त की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की हैं। दूसरा मतलब है कि आप अधिक पदों का निर्माण करते हैं और इन पदों पर और अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं। आयोग की स्थापना का तात्पर्य है, अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति। इससे आगे और कोई बात नहीं है। आयुक्त की शंकाओं को देखिए। मैं कहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आयुक्त को कोई शक्तियां नहीं दी गई हैं। अनुच्छेद 338 में बताया गया है कि आयुक्त की नियुक्ति सभी बातों की जांच करने के काम के लिए की जाएगी। जब तक उसे आवश्यक शक्ति नहीं दी जाती है, वह मामलों की जांच कैसे कर सकता है? यह कैसे किया जा सकता है? यदि जांच करने वाले अधिकारी के पास कोई शक्ति न हो तो उसके लिए जांच पूरा करना और अपराधियों को दंड देना कैसे संभव होगा? यह बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध है। नियुक्ति के लिए आरक्षण के बारे में एक उपबंध है। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दावों के बारे में कहा गया है।' प्रशासन की कार्यकुशलता बनाते हुए' इन दावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संविधान में किया गया यह वास्तव में एक विलक्षण उपबंध है। अधिक संख्या में आयोग और अधिकारियों को नियुक्त करने के बजाय मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार अनुच्छेद 355 को ही क्यों नहीं संशोधित कर रही है? यह एक शरारतपूर्ण खंड है जो नौकरशाही को अधिक अधिकार देती है जिससे वे अपनी मरजी से लोगों को नियुक्त कर सकें। आप 'अनुसूचित जाति' अनुसूचित जनजाति के मामले के अनुरूप क्यों कहते हैं। मैं कहता हूँ कि यह बहुत खतरनाक खंड है। आप संविधान में इस खंड को छोड़कर, केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के संबंध में, ऐसी अन्य बात नहीं पाएंगे। इस बात से कोई भी दो पूर्वानुमान लगा सकता है (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग कार्यकुशल नहीं है (दो) सभी गैरअनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोग हमेशा कार्यकुशल नहीं होते हैं। अनुच्छेद 335 केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू होता है। नियुक्ति करते समय आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए "प्रशासन के लिए कार्यकुशलता" सुनिश्चित करना चाहते हैं जबकि और के लिए ऐसा नहीं है। नियुक्ति करते समय गैर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में उनकी कार्यकुशलता सुनिश्चित करने का कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोग कार्यकुशल माने जाते है। इसलिए यह खंड खतरनाक है और इसको बहुत समय पहले ही संशोधित किया जाना चाहिए था यदि आप अनुच्छेद 310 देखें तो यह पायेंगे कि गैर अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति के मामले में उनकी कार्यकुशलता का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 311 बर्खास्तगी के बारे में है। किसी भी व्यक्ति को तब 'तक सेवा से बरखास्त/ हटाया नहीं किया जायेगा जब तक कुछ शर्तों

[श्री भाऊ साहब थोरट]

को पूरा नहीं किया जाता है। इसलिए अनुच्छेद 311 गैर अनुसूचित जाति के लोगों को बर्खास्त/हटाने के बारे में है जबकि अनुच्छेद 335 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को नियुक्त करने के बारे में है। मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि संविधान में गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सेवा से निकालने के बारे में उनके लिए संरक्षण की व्यवस्था है चाहे वे अकार्यकुशल हों जबकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों को नियुक्त करते समय यह देखा जाता है कि क्या वे कार्यकुशल हैं। यह भेदभाव विद्मान है और मेरा कहना है कि यह शरारतपूर्ण खंड है जिसका बहुत पहले ही संशोधन हो जाना चाहिए। आप अनुच्छेद 335 का संशोधन क्यों नहीं करते और 'कार्यकुशलता के अनुरूप' शब्दों को क्यों नहीं हटाते हैं ? आप कार्यकुशलता केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों से ही चाहते हैं, दूसरे लोगों से नहीं। यह संशोधन अभी किया जाना चाहिए

अनेक माननीय सदस्यों ने उपयुक्तता खंड के बारे में बोला है। मेरे मित्र श्री सिन्हा ने अभी बताया है कि जब हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचितजाति के लिए कल्याण संबंधी समिति में थे और इस समिति ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों की जांच की तब ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आये जहां कुछ पदों के लिए नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्ति उपलब्ध थे फिर भी इस तर्क पर उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया कि वे उपयुक्त नहीं है। इसलिए आयोग में, अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने की बजाय आपको संविधान के अनुच्छेद 335 को संशोधित करना चाहिए।

इसके अलावा यदि आयोग नियुक्त किया जाता है तो इसको जांच-उद्देश्यों हेतु लोगों को बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए। जब तक जांच अधिनियम आयोग के अन्तर्गत इस आयोग को अधिकार नहीं दिये जाते हैं, ऐसे आयोगों को नियुक्त करने का कोई लाभ नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इसे समाप्त करता हूं।

सभा पति महोदय : मैंने श्री सरसूनिया को पहले बुलाया था परन्तु वह उपलब्ध नहीं थे। बाद में उन्होंने मुझे यह सूचना दी कि उन्होनें उपाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय को बाद में बोलने की अनुमति देने की मांग की है। दुर्भाग्यवश इन्होनें सूची में इसको नोट नहीं किया है। मैंने टेलीफोन पर इस बात की पुष्टि की है और मैं श्री सरसूनिया को बोलने के लिए बुलाता हूँ।

श्री शिवनारायण सरसूनिया (करोलबाग) : सभापति महोदय, अभी संविधान संशोधन विधेयक पर जो चर्चा चल रही है, उस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब कोई विधेयक आता है और फिर कानून बनता है, तो उस की जो मशा होती है, वह ठीक मंशा रहती है लेकिन उस के बाद इस का सारे का सारा काम यहीं पर समाप्त हो जाता है और कानून बनने के बाद वह उस के आगे नही चलता। लेजिस्लेटिव, जूडीशियेरी और एक्जीक्यूटिव, ये तीन प्रकार के ऐसे विंग हैं, जो किसी भी प्रकार के कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए साझीदार हैं लेकिन

हिन्दुस्तान की कुछ ऐसी बदकिस्मती रही है कि उद्देश्य को पूरा करने के लिए तीनों अंग साझी-दार नहीं रहे। यदि कानून बनाने वालों की मंशा ठीक रहती है, तो उस के बाद जो उस को कार्यान्वित करने वाले होते हैं, उन की मंशा कुछ और होती है और यदि कार्यान्वित करने वालों की मंशा ठीक रहती है, तो जूडीशियेरी में उस के हाथ और मस्तिष्क और दिल, जो वहां पर बैठ होते हैं, वे उस कानून की सारी परपज को, जिस परपज के लिए कानून बनाया जाता है, उसको बिलकुल चोपट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं।

मिसाल के तौर पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि भूमि सुधार का हमारा आन्दोलन सन् 1954 से शुरू हुआ और 25 साल हो गये लेकिन अभी तक वह समस्या हल नहीं हो पाई। दूसरी ओर आप श्रमिकों को देखिये। उन के लिए कितनेक ानून बने हैं लेकिन वे सारे के सारे कानून वैसे ही बने पड़े रहते हैं और उन लोगों की गरीबी वैसी की वैसी कायम करती है। इसी प्रकार से अनटचे-विलिटी का हाल है और इसी तरह से अनूसूचित जातियों और जनजातियों का हाल है। उन के लिए कानून तो बनते हैं लेकिन उनका कार्यान्बियन करने वाले जो हैं, और उस के बाद जो जूड़ी शियेरी है, वह इस तरह से काम करती है कि सूबे में जा कर अन्ततोगत्या कानून में जो मंशा है, वह लड़खड़ाती सी रहती हैं। इसलिए मेरी सब से पहले प्रार्थना यह है कि जब इस तरह के कानून बनाए जाएं, उन के साथ ये जो तीन विभाग हैं, इन सब का तालमेल और उन सब की मंशा होना बहुत जरूरी है।

यह संयोग की बात है कि कमिश्नर की रिपोर्टस पर कल विचार कर लेने के बाद यह विधेयक आया है। कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसको आपने देखा ही है। उस में यह है कि 48 लोगों को जला कर खत्म कर दिया गया और जितने मुल्जिम थे उन सब को इसलिए बरी कर दिया गया कि ज्यूडिशरी में लोग बैठे हुए थे वे उन्हीं की बिरादीरी उन्हीं के वर्गों के आदमी थे जिन्होंने उनको जलाया था। आज तक जिन लोगों के लिए ये कानून बने हैं, जिन के हित के वास्ते ये कानून बनते हैं उनको इन से कोई लाभ नही पहुँचा है और वह इस वास्ते कि वहां पर वे नहीं होते हैं, वहां पर वे हाथ होते हैं जो पूंजीपति होते हैं या दूसरे वर्गों के लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ कि चेयरमैन और सभी मैम्बर्ज आपने इसी वर्ग से लेने की बात कही है। लेकिन आगे के लिए भी यही व्यवस्था रहनी चाहिये कि इन कामों के लिए इन्हीं के लोग होंगे।

कल मंडल साहब ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि स्पेशल कोर्टस इनके केसिस के लिए बननी चाहिये। लेकिन उन्होंने कह दिया कि स्टेट्स के लिए वह इस सुझाव को को दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि केन्द्र इस के ऊपर अमल क्यों नहीं करता है, केन्द्र इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करता है। उसको इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

नौकरियों के बारे में जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में बार-बार सर्क्युलर निकलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उस चीज को कानूनी तरीके से लागू क्यों नहीं किया जाता है। भूमि सुधारों की आप नवे शैड्युल में ला रहे हैं। इसी तरह से इन सब चीजों के बारे में कानूनी बंदिश होनी चाहिए।

[श्री भाऊ साहब थोरट]

आपने कहा है कि सच इंटरवल पर कमिशन अपनी रिपोर्ट देगा। यह वेग है। इससे परपज हल नहीं होता है। स्पेसेफिक टाइम होना चाहिये। निर्धारित समय में यह चीज होनी चाहिये।

जहां तक सिफारिशों का सम्बन्ध है, उनको लागू करने का जो सिलसिला है वह लम्बा चलता है। जो भी सुझाव वह दे उसको पूरी सख्ती के साथ और अविलम्ब लागू आपको करना चाहिये, पूरी ताकत के साथ करना चाहिये। साथ ही उसकी जो भी सिफारिशें हों वे सरकार के ऊपर बाध्य हों। सरकार के लिए इन लोगों को अनिवार्य रूप से वे मान्य होनी चाहिये। तभी कुछ लाभ इन लोगों को मिल सकता है।

यह भी कहा गया है कि जिन सिफारिशों को माना नहीं जाएगा। उनके बारे में कारण दिये जाएंगे। कानून में जो कारण देने की सुविधा दी जा रही है इससे सारा जो इसका परपज है वह ही खत्म हो जाता है। आगे जाकर केवल कारण ही रह जाएंगे, किसी तरह का इम्प्लेमेंटशन नहीं होगा। जो वेगनैस है और जो लूपहोल्ज हैं इनको खत्म किया जाना चाहिये।

कल मैंने समान शिक्षा की बात कही थी। इसका उत्तर मंत्री महोदय ने यह दिया था कि यह बड़ा भारी नीति का सवाल है। शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। इनको मालूम है। दिल्ली में जितने भी केन्द्रीय स्कूल हैं और पब्लिक स्कूल हैं उन सब का एग्जैमिनेशन एक महीना पहले होता है और रिजल्ट भी एक महीना पहले आता है जबकि बाकी जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके एग्जैमिनेशन भी एक महीने बाद होते हैं और रिजल्ट भी एक महीने बाद आते हैं। किस नीति के आधार पर यह होता है? क्या गरीब लोगों के बच्चों को रही सही सीटें ही आगे चलकर इस तरह से नहीं मिलती हैं? करी कुलम एक होता है, पाठ्यक्रम एक होता है फिर यह धांधली क्यों चली आ रही है? इस तरह की चीजों में से जो हमारा परपज है वही नष्ट हो जाता है। जो कमिशन बनाया जा रहा है इसके जितने भी मैम्बर हों वे सभी इन्हीं वर्गों के होने चाहिये, ऐसे होने चाहिये जिन में इन वर्गों का पूर्ण विश्वास हो, जो इनके दुख दर्द को जानते हों।

आपके सामने कई उदाहरण हैं। जैसे आज ही एक घटना अखबारों से आई हैं कि अनुसूचित जाति की नारी के साथ बलात्कार हुआ और वह थाने में गयी लेकिन चूंकि थानेदार उस वर्ग का नहीं था बल्कि उच्च वर्ग का था इसलिये उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। यही कारण है कि न्यायालयों में जो बड़े वर्ग के लोग बैठे होते हैं वह गरीब के दर्द को नहीं समझते हैं। यहां तो इस तरह के संस्कार हैं कि जो कुछ उनके साथ होता है वह उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, ऐसा मानते हैं। उनके लिये यही है, ऐसा मानते हैं। और जब तक ऐसे लोग ऊपर बैठे रहेंगे उनके हाथों में कानून और व्यवस्था रहेगी तब तक लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिये जरूरी है कि ऐसे स्थानों पर जहां उन्हें न्याय मिलने की या उसके कार्यान्वयन की बात हो, वहां उन्हीं लोगों को लगाया जाय जिनको उनके प्रति विश्वास है और दर्द है। अन्यथा होता यह है कि जुर्म इतना बड़ा है होता है लेकिन उसका जुर्माना 1, 2 रु० कर दिया जाता है। गांव के गांव फूंक

दिये जाते हैं। यह इसीलिये होता है कि वह बड़े वर्ग के लोग होते हैं और पूंजीपतियों से मिले होते हैं। यही कारण है कि बहुत से ऐसे कानून जो इन लोगों के लिये बनाए गये हैं उनका सारा परपज ही खत्म हो जाता है। इसलिये मेरा अनुग्रह है कि माननीय मण्डल जी इन बातों को अच्छी तरह से देखेंगे।

आज कमीशन की स्थिति, जिस तरह के पूर्ववक्ताओं ने बताया डिपार्टमेंट के तौर पर चलाने की कोशिश की जा रही है। पहले राष्ट्रपति के अधीन था उसी तरह से अब भी राष्ट्रपति के अधीन उसका स्टेट्स रखना चाहिये। कल यहाँ पर हमने जब शेडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स मिनिस्ट्री की बात रखी तो मंत्री जी ने कहा कि गृह मंत्रालय से ज्यादा शक्तिशाली नहीं नहीं हो सकता। लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि लोकसभा के अन्दर जो स्टेचू है एक तरफ मोतीलाल नेहरू इस ओर आ रहे हैं और दूसरी तरफ डा० साहब अम्बेदकर उन्हें सावधान कर रहे हैं कि संविधान के सभी प्रावधानों को देखना। लेकिन दूसरी तरह भूतपूर्व गृहमंत्री, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त लोकसभा से वाक आउट कर के छड़ी लेकर के दूसरी तरफ जा रहे हैं। तोइससे आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्रालय कैसा शक्तिशाली है ऐसा नहीं है। उसके पीछे मंशा और शक्ति से शक्ति आती है। उसके साथ जो भावना होती है वह मुख्य चीज है। इसलिये इसके अन्दर जिन भावनाओं कोलेकर इसको बनाया उनको कार्यान्वित करके आगे चलायेंगे तो इन वर्गों के लिये कुछ हितकारी हो सकेगा, अन्यथा नहीं। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय : हमारे पास समय कम है। मैं चाहता हूँ कि छोटे दलों के सदस्यों को भी बोलने का समय मिलना चाहिए। अत: प्रत्येक वक्ता से संक्षेप में बोलने का निवेदन करता हूँ। उन्हें केवल पांच मिनट का समय लेना चाहिए।

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : महोदय मैं अपना भाषण विधेयक के प्रभारी मन्त्री महोदय से यह विनम्र निवेदन करते हुए प्रारम्भ करता हूँ कि उन्हें इस विधेयक को तीन कारणों की वजह से संयुक्त प्रवर समिति को भेज देना चाहिए। पहला कारण तो यह है कि इसमें जनता के बहुत से समुदाय शामिल हैं, यथा—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन-जातियाँ, अन्य पिछड़ी जातियाँ, इसाई, मुसलमान, भाषाई अल्पसंख्यक और अन्य। दूसरा कारण यह है कि उस समझौते पर पुन: विचार करना होगा, जो संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। तीसरे, जहां तक इस मुद्दे का सम्बन्ध है, मुझे नहीं पता कि क्या सरकार को धार्मिक और अन्य अल्प-संख्यकों से सम्बन्धित उलझनों के बारे में जानकारी है अत:, चाहे सरकार इस विधेयक को बेशक शीघ्र ही पारित करवाना चाहती हो, लेकिन मुझे आशंका है कि सरकार को अपना निजी जोखिम है। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से उनके अपने हित में इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज देने का अनुरोध करता हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा है, उसके अतिरिक्त, सरकार को हमें यह बताना चाहिए कि वह कौन सी विधि हैं और वे कौन से नियम हैं, जिनका खण्ड-2 में उल्लेख किया गया है और जिसके सशर्त यह आयोग नियुक्त किया जा रहा है। खण्ड-2 में आपने बताया कि आयोग की नियुक्ति संसद की विधि और कानूनों के सशर्त होगी। और फिर, यदि आप

[श्री बी० सी० काम्बले]

धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में उत्सुक हैं तो हमें बताओ कि वे अल्पसंख्यक कौन हैं। यदि आप भाषायी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो हमें बताइये कि वे भाषाई अल्पसंख्यक कौन हैं। मूल अधिकार, जिनके बारे में हमें पता है, उनके अलावा क्या रक्षोपाय हैं। जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है सरकार को हमें यह बताना चाहिये कि वह कौन-कौन से रक्षोपाय की व्यवस्था करना चाहती है।

इस विधेयक में जो कुछ करने का विचार हुआ है वह यह है कि विशेष अधिकारी के स्थान पर आयोग की नियुक्ति की जा रही है। क्या इससे समस्या का हल निकल आएगा? यदि हम उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर नजर डालें तो उसमें कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कुछ नहीं मिलेगा, आर्थिक विकास अथवा इससे क्या कल्याण होगा, इस बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है। केवल सूचना देने के लिये ही, उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उनका उल्लेख है। भूतपूर्व विशेष अधिकारियों के कार्य तथा प्रस्तावित आयोग के कार्य एक से ही है—अर्थात् जांच करना, रिपोर्ट तैयार करना और सिफारिश करना। दोनों एजेन्सियों में कोई भी अंतर नहीं है। एक को विशेष अधिकारी कहा जाता है और दूसरे को आयोग कहा जाता है। अन्त में, मैं कहता हूँ इस आयोग को कुछ और महत्व प्रदान कीजिए—मैं और अधिक शक्तियां देने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने कुछ संशोधन रखे हैं। मैं अनुच्छेद 344 की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, और जो कुछ महत्व संसदीय सरकारी भाषा समिति को दिया जाता है, वही महत्व आयोग को दिया दिया जाना चाहिये; अनुच्छेद 344 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के लिए यह अपेक्षित होता है कि वह रिपोर्ट चाहे, आंशिक हो अथवा पूर्ण हो, के अनुसार निदेश दें। यदि आप इस आयोग को केवल सुझाव देने वाले निकाय की हैसियत दे रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।

इस विधेयक का वास्तविक अभिप्राय क्या है? वास्तविक अभिप्राय छिपा हुआ है। वस्तुतः संवैधानिक हैसियत को उस दर्जे तक घटाया जा रहा है, जो केवल एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया जा सकता था। अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत आयोग की जो स्थिति होगी, उसकी मुझे आशंका है और प्रस्तावित आयोग वैसा ही होगा। आयोग का कार्यकाल कितना होगा? सरकार के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। आयोग के कार्मिकों का कार्यकाल कितना होगा? उस विशेष अधिकारी के कार्यालय की तुलना में जो संविधान सभा में हुए समझौते के अनुसार नियुक्त किया जाता है, पद और कार्यकाल के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। लेकिन जहाँ तक इस आयोग के कार्यकाल का सम्बन्ध है—मैं सदस्यों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ—समयावधि क्या है? कार्यकाल का निर्णय नहीं हुआ है। कर्मिकों अर्थात सदस्यों के कार्यकाल का निर्णय नहीं हुआ है। सेवा की क्या शर्तें हैं—उनका निर्णय नहीं हुआ है। इसका निर्णय कौन करेगा? सरकार तो चुपचाप सचिवालय के कमरे में बैठी रहेगी और नियमों के अनुसार इसका निर्णय वहाँ हो जाएगा। इसको सभा के समक्ष पेश भी नहीं किया जाएगा; उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई नियम नहीं होंगे। चुपचाप सब कुछ हो जाएगा। आयोग पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो सकता है और कार्मिक कहीं के न रहेंगे। अतः

संवैधानिक हैसियत को घटाया जा रहा है। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको कुछ प्राधिकार दो, कुछ महत्व दो।

अन्त में, मैं दो मुद्दे और रखना चाहता हूँ। आपने प्रश्नों को फिर उठाया है, जरा विचार कीजिये कि क्या अनुसूचित जातियों को सूचीबद्ध करते समय मानदण्ड अस्पर्शता होना चाहिये। आज भी मानदण्ड यह है : छुआछूत से तकलीफ पा रहे होना। मैं पूछता हूँ कि क्या आप इस मानण्ड को चाहते हैं ? और यह मानदण्ड दण्डनीय होना चाहिए, न्यायालय द्वारा दण्डनीय होना चाहिए, अतः आप किसी अन्य मानदण्ड के बारे में विचार करें।

अभी हाल में ही, हमारे संविधान का संशोधन हुआ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा में कहा गया है कि सभी धर्मों को बराबर का आदर मिलेगा। आप हमें बताएं कि छुआछूत कैसे मिटेगी। अछूतों की कोई सुरक्षा नहीं है। अतः उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्हें जो कुछ सुविधाएं दी गई हैं, यदि आप उन्हें समाप्त कर देते हैं, तो वह अन्याय होगा। उस निर्णय पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। मैं सविनय अनुरोध करता हूँ कि जहाँ तक धर्म-निरपेक्ष राज्य के अर्थ पर विचार करने का सम्बंध है, राजनैतिक रक्षोपायों के अलावा समान रक्षोपाय बौद्धों को तब तक उपलब्ध कराये जाने चाहिए, जब तक कि वे खास स्तर तक न पहुँच जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

डा० हेनरी आस्टिन (अरणाकुलम) : कुछ हस्तक्षेप करते हुए इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूँ।

हमारे संविधान का निर्माण करने वाले जनकों ने सोचा था कि समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में कुछ रक्षोपायों को सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। निस्सन्देह, भाषाई अल्पसंख्यकों को भी समाज के खण्ड के रूप में समझा गया, जिनके विषय में विशेष चर्चा की आवश्यकता है। मुझे सन्देह है कि संविधान सभा के उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी वास्तव में उन समस्याओं की व्यापकता के बारे में कुछ पता होगा, जो बाद में विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भुगतनी पड़ी हैं। कुछ इस तथ्य को महसूस करते हैं कि हमारे समाज का चौथाई हिस्सा या इससे भी कुछ अधिक भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से मिलकर बना है। जो कुछ सहानुभूति दर्शायी गई थी वो नाम मात्र थी। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए तीस वर्ष तक प्रयोग करते रहने के बाद यह सामने आया है कि हम समस्या का किनारा भी नहीं छू पाए हैं। अतः यह एक महत्त्वपूर्ण मामला बन गया है और इसलिए समस्या को सुलझाने के लिए तथा चुनौती को स्वीकार करने के लिए और अधिक ठोस तथा प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर कुछ अधिक सदस्यों वाले आयोग की स्थापना से कोई उपयुक्त प्रयोजन

[डा० हेनरी आस्टिन]

सिद्ध नहीं होगा । इसका गठन इस प्रकार होना चाहिए कि यह उन वर्गों के लोगों के विश्वास को प्रोत्साहित करें । आप जिस आयोग पर विचार कर रहे हैं, उसके लिए किन्हीं विशिष्ठ कृत्यों का निर्धारण भी नहीं हुआ है । इसकी सिफारिशें सुझाव मात्र होंगी न कि उन सिफारिशों को आदेशात्मक शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

आपको कुछ ऐसे ठोस सुझाव देने होंगे जो ऐसे लोगों में अधिक विश्वास पैदा कर सकें, जो यह महसूस करते हैं कि संविधान में पहले की गई व्यवस्थाएँ वास्तव में उपयुक्त प्रभावशाली नहीं रही हैं । ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं रखे गए मालूम होते हैं अतः मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाए ।

मैं जानता हूँ कि सम्पूर्ण मामले पर प्रवर समिति से विचार करने का अनुरोध करने के लिए अत्यधिक विलम्ब हो चुका है । यदि ऐसा सम्भव है तो मैं ऐसी प्रवर समिति के लिए अनुरोध करना चाहूँगा, जहाँ हम समस्या पर चर्चा कर सकें, उसका कुछ निष्कर्ष निकाल सकें और फिर कुछ ठोस सुझाव दे सकें । हमें अपने विचारों का आदान-प्रदान करने और सभी प्रकार की राय जानने का अवसर मिलेगा ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतूर) : पिछली बार इस पर चर्चा हुई थी । वे कोई औपचारिक संशोधन किए बिना प्रवर समिति के लिए सहमत हो गए थे ।

डा० हेनरी आस्टिन : ऐसे पूर्वोदाहरण है । वे ही मैं बता रहा हूँ । हाल की घटनाओं ने दिखा दिया है कि राज्य के धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को गम्भीर खतरा है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिएचिन्ता और अधिक गहरी हो गई है । जब देश में ऐसी हालत है तो यही पर्याप्त नहीं है कि हम कुछ मगरमच्छी आंसू बहा दें या समस्या को ऊपर-ऊपर से ही छू भर लें और कहे कि विशेष अधिकारियों के स्थान पर अब हम संवैधानिक आयोग का गठन कर देते हैं । यदि आप वास्तव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं और उनके मन में यह बात बैठा देना चाहते हैं कि आप उनकी समस्याओ के प्रति गम्भीर हैं और आप वास्तव में वर्तमान हालत को बदलना चाहते हैं तो कुछ और अच्छे प्रस्तावों को लाओ अथवा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज दो ।

अल्प संख्यकों संबंधी प्रस्तावित आयोग के बारे में मुझे यह कहना है कि यदि आप संविधान सभा की कार्यवाही का अनुसरण करते हैं तो अल्प संख्यक वर्गों के और विशेषकर ईसाई अल्पसंख्यकों के जिम्मेदार नेता आगे बढ़कर यह कहेंगे कि संविधान में उन्हें किसी सुरक्षा अथवा रक्षोपायों की आवश्यकता नहीं है । मैंने कार्यवाही पढ़ी है । उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय जीवन के नेताओं को दूरदर्शिता, चातुर्य और उत्साह पर विश्वास करेंगे । मैं एक पक्षीय नहीं होना चाहता, लेकिन अभी हाल में ही घटित घटनाओं के सन्दर्भ में इस विशेष अल्पसंख्यक समुदाय ने जो तकलीफें सहीं, कृपया उनकी जांच करें । उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरु तथा अन्य

ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने संविधान सभा में सम्मिलित होकर उसकी शोभा बढ़ाई थी, बड़े सद्भावनापूर्ण थे। उन्होने इस कृत्य की सराहना की थी और उस समय ये आश्वासन दिए गए थे कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। क्या आपकी सरकार ने उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा किया; और जो राष्ट्रीय नेताओं ने सद्भावना दिखाई थी, क्या उसको सम्मान दिए ? जिससे अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना को ठेस न पहुँचे।

मैं आयोग की स्थापना संबंधी सुझाव का स्वागत करता हूँ, लेकिन इसका स्वरूप कुछ ऐसा होना चाहिए कि यह अल्पसंख्यकों में विश्वास जगा सके। आयोग का कार्यकाल कितना है ? आयोग के लिए आप किन लोगों की भर्ती कर रहे हो ? यदि वे सरकार के मनोनीत व्यक्ति है और यदि उनका कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं है, तो यह एक सतही चीज होगी और इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। एक अन्य सबसे बड़ा मुसलमानों का अल्पसंख्यक समुदाय और है। कानून और व्यवस्था की समस्या, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए अल्पसंख्यक दर्जे संबंधी मांग आदि के बारे में संघर्ष और कठिनाइयों के जिस दौर से वे गुजर रहे हैं, आप उसे जानते हैं। इन सभी मामलों में वे उससे कुछ और अधिक चाहते हैं, जो वर्तमान प्रस्तावों के अधीन आपने सोचा है। इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिलाते हुए और उठाए गए रचनात्मक कदम का जहाँ मैं स्वागत करता हूँ, वहीं मैं यह कहना चाहता हूँ कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों तथा विशेष रूप से उन अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों, जो हमारे समाज का काफी पड़ा भाग है और जिसकी स्वतन्त्रता तथा उन्नति पर इस देश का भविष्य निर्भर है, का विश्वास जीतने के उद्देश्य से आपको और अधिक गहरे पानी में बैठना होगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, संविधान के छियालिसवें संशोधन पर सभा में विचार किया जा रहा है। विधेयक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बारे में है। मैं सरकार को यह विधेयक लाने के लिये धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत समय पहले से ही हम अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की मांग करते रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने के लिए हम वास्तव में जनता सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन विधेयक के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना है। इस विधेयक के संबंध में, मैं सरकार का कोई विरोध नहीं करना चाहता। यह स्वागत योग्य उपाय है, लेकिन कुछ ऐसी भारी कमियां हैं, जिनके प्रति अल्पसंख्यकों में असन्तोष है मैंने एक संशोधन पेश किया है कि विधेयक को 2 अगस्त, 1979 तक राय जानने के लिए, परिचालित कर दिया जाना चाहिए। मैंने यह संशोधर इस लिये रखा है क्योंकि आयोग की नियुक्ति से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों में गहरा असन्तोष व्याप्त है।

उदाहरण के लिये, हम सदैव धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिये पृथक आयोग के लिए कहते रहे हैं। विधेयक में भाषाई तथा धार्मिक दोनों ही अल्पसंख्यकों के लिये एक आयोग की अभिकल्पना की गई है। यदि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये

[श्री जी० एम० बनातवाला]

तो सरकार के समक्ष यह बात स्पष्ट रूप से आ जायेगी कि अल्पसंख्यकों की राय भाषाई अल्पसंख्यकों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पृथक-पृथक आयोगों के गठन के लिए है। इसी प्रकार हम अल्पसंख्यक आयोग के लिये आदेशात्मक शक्तियों के लिये कहते रहे हैं जो कतिपय महत्वपूर्ण उपबंधों के अनुसार हो जिनके बारे में मैं बाद में बोलूंगा।

मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक आयोग ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। मुझे खेद है कि वह प्रतिवेदन अभी तक सभापटल पर नहीं रखा गया है अन्यथा हमें, विशेषकर इस समय, अपनी टिप्पणियाँ देने में लाभ मिलता। अल्पसंख्यक आयोग ने अलीगढ़ में हुए दंगों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मुझे विश्वास है कि इसने जमशेदपुर में हुए दंगों तथा तमिलनाडु में परमाम्बेट में हुए दंगों के बारे में अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं। परन्तु ये सभी प्रतिवेदन अभी तक किसी के सामने नहीं आये हैं। हमारे द्वारा सरकार से अनेक बार कहे जाने के बावजूद उन्हें सभापटल पर नहीं रखा गया है। मैं एक बार फिर अपनी मांग दोहराता हूँ कि इन प्रतिवेदनों को छिपाया नहीं जाना चाहिये और उन्हें सभापटल पर रखने में और अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिये।

जब कार्यपालिका के आदेश से अल्पसंख्यक आयोग गठित किया गया तो सरकार ने आयोग के बारे में बहुत अच्छे भाव व्यक्त किये गए थे। मैं सभा का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 1978 की गृह मंत्रालय की अधिसूचना की ओर दिलाना चाहता हूं। अधिसूचना में कहा गया है कि :

> "धर्म-निरपेक्ष परम्परा बनाये रखने तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार अल्पसंख्यकों के लिये उपबन्धित रक्षोपायों के प्रवर्तन को अत्याधिक महत्व देती है।"

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि जिसे मैं उद्धृत करता हूँ :

> "भारत सरकार का विश्वास है कि राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित विभाग आयोग को अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे।"

मैं सरकार को इन सभी उत्कृष्ट भावों के लिए धन्यवाद देता हूँ। तथापि, मैं यह टिप्पणी करने के लिये विवश हूं कि इस सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के साथ अत्यधिक तुच्छ ढंग से बर्ताव किया।

इन सब बातों के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम चेयरमैन, श्री मीनू मसानी को त्यागपत्र देना पड़ा। मैं विस्तारपूर्वक नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इसके बारे में सभा में अनेक बार बोल चुका हूं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान चेयरमैन को भी यह कहना पड़ा कि वह छोड़ने के लिये तैयार है। मेरे पास यहां 13 नम्बर, 1978 का इंडियन एक्सप्रेस है जिसमें प्रमुख शीर्षक है—

'अन्सारी वान्ट्स टु क्विट'। ऐसा सब इसलिये है कि आयोग के साथ सरकार द्वारा तुच्छ बर्ताव किया जाता है। अल्पसंख्यक आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं। एक महत्वपूर्ण सिफारिश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को पुन: प्रदान करने के सम्बन्ध में थी। सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है। अल्पसंख्यक आयोग ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश, अर्थात अलीगढ़ में पहले हुए दंगों के समय वहाँ से प्रादेशिक सशस्त्र सेना हटाई जाये, की है। उसकी अवहेलना करते हुए अभी भी बदनाम प्रादेशिक सशस्त्र सेना को वहाँ लगाया जा रहा है जिससे दु:खदायी घटनायें होती हैं परन्तु मैं इन सब बातों के बारे में विस्तारपूर्वक नहीं बोलूंगा। मैं केवल यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब तक अल्पसंख्यक आयोग के प्रति स्वस्थ रवैया नहीं रखा जाएगा तो इससे ज्यादा कोई आशा नहीं की जा सकती।

मुझे इस बात पर बल देना होगा कि अल्पसंख्यक आयोग को केवल दिखावे की चीज बनकर नहीं रहना है, इसे केवल सजावट के उद्देश्य से सजावटी कीमत का एक अंग बनकर नहीं रहना है। इसके पास प्रभावी शक्ति होनी चाहिए, और मुझे यह कहना होगा कि अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आयोग की सिफारिशें स्वरूप-वश कतिपय उपबन्धों के अनुसार आदेशात्मक होनी चाहिए जिनके बारे में मैं उस समय उल्लेख करुंगा जब संशोधन स्टेज आयेगी। यह केवल मेरा ही विचार नहीं है। वे भूल गये हैं कि उन्होंने क्या कहा था। समाचार-पत्रों के समाचारों में कहा गया है कि :

> "जनता पार्टी की कार्यकारी समिति ने अगस्त, 1977 में हुई अपनी बैठक में अल्पसंख्यक आयोग तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आयोग, इन दो आयोगों का सुझाव दिया था।"

इसमें आगे कहा गया है :

> "इसने यह भी सुझाव दिया कि इन आयोगों की सिफारिशें सरकार के लिये पालनीय होनी चाहिए।"

अत: आप अगस्त, 1977, में हुए कार्यकारी समिति की बैठक में किये गए अपने संकल्प को भूल गये हैं। ये ऐसे मामले हैं जिन पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 350-ख में भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रयोजन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है। हमारे सामने एक ऐसा प्रस्ताव है जो भाषाई तथा धार्मिक दोनों ही अल्पसंख्यकों के लिये एक आयोग के लिए है। इस स्थिति में धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएं भाषाई अल्पसंख्यकों को हो रही विशाल समस्याओं से आच्छादित हो जायेगी। अत: मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस कार्य के लिए दो पृथक आयोग बनाये।

मुझे आयोग के कृत्यों का भी उल्लेख करना होगा। आयोग के कृत्यों के बारे में सरकार ने एक बहुत ही अनिश्चित, झिझक भरा और ढुलमुल रवैया अपनाया। अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति करने वाली मूल अधिसूचना में लगभग 8 कृत्य सूचीबद्ध किये गए थे। तत्पश्चात यह विधेयक लाया गया और सभी कृत्यों में कटौती करके इसे एक दिखावा मात्र बना दिया गया

परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि हमने संशोधन दिए हैं; मुझे यह भी प्रसन्नता है कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है और कृत्य बहाल किए जाने की मांग की जा रही है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : महोदय, मंत्री के चारों ओर आभा है !

अध्यक्ष महोदय : यह प्रकाश का परावर्तन है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र): वह अत्याधिक प्रकाश में है !

श्री जी० एम० बनातवाला : इस अल्पसंख्यक आयोग को बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी है। इससे बड़ी-बड़ी आशायें की जा रही हैं। बहुत सी आशाएँ तो अल्पसंख्यक आयोग के साथ सम्बद्ध हैं। इसे सबसे पहला काम जो करना है वह अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की बढ़ती हुई भावना के सम्बन्ध में है। मैं यहां इस बात का उल्लेख कर दूं कि महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण तथा वित्तमंत्री, श्री शांति नायक को यह कहते हुए बताया गया है कि महाराष्ट्र में प्रोग्रेटिव डेमोक्रेटिक फ्रंट की मिली-जुली सरकार बनने के बाद आर. एस. एस. के स्वयंसेवकों को बहुत से आग्नेय अस्त्र लाइसेंस दिये गए। यह समाचार दिनांक 13 मई, 1977 के टाइम्स आफ इन्डिया में प्रकाशित हुआ था। परन्तु इससे भी अधिक मैं चाहता हूं कि सरकार महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों द्वारा दिये जा रहे ऐसे वक्तव्यों की जांच करें।

महोदय, अल्पसंख्यकों सम्बंधी आयोग ने भी विभिन्न अन्य पहलुओं पर विचार किया है, उदाहरण के रूप में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और उसके विद्यार्थियों को बदनाम करने की एक बहुत गहरी व निन्दनीय साजिश है। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार में कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु मेरे पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री बनारसी दास द्वारा दिये गए वक्तव्य की एक प्रति है। इस वक्तव्य से क्या उनके दुलमुल रुख से यह प्रतीत होता है कि उन पर कितनी भारी राजनैतिक दबाव पड़ रहा है और जो राजनैतिक उद्देश्य उन पर लादे जा रहे हैं जिनके प्रति वह चिंतित हैं। जब दादरी की घटना पहली बार घटित हुई तो उन्होंने उत्तरप्रदेश विधान सभा में कहा और मैं "टाइम्स आफ इंडिया" दिनांक 11 मई 1978 का उद्धरण पेश करता हूँ—

> "मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास ने आज विधानसभा में कहा कि मुझे शक है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के विरोधी लोग कल दादरी स्टेशन पर अलीगढ विश्वविद्यालय के छात्रों पर हमले के लिए उत्तरदायी हैं"

मुख्यमंत्री द्वारा एक उत्तरदायी स्थान पर पवित्र सदन में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिया गया वह पहला वक्तव्य था। परन्तु उन पर इतना राजनैतिक दबाव पड़ा कि उनको इस वक्तव्य को बदलना पड़ा। महोदय अल्पसंख्यकों विधेयक आयोग के सामने बहुत से मामले हैं, जैसा कि मैंने कहा, जिनमें से सब से पहला है, अल्पसंख्यकों में बढ़ रही अशांति, अल्पसंख्यकों में बढ़ रही असुरक्षा की भावना। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के वक्तव्य की ओर उल्लेख कर रहा था। उन्होंने एक अत्यन्त ही शरारत पूर्ण वक्तव्य दिया—मैं फिर "टाइम्स आफ इंडिया" दिनांक 13 मई, 1979 का उद्धरण पेश करता हूं :

"श्री बनारसी दास ने इस बात की पुष्टि की कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा जलाई गई 31 दुकानें एक विशेष समुदाय के लोगों की थीं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है आग के लक्ष्य चुने गए थे।"

कितना बड़ा झूठ कहा गया है। मैंने अलीगढ़ का दौरा किया था। अल्पसंख्यक आयोग का यह कर्त्तव्य है कि अलीगढ़ का दौरा करे और यह देखे कि सच्चाई क्या है। मैंने वहां पर देखा है कि दोनों समुदायों की दुकानें नष्ट की गई हैं और जलाई गई हैं। जकारिया मार्किट के मामले को देखें, मिन्टो सर्किल और किसी अन्य स्थान को देखें। आपको पता चलेगा कि श्री बन्ने खां की साईकिलों की दुकान को जलाया गया, वारिस अली के होटल को आग लगाई गई, साईकिलों की एक दूसरी दुकान, जिसका मालिक मुमताज था, जलाई गई और हाफिज खां की लड़की की दुकान को जलाया गया। ऐसे बहुत से लोग है और फिर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार के उकसाने वाले वक्तव्य दिये जा रहे हैं जो कि सच्चाई के विपरीत हैं। यह बहुत ही खेदजनक स्थिति हैं। महोदय, उन्होंने आगे कहा है और मैं फिर भी समाचार का उद्धरण दे रहा हूं :

"वास्तव में पिछले वर्ष संम्भल में जो कुछ हुआ वह हिन्दुओं का कत्लेआम था।"

जब अलीगढ़ में तनावपूर्ण स्थिति है, जमशेदपुर जल रहा है, तो यह मुख्यमंत्री तथ्यों की अवहेलना करके और उकसाने वाले वक्तव्य देकर आग में लकड़ियां फेंक रहे हैं। निश्चित रूप से, जैसा कि श्री कंवरलाल गुप्त ने कहा है, अल्पसंख्यक आयोग को हमारे सबके बोलने के बारे में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत तय करने चाहिये। परन्तु ऐसे राज्य के यह मुख्यमंत्री, जिस राज्य को जनता सरकार के गठन के पश्चात से बड़ी हुई संख्या में दंगों का सामना करना पड़ा है, इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं और आग में लकड़ी फेंक रहे हैं।

महोदय, मुख्यमंत्री ने आगे कहा है, मैं उसका उद्धरण दे रहा हूं:—

"श्री दास ने कहा कि मुसलमान साम्प्रदायवादी किस प्रकार से अल्पसंख्यकों की असुरक्षा की बात कर सकते हैं जबकि वे स्वयं भारत के बंटवारे के लिए उत्तरदायी हैं।"

यह वक्तव्य बहुत ही खेदजनक है। आज अल्पसंख्यकों की असुरक्षा की बात को देश के बंटवारे के प्रश्न के साथ सम्बद्ध करना बहुत खेदजनक है और मैं इसकी निन्दा करता हूं। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य राज्य के प्रमुख के मन में गहरे जमे हुए पक्षपात को प्रकट करता है और इस विचार को पक्का करता है कि राज्य की नीतियां पक्षपात और राजनैतिक बदले के आधार पर तय होती हैं।

मैं इन सब के सम्बंध में बहुत कुछ कहना चाहता हूं। अल्पसंख्यक आयोग को राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देना है और इस बात को देखता है कि साम्प्रदायिक सद्भावना को न केवल बनाए रखा जाता है अपितु हमारी मातृभूमि में इसका संवर्धन भी हो। अल्पसंख्यक आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन पेश किया था। हमने उस पर चर्चा की हैं और उसकी बात नहीं कर रहा

[श्री जी० एम० बनातवाला]

परन्तु अब एक अन्य गैर सरकारी सदस्य का एक विधेयक है जिसका नाम है 'धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयक'। अल्पसंख्यक आयोग को इस विवादास्पद बिधेयक के संबंध में भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये। वह विधेयक धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयक नहीं है, अपितु यह धार्मिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध विधेयक है और यह अनुच्छेद 25 के विपीरत है जो न केवल धर्म के अचरण करने और मानने का अधिकार देता है अपितु धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार देता है।

सरकार का दो और महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकर्षित करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। पहली बात यह है कि अल्संख्यक आयोग के कर्मचारियों की भर्ती के बारे में कुछ गल्तफहमियां व्याप्त हैं। अध्यक्ष महोदय समझते हैं कि कर्मचारियों की नियुक्ति करने की शक्ति उनको प्राप्त है और सारा आयोग यह समझता है कि कर्मचारियों की भर्ती की शक्ति आयोग में निहित है और सचिव ने बिना किसी से परामर्श किये कर्मचारियों की भर्ती कर ली। मेरा तात्पर्य यह है कि ऐसे मामले हैं जो अधर में नहीं लटकने चाहिये। मेरे विचार से सरकार अपने आन्तरिक झगड़ों में व्यस्त है। तथापि, इसको इन बातों को देखने के लिए शीघ्रता से मार्गदर्शी सिद्धांत करने चाहियें कि इन मामलों की ओर समुचित ध्यान दिया जाए तथा अध्यक्ष एवं स्वयं आयोग समुचित रूप से कार्य करने की स्थिति में हों।

अल्पसंख्यक आयोग के प्रादेशिक कार्यालय भी होने चाहिए जिससे कि यह अधिक प्रभावी हो सके।

मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि वर्तमान विधेयक स्वागत योग्य है। मैं पहिले ही सरकार का धन्यवाद कर चुका हूं। मैं अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक स्वरूप देने के लिये सरकार को बधाई देता हूं परन्तु प्रभावी आयोग का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उन कमियों को दूर नहीं किया जाता जिनका मैंने उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि सरकार तथा सदन उन पर गंभीरता से विचार करेगा।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : श्री मन्, मैं माननीय सदस्यों का अनुग्रह मानता हूँ कि उन्होंने इस आयोग के गठन का सभी तरफ से स्वागत किया है। मैं इस लिए भी अनुग्रह मानता हूँ कि सभी माननीय सदस्यों ने इन कमिशनों का जो काम है उस की सराहना की है। जो भी सुझाव दिए गए हैं और जो भी उपाय बताए गए हैं जिस से इस कमीशन को और भी असरदार बनाया जा सकता है, इस के काम को असरदार बनाया जा सकता है या इस के नाम के सम्बन्ध में, इस के फंक्शन और जूरिस्डिक्शन के सम्बन्ध में, इसकी रेकमेंडेशन की इम्पार्टेंस के सम्बन्ध में, टेन्योर एन्ड कंडीशंस और टर्म्स के सम्बन्ध में उनके बारे में मैं विस्तार से तो नहीं कह सकता।

लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह हमारी भी चिन्ता है। माननीय सदस्यों की तरह हम भी चाहते हैं कि यह बिल जल्दी से जल्दी

स्वीकृत हो जाये, जिससे इस कमीशन को, जो अभी एक एक्जीक्यूटिव आर्डर के तहतकाम कर रहा है, स्टैचुटरी बैकिंग मिल जाये। माननीय सदस्य भी यह चाहते हैं कि इस कमीशन को स्टैचुटरी बैकिंग मिल जाये, जिससे इसकी महत्ता और गरिमा बढ़ेगी और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों आदि सब पर इसका असर और प्रभाव बढ़ेगा।

मुझे यह कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि इस बारे में थोड़ी देर हुई है। खुद कमीशन को भी एतराज है कि हम लोगों ने इस कमीशन को स्टैचुटरी बैकिंग देने में थोड़ा विलम्ब किया है। हमारी कतई कोई मंशा नहीं है कि अब हम इसमें एक क्षण का भी बिलम्ब करें। इस लिए माननीय सदस्य, श्री काम्बले, ने जो संशोधन दिया है कि इस विधेयक को जायंट सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये, या माननीय सदस्य, श्री वनतवाला, ने जो संशोधन दिया है कि इसको पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए परिचालित किया जाये, मैं उनको मानने में असमर्थ हूँ।

इसके अतिरिक्त कुछ सुझाव दिये गये हैं। जैसे, माननीय सदस्य ने कहा है कि कमीशन का टेन्युर क्या है। सबको यह विदित है—और अगर विदित नहीं है, तो मैं सूचना दे देना चाहता हूँ—कि यह कमीशन पर्मानेंट है और इसके चेयरमैन और मेम्बरों का टेन्युर निश्चित किया जायेगा, जिसके लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है :—

> "इस संबंध में संसद द्वारा बनाये गये किसी भी कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग में वह व्यक्ति अथवा वे व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और उनकी अवधि तथा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।"
>
> "इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की कार्यप्रणाली को कानून के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जायेगा।"

कमीशन खुद तो पर्मानेंट है, लेकिन कमीशन के जो चेयरमैन है, और होंगे, उसके जो सदस्य हैं, और होंगे, उनका टेन्युर सरकार के विचाराधीन है और हम बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं, और इसके बारे में रूल बन जायेगा।

माननीय सदस्य ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि जब एक बार टेन्युर तय हो जायेगा और टर्म्ज एन्ड कंडीशंज फिक्स हो जायेंगी, तो सरकार कमीशन के चेयरमैन या सदस्यों के काम से खुश या नाराज हो कर उनके कार्यकाल में ही तो फेर-बदल नहीं कर देगी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जायेगा।

श्री सूरज भान : पीछे होता रहा है।

श्री धनिक लाल मण्डल : माननीय सदस्य का कहना सही है, लेकिन मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में, जबकि वे दफ्तर में हैं, इस तरह का कोई भी काम नहीं किया जायेगा।

माननीय सदस्यों ने नाम के बारे में भी कुछ सुझाव दिये हैं। श्री सूरज भान ने सुझाव दिया है कि इस कमीशन को हम सिविल राइट्स कमीशन का नाम क्यों नहीं देते हैं। माननीय

[श्री धनिक लाल मण्डल]

सदस्य को विदित है कि प्रारंभ में सिविल राइट्स कमीशन बनाने का प्रस्ताव या विचार था, लेकिन स्वयं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया।

उन्होंने कहा कि 'नहीं' इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के हितों की रक्षा नहीं हो पायेगी। उनकी समस्याओं और उन के हितों के संवर्धन के लिये पूरे समय का एक अलग कमीशन बनाया जाय। सरकार ने उन की बात को मान लिया और एक के बजाय दो कमीशन बना दिये। जब कि दो कमीशन बन गये हैं, तो यह कहना कि सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जाय—यह ठीक नहीं है और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर बल न दें।

मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने इस बात को स्वीकार किया कि उन के अमेण्डमेन्ट के बाद हम लोगों ने ऐसा किया। बात ऐसी नहीं थी, फिर भी यदि वह ऐसा ही मानते हैं तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वास्तविकता यह थी कि अगस्त, 1978 में जो बिल पेश किया गया, उस के बाद प्रधान मंत्री जी की कमीशन के चेयरमैन से बातचीत हुई और उन दोनों की इच्छा से इन को ऐसा बनाया गया है। यह कहना ठीक है कि पहले की बनिस्बत इस बिल में काफी सुधार हुआ है और उन की जो बातें थीं, करीब-करीब उनको इस में ला दिया गया है।

अब बात रह जाती है—रिकमेण्डेशंज की। माननीय सदस्यों, खास कर माननीय सदस्य बनातवाला जी का यह कहना कि कमीशन की जो रिकमेण्डेशन्ज हों, वे मेण्डेटरी होनी चाहिये। लेकिन आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कोई सरकार अपने ऊपर कमीशन को नहीं बना सकती है। लेकिन इतना आश्वासन अवश्य दिया गया है और मैं इस अवसर पर भी माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जहां तक होगा, कमीशन की सिफारिशों को माना जायेगा। बिरले ही कोई ऐसी रिकमेण्डेशन होगी, जिस को नहीं माना जायगा, लेकिन उस का कारण बतलाया जायगा कि क्यों नहीं माना जा रहा है। सरकार की नीयत इस मामले में बिलकुल साफ है, सरकार कमीशन की गरिमा को बनाये रखना चाहती है और जिस तरह के आदमियों को हम यहां रख रहे हैं—हम उन की सलाह मान कर चलेंगे। इस सम्बन्ध में मन में कोई दुविधा या शंका रखना ठीक नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी उन की सिफारिशों को सदन की टेबिल पर रखवायेंगे, इस से माननीय सदस्यों को उन पर बहस करने का मौका मिलेगा और अब बहस करने का मौका मिलेगा तो जैसा सदस्य चाहेंगे सरकार वैसा ही करेगी। सरकार सदन के ऊपर नहीं है, माननीय सदस्यों से ऊपर सरकार नहीं है। जब कारण बतलाते हुए वह बात सदन के सामने आयेगी तो माननीय सदस्यों को उस के बारे अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा इस लिये इस के बारे में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिये।

श्री राम विलास पासवान : जिस समय जो सरकार रहेगी वह वैसा ही कानून बना लेगी।

श्री धनिक लाल मंडल : यह सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वह सदन के ऊपर नहीं है।

महोदय, माननीय सदस्य बनातवाला साहब ने कहा कि धर्म के आधार पर, सजहब के आधार पर ही कमीशन का गठन होना चाहिये था। उनका ऐतराज यह है कि धर्म के आधार पर और बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर—दोनों को मिला कर कमीशन बना दिया गया है, जब कि दोनों के लिये अलग-अलग कमीशन होने चाहिये थे। जैसा मैंने शुरू में कहा था एक कमीशन बनाने का इरादा था, लेकिन माननीय सदस्यों के ऐतराज करने पर, जोर डालने पर दो कमीशनों का गठन हुआ है।

अन्तिम बात मुझे यह कहनी है कि अब इसमें कोई भी विलम्ब नहीं होना चाहिये। सुधार के लिये हमेशा गुंजाइश रहती है, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि सारी अच्छी बातें कह दी गई हैं, अगर कोई ऐसा दावा करता है तो गलत है, सुधार के लिये बराबर गुंजाइश रहती है। लेकिन विलम्ब हो रहा है और विलम्ब से अंधेर होने का खतरा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने संशोधनों को वापस कर लें और इस को स्वीकार कर लें।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो, तीन चीजें कही थीं, जिनका जवाब मंत्री महोदय से नहीं आया। एक चीज तो मैंने कही थी कमीशन से परामर्श लेने के बारे में। कोई भी काम शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हित में करें, तो कमीशन से परामर्श लेने को कहा जाए।

दूसरा मेरा प्वाइंट यह था कि एक ही आर्टीकिल में इन दोनों को क्यों जोड़ दिया गया है। पहले माइनोरिटीज कमीशन का अलग आर्टीकिल था और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आर्टीकिल था। अब दोनों को एक ही आर्टीकिल में किया जा रहा है।

मेरा तीसरा प्वाइंट यह था कि कमीशन अगर किसी अपराधी को बुलाता है और वह नहीं आता है, तो उसके लिए कमीशन को शक्ति दी जाए। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरे इन प्रश्नों का जवाब दें।

श्री धनिक लाल मण्डल : कमीशन किसी उस चीज को जांच करेगा तो कमीशन की जो इन्वेस्टीगेट करने की पावर है, जांच करने का जो उसका अधिकार है, उस जांच के क्रम में जिन को कमीशन बुलाएगा, वे नहीं आएंगे ऐसी माननीय सदस्य को शंका है। .....(व्यवधान)... व्यक्ति और सरकार में भेद कर लीजिए। जहां तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से सरकारी लोगों को आदेश है कि उन को उपस्थित होना ही है, उन को जाना ही है, उन को जो कुछ कमीशन द्वारा पूछा जाय, वह बताना ही है, तो वे उस का जबाव देंगे और अगर फाइल मांगी जाती है, तो वह भी दी जाएगी। अब जहां तक नागरिकों का सवाल है, व्यक्ति का सवाल

[श्री धनिक लाल मण्डल]

है, उस को कम्पेल करने के लिए क्या किया जा सकता है ? इस तरह की बात तो कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट में भी नहीं है जैसा कि तिरखा साहब का उदाहरण दे कर बताया गया कि तिरखा साहब का जो कमीशन मनीपुर में है, उस में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को बुलाया गया, तो वे एक दिन गई और उसके बाद बिना बताए चली गई । अब उसमें क्या कर सकते हैं ? इसलिए मैंने यह बात कही है । .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम सभी चाहते है कि यह विधेयक पारित हो जाय ।

बनातवाला साहब ! क्या आप अपने प्रस्ताव को परिचालित कर दिया जाना चाहते है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : अब में विधेयक के परिचालन के लिए श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तावित किये गये संशोधन नं० एक को सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं संसद में मतदान के विचार से प्रस्ताव पेश करूं, मैं कहना चाहता हूँ कि चूंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए मतदान विभाजन द्वारा किया जाना होगा । पहले दीर्घाएं खाली की जाये ।

प्रश्न यह है:—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये चूंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है इसलिए मतदान विभाजन द्वारा किया जायेगा ।

दीर्घा को खाली होने दीजिए ।

दीर्घाएं खाली हो चुकी हैं ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

विभाजन संख्या 28

पक्ष में

अंसारी, श्री फकीर अली	अप्पालानायडु, श्री एस. आर. ए. एस.
अग्रवाल, श्री सतीश	अब्दुल लतीफ, श्री
अर्गल, श्री छविराम	अमीन, प्रो. आर. के.

अलहाज, श्री एम. ए. हनान
अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस
आरिफ बेग, श्री
आस्टिन, डा. हेनरी
आहूजा, श्री सुभाष
ओंकार सिंह, श्री
उरांव, श्री लालू
कपूर, श्री लखन लाल
कृष्ण कांत, श्री
कृष्णन, श्रीमती पार्वती
काम्बले, श्री वी. सी.
कार, श्री सरत
कालदाते, डा. बापू
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कुन्हम्बू, श्री के.
कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद
कुशवाहा, श्री रामनरेश
केशरवानी, श्री एन. पी.
कैलाश प्रकाश, श्री
कोत्राशेट्टी, श्री ए. के.
कोडियन, श्री पी. के.
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खिये, रिनजिंग खाण्डू
खां, कुवर महमूद अली
खाँ, गुलाम मोहम्मद
गंगा सिंह, श्री
गट्टानी, श्री आर. डी.
गुप्त, श्री कंवर लाल
गुह, प्रो० समर
गोपाल, श्री के०
गोरे, श्रीमती मृणाल
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
घोषाल, श्री सुधीर
चक्रवर्ती, प्रो. दिलीप
चतुर्भुज, श्री
चतुर्वेदी, श्री शम्भूनाथ
चंदन सिंह, श्री
चंद्र, डा. प्रताप चंद्र
चांदराम, श्री
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी मोतीभाई आर.
चौधरी, श्री रुद्रसेन
जसरोटिया, श्री बलदेवसिंह
जुल्फिकार उल्ला, श्री
जैन, श्री कल्याण
जोरदर, श्री दिनेश
जोशी, डा. मुरली मनोहर
ठाकरे, श्री कुशाभाऊ
डान, श्री राज कृष्ण
तन सिंह, श्री
तलवंडी, जगदेव सिंह
तिवारी, श्री द्वारका नाथ
तिवारी, श्री ब्रजभूषण
तोहरा, श्री जी. एस.
तेज प्रताप सिंह, श्री
त्यागी, श्री ओम प्रकाश
त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद
दत्त, श्री अशोक कृष्ण
दवे, श्री अनन्त
दानवे, श्री पुण्डलीक हरि
दास, श्री रेणुपद
दास, श्री श्याम सुन्दर
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री
दुर्गाचन्द, श्री
देशमुख, श्री नानाजी
देशमुख, राम प्रसाद

देसाई, श्री मोरारजी
धारिया, श्री मोहन
धुर्वे, श्री श्यामलाल
नाथूसिंह, श्री
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी.
नथूनी राम, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नायक, श्री लक्ष्मी नारायण
नाहर, श्री विजय सिंह
नायडू, श्री पी. राजगोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री एच. एम.
पटेल, कुमारी मणिबेन बल्लभ भाई
पटेल, श्री धर्मसिंह भाई
पटेल, श्री मीठालाल
परस्ते, श्री दलपतसिंह
परुलेकर, श्री बापू साहिब
पाटिल, श्री एस. बी.
पाटिल, श्री चन्द्रकांत
पासवान, श्री रामविलास
पिपिल, श्री मोहन लाल
प्रधान, श्री पवित्र मोहन
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फिरंगी प्रसाद, श्री
बनातवाला, श्री जी. एम.
बड़कटगी, श्रीमती रेणुकादेवी
बर्मन, श्री पलाश
बलदेव, प्रकाश डा०
बासप्पा, श्री कोंडाजी
बसु, धीरेन्द्र नाथ
बल, श्री प्रद्युमन किशोर
बालकराम, श्री
बैरागी, श्री जेना
बैरो, श्री ए. ई. टी.
बेरवा श्री रामकंवर
बोरोले, श्री यशवन्त
भगतराम, श्री
भट्टाचार्य श्री दीनेन
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह
भारत भूषण, श्री
मंगलदेव, श्री
मंडल, श्री धनिक लाल
मंडल, डा० विजय
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह
मल्लिकार्जुन श्री
महाटा, श्री सी. आर.
महाला, श्री के. एल.
महीलाल, श्री
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद
मावलंकर, प्रो. पी. जी.
मिर्जा, श्री सैयद कासिम अली
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिरी, श्री गोविन्द राम
मृत्युंजय प्रसाद, श्री
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री श्याम नन्दन
मुण्डा, श्री गोविन्द
मुण्डा, श्री कड़ियां
मुरमु, फादर एंथनी
महालगी, श्री आर. के.
मेहता, श्री अजीत कुमार
मेहता, श्री प्रसन्न भाई
यल्लैया, श्री नन्दी
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
यादव, श्री रामजी लाल
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुकुम देव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री

रणजीत सिंह, श्री
रवीन्द्र प्रतापसिंह, श्री
रशीद मसूद, श्री
रांगनेकर, श्रीमती अहिल्या पी०
राकेश, आर० एन०
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राजकेशर सिंह, श्री
राजू, श्री पी० वी० जी०
राठौर, डा० भगवान दास
*राम अवधेश सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामचन्द्रन, श्री पी०
राम चरण, श्री
रामधन, श्री
रामजीवन सिंह, श्री
रमापति सिंह, श्री
राम सागर, श्री
राय, श्री ए. के.
राय, श्री गौरी शंकर
राय, श्री शिवराम
राय, डा० सरदीश
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री जगन्नाथ
रेड्डी, श्री जी. एस.
रेड्रिक्स, श्री रुडोल
लक्ष्मी नारायण, श्री एम. आर.
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद
वर्मा, श्री ब्रजलाल
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
वर्मा, श्री रवीन्द्र
बर्मा, श्री हरगोविन्द
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
शंकर देव, श्री
शंकरानन्द, श्री बी०
शाक्य, श्री दयाराम
शारदा, श्री एस. के.
शास्त्री, श्री रामधारी
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री सुरत बहादुर
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शुक्ल, श्री मदनलाल
शेट, श्री विनोद भाई वी०
शेर सिंह, प्रो०
सत्पथी, श्री देवेन्द्र
सत्यदेव सिंह, श्री
सरकार, शक्ति कुमार
सारण, श्री दौलतराम
सरसूनिया, श्री शिवनारायण
साय, श्री लारंग
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव
सामन्त सिंहेरा, श्री पदमाचरण
साहू, श्री एन्थू
सिकन्दर बख्त, शी
सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण
सुमन, श्री सुरेन्द्र झा
सुरेन्द विक्रम, श्री
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण, श्री के०
सैनी, श्री मनोहर लाल
सोमानी, श्री एस. एस.
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम
हरिकेश बहादुर, श्री
हुकुम राय, श्री

*उन्होंने गलती से किसी दूसरे की सीट से मत दे दिया था परन्तु फिर इस गलती से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया था।

विपक्ष में

*श्री कृष्ण सिंह जी

*नेगी, श्री टी० एस०

*परमार, श्री नटवरलाल

*बृजराज सिंह, श्री

*राम, श्री राम देवी

*सुमन, श्री रामजीलाल

$स्वतंत्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम** इस प्रकार हैं:

पक्ष में	विपक्ष में
205	7

प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित नहीं हुआ ।

प्रो. पी. जी. मावलंकर : यह विधेयक निष्फल हो जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : शर्म की बात है ।

---

*गलती से विपक्ष में मत दे दिया था

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपना मत दिया है ।

1. अमात, श्री डी०
2. अहमद, श्री हलीमुद्दीन
3. कुरील, श्री आर० एल०
4. खां, श्री महमूद हसन
5. गुलशन, श्री धन्ना सिंह
6. चौहान, श्री भारत सिंह
7. जायसवाल, श्री अनन्त राम
8. तिवारी, श्री मदन
9. दाभी, श्री अजीत सिंह
10. दास गुप्ता, श्री के० एन०
11. नेगी, श्री टी० एस०
12. पंडित, डा० वसन्त कुमार
13. परमार, श्री नटवरलाल
14. बृजराज सिंह, श्री
15. मछण्ड श्री रघुबीर सिंह
16. मनोहर लाल, श्री
17. यादव श्री रूपनाथ सिंह
18. युवराज, श्री
19. राम, श्री राम देवी
20. रामजी सिंह, डा०
21. रामदेवसिंह, श्री
22. राय, श्री नर्मदा प्रसाद
23. वर्मा, श्री चंद्रदेव प्रसाद
24. वशिष्ट, श्री धर्मवीर
25. शाह, श्री डी० पी०
26. श्री कृष्ण सिंह, श्री
27. सिन्हा, श्री महामाया प्रसाद
28. स्वतंत्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद
29. हजारी, श्री रामसेवक
30. क्षेत्री, श्री छत्र बहादुर

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हमारे समर्थन के बावजूद भी आप इसे पारित नहीं करवा सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : समर्थन अनुपस्थित रहकर···

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : रेलमंत्री यहाँ मौजूद नहीं है, रेलमंत्री सलाहकार समिति की एक बैठक में हैं, वे किस प्रकार के मंत्री हैं ? उन्हें, अल्पसंख्यकों के आयोग की कोई परवाह नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : इससे आयोग के प्रति उनका रवैया परिलक्षित हो जाता है। यह बहुत बड़ी जालसाजी है, इससे उनका प्रत्यक्ष रूप सामने आ गया है। एक तरफ तो वे कहते हैं कि वे संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान करना चाहते हैं और दूसरी ओर वे उस समय सदन में उपस्थित ही नहीं हुए हैं जबकि प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया है, यह एक ढ़कोसला है, यह एक जालसाजी है। इससे उनका वह ढ़कोसला पूर्ण रवैया स्पष्ट हो जाता है जो कि उन्होंने विशेष रूप से इस विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्र के प्रति दिखाया है।

श्री के० गोपाल (करूर) : हम इसको जानना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है ? उनके सदस्य उपस्थित क्यों नहीं हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : कृपया मुझे इसी बात पर कुछ कहने की अनुमति दीजिए, उनका सही रूप अब परिलक्षित हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आयोग को कोई वैधानिक दर्जा देने का इच्छुक नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री के० गोपाल : सदस्य जानबूझकर अनुपस्थित रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जी. एम. बनातवाला : यह एक बड़े षडयन्त्र के अलावा कुछ नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : यह एक शर्मनाक बात है, आप इस्तीफा दे दीजिए।

प्रो. पीमू जी० मावलंकर (गांधी नगर) : यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक था।

श्री के० गोपाल : रेलवे सलाहकार समिति में 40 सदस्य क्यों बिठाये गए हैं ?

एक माननीय सदस्य : उप-प्रधानमंत्री जी कहाँ है ? दूसरे मंत्री लोग कहाँ हैं ? (**व्यवधान**)

श्री के० गोपाल : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य अनुपस्थित हैं। यह सब जान-बूझकर किया गया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : शासक दल द्वारा एक काफी बड़ा षडयन्त्र रचा जा रहा है यह एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। (**व्यवधान**)

श्री बी० शंकरानन्द : दोनों उप-प्रधानमंत्री महोदय कहां हैं और दूसरे मंत्री कहाँ हैं ? वे वोट के दौरान उपस्थित क्यों नहीं थे···(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, आपको शासक दल के इस रवैये की भर्त्सना करने में कठोर होना चाहिए। वे अल्पसंख्यकों के बचाव के लिये इतना कुछ कहते रहते हैं (**व्यवधान**)

श्री पी० जी० मावलंकर : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूँ।

श्री जी० एम० बनातवाला : कल तो सभी लोग उपस्थित थे··· (**व्यवधान**)

श्री के० गोपाल : मैं जानना चाहता हूँ कि सलाहकार समिति की बैठक अब क्यों हो रही है जबकि संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान हो रहा है ?

श्री बी. शंकरानन्द : दोनों ही प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री हैं कहां ? (**व्यवधान**)

श्रम और संसदीय कार्यमंत्री (**श्री रवीन्द्र वर्मा**) : महोदय, काफी सदस्य उपस्थित हैं। वे उनको गिन सकते हैं···(**व्यवधान**)

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री श्री मोहन धारीया : हम कर ही क्या सकते हैं जबकि मशीन में ही कुछ खराबी है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या मशीन में कोई खराबी है ?(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : यह शासक दल की ओर से असह्य घोटाला है। यह एक असह्य स्थिति है। (**व्यवधान**)

श्री जी. एम. बनातवाला : राष्ट्र के साथ एक धोखा किया गया है, एक असह्य स्थिति है, आपको भी हमारे संघर्ष में सम्मिलित हो जाना चाहिये। यह तो पूरे देश के साथ एक धोखा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह एक संविधान संशोधन विधेयक था इसलिए इस सदन को मालूम था कि इसे दो प्रकार से बहुमतों की आवश्यकता थी (1) उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत और (2) पूर्ण बहुमत। यह सदन को तथा हम सबको पता था कि मतदान 3.00 बजे के बाद किसी भी समय हो सकता है इसलिए काफी संख्या में सदस्यों को दीर्घा अथवा केन्द्रीय कक्ष में न रहकर सदन में ही मौजूद रहना चाहिए था···

एक माननीय सदस्य : हम तो दोपहर के खाने के लिए भी नहीं गये हैं।

प्रो० पी ०जी० मावलंकर : हम दोपहर के भोजन के लिए इसलिये नहीं गये हैं क्योंकि खाने की छुट्टी हुई ही नहीं थी। बात यह है कि हममें से कुछ लोग इसके विषय में कुछ कहना चाहते थे, इसमें भाग लेना चाहते थे और उसे अपना समर्थन देना चाहते थे परन्तु उस समय

अध्यक्ष महोदय तथा गृहराज्य मंत्री जी ने कहा कि कोई भाषण नहीं होगा क्योंकि हम समीक्षात्मक स्थिति से पार होने के इच्छुक हैं" इसलिये हमें बोलने के अपने कानूनी अधिकार से वंचित रखा गया था, परन्तु हमने उसे भी स्वीकार कर लिया क्योंकि हम विधेयक को पारित होने देना चाहते थे···

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो. पी० जी० मावलंकर : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हममें से जो लोग कुछ कहना चाहते थे उन्हें इस बात की स्पष्ट धारणा पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया है कि अमुक समय में मतदान किया जाएगा और जब मतदान हो गया तो क्या परिणाम रहा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की पहले से ही बनाई गई योजना थी कि अमुक समय में मतदान किया जायेगा जिससे विधेयक पास न हो सके। इस तथ्य के बावजूद भी कि हमारी ओर के सभी व्यक्तियों ने मतदान किया है फिर भी उनकी ओर से कई लोग अनुपस्थित है। उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए···(**व्यवधान**)। मुझे इसमें शर्म आती है कि जनता पार्टी के मेरे वे दोस्त जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काफी लम्बी चौड़ी बातें करते रहते हैं, उन्होंने इस संकट की घड़ी में अनुपस्थित रहना अधिक श्रेयस्कर समझा है जबकि हम सबने उनका समर्थन किया था, मैं अब आपका पथ-प्रदर्शन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं है। (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उन्हें विधेयक को पारित करने में कोई खास लगाव है ही नहीं···**व्यवधान**

डा० हेनरी आस्टिन : महोदय जैसा कि आप जानते ही हैं कि अल्पसंख्यक और हरिजनों की इस विधेयक में विशेष दिलचस्पी थी, मैं प्रधानमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक का क्या हुआ है।

श्री जी० एम० बनातवाला : राष्ट्र के साथ धोखा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला साहेब आपने स्वयं ही परिचालन के लिए जोर दिया था।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने वोट के लिए तो नहीं कहा था।

अध्यक्ष महोदय : आप मौखिक मत के लिए तो कह सकते थे।

श्री जी० एम० बनातवाला : विधेयक अब निष्फल हो चुका है। मेरे संशोधन पेश करने के समय ऐसी स्थिति नहीं थी, आप ऐसा रवैया अपना सकते थे। आप ऐसे समय में किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं जबकि राष्ट्र के साथ धोखा किया जा रहा हो। में अपने व्यवस्था के प्रश्न को एक ही वाक्य में कह दूंगा और फिर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह एक सरकारी कार्य था और सरकार अपनी ही कट्टरता के कारण यह नहीं देख पाई है कि यह आसानी से पारित हो जाय। एक सरकारी कार्य ही बेकार हो गया है इसलिए सरकार को तुरन्त ही इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्र पर धोखे का टीका लगाया गया है। इसलिये मैं आप से न्याय और यह निर्देश चाहता हूं कि ऐसी सरकार को तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसको तुरन्त और अभी तथा यहीं पर किया जाना चाहिए। राष्ट्र के साथ धोखा किया गया है। सरकार से कह दीजिये कि वह त्यागपत्र दे। यह वह साधन था जिसे सरकार द्वारा लाया गया था। वे अपनी छतों के ऊपर से चिल्ला रहे थे कि वे विधेयक को पारित कराना चाहते हैं। आपसे आवश्यक निर्देश की अपेक्षा की जाती है। आप निर्देश दीजिए। एक सरकारी कार्य स्वयं सरकार की अपनी कमी के कारण व्यर्थ हो गया है। उन्हें त्यागपत्र दे देने दीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : यह संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा उपाय था जो स्वयं सरकार द्वारा पेश किया गया था। शासक दल यह दिखाना चाहता था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उसके द्वारा कुछ किया जा रहा है। (व्यवधान)। कृपया देख लीजिए कि आज 10 से भी अधिक केन्द्रीय मंत्री उपस्थित नहीं हैं। शासक दल के दूसरे कई सदस्यों सहित दोनों ही उप-प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सरकार इस उपाय पर सफल नहीं हो पाई है और विधेयक गिर गया है। अब बात यह है कि ऐसी स्थिति में क्या सरकार को शासन में रहने का कोई औचित्य है अथवा उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। वे इस देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के विश्वास को खो चुके हैं। इसलिए सरकार को अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए और मैं उसकी मांग अभी करता हूं, वे देश को शासित करने के लिए अयोग्य हो चुके हैं, यद्यपि हमने इस विधेयक का समर्थन किया था परन्तु फिर भी यह असफल हो गया है।

श्री के० गोपाल : महोदय, हमें यह कहा गया था कि विधेयक को निश्चित समय में लिया जायेगा। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार कितनी कठोर हो गई है। मैं रेल मंत्री द्वारा बुलाई एक गई बैठक में था जिसमें लगभग 40 सदस्य बैठे हुए थे, अतः आप ऐसे समय में बैठक की अनुमति कैसे दे देते हैं जबकि ऐसे स्वरूप का सरकारी कार्य चल रहा हो ? मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि जब राज्यसभा में प्रिवी पर्स का विधेयक असफल हुआ था तो कांग्रेस दल उस समय सत्ता में था और हमने लोकसभा भंग कर दी थी। मैं श्री बनातवाला के साथ इस बात की सहमति प्रकट करता हूं और प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे लोकसभा को आज ही भंग कर दें। साथ ही मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं। कि क्या इसे जानबूझकर किया गया था। कल के जनता पार्टी के चुनाव में 300 सदस्य उपस्थित थे और आज भी वे बाहर बैठे हुए हैं, आपने जनता को ऊंची आशायें दिलाई हैं कल गौरक्षा पर दूसरा संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है और आप देखेंगे कि कल सभी यहीं होंगे, महोदय ! आपको सरकार

की कड़ी आलोचना करनी होगी और उन्हें त्यागपत्र देना होगा तथा लोकसभा को भंग करना पड़ेगा···(व्यवधान)

प्रो० समरगुह (कन्टई) : महोदय ? मेरे आजीज दोस्त, जो कि आज अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर रहे हैं, वे भी मतदान के समय सही रूप में सदन में उपस्थित नहीं थे। अब तो उनमें से अधिकांश लोग दरवाजा खुलते ही काफी कुछ कहने लग गये हैं ...(व्यवधान)... मेरा आशय यह है कि क्या सदन की यही प्रक्रिया है कि मतदान के समय जब सर्वप्रथम मत लिया जाता है और उस समय यदि मशीन सदन में उपस्थित व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या न बता सके तो फिर भौतिक रूप से उनकी संख्या की जाँच ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय :- श्री समरगुह ! यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह व्ययस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया...(व्यवधान)...

प्रो० समरगुस : हमेशा से यही किया जाता है। सर्वप्रथम गणना की जाती है। उसके पश्चात यदि कोई अपना मतदान नहीं कर पाता है .....(व्यवधान)..... ऐसा क्यों किया गया है ? यह बिलकुल गलत तरीका है। ...(व्यवधान)...। आधे से भी अधिक सदस्य सदन में उपस्थित थे। शारीरिक गणना करने से पहले दरवाजा क्यों खोला गया था ? ऐसा क्यों किया गया था ? ऐसा नहीं किया जा सकता है ...(व्यवधान),... मशीन सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या नहीं बताती है...(व्यवधान)...

श्री बी० शंकरानंद :- ऐसी बेशर्मी से सरकार का सतर्थनमत कीजिए। ...(व्यवधान) ...

प्रो० समरगुह :- यदि कोई मत नहीं दे पाया है अथवा यदि किसी का मत की ढंग से रिकार्ड नहीं हो पाया है ...(व्यवधान)... भौतिक रूप से गणना करने से पहले दीर्घा के दरवाजे क्यों खोल दिए गये थे ? ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं श्रीमती अहिल्या रांगनेकर का नाम पुकारता हूं।

श्री मति अहिल्या पी० रांगनेकर : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है और जिस तरीके से इसको डिफेण्ड कर रहें हैं— हमें शर्म आती है। यह पहला चांस नहीं है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के बारे में जो संविधान संशोधन विधेयक आया था, उस वक्त भी उस को पोस्टपोन करना पड़ा थाउस के बाद तो यह गवर्नमेंट बेन्चेज की रेस्पोंसिविलिटी थी कि सब लोगों को इसके लिये मोविलाइज करते। कल पार्टी का चुनाव था, सब यहां मौजूद थे। जमशेदपुर और अलीगढ़ की घटनाओं को देखते हुए यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन इसके बारे में सरकार में कोई सीरियसनेस नहीं है। आप अपोजीशन को इसके लिये रेस्पोंसिबिल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सबने इस बिल को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके। यह रूलिंग पार्टी की रेस्पोंसिविलिटी थी। इसके लिये आपको स्टेटमेन्ट देना चाहिये कि यह जानबूझ कर हो रहा है या क्या हो रहा है - इसको बतलाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसे एक दूसरी चर्चा नहीं बनाना है। अब श्री राय।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राय का नाम पुकारा है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरा प्रश्न यह है कि सत्ताधारी पार्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर, राजनीतिक और नैतिक रूप से, विफल हो गई है, और सत्ताधारी पार्टी की भर्त्सना की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें। और अब हमें सारी स्थिति के बारे में राजनैतिक तौर पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इसी तरह, मैं कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले विपक्ष के नेता भी हार गए हैं।

मैं कह सकता हूँ कि नियम 293 के अन्तर्गत कुछ समय बाद चर्चा होगी। विपक्ष के नेता कहां हैं ? इस मामले पर, न केवल सदन के नेता की जिम्मेदारी है बल्कि विपक्ष के नेता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अतः, मेरा कहना है कि - सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष — दोनों असफल हो गए हैं। (**व्यवधान**) यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मती पार्वती कृष्णन् : मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बात यहां तक आ पहुँची है कि इतने महत्वपूर्ण मसले को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वास्तव में यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सरकार ऐसे मामले को कितने हल्के पेन से ले सकती है जबकि यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संशोधन विधेयक से सम्बन्धित है। हम लोग सुबह से यहां बैठे हुए हैं। और हम सामान्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे। लेकिन जब आप आते हैं तो आप मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बुलाते हैं। हमने सोचा कि मंत्री महोदय इस मामले को प्रवर समिति को भेजने पर तो राजी हो ही जाएंगे और तब हम इन निष्कर्षों पर न पहुँचे होते। लेकिन जबकि गृह मंत्रालय के लारेल और टार्डी दोनों ही यहाँ बैठे हुए हैं — किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। (**व्यवधान**) इसी बीच, भौतिकी के एक प्रोफेसर ने यह सोचा कि वह अन्य सभी सदस्यों के साथ दूरस्थ नियंत्रण के सहारे चल सकता है। अतः उसने परामर्श दात्री समिति की बैठक बुलाई। उस समय उसे अन्दर लाया जा रहा था। इसलिए, उसने सोचा कि उसे वहीं रह कर दूरस्थ नियंत्रण द्वारा संचालन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहां देश अनिश्चितता की पृष्ठभूमि, परस्पर दोषारोपण की पृष्ठभूमि में बैठे हुए हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ — क्या यह जिम्मेदार सरकार है ? और जब बहस चल रही थी श्री बनातवाला ने बतलाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने संविधान के अनुच्छेद का किस तरह उल्लंघन किया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यही व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री मति पार्वती कृष्णन् : महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। (**व्यवधान**)

अतः हम संविधान के अन्तर्गत एक मौलिक कर्त्तव्य, अर्थात अधिकाधिक सद्भावना उत्पन्न करने का कार्य करने में सफल नहीं हुए हैं। यह दुखद और हास्यास्पद स्थिति उसी पृष्ठभूमि का परिणाम है। मैं नहीं जानती कि इसे क्या कहा जाहै। (**व्यवधान**) देश के लिए यह एक दुख

की बात है। उनके लिए यह कामेडी है, क्योंकि वे दिनों-दिन अपने अभिनय, कामेडी तथा अन्य झगड़ों में भाग ले रहे हैं। डा० मुरली मनोहर जोशी आकर अपनी कमीज तो इस तरह दिखा सकते हैं लेकिन वह आकर यह नहीं देख सकते कि उन्हीं के लोग इस संशोधन के पक्ष में मत देते हैं। वे इसी नरह का मिथ्याचार कर रहे हैं। हमें इसपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप इस मामले पर कुछ प्रकाश डालें।

श्री गोरी शंकर राय (गाजीपुर) : मान्यवर, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके लिए किसी को गर्व नहीं है यह बात सही है। कि सदन के नेता जो हैं, उनको अपनी पार्टी के भीतर इस बात का इन्तजाम करना चाहिए कि गैर-हाजिरी न हो। गैर-हाजिरी क्यों हुई ?...(**व्यवधान**) जरा आप सुन लीजिए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि सभी लोगों ने वोटिंग नहीं की। आप जरा परसेन्टेज आफ वोट्स डिफ्रेन्ट पार्टीज के देख लीजिए। हमारे अपोजीशन के लोग जो यहां मौजूद थे, वे भी बाहर चले गये और फिर बाहर से आए और ये कहते हैं कि हम एन्थूजियेस्टीकली इस को सपोर्ट करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, मेरी जरा सुन तो लीजिए। ये कितने लोग यहाँ बैठे थे और उनमें से कितने बाहर चले गये ? ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, यह इस्तीफा देने का सवाल नहीं है। इस सवाल पर सरकार इस्तीफा देकर बनातवाला जी और दूसरे लोगों के हाथ में हुकूमत देने वाली नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ हुआ है वह हमारे लिए कोई सीख देने वाली बात नहीं है। यह चूक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि .....

श्री दीनेन भट्टाचार्य : खेदजनक

श्री मोरारजी देसाई : खेदजनक, आप जितने विशेषण चाहें लगा सकते हैं, मैं उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इस चेतावनी को हम अवश्य ही स्वीकार करेंगे। लेकिन, उस पर सदन का समय नष्ट करना क्या उचित है ? मैं केवल यही जानना चाहता हूँ।

यह कहना कि इस पर सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए—निरर्थक है...(**व्यवधान**)... ऐसा नहीं होगा ...(**व्यवधान**)...मुझे बहुत अफसोस है। मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि जब हमने गणना की.....

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अभी-अभी आए हैं, आप यहाँ तब उपस्थित नहीं थे।

श्री मोरारजी देसाई : मतदान हो जाने के बाद भी जब मैंने यहां सदस्यों की गणना की, यहाँ तक वे कम से कम 230 थे जबकि अन्य व्यक्तियों को नहीं गिना गया। मशीन में कुछ खराबी थी ...(**व्यवधान**)...

श्री बी० शंकरानंद : नहीं।

श्री मोरारजी देसाई : मैं उस समय उस बात को उठाना नहीं चाहता था क्योंकि दरवाजे खोल दिए गए थे, और मैं ऐसा नहीं कह सका, इसीलिए मैं इसके बारे में नहीं बोला। यह अवश्य

[श्री मोरारजी देसाई]

ही खेद की बात हैं, मैं यह नहीं कह सकता कि जो कुछ हुआ है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन वह कहना सही नहीं है कि ऐसा करने का प्रयास जानबूझ कर किया गया और जिस व्यक्ति ने वह बात कही उसके लिए वह शोभनीय नहीं था...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं काफी सुन चुका हूं। दो मुद्दे उठाए गए हैं ...(व्यवधान) ..

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : विशेष सत्र होना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी सदस्यों की पर्याप्त संख्या: जुटाने में असफल रही है...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी पार्टी के सदस्यों को बोलने का मौका दे चुका हूं, कृपया बैठ जाएं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं कहना चाहता हूं कि... ××

अध्यक्ष महोदय। नहीं; मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। बार-बार वही बात दोहराई जा रही है। कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :..... ××

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के दो सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पिछले एक अवसर पर, संविधानिक संशोधन पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना सुझाव दे चुके हैं ...(व्यवधान)... मैं नहीं जानता कि क्या इस पर बहस होनी चाहिए ; प्रस्ताव विफल हो गया है, उसके बारे में अब कुछ नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहा हूं ; मैं अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे कार्य-सूची का अगला विषय लें ...(व्यवधान)...

श्री जी० एम० बनातवाला : अगला विषय नहीं लिया जा सकता ? आप निर्णय कीजिए और अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उनको भी बोलने का उतना ही अधिकार है जितना आपको है ; उन्हें बोलने दीजिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : ऐसा प्रतीत होता है कि खेल खत्म हो जाने के बाद ; वास्तव में अस्थायी तौर पर हार हो ही गई है, इसके बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए, कोई यांत्रिक खराबी नहीं हो सकती जब सदस्य अपने स्थानों पर खड़े नहीं हुए और उन्होंने अध्यक्ष महोदय को यह नहीं बताया कि यांत्रिक खराबी के कारण उन्हें नहीं गिना गया है, परन्तु यह बात शेष रह जाती है कि संसदीय कार्य मंत्री को हार्दिक खेद व्यक्त करना चाहिए था। प्रधान मंत्री ने वास्तव में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई कमी पूरी कर दी है और हमें वास्तव में इस सारे कार्य-

×× कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

निष्पादन पर शर्म महसूस हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं, जैसा माननीय महिला सदस्य ने कहा है कि कल जब हमने पार्टी-चुनावों के लिए मत दिया था तो हम 272 सदस्य उपस्थित थे और आज भी हम उतनी उपस्थिति का प्रबन्ध कर सकते थे। हमें इसका हार्दिक खेद है और हम इसके लिए शर्मिन्दा हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि और समय नष्ट न करें, दूसरा शून्य-काल न बनाएं और अगला विषय लें।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे एक दोहरा अनुरोध करना है।

सबसे पहले मैं इसके लिए हार्दिक खेद व्यक्त करता हूं कि मैं यहां उपस्थित नहीं हो सका। मेरे संसदीय जीवन में यह पहला अवसर है कि मैं मत विभाजन के समय उपस्थित नहीं हो सका हूँ।

अध्यक्ष महोदय : वही कारण रहा होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहता हूं और महोदय, आपसे मैं यह निवेदन करता हूँ कि कि मत-विभाजन की घन्टी के बजने और दरवाजों के बन्द होने के बीच साढ़े तीन मिनट से अधिक समय का अन्तर होना चाहिए। जैसे ही मैंने अपने कमरे में घन्टी की आवाज सुनी, कल अन्तिम दिन है और समिति के सभापति की हैसियत से मुझे समापन करना था .....

श्री जी० एम० बनातवाला : आज अन्तिम दिन है.....

श्री हरि विष्णु कामत : कल सत्र का अन्तिम दिन है।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह विधेयक तो गिर चुका है।

श्री हरि विष्णु कामत : जैसे ही मैंने घन्टी की आवाज सुनी मैं कमरे के बाहर आ गया। मुझे लिफ्ट के पास रुकना पड़ा क्योंकि लिफ्ट समय पर इधर नहीं आई। मैं तीसरी मंजिल से नीचे आया। लिफ्ट दूसरी मंजिल पर रुकी और उसके बाद पहली मंजिल पर रुकी.....

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण है।

श्री हरि विष्णु कामत : दरवाजों को बन्द पाकर मुझे आश्चर्य हुआ। और मैंने देखा कि मेरे दो साथी बाहर बैठे हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं प्रत्येक सदस्य से स्पष्टीकरण मांगूँ ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत आप अपना सुझाव पहले ही दे चुके हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा सुझाव यह है कि 1964 में ...(व्यवधान)...

श्री जी० एम० बनातवाला : कृपया विनिर्णय दें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात पहले ही सुन चुका हूँ।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी (गोपाल गंज) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय यह पहली घटना नहीं है जो यहां इस हाउस में हुई है। इसके पहले भी पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय भी दो दो मर्तबा कांस्टीट्यूशनल एमेंडमेंट फेल किया है।

[श्री द्वारिका नाथ तिवारी]

पूरी उपस्थिति के अभाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय भी दो दो मर्तबा फेल किया है। आज भी फेल हुआ है। तो काई नई बात नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तख्ता ही उलट दिया जाए। यह कोई नई बात नही है। ऐसे होता रहा है। इसलिए हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे आगे दो बातें रखी गई हैं। एक यह है कि मतदान मशीन खराब हो गई थी। मतदान के तत्काल बाद ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह सोचा जाए कि मतदान मशीन खराब हो गई थी।

दूसरी आपत्ति यह उठाई गई है कि चूँकि सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए बहुमत हासिल नहीं कर सकी, इसलिए सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए। मुझे इस कथन में कोई तथ्य नहीं नजर आता। ... **(व्यवधान)...**

श्री जी० एम० बनातवाला : इसमें सारे तथ्य हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय···

अध्यक्ष महोदय : इस कथन में कोई तथ्य नहीं है। सरकार को सदन में हमेशा बहुमत अवश्य होना चाहिए। इस मतदान में भी सरकार का सदन में बहुत अधिक बहुमत था। इसलिए, सरकार को त्यागपत्र देने के लिए कहने का कोई प्रश्न नहीं है।

अब मैं अगले विषय लोकपाल विधेयक, 1977, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित को लेता हूँ।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक वाक्य बोलना है ... **(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ, अब और कोई वाक्य नहीं .....

विधेयक के तीनों चरणों के लिए गए केवल आठ घंटे आवंटित किए गए हैं। यदि सदन सहमत हो तो हम 5 घन्टे सामान्य बहस में लगाएंगे, 2 घन्टे खण्ड-प्रति-खण्ड पर विचार करने में लगाएंगे और एक घन्टा तृतीय वाचन में लगायेंगे।

श्री के० लकप्पा : हम बाहर जा रहे हैं।

(श्री के० लकप्पा और कुछ अन्य सरस्य सदन से बाहर चले गए)

श्री जी० एम० बनातवाला : विरोध में .....

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला मैंने आपकी बात पूरी तरह सुन ली है। ... **(व्यवधान)...**

श्री जी० एम ० बनातवाला : हम विरोध में सदन से बाहर जाना चाहते हैं। विरोध में हमारे चले जाने को कार्यकारी वृत्तान्त में दर्ज करने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, मैं इसकी अनुमति नहीं देता, दर्ज नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री जी० एम० बनातवाला : ××

(तब माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये)।

लोकपाल विधेयक

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूँ कि सदन इससे सहमत होगा। तीनों चरणों के लिए 8 घन्टे निर्धारित किए गए हैं। यदि सदन सहमत हो तो 5 घन्टे समान्य बहस के लिए दिए जाएंगे 2 घन्टे खण्डप्रति-खण्ड पर विचार के लिए दिए जाएंगे और एक घन्टा तृतीय वाचन के लिए दिए जाएंगे। अब मंत्री महोदय बिल पेश करेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय व्यवस्था-संबंधी एक आपत्ति है। सदन यह जानना चाहता है कि क्या यह समय कार्य सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। किसने समय निर्धारित किया है ? नियमों के अन्तर्गत कार्य-सलाहकार समिति ने बैठक में समय निर्धारित करना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सदन को यह मान लेने के लिए कह रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : हमने इसे माना नहीं है। यह अध्यक्ष महोदय द्वारा केवल बताया गया है। सदन ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

नियम 288, जो कार्य-सलाहकार समिति के बारे में है, कहता है :

"यह समिति का कार्य होगा कि वह उन सरकारी विधेयक और अन्य कार्यों के, जिन्हें अध्यक्ष महोदय सदन के नेता से परामर्श करके समिति को भेजें, किसी चरण या चरणों पर बहस के लिए समय आवंटित करने के बारे में सिफारिश करेंगी।"

अभी हमें कार्य-सलाहकार समिति की इस बारे में रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। मुझे यह मालूम नहीं है कि आप उस समय मौजूद थे या नहीं। मैंने पहले भी यह प्रश्न उठाया था कि क्या लोकपाल विधेयक के लिए समय आवंटित कर दिया गया है और यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि उस विधेयक के इस सत्र में आने की कोई संभावना नहीं है और इसलिए हम इसके बारे में अगले सत्र में देखेंगे जब यह पेश किया जाएगा। मैंने विशेष रूप से यह पूछा था कि इसे क्या प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च प्राथमिकता।

×× कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत, मुझे यह बताया गया है कि यह समय कार्य मंत्रणा समिति ने आवंटित किया है।

श्री हरि विष्णु कामत : कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट कहाँ है ? यह सदन में कब रखी गई थी ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह समय कार्यमंत्रणा समिति ने आवंटित नहीं किया है। कार्य मंत्रणा समिति ने समय आवंटित किया था और इसीलिए इसे पढ़कर सुनाया गया था। शायद आपने वह रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। यह कार्य मंत्रणा समिति की दिनांक 2 अगस्त, 1978 की इक्कीसवीं रिपोर्ट में है।... (व्यवधान)...

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : यह पिछले वर्ष की रिपोर्ट है और आप हमें इसके बारे में अब बता रहे हैं। यह व्यपगत हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे यह पिछले वर्ष की है या इस वर्ष की, पर विधेयक वही है। विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और कार्य-मंत्रणा समिति ने उसी विधेयक पर बहस के लिए समय आवंटित किया है। इससे स्थिति में क्या फर्क पड़ता है ? ...(व्यवधान)...

प्रो० पी० जी० मावलंकर : सत्र समाप्त हो जाने पर प्रत्येक चीज व्यपगत हो जाती है। अगले सत्र के लिए नई रिपोर्ट होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि मैं इसे सदन के समक्ष रख दूंगा। क्या सदन इस सुझाव से सहमत है कि विधेयक के तीनों चरणों के लिए 8 घन्टे का समय आवंटित किया जाए। यदि सदन को मान्य हो तो हम 5 घन्टे सामान्य बहस के लिए 2 घन्टे खण्ड-प्रति-खण्ड पर विचार के लिए और एक घन्टा तृतीय वाचन के लिए रख सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : हां।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ वाले जीत गए।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं वाले जीत गए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में मुझे मत-विभाजन करवाना पड़ेगा।

संसदीय तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि वस्तुतः हम किस विषय पर मतदान कर रहे हैं। क्या माननीय सदस्यों की ओर से कोई निश्चित प्रस्ताव है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा कि हम किस लिये मतदान कर रहे हैं। गृह मंत्री लोकपाल विधेयक को प्रस्तावित करने वाले थे और मैंने एक प्रस्ताव पढ़कर सुनाया था कि विधेयक के तीन चरणों के 8 घण्टे आवंटित किए जायें और यदि सभा इसे स्वीकार करती है तो

हम 5 घण्टे तो आम चर्चा के लिये रखलें और दो घण्टे खण्ड-वार विचार के लिये तथा एक घण्टा तीसरे पाठ के लिये। कार्यमंत्रणा समिति ने यह प्रस्ताव किया था ...(व्यवधान)... यह प्रस्ताव अगस्त, 1978 में किया गया था जबकि लोकपाल विधेयक पर यहां सबसे पहले चर्चा की जानी थी। इसलिए, उसी समय समय का आवंटन संबंधी ब्यौरा यहां पढ़कर सुनाया गया था, परन्तु श्री कामत तथा श्री पी० जी० मावलंकर ने इस पर आपत्ति की थी तथा उन्होंने कहा था : "नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं।" अत : हम मत विभाजन के लिये बाध्य हुए हैं। परन्तु अन्य कोई प्रस्ताव भी नहीं जो मैं आपको बता सकूं।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : श्रीमन्, मैं ने एक प्रस्ताव पेश किया है। मैंने एक प्रस्ताव दिया है श्रीमन्।

श्री रविन्द्र वर्मा : जैसा कि स्पष्ट दिया गया है होशंगाबाद के माननीय सदस्य ने समय बढ़ाने के बारे में कोई निश्चित प्रस्ताव पेश नहीं किया है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है कार्य मंत्रणा समिति ने निश्चय ही एक प्रस्ताव किया था जिसकी सभा ने सिफारिश भी की है। सभा प्रभुसत्ता प्राप्त है। यदि वह समय को 8 से 10 घण्टे अथवा 12 घण्टे तक बढ़ाना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु समय को 8 घण्टे से 10 घण्टे अथवा 12 घण्टे तक बढ़ाने का कोई निश्चित प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम इस स्थिति में हैं कि इस विषय में मत विभाजन कर रहे हैं। पहले तो आपको इस प्रस्ताव को मतदान द्वारा अस्वीकृत करना होगा। हम लाबी पहले ही खाली करा चुके हैं।

श्री रविन्द्र वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तथा दूसरे चरण के लिये समय के बारे में मतविभाजन का प्रश्न तो तब उठेगा जबकि हमारे पास 8 घण्टे की अधिकतम समय सीमा न हो। यदि आप 8 घण्टे की अधिक सीमा को हटाने का निर्णय करते हैं तो फिर इस समय को 5 घण्टे, 2 घण्टे तथा एक घण्टे में विभाजित करने का प्रस्ताव तो रद्द हो जाता है। इसलिये, मैं सुझाव दूंगा कि इस समय को बढ़ाकर 10 घण्टे या 12 घण्टे कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप 10 घण्टे पर सहमत हैं तब तो ठीक है। परन्तु श्री डी० एन० तिवारी की ओर से एक विशिष्ट प्रस्ताव आया है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमन्, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठा रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं अपने सामने रखी सामग्री पढ़ नहीं लेता तब तक व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। किस बात पर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री जी एम० बनातवाला : निवेदनों पर.....

उपाध्यक्ष महोदय : निवेदनों पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। बनातवाला साहब, अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। मुझे प्रस्ताव पढ़ने दीजिये...(व्यवधान) कृपया बैठे जाइये। अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपका कोई कथन कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री तिवारी की ओर से एक प्रस्ताव है कि विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करने के लिये कम से कम 12 घण्टे दिये जाने चाहिये—'कम से कम' नहीं' आप इसे निश्चित रूप से 21 घण्टे कर दीजिये। अत: यह एक विशिष्ट प्रस्ताव है अर्थात.....

श्री जी० एम० बनातवाला : यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। लाँबी खाली हो जाने के पश्चात हमें मतदान के लिये कहा जाता है और अब प्रस्ताव आ रहे हैं ...(**व्यवधान**)... मैंने इसी बात पर विशिष्ट रूप से व्यवस्था का प्रश्न उठाया था परन्तु आप उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बनातवाला साहब, हां, एक विशिष्ट प्रस्ताव जो उस घोषणा के साथ आया है जिस पर हम मतदान कर रहे हैं। यदि इसे मतदान द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो फिर सभा के सामने अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है। आप क्या करेंगे ? इसी लिये एक विशिष्ट प्रस्ताव है इस कथन के बाद आता है जो मैंने अभी यहां पढ़ा है। यदि यह स्वीकार्य है तो इस पर मतविभाजन करना होगा। इसीलिये यह एक विशिष्ट प्रस्ताव है, हम एक विशिष्ट प्रस्ताव पर मतदान करते हैं और इसी कारण मैंने उक्त प्रस्ताव पढ़कर सुनाया है और अब जो सदस्य श्री तिवारी के प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हां कह दें ...(**व्यवधान**)... वह 12 घण्टे पर सहमत हो गये हैं।

श्री सुकमदेव नारायण (मधुबती) : यह कैसे होगा ? जो आपने विभाजन की घण्टी बजा दी तो जिस प्रस्ताव पर घण्टी बजी उसी प्रस्ताव पर वोटिंग हो गयी।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रस्ताव नहीं था। प्रस्ताव तो अभी आया है। यह तो केवल एक प्रस्ताव था। ...(**व्यवधान**)...

श्री डी० एन० तिवारी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

> "लोकपाल विधेयक, 1977 पर विचार तथा उसे पारित करने के लिए' आवंटित समय को जैसाकि संयुक्त समिति ने प्रतिवेदित किया है, बढ़ाकर बारह घण्टे कर दिया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"लोकपाल विधेयक, 1977 पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये आवंटित समय को, जैसाकि संयुक्त समिति ने प्रतिवेदित किया है, बढ़ाकर बारह घण्टे कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अत: हम इस के लिये 12 घण्टे आवंटित करते हैं। अब श्री पटेल !

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं बड़े आदर के साथ आपसे तथा सभा से यह निवेदन कर रहा हूँ कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है और साथ ही अत्यन्त विवादास्पद भी है। हम इस पर पूरी तथा उचित ढंग की चर्चा चाहते हैं, टुकड़ों में नहीं। आज तो डेढ़ घण्टा भी उपलब्ध नहीं है। और कल की स्थिति अनिश्चित है। फिर सात सप्ताह से भी अधिक समय का अन्तराल

पड़ जायेगा। अतः भारी चर्चा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि विधेयक पर चर्चा को अगले सत्र के लिये स्थागित कर दी जाये और अगले सत्र में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे दी जाये ताकि हम आज अन्य कार्य निपटा सकें। यह मेरा अनुरोध तथा निवेदन है। हम इस मामले में विलम्ब नहीं करना चाहते परन्तु अन्तिम दिन सायं पांच बजे इस पर चर्चा आरंभ करना ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित ढंग से चर्चा करना नहीं लगता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं श्री चटर्जी की अपील का समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी का एक सुझाव है कि विधेयक को आज पुरःस्थापित न किया जाए बल्कि अगले सत्र में किया जाये आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री श्री एच० एम० पटेल : स्वयं माननीय सदस्यों ने ही लोकपाल विधेयक को इसी सत्र में पेश करने पर जोर दिया था। हमने कहा हम कर देंगे और तदनुसार मेरा सुझाव है कि हम इसे पूरा कर डालें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 12 घण्टे आवंटित किये गए हैं इसे पारित नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा ने 12 घण्टे आवंटित किये हैं। अतः हमें 12 घण्टे निकालने होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक अत्यन्त न्यायोचित प्रस्ताव है। मैं नहीं जानता कि वे क्यों सहमत नहीं हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक तीर से दो शिकार नहीं कर सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वह प्राथमिकता की बात करते हैं, लेकिन विधेयक के लिए प्राथमिकता समाप्त हो चुकी है। सरकार सदस्यों को उपस्थित होने की व्यवस्था न कर सकी।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : गृह मन्त्री एक घण्टा बोलने के लिए बाध्य है बरहाल समझने के लिए हमें उनका भाषण पढ़ना पड़ेगा। अतः, आज उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूँ :

> "कि संयुक्त समिति द्वारा यथासूचित जनसेवकों के खिलाफ अवचार के अभिकथनों की जांच-पड़ताल करने हेतु लोकपाल की नियुक्ति करने की व्यवस्था करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

विधेयक पर बोलने से पहले, मैं माननीय सदस्यों से संयुक्त समिति की रिपोर्ट में प्रकाशित विधेयक में शुद्धि करने का अनुरोध करना चाहूँगा। खण्ड-26, जो अनजाने में पतले टाइप में मुद्रित हो गया है, को मोटे टाइप में मुद्रित समझा जाए, क्योंकि यह धनराशि के व्यय से सम्बन्धित है।

(श्री एच० एम० पटेल)

जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे, वर्ष 1966 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिकों से मन्त्रियों और सचिवों के विरुद्ध कुप्रशासन के परिवादों और उनकी भ्रष्टाचार के अभिकथनों को प्राप्त करने और जांच-पड़ताल करने के लिये लोकपाल की संस्था की सिफारिश की थी, जिसका मूल उद्देश्य प्रशासन में सर्वोच्च दर्जे की निष्ठा प्राप्त करना और इसे जनता के अनुकूल बनाना था। यद्यपि तत्कालीन सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश के अनुक्रम में वैधानिक प्रस्तावों पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी, लेकिन कुछ ऐसे कारणों की वजह से, जिनके विषय में वे ही जानते हैं, वे इन प्रस्तावों को सांविधिक ग्रंथ पर लाने में असफल रहे। जनता पार्टी इस उपाय पर अमल करने के लिये वचनबद्ध है, ताकि लोकपाल की संस्था के माध्यम से देश में स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराया जा सके। तदनुसार इस सरकार ने जनसेवकों के खिलाफ अवचार के अभिकथनों की जाँच-पड़ताल के लिए लोकपाल संस्था की स्थापना हेतु 28 जुलाई, 1977 लोकपाल विधेयक, 1977 का पुरःस्थापन किया। यह विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया और समिति ने जुलाई, 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने विधेयक पर काफी मेहनत की और उसमें अनेक सुधार किए। दो मुद्दे ऐसे हैं, जिनके विषय में हम समिति द्वारा किये गए संशोधनों में सहमत नहीं हैं।

पहला मुद्दा तो यह है कि समिति ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में इस विचार से शामिल नहीं किया कि केन्द्रीय सरकार को सामान्यतः राज्यों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले कार्यों में दखल नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ सदस्यों ने अपनी विसम्मति की टिप्पणियों में यह अनुरोध किया था कि मुख्यमंत्रियों को सम्मिलित करने से छोड़ते नहीं जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को वे आधार सूचित करना चाहता हूँ, जिनके कारण संसद में पेश किये गए विधेयक में मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल की संस्था की स्थापना का विचार प्रस्तुत करने से भी पहले अनुभवी श्री के० सन्तानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार रोकथाम सम्बन्धी समिति ने अक्तूबर 1966 में प्रस्तुत अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में मन्त्रियों के लिए आचरण संहिता बनाने की सिफारिश की थी, जिसके अन्तर्गत मुख्यमंत्रियों के खिलाफ परिवादों की जांच-पड़ताल करने का प्राधिकार प्रधानमंत्री/गृह मन्त्री को दिया गया था। सन् 1964 में इस समिति की सिफारिशों पर मन्त्रियों के लिए बनाई गई आचरण-संहिता को मुख्यमंत्रियों के बहुमत ने स्वीकार किया था और बिना कोई संशोधन किए उसका तब से अब तक अनुपालन किया जा रहा है। यही तथ्य दर्शाता है कि प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों के खिलाफ परिवादों की जांच-पड़ताल करने की प्रणाली ने जनता में विश्वास पैदा किया है। तत्पश्चात्, प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय विधेयक द्वारा लोकपाल की ऐसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की है जिसके अधिकार में केन्द्रीय और राज्य दोनों प्रकार के मन्त्री आते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रोवर जांच आयोग की स्थापना के खिलाफ कर्नाटक राज्य द्वारा अनुच्छेद 131 के अन्तर्गत डाले गए बाद में उच्चतम न्यायालय के हाल में दिए गए निर्णय ने इस बारे में केन्द्र-राज्य सम्बंध से सम्बद्ध मामले का निपटारा कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के शब्दों में :

'...मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ऐसा कोई संघवाद का सिद्धांत नहीं पाया जा सका जिससे सरकारी शक्तियों के प्रत्यायोजन में किए गये कथित अपकारों के सम्बंध में राज्य सरकारों के मन्त्रियों के विरुद्ध जांच सहित हर प्रकार की जाँच के सम्बन्ध में संसद को स्पष्ट रूप से प्रदत्त कानून बनाने की शक्तियों को निहित रूप से समाप्त किया जा सका हो।"

एक मुख्यमंत्री के खिलाफ अभिकथनों की जांच-पड़ताल के लिए जांच आयोग की नियुक्ति करने की केन्द्रीय सरकार की सक्षमता अक्षुण्ण रहेगी और यदि ऐसी सम्भावना होती है कि मुख्य मंत्रियों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में न लाया जाए, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ अभिकथनों की जांच-पड़ताल के लिए जब कभी आवश्यकता पड़ी केन्द्रीय सरकार जाँच आयोग अधिनियम का सहारा लेगी। अतः सरकार यह अनुभव करती है कि यही उचित रहेगा कि राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ, संयुक्त समिति के दृष्टिकोण को अनुभव करते हुए सरकार का यह व्यवस्था करने का विचार है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अभिकथन के मामले में राज्य का मुख्यमंत्री "सक्षम प्राधिकारी" होगा, अथवा यदि राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषणा प्रभावी हो तथा राज्य का कोई मुख्यमंत्री न हो, तो राज्य का राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होगा। यह भी प्रस्तावित हुआ है कि लोकपाल किसी ऐसी विशेष रिपोर्ट, जो उसने तैयार की हो, की प्रति अथवा राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवाद से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट के किसी अंश को सम्बंधित राज्य के राज्यपाल को अग्रसरित करेगा और राज्यपाल राज्य विधान मंडल के सम्मुख इसे सभा-पटल पर रखवाने की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार जब कि लोकपाल को मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अवचार के परिवादों की जांच-पड़ताल करने का अधिकार मिलता है, वही राज्य विधान मण्डल ऐसी जांचों के बारे में मुख्यमंत्रियों के उत्तरदायित्व के अभ्यस्त हो जाएंगे। मैंने पहले ही इस सम्बन्ध में उचित संशोधनों का नोटिस दे दिया है और मैं आशा करता हूं कि यह सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा।

अगला मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ परिवादों के सम्बंध में सभा के अध्यक्ष को इस विचार से 'सक्षम प्राधिकारी' बनाया गया है कि यह न्यायशास्त्र और सहज न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होगा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपने मामले में अपने कृत्यों के निर्णायक की भूमिका निभाए। हालांकि इस तर्क में पर्याप्त बल है, लेकिन साथ ही अनुभव करते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ परिवादों के सम्बन्ध में अध्यक्ष के 'सक्षम अधिकारी' बन जाने से अध्यक्ष के उच्च सम्मान की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसका निर्णय लोकपाल की संवीक्षा के अधीन होगा और इसकी संसद में भी आलोचना भी हो सकती है।

मैं कह सकता हूँ कि अध्यक्ष सरकार के तंत्र से बाहर है और उन्हें लोकपाल की व्यवस्था के अन्तर्गत लाना वांछनीय नहीं होगा। संयुक्त समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद हमने इस प्रश्न पर आगे विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उचित मार्ग यही

[श्री एच० एम० पटेल]

होगा कि यह व्यवस्था की जाये कि वर्तमान प्रधानमंत्री के मामले में लोकसभा सभी प्रयोजनों के लिये 'सक्षम प्राधिकारी' होंगी। इस विशेष प्रक्रिया का हम इसलिये प्रस्ताव कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले व्यक्ति के मामले कोई और ऐसा व्यक्ति अथवा निकाय नहीं है जो कार्यवाही कर सके। तथापि, ऐसे प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायत के मामले में, जो पद पर नहीं है, पद पर कार्य करने वाला प्रधानमंत्री 'सक्षम प्राधिकारी' होगा। मैंने इस सम्बन्ध में उपयुक्त संशोधन पेश करने के लिए तदनुसार सूचना दी है।

समिति ने भी कतिपय संशोधन किये हैं जिन्हें सरकार विधायकों तथा उन कार्यों जिन्हें वे जनता के प्रतिनिधियों के रूप में करते हैं तथा उनके अधिकारों और निरापद्ता को देखते हुए स्वीकार करती है। ये हैं :

प्रथमत:, संसद सदस्यों के विरुद्ध परिवादों के मामले में 'सक्षम प्राधिकारी' विधेयक में ही निर्धारित किया गया है अर्थात लोकसभा के सदस्यों के विरुद्ध परिवादों के मामले में अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सदस्यों के विरुद्ध परिवादों के मामले में राज्यसभा के सभापति। जहाँ शिकायत अध्यक्ष के विरुद्ध हो वहां उस मामले में सक्षम प्राधिकारी लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा।

दूसरे विधायकों के मामले में 'कदाचार' की परिभाषा को संकुचित कर दिया गया है और उसका क्षेत्र मुख्यतया भ्रष्टाचार के कार्यों तक सीमित कर दिया गया है और किसी विधायक द्वारा 'कदाचार' तब ही किया हुआ माना जाएगा जब वह स्वयं के लिए किसी बहुमूल्य वस्तु अथवा आर्थिक प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से प्राप्त करने हेतु विधायक के रूप में अपनी हैसियत का दुरुपयोग करता है अथवा अपनी हैसियत का दुरुपयोग जानबूझकर होने देता है।

तीसरे, किसी विधायक के विरुद्ध शिकायत सीधे लोकपाल के समक्ष दायर नहीं की जायेगी और उसे पहले सम्बन्धित 'सक्षम प्राधिकारी' को प्रस्तुत किया जायेगा। परिवाद प्राप्त होने पर 'सक्षम प्राधिकारी' उसकी जांच करेगा और यदि, परिवाद में किये गए आरोपों के स्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 105 के उपबन्धों तथा सभी परिस्थितियों को देखने के बाद उसकी जाँच लोकपाल द्वारा करवाया जाना ठीक समझता है तो वह उसे लोकपाल के पास भेज सकता है अथवा उस पर ऐसे ढंग से कार्यवाही कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।

चौथे, किसी विधायक के विरुद्ध परिवाद के सम्बन्ध में की जाने वाली जाँच का सूचना की स्थिति अथवा निष्कर्षों की घोषणा तक कोई प्रचार नहीं किया जाएगा तथा उसे गुप्त रूप से किया जयेगा क्योंकि किसी भी समय पूर्व प्रचार से उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचेगी।

मेरे विचार में इन रक्षोपायों से विधायकों के हितों पर पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जायेगा। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विधेयक के उस उद्देश्य, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दिया गया है, की ओर दिलाना चाहता हूँ जो उच्च राजनीतिक स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या से उत्पन्न समस्या का मुकाबला करने के लिये प्रभावी साधन की व्यवस्था करने हेतु,

लोकपाल की संस्था बनाने के लिये है। किसी भी संसद सदस्य की राजनीतिक तंत्र में बहुत ऊंची हैसियत होती है और अपनी हैसियत के कारण शक्ति और अधिकार की स्थिति में मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों तक उसकी पहुँच होती है। यदि केवल मंत्रियों को ही सम्मिलित किया जाए तो राजनीतिक तंत्र का बहुत बड़ा भाग छूट जाता है। अतः सरकार गंभीरतापूर्वक महसूस करती है कि उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि वह अन्तराल, जिसे इस विधान द्वारा कानून बनाया जाना है दूर करने का विचार किया गया है वह उस सीमा तक अपूर्ण रह जाये।

अन्त में, मैं सभा को सूचित करना चाहूँगा कि हमारा विचार एक नया उपबंध जोड़ने का है जो उस समय नहीं था जब संयुक्त समिति ने विधेयक पर विचार किया था। यह उपबन्ध लोकपाल को, किसी विशेष अपराध अथवा मामलों, जो लोकपाल द्वारा जांच के विषय भी हैं, में पुलिस द्वारा की जाने वाली जाँच को उस अवधि तक रोकने हेतु शक्ति प्रदान के लिए जितनी वह आवश्यक समझे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब लोकपाल का कोई परिवाद किये जाने से पहले ही पुलिस द्वारा जांच किये जाने हेतु कोई मामला दर्ज कर लिया गया हो अथवा उसी मामले के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी हो। कानूनी तौर पर एक साथ दो जांच कार्यवाहियाँ चलने पर कोई रोक नहीं है परन्तु जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया है उसके लिए यह उचित नहीं होगा क्योंकि उसे एक प्राधिकारी के समक्ष अपने बचाव को प्रकट करना होगा और इससे अन्य कार्यवाही में उसके साथ पक्षपात किया जा सकता है। लोकपाल की स्कीम, जो जनसेवकों के विरुद्ध कथित मामलों के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए एक फोरम की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिये है, का उद्देश्य, विधि के अन्तर्गत अथवा अन्यथा कोई कार्यवाही किये जाने से पूर्व, विफल हो जाएगा यदि पुलिस द्वारा जाँच लोकपाल द्वारा की जा रही जाँच के साथ-साथ चलेगी। यदि समानान्तर जाँच चलती रही तो दस्तावेज सम्बन्धी साक्ष्य, जिनकी लोकपाल तथा पुलिस दोनों को ही एक साथ आवश्यकता पड़ सकती है, के सम्बन्ध में परिचालनात्मक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती हैं।

जब तक लोकपाल को जाँच से सम्बन्धी समस्त सामग्री तक पूरी पहुँच की पर्याप्त शक्ति नहीं दी जायेगी तब तक उसे पत्रों की जांच करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त दोनों ही अधिकारियों द्वारा ऐसे गवाहों से प्रश्न भी पूछने पड़ सकते हैं जो दोनों मामलों में गवाह हों। अतः हम महसूस करते हैं कि लोकपाल तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा एक ही मामले पर एक साथ समानान्तर जाँच नहीं की जानी चाहिये और यह कि उनमें से किसी एक को दूसरे का कार्य पूरा हो जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि लोकपाल द्वारा की जाने वाली जाँच को प्रभावित किए बिना पुलिस द्वारा कोई जाँच की जा सके तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए परन्तु यदि लोकपाल इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उसके द्वारा जिस जांच का आदेश दिया गया है उसमें कठिनाइयां होंगी तो उसे ऐसी जांच पर रोक लगाने का अधिकार होना चाहिये। तदनुसार, मैंने इस सम्बन्ध में उपयुक्त संशोधन की सूचना दी है।

[श्री एच० एम० पटेल]

मैं देखता हूँ कि बहुत से संशोधन दिये गए हैं। इन संशोधनों के अन्तर्गत जो मामले हैं उनमें से अधिकतर मामलों पर संयुक्त समिति की स्टेज के समय विस्तारपूर्वक विचार किया गया और वे स्वीकार्य नहीं पाये गए थे। मेरे विचार में संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक, उन संशोधनों के साथ जिनकी मैंने सूचना दी है, विचाराधीन उद्देश्य का प्रभावी रूप से पूरा करेगा। इसे जटिल अथवा विस्तृत बनाने का कोई भी प्रयास इस उद्देश्य को विफल करने वाला होगा। अतः मैं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने संशोधन दिये हैं अनुरोध करता हूँ कि वे उन पर जोर न दें परन्तु यह देखें कि इस विधेयक को सरकारी संशोधनों के साथ सर्वसम्मत समर्थन मिले और यह उस उद्देश्य को पूरा करे जिसे प्राप्त करने के लिये इस विधेयक इस लक्ष्य है।

महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

प्रो० जी० जी० मावलंकर (गाँधीनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय ने एक बहुत ही विस्तृत विवरण पढ़कर सुनाया है और इसे अच्छा ही समझा जा सकता है परन्तु मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने किसी ढंग से यह स्पष्ट किया है कि सरकार ने संयुक्त समिति की सिफारिशों से अलग हटना कैसे और क्यों उचित उचित समझा परन्तु क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि उनका लिखित विवरण पर्याप्त नहीं है क्योंकि सभा को अभी तक समिति की मुख्य सिफारिशों से सरकार के अलग हटने के पीछे तर्क-आधार के पूरे कारण नहीं मिले हैं। अतः, महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि वह इसे पूरे विस्तार से हमारे समक्ष स्पष्ट करें।

दूसरे, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ; मैं आपको अथवा पीठासीन किसी भी व्यक्ति को तकलीफ देना नहीं चाहता परन्तु मेरा प्रश्न यह है। आपके पद तथा प्रधानमंत्री के पद का भी उल्लेख किया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि वह सही कारण क्या है जिससे सरकार अध्यक्ष के बारे में उपाध्यक्ष से निर्णय दिलवाने की व्यवस्था और प्रधानमंत्री के बारे में लोकसभा द्वारा निर्णय दिलवाने की व्यवस्था चाहती है। मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें। महोदय, चूंकि आप पीठासीन हैं इसलिये मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ···

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पहले ही तकलीफ है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय, मैं चाहूँगा कि जब आप पीठासीन न हों उस समय इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करने के अपने अधिकार का उपयोग करें। अन्यथा, हमें यह कैसे पता चलेगा कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ऊपरी तौर पर इसे देखने से लगता है कि इस पर आगे विचार की आवश्यकता है। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि मैंने जो प्रश्न उठाये हैं उनका पूरा उत्तर देने के लिए आप गृह मंत्री को निदेश दें।

श्री एच० एम० पटेल : हमने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्पष्ट करने की मैंने मांग की थी। स्पष्टीकरण दे दिये गए हैं। यदि वह समझते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है तो मैं निश्चय ही उस समय विस्तारपूर्वक बोलूंगा जब हम उन पर विचार करेंगे। मैंने जो कुछ कहा वह यह था कि मैं यह पूछ रहा था कि जब विधेयक आयेगा···

श्री बी० राजगोपाल नायडू : जब तक वह स्पष्ट नहीं करते, यह संभव नहीं है ।

प्रो० जी० जी० मावलंकर : हम वाद-विवाद में भाग कैसे लेंगे ? हम विवश हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : विवश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो विधेयक आपके समक्ष रखा हुआ है वह ऐसा विधेयक है जो संयुक्त प्रवर समिति से आया है वह उसी रूप में है । मैंने यह कहा था कि सरकार ने कुछ संशोधन प्रस्तुत करना उचित समझा और उन पर अन्य संशोधनों के साथ विचार किया जायेगा । मैं केवल आपके समक्ष यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम यह क्यों महसूस करते हैं कि कुछ संशोधन आवश्यक हैं ।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में जहाँ तक प्रश्न का सम्बन्ध है, यदि मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 96 (1) की ओर दिलाऊं जिसमें कहा गया है कि :

"लोकसभा की किसी बैठक में, अध्यक्ष को हटाने का जब कोई संकल्प···"

प्रो० पी० जी० मावलंकर : वह अलग स्थिति है ।

श्री एच. एम. पटेल : प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव में बेतुकी बात कुछ भी नहीं है । यदि कोई है तो इस बारे में वाद-विवाद करने की छूट है । मैं नहीं समझता कि आप यह क्यों चाहते हैं कि इस स्टेज पर ही सब कुछ बताया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने जो कुछ पेश किया है वह एक ऐसा विधेयक है जो प्रवर समिति से आया है और जो संशोधन वह प्रस्तुत करेंगे वे बाद में आएंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : गृहमंत्री ने अनुरोध किया है कि इस विधेयक को, जैसा कि यह सरकारी संशोधनों संयुक्त से मुक्त प्रवर समिति से प्राप्त हुआ है सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जानीचाहिये । सभा से उनकी यही अपील है । इतनी अधिक बैठकों में भाग लेने केबाद सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है ? सरकार इस विधेयक की पक्षकार है क्योंकि गृहमंत्री उपस्थित थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ये सभी बातें चर्चा के दौरान उठा सकते हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : मेरी समझ में नहीं आता कि वे अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"जनसेवकों के विरुद्ध अवचार के अभिकथन की जाँच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

अब सदन के इस तरफ से कोई और नाम नहीं है·····दुर्भाग्य से, इस तरफ से कोई नाम मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिविष्णु कामत : उधर कोई तैयार ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री युवराज—वह भी अनुपस्थित हैं।

डा० रामजी सिंह—जी, हाँ, वह सदैव उपस्थित रहते हैं।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : आज का दिन इस संसद के लिये एक बहुत ही सौभाग्य-पूर्ण दिन है कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार की गंगोत्री पर ही प्रहार कर रहे हैं। हमारी भूतपूर्व ...और पहले प्रधानमंत्री के सामने भी यह सवाल आया था और उन्होंने अपने जयपुर के आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भी इस पर 1963 में बोलते हुए कहा था कि यह लोकपाल की जो संस्था है यह बहुत अच्छी संस्था है। लेकिन उनको भी इस पर संशय मालूम हुआ था। उन्होंने कहा था :

> "हालांकि लोकपाल व्यवस्था का विचार उन्हें बहुत आकर्षक लगा था, क्योंकि उस अधिकारी को प्रधानमंत्री तक के विरुद्ध आरोपों के बारे में कार्यवाही करने का अधिकार होगा और सभी का सम्मान तथा विश्वास उसे प्राप्त होगा, फिर भी, उन्होंने महसूस किया कि भारत जैसे बड़े देश में ऐसी व्यवस्था आरम्भ करने के मार्ग में बहुत कठिनाइयां हैं।"

पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी तब यह विचार बहुत आकर्षक लगा था। लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि शायद उनमें भी इतना भी साहस नहीं हुआ कि वे इस लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत कर सकें। हो सकता है कि उस समय वह समझते हों कि हमारा जनतन्त्र बहुत ही शैशवावस्था में है और वह इसके लिये तैयार न हो। लेकिन हमको आज इसकी आवश्यक पड़ी है और इसीलिये आज यह लोकपाल बिल आया है। सचमुच में यह जनता सरकार के लिए एक बहुत ही बड़े श्रेय की बात है। मद्रास का बहुत ही विख्यात पेपर हिन्दू लिखता है :

> "संसद में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करके जनता सरकार ने यह दिखा दिया है कि सरकार उच्चतम स्तर से ही भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई प्रशासन के उच्चतम स्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को सारी बुराइयों की जड़ मानते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री सम्मेलन में अपने अभिभाषण मे कहा है कि एक बार यह समाप्त हो जाए तो निचले स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार अपने-आप समाप्त हो जाएगा।"

तो पहली बात यह है कि आज भ्रष्टाचार के निवारण के लिये एक प्रयास किया जा रहा है। और खुशी की बात है कि संयुक्त प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। मैंने ही नहीं बल्कि यहां के कई सदस्यों ने सरकार पर कई बार इसके लिये जोर दिया कि इसको विचार के लिये रखा जाय, और सौभाग्य से यह बिल आज यहां रखा गया। श्री एल. एम. सिंघवी साहब, जिन्होंने लोकपाल पर एक बहुत अच्छी पुस्तक ऐडिट की है, जब यह बिल प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कहा था कि यह बिल 11 वर्ष के पश्चात् इस संसद में आया है और हम इसका स्वागत करते

हैं जब वह लोक सभा के सदस्य थे तो 1963 में एक संकल्प के रूप में वह इसको लाये थे आल इंडिया ला कानफरेंस अगस्त, 1962 में हुई थी और उसने इसका सजेशन दिया था और उसके बाद जब ला मिनिस्ट्री की डिमान्ड पर बहस हो रही थी, जिसका नेतृत्व आजकल हमारे श्री शांति भूषण जी कर रहे हैं, तो श्री सिंघवी ने इस बात की मांग की थी कि लोकपाल बिल को लाया जाय। उन्होंने कहा था कि सचमुच में कोई भी नागरिक आज सरकार में भ्रष्टाचार को प्रभावकारी ढंग से निवारण करने में अपने को असहाय अनुभव करता है। लेकिन अगर यह लोकपाल बिल पास हो जायगा तो वह किसी की मर्जी पर नहीं होगा और वह जाकर के भ्रष्टाचार पर प्रहार कर सकता है।

दूसरी बात यह है, यह ठीक है कि प्रश्न पूछने की बात होती है और मिनिस्टरों को पत्र तक लिखते हैं, लेकिन मैं अपना ही छोटा-सा अनुभव कहता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के कई मामलों को करीब-करीब दो सालों से उठा रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ लाभ नहीं निकल रहा है। और इसीलिये यह आवश्यक है कि यदि यह बिल पास हो जायगा और लोकपाल की नियुक्ति हो जायगी तो हमें जिस पर शंका होगी, अगर हमारे पास प्रमाण होगा, तो हम उसको सशक्त ढंग से प्रभावित कर सकते हैं।

तीसरी बात यह है, लोग कह सकते हैं कि लोकपाल बिल की क्या आवश्यकता है ? क्यों नहीं न्यायालय में चले जायें। लेकिन न्यायालय की व्यवस्था बिल्कुल अपूर्ण रहती है इस माने में कि सब लोग वहां नहीं जा सकते हैं और सारी पेचीदगियों में नहीं पड़ सकते हैं। और पूंजीवादी व्यवस्था में कानून सशक्त के इंटरेस्ट में होता है, वह तो पैसे वालों के लिए है। यही कारण हुआ कि सरकार कमीशन जो बिड़ला पर नियुक्त हुआ था और करोड़ों रु० जिस पर खर्च हुआ लेकिन आखिर में जनता सरकार को उसे समाप्त करना पड़ा क्योंकि बिड़ला के पास पैसे थे, न्यायालय में जाकर अपने आरोपों को बन्द कर सकते थे। इसलिये आवश्यक है कि एक नई संस्था रखी जाय जो भ्रष्टाचार पर गंदा प्रहार कर सके।

चौथा लाभ यह है भ्रष्टाचार के मामले में पार्लियामेंट में कोई प्रभावकारी प्रहार नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिये आज हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर चर्चा होती है तो स्टीफन साहब 10 प्रस्ताव लायें, उसका क्या महत्व होगा ? 60-65 उनके पक्ष में व्यक्ति हैं हम लोग अपने बहुमत से उसको समाप्त कर सकते हैं। इसीलिये सरकारी भ्रष्टाचार के मामले पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती है, और प्रभावकारी नहीं होगा। यही कारण है, यह जनता पार्टी की ईमानदारी का एक प्रमाण है कि आज भ्रष्टाचार की गंगोत्री पर प्रहार हो रहा है। हम लोग तो इस सार्वभौम संसद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आन्दोलन से आये हैं और उनका ख्याल था कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है। अगर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, मोयनिहान की गति पर प्रहार नहीं होगा, ताजमहल, मौर्या और अशोक होटल में जो विदेशी धन की थैली से मोज हो रहे हैं, उस थैली पर प्रहार नहीं होगा, भ्रष्टाचार की गंगोत्री पर प्रहार नहीं होगा तो भ्रष्टाचार की गंगा को हम रोक नहीं सकेंगे। यही कारण है कि जो हमने वायदा किया था, वह आज पूरा किया जा रहा है। इसलिए हर ईमानदार व्यक्ति का हृदय आज सचमुच में उत्फुल है।

[डा० रामजी सिंह]

लेकिन जब श्री सिंघवी साहब यहाँ बिल लाये और यहाँ विचार के लिए रखा तो उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री श्री ए. के. सेन ने नान-कमिटल जवाब दिया। लेकिन मैं बिलकुल तथ्य कह रहा हूँ कि जब श्री ए. के. सेन को उत्तर देना था, तो डा. सिंघवी को भी उन्होंने कहा कि न मैं इसके सम्बन्ध में हाँ कह सकता हूँ और न नहीं कह सकता हूँ। यह उनका नान-कमिटल रिप्लाई था। क्योंकि पिछले 30 वर्ष के प्रशासन में जो ऊपर के स्तर पर थे, वह बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, यही कारण था कि लोकपाल बिल लाने का साहस नहीं किया गया।

उसके बाद श्री पी. बी. गजेन्द्र गडकर कमेटी ने भी रोल आफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक वैलफेयर सोसाइटी के बारे में 15-7-1963 को अपनी रिपोर्ट दी। वह मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने भी इसकी अनुशंसा की कि लोकपाल जैसी संस्था बननी चाहिए। उसके बाद हम जानते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी की भी रिपोर्ट हुई उसमें भी इस बात का इशारा किया गया कि सचमुच में लोकपाल जैसी संस्था बननी चाहिए।

मैं तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री नेहरू जी के व्यक्तित्व का बडा आदर करता हूँ, लेकिन मैं कोई उद्धरण नहीं देना चाहता। नेहरू जी ने भी साहस नहीं किया कि वह इस जनतन्त्र में लोकपाल बिल ला सकें। उसके बाद 1964 में संस्थानम कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी। वह कमेटी आन प्रिवेंशन आफ करप्शन पर बनी थी। उस कमेटी ने भी लोकपाल संस्था बनाने की अनुशंसा की, लेकिन हम सोते रहे। 1964 में संथानम की रिपोर्ट आई, लेकिन आज 1979 है, अब तक वह लोकपाल संस्था नहीं बनाई जा सकी। इसका दोष किसको दिया जायेगा ?

इसलिये आज देश में भ्रष्टाचार जो शिष्टाचार बन गया है, उसका दोष उस समय के सत्ताधारी लोगों को दिया जायेगा। जिन्होंने सत्ता में इसे संरक्षण दिया। जब लोकपाल बिल की बात आती है, तो मैं डा० सिंघवी का स्मरण किये बगैर नहीं रह सकता हूँ। उन्होंने 3-4-1964 को इसी लोक-सभा में रेंज्यूलूशन दिया था, लेकिन उसे उन्हें विदड्रा करना पड़ा, उनको अपना वह संकल्प वापिस लेना पड़ा। 3 अप्रैल, 1964 को उस पर बहस हुई थी फिर 22 अप्रैल 1964 को बहस हुई लेकिन सचमुच में जब संवेदनहीन लोग सरकार में होंगे तो यह कैसे उनकी बात को सुनेंगे। इसलिए डा० सिंघवी को उसे वापस लेना पड़ा। उसके बाद फिर एक वर्ष के बाद यहां पर वह लोकपाल बिल लाये और लोकपाल बिल के सम्बन्ध में एक संकल्प लाये, लेकिन वह सचमुच में अल्पमत में थे इसलिए उन्हें उस समय भी उसे वापिस लेना पड़ा।

यह थोड़ा इतिहास मैं आपके सामने इसलिये रख रहा हूँ कि सचमुच में आज हमारे सामने उस ऐतिहासिक अभाव की पूर्ति हो रही है। लोकपाल बिल कोई भारतवर्ष की संस्था का ही विषय नहीं है, दुनिया के बर्जनों देशों में इसके सम्बन्ध में विभिन्न रिपोर्टें हैं। मैं उसकी ज्यादा चर्चा तो नहीं करना चाहता, लेकिन आज बड़े-बड़े देशों में तो है, लेकिन कहीं छोटे-छोटे देशों भी है जैसे :

> "1953 के डेनमार्क संविधान की धारा 155 के अधीन ऐसे कानून की व्यवस्था की गई जिसके जरिए वहाँ की संसद केन्द्रीय, सिविल और मिलट्री प्रशासन की देख-रेख के लिए दो ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सके जो ससद के सदस्य न हों।"

फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी में यह स्थिति है :

"सशस्त्र सेनाओं के संसदीय आयुक्त (रक्षा आयुक्त) का चुनाव बुडेस्टांग अथवा सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है जो मूल अधिकारों की रक्षा करता है और सशस्त्र सेनाओं पर नियन्त्रण रखने में बुडेस्टांग की मदद करता है वह बूडस्टांग की रक्षा समिति द्वारा उटाए गए मामलों की जाँच करता है

फिनलैंड छोटा सा देश है, किन्तु वहाँ भी आम्बुडज़मैन की प्रथा है । फ्रांस में यह व्यवस्था है :

"मध्यस्थ (मीडिएटर) की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आदेश से की जाती है और वह प्रशासन तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के बीच सम्बन्धों के बारे में प्रशासन सम्बन्धी शिकायतों की जांच करता है। वह संसद सदस्यों द्वारा उसको भेजी गई व्यक्तिगत शिकायतों की ही जांच कर सकता है।"

इज़राइल बिल्कुल छोटा सा देश है, वहां भी स्टेट कंट्रोलर होता है ।

"स्टेट कंट्रोलर, जो जनता से प्राप्त शिकायतों का भी आयुक्त होता है, नैसेट नियम समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह प्रशासनिक अत्याचारों के बारे में जनता से प्राप्त शिकायतों की जांच करता है।"

इसी प्रकार नार्वे आदि कई अन्य देशों में भी यह व्यवस्था है । राजनीति विज्ञान के विशारद और अध्यापक, प्रोफेसर मावलंकर, इस बारे में बतायेंगे ।

दुनिया के बहुत से देशों में यह व्यवस्था है । हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र है, मगर उसमें अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी । अब यह जो व्यवस्था की गई है, वह उसके लिए गौरव का विषय है । अगर प्रजातन्त्र स्वच्छ प्रशासन दे सका, तो जैसा कि श्री जयप्रकाशनारायण ने कहा है, जिस तरह जकार्ता से कायरो तक प्रजातन्त्र का जनाज़ा निकल गया, वही स्थिति यहां भी होगी । जो प्रजातन्त्र भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा रहता है, वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है ।

इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एंड रीज़न्ज़ में बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ार्म्ज़ कमीशन ने दि प्राबलम आफ रीड्रेस आफ सिटिज़न्ज़ ग्रीवांसिज़" के बारे में अपनी इनटेरिम रिपोर्ट 1966 में दी । कई कमेटियों ने अपनी रिपोर्टस दीं, लेकिन जैसी कि पिछली सरकार की परम्परा थी, उसने किसी भी कमेटी की अनुशंसा को कार्यान्वित नहीं किया । मुझे आलोचना करनी पड़ती है, लेकिन यह तथ्य का प्रतिपादन है, यह कोई मेरा अपना सबजेक्टिव बायस नहीं है । आज हमें कहना पड़ता है कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पोलिटीकल बिल, राजनैतिक संकल्प, नहीं था ।

मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार जो काम 22 वर्षों में नहीं कर सकी, उस काम को जनता पार्टी की सरकार ने 22 महीनों में कर दिखाया है । जब हमारी पार्टी में इस पर बहस चल रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को इससे अलग रखा जाये—किसी ने कहा कि पार्लियामेंट के मेम्बरों को इससे अलग रखा जाये । तब किसी ने कहा । मैं उनका नाम नहीं लूंगा—, तो फिर उसमें कौन लोग रहेंगे । हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर

[डा० रामजी सिंह]

शिकन तक नहीं आई। जो भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगा, वह किसी भी जांच के लिए तत्पर और कटिबद्ध रहेगा। स्पेशल कोर्ट्स से किन को डर हो सकता है?—जिनके दिलों में चोर हो। जब विरोधी दल के माननीय नेता ने हमारे प्रधानमंत्री को चुनौती दी, तो उन्होंने अपने लड़के के केस को भी चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। क्या पिछले तीस सालों में कभी इस प्रकार की चुनौती का स्वागत किया गया था?

हम किस प्रकार से काम करते हैं, यह हमारे चरित्र का द्योतक है। गृह मंत्री ने यह ठीक ही कहा है कि सांसदों और मुख्य मंत्रियों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाना चाहिए। मैं उनके विचारों से शत-प्रतिशत सहमत हूं। हमारे कुछ भाई प्राविशल आटोनामी का नारा लगाकर कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टरों को इससे बाहर रखो। लेकिन क्या हम यह बात भूल सकते हैं कि ग्रोवर कमीशन ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री, श्री देवराज अर्स, को कलंकित पाया है? तो क्या हम उनको बर्दाश्त करते रहें? अगर भारतवर्ष के एक भी मुख्यमंत्री पर इस प्रकार का कलंक आता है, तो सारा भारतवर्ष कलंकित होता है। इसलिए अगर मुख्यमंत्रियों को इसकी परिधि में लाया गया है तो यह आवश्यक और बिलकुल अपेक्षित है।

मैं तो यह भी चाहूंगा और मैं बहुत वेदना और आत्म-निरीक्षण की भावना से कह रहा हूं कि प्रत्येक सांसद को भी बिलकुल तीव्र रूप से इस परिधि के अन्दर आना चाहिए। क्या आप नहीं जानते हैं कि हम लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और मैं अपने को ही कहता हूं, मैं भी क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या हम लोगों में ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने मकानों को किराये पर लगाते हैं? क्या यहां पर तुलमोहन राम और मुद्गल नहीं पैदा हुए थे? तो क्या सचमुच में भ्रष्टाचार की बात केवल प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए ही हो सकती है? अगर उनके लिए हो सकती है तो सांसदों के लिए भी होनी चाहिए। जब भ्रष्टाचार के नियन्त्रण की बात सारे सांसदों के ऊपर और सारे मंत्रियों के ऊपर लागू होगी तब भ्रष्टाचार की गंगा रुकेगी, नहीं तो बिरला के पैसे और टाटा के पैसे से सरकारें उलटती और पलटती रहेंगी और हम देखते रहेंगे।

इसलिए आज का दिन इन 22 महीनों के अन्दर सर्वोत्तम दिन मैं मानता हूँ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का दिन मानता हूं, सचमुच आज उनका मन कितना प्रसन्न होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लोकपाल बिल का हृदय से स्वागत करता हूं और बिलकुल अनरिजर्व्ड सपोर्ट इसको देता हूं।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं बल्कि सारा राष्ट्र बहुत खुश है कि यह विधेयक बहुत जल्दी ही मानी कल तक पास कर दिया जाएगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : नहीं, केवल अगले सत्र में।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसके लिए 12 घंटे का समय दिया है।

श्री पवित्र मोहन प्रधान : वे अपेक्षा करते है कि यह एक दिन में ही पास किया जाना चाहिए जहां तक उड़ीसा का संबंध है, मैं ऐसे विधेयक से संबंधित मंत्री था। मैंने उसे दो घंटे में ही पास

करवा लिया। जनता, विधान सभा के सदस्य और समाचार पत्र इस विधेयक के पास होने के लिए इतने उत्सुक थे कि विधान सभा ने उसे पास करने मे दो घंटे से अधिक समय नहीं लिया।

प्रो० मधु दण्डवते : बहुतों ने विधेयक पढ़ा भी नहीं होगा।

श्री पवित्र मोहन प्रधान : उन्होंने उसे पूरी तरह से पढ़ लिया था और उसमें कई तरह से नियंत्रण और संतुलन रखा गया था।

शिक्षित वर्ग इस विधेयक के पास होकर अधिनियम बनने की बड़े उत्साह से प्रतीक्षा कर रहा है यद्यपि इस विधेयक के बारे में लोग बड़े खुश हैं, फिर भी वे बड़ी ईमानदारी से यह महसूस करते हैं कि यह व्यापक विधेयक नहीं है। इस विधेयक के पारित करने मात्र से हम समाज से और प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, यह विधेयक प्रशासन के उच्चतम स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर कुछ रोक अवश्य लगा सकेगा लेकिन बीच के और निम्नतम स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था विधेयक में नहीं है। यदि हम यह देखें कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है, तो इस विधेयक के पास हो जाने के बाद भी हम खुश नहीं होंगे। एक दिन पहले मैंने इस सदन में कहा था कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए निर्धारित राशि में से पचास प्रतिशत धन भ्रष्टाचार में जा रहा है। हेराफेरी, गबन और दुर्विनियोग के रूप में यह धन जा रहा है। मैं 'दुरुपयोग' और 'गलत ढंग से खर्च करने" जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ यद्यपि इस 20% के ऊपर, कुछ प्रतिशत व्यय 'दुरुपयोग' और 'गलत ढंग से खर्च' का भी है। कुनबापरस्ती, पक्षपात, देरी, निष्क्रियता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी इकट्ठे हो गए हैं ; और इस समय वे सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे की जीवन-शक्ति को खा रहे हैं। मुझे संदेह है कि केवल मंत्री और सचिव स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने से भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं होगा। भ्रष्टाचार, समाज की जड़ों में घुस गया है। प्रशासन में ही निम्न-स्तर पर भ्रष्टाचार होने के कारण गांवों के और यहाँ तक कि शहरों के लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

केन्द्रीय मंत्री स्तर या राज्य मंत्री स्तर पर उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से सामान्यतः आम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, मैं यह साबित करूंगा। मान लीजिए किसी विभाग का कोई मंत्री भ्रष्टाचार करता है, इससे किसी गांव मोहल्ले या शहरों के अन्य क्षेत्रों के आम लोगों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है।...(**व्यवधान**)...

मै यह अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं सरकार में था और मैं इसका श्रेय लेता हूँ कि जिन 4 वर्षों के दौरान मैं उड़ीसा में भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रभारी रहा हूँ, वहां 50% से 60% तक भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। इसलिए, मैं अनुभव के आधार पर और प्राधिकार के साथ यह कहता हूँ कि उच्च-स्तर पर भ्रष्टाचार से समाज के आम लोगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यह हर चीज को दूषित करता है।

श्री पवित्र मोहन प्रधान : यह दूषित करे चाहे न करे। गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग यह नहीं जानते कि क्या हो रहा है। हम लोग ही यह जानते हैं कि क्या हो रहा है लेकिन वहाँ

[श्री पवित्र मोहन प्रधान]

यदि आप उप-मण्डलों और गांवों में जाएं तो आपको तहसीलदार, आर. आई. और पटवारी मिलेंगे। वे जिस प्रकार लोगों को तंग करते हैं उसे बताया या शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ...(**व्यवधान**) इसके बाद उप-मण्डलों और जिलों का नम्बर आता है। प्रत्येक विभाग, जैसे वन, पुलिस सप्लाई आदि द्वारा लोगों को अधिक से अधिक तंग किया जाता है।

श्री ए० के० राय : महोदय, व्यवस्था संबंधी एक आपत्ति है। गणपूर्ति नहीं है। हम एक ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। यह अपने आप में भ्रष्टाचार है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति है। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पवित्र मोहन प्रधान : मैं निम्न स्तर और मध्य स्तर पर के भ्रष्टाचार की बात कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वन-विभाग में वन रक्षक से लेकर संरक्षक तक, कोई भी इस विधेयक के विचार-क्षेत्र में नहीं आता। राज्य सरकारें बहुत से कानून पारित कर रही हैं लेकिन इस विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा में वे उन्हें लागू नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे तर्क-वितर्क किया है, उनकी आलोचना की है लेकिन वे इसी तर्क पर पारित किए गए उन कानूनों को लागू करने के मूड में नहीं हैं। मैं यह कहूँगा कि पुलिस विभाग में अन्य सभी विभागों की तुलना में कम भ्रष्टाचार है। पूर्ति विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, सड़क और निर्माण विभाग, ग्रामीण इन्जीनियरी विभाग और विद्युत विभाग में तो भ्रष्टाचार खुलेआम और व्याप्त है। इस स्थिति में, संसद या केन्द्रीय सरकार, केवल यह विधेयक पारित करके राज्य स्तर और ग्रामीण स्तर पर फैले हुए भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर पाएगी।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के विचार से हमने 'काम के लिए अनाज योजना' नाम की एक योजना आरंभ की है, और उसके लिए हमने गत दो वर्षों के दौरान करोड़ों रुपया खर्च किया है। सभी राज्यो में राजस्थान का पहला स्थान है जिसने एक वर्ष में 24—46 करोड़ रुपए का उपयोग किया है। उसके बाद उड़ीसा का नम्बर आता है। मैं यह कहूंगा—और उसका सबूत भी है—कि केवल 40 प्रतिशत काम हुआ है और 60 प्रतिशत काम नहीं हुआ है। जो गेहूं दिया गया है उसे काले बाजार में बेच दिया गया है और वह काला धन खण्ड विकास अधिकारी और छोटे अनुभाग अधिकारी के बीच बांट लिया गया है। मेरा मतलब है कि खण्ड विकास अधिकारी से लेकर छोटे अनुभाग अधिकारी तक। उसके बाद यह जिलाधीश तक जाता है। यदि किसी स्थिति पर इस बात की छान-बीन, जांच और पूछ-ताछ की जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आरोप मैं लगा रहा हूं वे शत-प्रतिशत सही निकलेंगे। केवल उड़ीसा में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इस गेहूँ को कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को खिला-कर इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि आप उनके लिए कानून नही बनाएंगे और केवल लोकपाल विधेयक से ही संतोष कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो सकेगा और हमारी जनता सुखी नहीं हो पाएगी। वही चीजे होती रहेंगी; केवल संसद-सदस्य और कुछ बुद्धिजीवी यह कहेंगे कि अमुक विधेयक पारित कर दिया गया था जिससे

राजनीतिक प्राधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों पर निगरानी रखी जा सकेगी लेकिन मध्य और निम्न स्तर तथा राज्य स्तर के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

यद्यपि इस विधेयक का स्वागत है और इसके लिए जनता पार्टी की प्रशंसा की जाती है और उन्हें बधाई दी जाती है लेकिन इससे उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार कोई अन्य ऐसा कानून अवश्य बनाएगी जिससे सारे भारत में जहां कहीं भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं उनमें मध्य और निम्न स्तर के अधिकारियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। कोई ऐसा कानून अवश्य होना चाहिए जिससे राज्य सरकारों को भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने और उसका उन्मूलन करने के लिए निदेश दिया जा सके और जब तक यह नहीं किया जाता तब तक मुझे पक्का विश्वास है कि जनता सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाएगी।

मेरे विचार से लोग इस विधेयक का उत्साह-पूर्वक स्वागत करेंगे। आम जनता की यह इच्छा है कि भ्रष्टाचार को निम्नतम स्तर से शुरू करके उच्चतम स्तर तक, सभी स्तरों पर समाप्त किया जाये। मैं यह फिर दोहराता हूं कि उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त करने से यह मध्य और निम्न स्तर पर स्वत: ही समाप्त नहीं हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करता हूँ कि अगले सत्र में एक ऐसा विधेयक अवश्य पेश किया जाए ताकि निम्न-स्तर और मध्य स्तर के भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सके। सिर्फ इस विधेयक से काम नहीं चलेगा।

इस कानून के अन्तर्गत नियम शीघ्र बनाए जाने चाहिये नियम बनाने में छः महीने या एक वर्ष लग सकता है क्योंकि इससे मंत्रियों, संसद-सदस्यों और उच्च अधिकारियों पर प्रभाव पड़ना है और इसलिए वे कुछ समय लगाएंगे और नियम अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी जा सकते हैं। ये नियम निश्चित रूप से तीन महीने के भीतर बना लिए जाएँ, उसके बाद नहीं। बनाए गए उपबन्धों के कार्यान्वयन, निष्पादन और संचालन के लिए एक समानान्तर, तथ्य का पता लगाने वाला अर्ध-न्यायिक संगठन होना चाहिए जो समाज के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच करेगा। इसके बिना विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मुझे आशा है कि गृह मंत्री बहुत ईमानदार हैं लेकिन तो भी मैं यह कहता हूँ कि वे जितनी जल्दी संभव हो सके और व्यवहार्य हो सके इस कानून को ईमानदारी से लागू करेंगे।

श्री बृजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से इस बिल का इन्तजार था और कई बार इस सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा सरकार पर यह दबाव डाला गया कि वह शीघ्र ही इस बिल को सदन में लायें, पेश करें। वैसे सरकार की तरफ से यह बिल तैयार हो चुका था लेकिन इसमें बहुत से ऐसे प्रावधान थे जिनके बारे में शंकाएँ थीं। इसलिए संसद सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि बिल को संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर इस बिल पर विचार किया जाए। वह रिपोर्ट आयी और उसके बाद, यह प्रसन्नता की बात है कि इस बिल पर आज हम इस सदन में विचार कर रहे हैं। इस पर विचार के लिये काफी समय रखा गया है।

[श्री ब्रजभूषण तिवारी]

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजनीति जीवन में बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी कि कैसे इसे शुद्ध किया जाये। सादगी और शुद्धि का आन्दोलन गांधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में भी चलाया था और वह इसलिए चलाया था क्योंकि वे यह मानकर चले थे कि जिन देशों में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहराई तक पहुँच गई हैं जिनमें लोकतंत्र काफी विकसित हो चुका है और जो काफी समृद्धिशाली हो चुके हैं उनमें इस प्रकार का खतरा नहीं है कि वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो। लेकिन जो देश विकासशील हैं और जहाँ पर गरीबी विद्यमान है, उन देशों में भ्रष्टाचार के ऐसे केन्द्र और स्रोत हो सकते हैं जो उन देशों के सादगीपूर्ण जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, भ्रष्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसे अपना कर्त्तव्य समझा कि वे सादगी और शुद्धि के आन्दोलन के द्वारा इस प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने का आह्वान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के अन्दर एक विचित्र प्रकार का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है और इसकी बदबू व्याप्त है। इसको समाप्त करना है। सबसे विचित्र बात यह है कि समाज में भ्रष्टाचार की इतनी बदबू आने के बाद भी समाज में वही व्यक्ति प्रतिष्ठित हो रहा है जो सबसे अधिक भ्रष्ट है। जो व्यक्ति चाहे राजनीति में, व्यापार में या जीवन के किसी क्षेत्र में सबसे अधिक भ्रष्ट है उसी का असर धीरे-धीरे हमारी राजनीति में बढ़ता जाता है। हमारी राजनीति खर्चीली होती जा रही है। चुनाव प्रणाली खर्चीली तो है ही परन्तु राजनीति भी खर्चीली होती जा रही है। हमारे देश में जो सम्पन्न लोग हैं, पैसे वाले हैं, जिनके हाथों में आर्थिक सत्ता केन्द्रित है वे हर प्रकार से राजनीति में अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं।

अभी डा० रामजी सिंह ने कहा कि आज विदेशी शक्तियां भी हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहती हैं। ये बड़े-बड़े पूंजीपति, कारखानेदार, जो कि अपने यहां लाएजां अफसर रखते हैं, हमारे देश के मिनिस्टरों, मेम्बर आफ पार्लियामेंट और बड़े-बड़े अधिकारियों को भ्रष्ट करने का काम करते हैं। ये लाएजां आफिसर जब चाहे जिसकी सेवा में मोटर पहुँचा देंगे, जब चाहे फाइव स्टार होटलों में किसी के लिए भी डिनर आरगेनाइज्ड कर देंगे।

पब्लिक रिलेशंज के आधार पर सरकार से सम्पर्क वे बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। परन्तु वे इसकी पकड़ में नहीं आ पाते। इसकी चर्चा चली थी। कानून में भी व्यवस्था थी कि हम अदालतों में मुकदमे दायर कर सकते थे परन्तु जिस प्रकार की हमारे यहां प्रक्रिया है, कानून व्यवस्था है, उसके चलते हम भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लगा सके, जब तक भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार नहीं होगा, चौतरफा प्रहार नहीं होगा तब तक जनता में यह विश्वास पैदा नहीं हो सकेगा कि सरकार भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिये कृत संकल्प है। तब तक न तो किसी राजनीति का कोई मतलब हो सकता है न किसी विचार धारा का और न ही प्रशासन की कुशलता का। भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा प्रहार होता है वह देश के गरीब, असहाय, निर्बल आदमी पर होता है, वही इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जिसके पास पैसा नहीं है वह चाहे राजनीति में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, वही इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है।

इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही अच्छा कार्य है और इससे देश की जनता के अन्दर एक विश्वास जगेगा क्योंकि हम इसके वास्ते स्टेचुटरी प्राविजन कर रहे हैं। केवल भाषण ही नहीं दे रहे हैं बल्कि इसको एक कानूनी शक्ल दे रहे हैं। जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, तमाम प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी सुधार आन्दोलनों के नेता हुए हैं, सबने एक स्वर से भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दिये हैं परन्तु कार्य उसको समाप्त करने के अनुरूप नहीं किया। जितने ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण हुए उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे समाज में बढ़ता गया है, उसको आदर प्राप्त होता गया है और साथ ही साथ उसकी वारगेनिंग कैपेसेटी भी उसी अनुपात में बढ़ी है। इस वास्ते भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी के मन में क्रोध पैदा नहीं होता और लगता है कि हम भ्रष्टाचार को कबूल कर रहे हैं और उनको एक सच्चाई और यथार्थ मानकर चल रहे हैं। इस विचार को समाप्त करना होगा।

कुछ संस्तुतियां दी गई हैं इस बिल के बारे में। मैम्बर पार्लिमैंट को शामिल करने की बात भी आई थी। उस पर बड़ा आक्रोश था। यह तर्क दिया गया था कि संसद सदस्यों के पास चूंकि कोई एग्जैक्टिव पावर्ज नहीं होते हैं इसलिए मिसकंडक्ट की जो परिभाषा है, उसके सम्बन्ध में पुनर्विचार होना चाहिए। परन्तु मैं यह मानकर चलता हूँ कि अगर लोकसभा का सदस्य या पार्लिमैंट का मैम्बर जो कानून का निर्माता है वह अगर अपने को इस कानून, इस व्यवस्था की परिधि से बाहर रखेगा तो देश की जनता के मन में शंका पैदा होगी। तब यह कहा जाएगा कि एम. पी. एक प्रिवलेज्ड क्लास है, केवल अपनी सुविधाओं के लिए ही काम करते हैं, समाज में वह अपने लिये एक विशेष प्रकार का स्थान बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने को सही साबित करना चाहते हैं, सात्विक जीवन में विश्वास करते हैं, तो हमें भी परीक्षा देनी होगी, अग्नि परीक्षा देनी होगी और इस आंच में अपने को तपा हुआ साबित करना होगा। इस वास्ते मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि लोकपाल बिल में जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको भी उसकी परिधि में रखा जाए।

मुख्य मंत्रियों के बारे में भी बहुत चर्चा हुई थी। तमाम प्रकार की राय समिति के सामने आई थी। ज्वायंट कमेटी ने माना है और जो ग्रोअर कमिशन के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसने भी इसे स्वीकार किया है कि मुख्य मंत्री को भी लोकपाल की परिधि के अन्दर रखा जा गया है। यह जरूर है कि स्पीकर के बारे में जो डिप्टी स्पीकर को कम्पीटेंट आथोरिटी माना गया है, वह बात जरूर लोगों को खटकती रही है क्योंकि स्पीकर के पद और उनकी मर्यादा के अनुकूल यह बात प्रतीत नहीं होती है। इसलिए मैं जरूर चाहूँगा कि सदन इस पर पुनर्विचार करे और स्पीकर के बारे में डिप्टी स्पीकर को जो कम्पीटेंट आथोरिटी माना गया है, वह उचित नहीं होगा और उसमें संशोधन होना चाहिये। यह सवाल भी आया था कि प्रधानमंत्री स्वयं अपने बारे में आरोपों की जांच करेंगे। लेकिन उसके बारे में कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि उसको स्पीकर के हाथ में सौंप देना चाहिये। यह ठीक बात है।

स्पीकर के हाथ में सौंप दिया जाय यह उनकी मर्यादा के अनुकूल है और उचित भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं अपने बारे में जांच करे यह उचित नहीं लगता। कुछ ईमानदार हो सकते

[श्री ब्रजभूषण तिवारी]

हैं, लेकिन चूंकि कुछ प्रधान मंत्रियों के आचरण की भी चर्चा हुई है और किस प्रकार से उन्होंने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाया, सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट बनाया उसके तमाम नमूने जांच कमीशनों के द्वारा, मुकदमों और शिकायतों के द्वारा सामने आ रहे हैं, तो लोगों के मन में प्रधानमंत्री के पद के बारे में भी विश्वास नहीं रह गया है, इसलिये इस विश्वास को पैदा करने के लिये जो प्रोवीजन रखा गया है यह उचित है।

साथ ही साथ शिकायतों के भेजे जाने की शर्तों को ढीला बनाने की पैरवी करूंगा। इसलिये कि अगर आपने इसे ज्यादा सख्त बना दिया तो नतीजा होगा कि लोग कम्प्लेन्ट ही नहीं करेंगे।

श्री बीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : करेगा पर प्रमाण नहीं होगा।

श्री ब्रजभूषण तिवारी : भ्रष्टाचार के कई रूप हैं, सगुण और निर्गुण। और उस भ्रष्टाचार के सारे रूप की जानकारी मुझे हो जाय, यह किसी साधारण व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है, यह सुलभ भी नहीं है, क्योंकि जहां तक फाइलों की बात है, अगर उस दफ्तर का अफसर मिला नहीं, मुखबरी नहीं की, तो यह तमाम चीज़ें सामने नहीं आ सकती। परन्तु मान लीजिये हम पार्लियामेंट के सदस्य हैं और उस अवधि के अन्दर कोठी बनाते हैं, हमारा जीवन स्तर बढ़ता है, हमारा खर्चा बढ़ता है, तो आमतौर पर लगेगा और समाज के अंधे आदमी के मन में भी शंका हो सकती है कि आखिर इनकी आय का स्रोत क्या है। और अगर कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहे तो आप उस पर यह शर्त लगायें कि मैं पेसे का स्रोत भी बताऊं, यह सम्भव नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि यह संसद सदस्य हैं, इनकी यह अवधि है, यह मकान। तो कमीशन का काम है कि वह जांच पड़ताल करे। क्योंकि लोकसभा के अन्दर जो भ्रष्टाचार की चर्चा होती है उसमें हो सकता है कि कुछ लोग हमारे सार्वजनिक जीवन पर आघात पहुंचाये परन्तु भ्रष्टाचार को समाप्त करने की उनकी इच्छा नहीं रहती, जितनी किसी की प्रतिष्ठा को गिराने की बात होती है, जिसको आप कैरेक्टर असेनेशन कह सकते हैं। परन्तु कमीशन के अन्दर यह प्रोवीजन है कि जो उसकी कार्यवाही होगी वह गुप्त होगी। और जब कमीशन इस निर्णय पर पहुँचे कि जिस अमुक व्यक्ति के विरुद्ध यह गम्भीर आरोप पाये गए हैं इसमें कुछ प्रमाण है, तब उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की संस्तुति करेगा और उसके बाद रिपोर्ट छपेगी।

तब जब कि इतनी गोपनीयता का प्रोवीजन है तो मैं चाहूंगा कि जो कम्पलेंट करने की बात है उसमें ढील देनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाने की कोशिश करनी चाहिये। क्योंकि अगर ज्यादा टाइट किया तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई कमीशन के सामने नहीं आयेगा। भाषण देने के लिये और अपनी पीठ थपथपाने के लिए हम रह जायेंगे, परन्तु जो हमारा उद्देश्य है भ्रष्टाचार को समाज से उखाड़ फेंकना, उसकी प्रतिष्ठा को समाप्त करना और उसी के साथ-साथ यहां के सार्वजनिक जीवन को शुद्ध बनाने के संकल्प या उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पायेंगे,

और फिर हम इसी भ्रष्टाचार की गन्दगी में फंसे रहेंगे और हमारा सार्वजनिक जीवन और लोकतंत्र भी भ्रष्ट होगा। और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब लोकतंत्र समाप्त हो जाय। मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने कहा था कि भ्रष्टाचार से मुझे यह खतरा नहीं लगता कि भ्रष्टाचार से कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं।

परन्तु अगर समाज में भ्रष्टाचार घुस जाये तो सबसे बड़ा खतरा यह हो जाता है कि वह भ्रष्टाचार समाज को इतना निर्जीव, नपुंसक और अनैतिक बना देता है कि वह समाज किसी भी अन्याय या जुल्म के खिलाफ विद्रोह करने की शक्ति भी नहीं रख पाता है, समाप्त हो जाता है। अगर समाज में जीवन नहीं हो, जीवन की शक्ति, और न्याय के लिए लड़ने की क्षमता न हो तो ऐसा समाज देश को रसातल में ले जायेगा, क्योंकि किसी नये काम या नये युग की शुरुआत वह नहीं कर सकता है। इसलिये जिस अच्छे मकसद, अच्छे उद्देश्य और राजनीतिक संकल्प की शक्ति को लेकर यह विधेयक पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन इसे सर्वसम्मति से पास करेगा और देश की जनता इसका पूरे दिल से स्वागत करेगी। धन्यवाद।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बरसों से हम इन्तजार कर रहे थे, जब हम विधानसभा में थे, उस समय भी राज्य सरकारों की विधायिका में यह प्रस्ताव आ रहा था कि लोकायुक्त कानून बनना चाहिये। इस पर बहुत दिनों तक विचार हुआ। मैं मंत्री महोदय और प्रवर समिति के लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद इस विधेयक को इस रूप में रखा है और आशा करता हूँ कि सारा सदन इसका हार्दिक समर्थन करेगा।

मैं भी बहुत से माननीय सदस्यों की राय से सहमत हूँ कि यह भ्रष्टाचार है क्या और मिटेगा कैसे ? जब डा. लोहिया कहते थे कि हमारी विधायिकाओं में इस पर 2-4 दिन तक बहस होनी चाहिये, इस पर गोष्ठी होनी चाहियें, परन्तु अभी भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा निकली नहीं है। यह भ्रष्टाचार कैसे रोका जाये ? जब गंगोत्री और यमुनोत्री में ही कीचड़ भरा हो तो फिर बनारस और इलाहाबाद में गंगा और यमुना की सफाई से कोई लाभ नहीं होगा। तो पहली बात यह है कि भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है। अगर उग्रसेन भ्रष्ट हैं तो उनके कार्यकर्ता भी भ्रष्ट होंगे, अगर हम में सफाई है तो हमारे पास पड़ोस के लोग हमारे आचरणका अनुसरण करेंगे। महात्मा बुद्ध ने एक जगह पाली में कहा है :—

जातं मां पुच्छ:
चरणंच पुच्छ:

जाति मत पूछो आचरण पूछो।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान का दामन थोड़ा गन्दा हो चुका है और हमारा भी हो चुका है। और हमें इस बात का शक है कि जो कानून हम पास कर देंगे और जनता के पास यह कानून जायेगा, तो जैसे शारदा बिल, एक्ट बन गया कि बाल विवाह नहीं होगा लेकिन उसके बाद भी बहुत बाल विवाह हुए। आज भी मेहतरों में, हरिजनों में गाँव में

[श्री उग्रसेन]

चलिये, 5, 7 साल के बच्चों के विवाह होते हैं। हमारे एक रिस्तेदार हैं, उनका लड़का 11 बरस का था, उन्होंने कहा कि बाबू जी, हम चाहते हैं कि हमारे लड़के की शादी हो जाये, बहुत लोग शादी के लिये आते हैं। हमारे यहां बिहार के लोग इतनी जल्दी चाहते हैं। तो यह कानून पास हो, इसमें इतनी शक्ति है जैसा कि इसके रूप से मालूम होता है कि इस कानून के चलते फिर कोई भ्रष्ट नहीं हो सकेगा।

भ्रष्टाचार ऊपर से ही गंगा, जमुना की धारा बहाती है। अगर उसको पहाड़ पर ही रोक दें, मैदान में न आने दें तो इसका हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा असर होगा। हम विधान-सभा के सदस्य थे, हम लोग थर्ड क्लास में चलते थे। कोई लिखकर दे देता था कि हम फर्स्ट क्लास में आये हैं तो उनसे टिकट नहीं मांगा जाता था। हमसे मांगा जाता था कि किस क्लास से आये हैं, जो हमने लिखकर दे दिया वह मान लिया जाता था। क्योंकि जो सांसद हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में माना जाता है कि अपने आचरण में इतनी सचाई जरूर रखेंगे, परन्तु आज तो जो हिन्दुस्तान की ग्राम जनता है, उसमें भ्रष्टाचार की मात्रा कम है, लेकिन जो सरकारी अफसर हैं जो बड़े-बड़े कलैक्टर हैं उसमें इतना आचरण देखने को नहीं मिलता है, जितना उनके चपरासी में मिलता है।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, कप्तान साहब खुलकर घूस लेते हैं—मेरे जिले के भी लेते हैं और आपके जिले के भी लेते होंगे—, लेकिन जब सिपाही को दो रुपये मिलते हैं, तो वह डरता है। अगर वह पकड़ा जाता है, तो नेता लोग उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। नतीजा यह है कि आज पुलिसमैन में आन्दोलन है कि हमें अधिक वेतन और सुविधायें दी जायें। अगर हम चाहते हैं कि वे लोग भ्रष्टाचार न करें, तो सरकार और समाज को चाहिए कि वे उनको खाने-पीने के लिए जरूरी सुविधायें दें।

इंगलेंड में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है ?—इसलिए की वहां ये बातें नहीं होती हैं। इंगलेंड में पार्लियामेंट के सदय और मंत्री में कोई फर्क नहीं है। हमारे देश में केन्द्रीय मंत्री तो साधारण मालूम पड़ते हैं, लेकिन राज्यों के—उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के—मंत्री जिस तरह चलते हैं, उससे भोजपुरी की वह कहावत याद आ जाती है: "गोरी चलें भुइयां, गुमान चले डोला"। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? जिनके बाप-दादा कभी गधे पर भी नहीं बैठे, वे जनता के पैसे से रोज हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं। जब तक हमारे आचरण में सफाई नहीं आयेगी—और आचरण हमारे कानून से प्रति बंधित हो—, तब तक समाज का भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। इसी उद्देश्य से यह लोकपाल विधेयक लाया गया है।

प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मंत्री और संसद-सदस्य सभी इसमें आयेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि लोकपाल के पद पर किसको नियुक्त किया जायेगा। अगर वहां भी नौकरशाह रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर हिन्दुस्तान के जनतंत्र को किसी से खतरा है, तो वह हिन्दुस्तान की नौकरशाही से है। हम जनतंत्र को मानते हैं, लेकिन हमें भी दरोगा के पास जाना पड़ता है किसी

की सिफारिश करने के लिए कि उसने चोरी नहीं की है। अगर दरोगा को विश्वास हो गया कि उसने चोरी नहीं की है तो वह उसे छोड़ देगा, वर्ना अगर उसके मन में आया, तो चालान कर देगा। इस तरहकितने बेगुनाह फँस जाते हैं और गुनाह करने वाले छूट जाते हैं। कानून का मंशा यह है कि 99 गुनाहगार बेशक छूट जायें, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा न हो। लेकिन काम कानून से उलट होता है।

माननीय सदस्य, डा० रामजी सिंह, ने कहा है कि पहले कानून में मुख्यमंत्री को इसके अन्तर्गत नहीं रखा गया था। प्रवर समिति ने इस बात का समर्थन किया है कि मुख्य मंत्रियों को भी लोकपाल विधेयक के अन्तर्गत लाया जाये। यह बहुत अच्छी बात है। वे राज्यों के प्रमुख नेता हैं। अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं, तो मोहतरिमा के राज्य-काल और हमारे राज्य-काल में क्या फर्क रहेगा? सब से ज्यादा ईमानदारी मोहतरिमा के राज्य में थी। जो लोग मेरे साथ एम० एल० ए० थे और दिन में भूजा खाते थे, जब वे मोहतरिमा के राज्य में केन्द्रीय मंत्री बन गये, तो वे जेट विमान पर चलते थे, अगर लखनऊ के प्लेटफार्म पर दिखाई देते थे, तो हमें पहचानते तक नहीं थे। हां, अब पहचानते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि आप सत्ता में हैं, इसलिए आप लोगों से बात नहीं करते हैं। हम तो चौदह साल तक आपोजीशन में रहे। हम तो यहाँ के आदी बिलकुल नहीं हैं, और यहां हमारा कुछ नहीं है। **हमारा काम यह है कि जब तक समाज में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्रान्ति न हो जाये, तब तक हम हल्ला करते रहें।**

जनतंत्र में बोली की इज्जत होती है, गोली की इज्जत नहीं होती है। श्री ए० के० राय चले गये हैं। जब वह नाराज होते हैं, तो तीर-धनुष का जुलूस निकालते हैं। हमारे यहां के जो लोग कौलफील्ड्ज में काम करते हैं, वे हमें बताते है कि वे श्री राय के तीर-धनुष के जुलूस से तबाह हैं। पहले नक्सलाइट्स हमें मिला करते थे। हम सत्यनारायण सिंह को भी समझाया करते थे कि एसिड-बल्ब फिलासफी से कुछ नहीं होने वाला है। 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी ने कलकत्ता में एक प्रस्ताव का मसौदा पेश किया। डांगे साहब ने उसे मुझे पढ़ने के लिए दिया। उस प्रस्ताव में तत्काल संघर्ष का नारा दिया गया था। उसके बाद तेलंगाना और दूसरे स्थानों पर हिंसात्मक कार्य किये गये। बर्मा में और सिंगापुर में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने गृह-युद्ध शुरू कर दिया। तो कम्युनिष्ट पार्टी ने सिंगापुर में वर्मा में और हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हम एसिड बल्ब फिलास्फी कार्यान्वित करके मानेंगे। नतीजा यह हुआ कि कम्यूनिस्ट पार्टी ध्वस्त हो गई। हजारों हजार कार्यकर्ता मौत के मुंह में चले गए और जेल में मारे गए। तो इस हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। जनतंत्र में बोली की इज्जत होती है, गोली की इज्जत नहीं होती है। हमारे चन्द गुमराह भाई कम्यूनिस्ट पार्टी (एम एल) के अगर इस बात को जान जायं तो बहुत भला होगा। ...(**व्यवधान**)...

मेरा कहने का मतलब यह है कि लोकपाल विधेयक हमारे समाज के और सरकार के आचरण को ठीक करने के लिए तभी सशक्त हो सकता है जब नौकरशाह भी तदनुरूप आचरण करें। अगर नौकरशाह उस कानून के तहत ठीक आचरण नहीं करेगा तो कितना ही अच्छा कानून हम बनाएं जिस एजेंसी के जरिए समाज में और देश में कानून लागू होगा वह एजेंसी भ्रष्ट होगी तो

(श्री उग्रसेन)

फिर उसका कोई लाभ हम उठा नहीं सकते हैं । कानून हमने बहुत बनाए । लेकिन हमें देखने की जरूरत है कि जो लोकपाल विधेयक बना रहे हैं उसको ठीक से लागू किया जाय । अगर यह ठीक से लागू होगा तो उससे हमारे आचरण में बहुत सफाई आ सकती है ।

एक बात और कहना चाहता हूं । इसमें जितनी धाराएं हैं उनमें जो मुकदमे किए जाएंगे वह लम्बे न हों और लोकपाल विधेयक में ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि जो मुकदमे चलेंगे और जो जांच होगी उसमें अधिक समय न लगे । बहुत से कमीशन सरकार ने बैठाए, राज्यों में और केन्द्रों में भी बहुत से कमीशन बैठाये गए, दो-दो, तीन-तीन और चार साल लगे, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन लागू होने की बात आई तो क्या हुआ ? मैं एक ही कमीशन का ज़िक्र करूँगा । आई. सी. ए. आर. में गजेन्द्र गडकर कमीशन बैठा । वहां विनोदशाह ने आत्महत्या कर ली और सात साइंटिस्ट्स ने आत्महत्या कर ली । गजेन्द्र गडकर कमीशन बना और उसने कहा कि डायरेक्टर जनरल ने गलत फाइंडिंग्स दी हैं । बहुत सी फाईंडिंग्स उसने दी । डायरेक्टर जनरल ने कहा कि सरवती सोनरा गेंहूँ में लाइसिन कंटेंट होता है । इसको गजेन्द्र गडकर कमीशन ने झूठा साबित किया । लेकिन इस पर वह डी. जी. मैक्से एवार्ड पा गए । तमाम सिफारिशें उस कमीशन ने कीं मगर तीन चार साल हो गए गजेन्द्र गडकर कमीशन जिसमें एमिनेंट साइंटिस्ट्स थे, उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया । मैं तो मांग करता हूं और इन सारी बातों को सभी लोग कहेंगे कि कितने कमीशन बने, उन्होंने कितनी सिफारिशें कीं और उनकी कितने प्रतिशत सिफारिशें लागू की गई ?

इन शब्दों के साथ मै लोकपाल विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और मैं चाहूँगा कि यह कानून जॅल्दी से जल्दी इसी सत्र में कल ही पास करके रात तक इसको कानून का रूप दे दिया जाय ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : क्या अभी 6.30 नहीं बजे है ।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक या दो मिनट बाकी है । यदि आप चाहें तो मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊँ लेकिन उन्हें केवल दो मिनट का समय मिलेगा । श्री दुर्गाचन्द ।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : अभी हम वाद-विवाद कर रहे हैं, क्योंकि आपत्ति उठाई गई है ।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । प्रस्तुत विधेयक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार इसे बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना था किन्तु·····

प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृहमंत्री के परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपने के सरकारी निर्णय के बारे में गृह मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) मैं उस प्रस्ताव पर व्यवस्था संबंधी आपत्ति उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं जो मेरे माननीय मित्र श्री स्टीफन पेश करने वाले हैं। मैं आपका ध्यान नियम 354 की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यदि व्यवस्था संबंधी मेरी आपत्ति मानी नहीं जाती है तो मेरे वे माननीय मित्र जो इसमें इच्छुक हैं पूरा ध्यान देंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो जल्दी ही सदन में शुरू किया जाने वाला है।

नियम 354 इस प्रकार है :—

"सभा में दिया गया कोई भाषण....."

सभा का तात्पर्य यहाँ राज्य सभा से है।

"राज्य सभा में दिया गया कोई भाषण सभा में उद्धृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा दिया गया कोई नीति सम्बन्धी निश्चित वक्तव्य न हो।

परन्तु अध्यक्ष, उससे पहले से प्रार्थना की जाने पर, किसी सदस्य को राज्य सभा में दिए गए किसी भाषण को उद्धृत करने या राज्य सभा की कार्यवाही का निर्देश करने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि अध्यक्ष यह समझे कि ऐसा करना....."

कृपया इन शब्दों को चिन्हित करें :

"कि ऐसा करना किसी सदस्य के कोई विशेषाधिकार या प्रक्रिया के प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है।"

आज शाम को होने वाला सारा वाद-विवाद गृह मन्त्री के दिनांक 30 अप्रैल, 1979 को लोक सभा में दिए गए वक्तव्य से सम्बन्धित है। उस वक्तव्य में मन्त्री महोदय ने राज्य सभा की कार्यवाही का हवाला दिया है —

इस सम्बन्ध में लोकसभा की कार्यवाही में कुछ भी उल्लिखित नहीं है। 30 अप्रैल को दिए उस वक्तव्त में, गृह मन्त्री ने बताया है —सभा में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य का सम्बन्धित भाग मैं यहां उद्धृत करता हूँ :

"महोदय, राज्य सभा में दिनांक 23 फरवरी, 1979 को दिए गए अपने वक्तव्य में....."

यहां फिर 'राज्य सभा' शब्द कहा गया है।

[श्री हरि विष्णु कामत]

".....और लोक सभा में कुछ अतारांकित प्रश्नों के उत्तर में, सरकार द्वारा लिए गए इन निर्णय का जिक्र हुआ था कि राज्य सभा 10 अगस्त, 1978 को स्वीकृत किए गए प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद को ....."

यहा फिर "राज्य सभा" शब्द आया है।

"भारत के मुख्य न्यायधीश के पास इस अनुरोध के साथ भेज दिया जाए कि वह इस बात की जांच-पड़ताल करें कि क्या उपर्युक्त वाद-विवाद में....."

उपर्युक्त वाद-विवाद का अर्थ है, राज्य-सभा में हुआ वाद-विवाद।

".....जो मार्च, 1977 में वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार-सम्भाले जाने के बाद की अवधि से सम्बन्धित है, किसी भी आरोप के बारे में प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों और भूतपूर्व गृह मंत्री के खिलाफ क्या कोई प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला (प्रिमा-फेसी केश) बनता है, ताकि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत औपचारिक जांच-पड़ताल का आधार प्रस्तुत किया जा सके। तदनुसार, मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से जांच कार्य हाथ में लेने और इस सम्बन्ध में अपनी सलाह देने का निवेदन किया था।"

व्यवस्था का यह प्रश्न उठाने का मेरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस सभा में, किसी भी तरह, जब महत्व के इस बड़े मामले पर अर्थपूर्ण, सौद्देश्य और प्रभावशाली चर्चा हो।

अब, आगे क्या होगा ? इस नियम के अधीन हम पंगु बने हुए हैं। इस नियम के प्रतिबन्ध तब तक अनुमति नहीं देंगे, जब तक कि नियम को आस्थगित न कर दिया जाए—और मैं नहीं समझता कि सभा इस नियम को आस्थगित करने के लिए सहमत हो जायेगी; इस नियम को आस्थगित करने के लिये सहमत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक यह नियम प्रभावी है, दुर्भाग्य वश, चाहे यह अच्छाई के लिए हो अथवा बुराई के लिए, तब इस सभा का कोई भी सदस्य, वास्तव में राज्यसभा की किसी भी कार्यवाही का उद्धरण नहीं दे सकता। विशेषाधिकार या प्रक्रिया के प्रश्न को स्पष्ट करने के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा राज्यसभा में दिये गए किसी भी भाषण को सभा में उद्धृत नहीं किया जायेगा। नियम 354 के परन्तुक में उपर्युक्त विशेषाधिकार या प्रक्रिया के प्रश्न को स्पष्ट करने के अलावा शब्द ही केवल उद्धारक और बचाव खण्ड है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह नहीं सोचते कि आपका व्यवस्था का प्रश्न असामयिक है ?

श्री हरि विष्णु कामत : वाद-विवाद तब तक आरम्भ नहीं हो सकता, जब तक कि आप विनिर्णय न दे दें और यह न बता दें कि इस वाद-विवाद के क्या मानदण्ड होंगे।

मैं एक अन्य नियम का हवाला देता हूँ। इस प्रकार के मामले में, जो जन महत्व का एक बड़ा मामला है, एक अन्य नियम से हमें मदद मिलेगी। मैं 'आपकी मदद' शब्द प्रयोग नहीं करूंगा।...

अध्यक्ष महोदय: सहायता।

श्री हरि विष्णु कामत: यह आपसे हमारी सहायता के लिए आग्रह करेगा, और यह नियम नियम-360 है। इस नियम को पढ़ना प्रारम्भ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मुझे यह बताएं कि क्या आज की चर्चा पर नियम-186 भी लागू होती है।

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत: आप इस सभा के पीठासीन अधिकारी हैं और इस प्रकार के अवसर पर तथा सभा में सभी प्रकार के अवसरों पर हम आपके अतिरिक्त किस से सहायता ले सकते हैं? आप हमारे अधिकारों और विशेषाधिकारों के रक्षक हैं और आप हमारी ज्योति हैं और मार्ग-दर्शक हैं। मैंने प्राय: कहा है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें।

अध्यक्ष महोदय: मुझे लज्जित न कीजिए।

श्री हरि विष्णु कामत: अब नियम 186 को तथा नियम-193 के अधीन चर्चा को लें। मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया मुझे और इस सभा को यह जानकारी दें कि क्या अविलम्बनीय लोक महत्व और सामान्य लोकहित के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये नियम 186 में निर्धारित शर्तें हमारे द्वारा की जा रही आज की चर्चा पर भी लागू होती हैं। इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है। इसे नियम-186 स्पष्ट करता है। शर्तों में एक शर्त यह है:

> "उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा।"

यह मुद्दा इसलिए खड़ा हुआ, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी अन्तत: इस नियुक्ति को स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, एक सेवा निवृत्त मुख्य-न्यायाधीश ने फिर इस नाजुक और कठिन कार्यभार को संभाला।

अब इस सन्दर्भ में यह प्रश्न किया जाता है कि क्या यह सार्वजनिक हैसियत में किया जा रहा है। इसके बाद ही न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश या इस न्यायाधीश को मामला भेजा जा सकता है। व्यक्तिकी सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसमें आचरण से सम्बन्धित कोई मामला नहीं भेजा जा सकता। गृह मंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या न्यायाधीश अपनी सार्वजनिक हैसियत के रूप में भूमिका निभा रहा है अथवा किसी अन्य प्रकार से।

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा तब उठेगा, जब नियम को तोड़ा जाएगा। नियम टूटने की आप पहले ही आशा कर रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न तब उठता है, जब नियम तोड़ा जाता है। वाद-विवाद शुरू होने से पहले ही आप मेरी राय जानना चाह रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : संक्षेप में, मैं इन दो मुद्दों पर आपका विनिर्णय जानना चाहता हूँ। हम वाद-विवाद में भाग लेना चाहेंगे। हम उससे पहले मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जानना चाहेंगे। अन्यथा हम बेकार ही क्यों खड़े होकर कुछ कहें और तब आप बताएं 'यह मुद्दा नहीं उठाया जा सकता' ? अतः कृपा करके हमें कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बतलाएं।

(1) क्या आप हमें पूर्ण स्वतन्त्रता···कोरा चेक देंगे···

अध्यक्ष महोदय: कोरा चेक देने के लिए मेरे पास बैंक में पैसा नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे पता है कि आप बड़े उदार हैं, लेकिन कुछ प्रकार के कोरे-चेक आप नहीं दे सकते और आपको देने में भी नहीं चाहिए। मैं एक अन्य प्रकार के 'काट बलान्श' की बात कर रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप राज्य सभा की कार्यवाही में से उद्धृत करने के लिए दायें, बाएँ और बीच के सभी सदस्यों को 'काट ब्लान्श' देंगे। यदि ऐसा हो गया तो हम श्री गणेश कर सकते हैं और इसे वास्तव में एक प्रभावशाली चर्चा बना देंगे। यदि आप 'जी नहीं' कहते हैं तो आप केवल इतना ही कह दीजिए—उसके बाद और आगे लक्ष्मण रेखा की तरह कुछ नहीं···

अध्यक्ष महोदय: मैं समझ गया हूँ।

श्री हरि विष्णु कामत : पहला मुद्दा यही है।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : महोदय, उनके पास व्यवस्था के प्रश्न कितने हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप अब तक व्यवस्था के प्रश्न पर 9 मिनट ले चुके हैं.....(**व्यवस्था**) यह समय भी जोड़ा जाएगा।

श्री हरी विष्णु कामत : महोदय, आप सभा में कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों पर मार्गदर्शन करने के लिए हैं.....

अध्यक्ष महोदय : कई बार दूसरे लोग मेरी जिम्मेदारी ले लेने का प्रयास करते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : वे आपकी शक्तियां अनधिकार ग्रहण करना चाहते हैं। अन्तिम एक शब्द बोलने के बाद मैं समाप्त करता हूँ। मैंने नियम-360 का भी हवाला दिया है। इस प्रकार के अवसर पर नियम 360 बिलकुल उपर्युक्त है। मैं वह नियम पढ़ूंगा, ताकि मेरे दोस्त उसे समझ पाएं :

"अध्यक्ष स्वयं ही, या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाए जाने पर या प्रार्थना की जाने पर ....."

मैंने आप से हार्दिक अनुरोध किया था ।

".....किसी भी समय सभा में.....कोई सीमा नहीं है ।

"विचाराधीन विषय पर सदस्यों को उनके पर्यालोचन में सहायता करने की दृष्टि से सभा को सम्बोधित कर सकेगा....."

जब आप वैसा करते हैं तो आप बिलकुल सुरक्षित हैं, क्योंकि नियम का अन्तिम अंश बहुत अनुकूल है ।

".....और इस प्रकार व्यक्त किए गए मत को किसी प्रकार के विनिश्चय के स्वरूप में नहीं समझा जाएगा ।"

अतः मैं अब आपसे निवेदन करूंगा कि आप नियम 354 के साथ पठित नियम 360 के अन्तर्गत अपना विनिर्णय दें, कि चर्चा की सीमाएँ क्या होंगी और कहाँ हम रेखा खीचें और हद को पार न करें ।

मैंने जो कुछ कहा है, उसको दृष्टि में रखते हुए प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा की कार्यवाहियों का हवाला दिया हुआ है । यदि आप का मत है कि ऐसा किया जा सकता है तो फिर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया हमें और सभा को सलाह दें कि चर्चा के मानदण्ड क्या होंगे, उसकी सीमाएँ क्या होंगी और किस हद तक हम जा सकते हैं तथा हम किस प्रकार की चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री के० राममूर्ति : (धर्मपुरी) महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले उनके व्यवस्था के प्रश्न का निपटारा कर रहा हूँ ।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, नियम 354 के अन्तर्गत "राज्य सभा में दिया गया कोई भाषण सभा में उद्धृत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा दिया गया कोई नीति सम्बन्धी निश्चित वक्तव्य न हो ।" मन्त्री महोदय के वक्तव्य के आधार पर ही आप इसकी अनुमति दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव की अनुमति इस सभा में मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के आधार पर दी गई है । वाद-विवाद में नियमों का ठीक ठीक पालन किया जाएगा ।

श्री स्टीफन, कृपया आगे जारी रखें ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : अध्यक्ष महोदय, क्या में माननीय साथी, तथा संसदीय दाव-पेच में माहिर सदस्य को यह बधाई देते हुए अपना कथन प्रारम्भ करूं कि किसी भी प्रकार

[श्री सी० एम० स्टीफन]

वे दस मिनट तक बोल ही लिए तथा उन्होंने कुछ गुण-दोषों पर भी चर्चा कीं ? जो भी कुछ हो, जिस विषय पर अब चर्चा चल रही है, उसका सम्बन्ध भ्रष्टाचार के आरोप से है और यह मामला लगभग पिछले छः महीनों से अधर में लटका हुआ है। मैं इस बात की आवश्यकता महसूस करता हूँ कि मामले की पूर्वपीठिका कालक्रमानुसार बता दी जाए।

जनवरी, 1978 में, भावनगर जनता जिला समिति के जिलाध्यक्ष श्री प्रणुभाई भट्ट द्वारा सम्पादित साप्ताहिक पत्रिका 'समर्थन' में एक कतिपय रिपोर्ट प्रकाशित हुई; और भावनगर में अपने भाषण में श्री मोरारजी देसाई ने उसका जिक्र किया। और पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस मामले को जांच के लिए भेजने की बात कही और यह भी कहा कि यदि वे आरोप सुस्थापित पाए जाते हैं, तो वे त्यागपत्र दे देंगे।

अब उसके आधार पर तत्कालीन गृह मंत्री श्री चरणसिंह ने 11 मार्च 1978 को सभा पटल पर रखे पत्राचार के अनुसार अपने वक्तव्य में जांच की मांग की। उनके और प्रधानमंत्री के बीच कुछ पत्राचार हुआ। इस सभा तथा राज्यसभा में इस मामले पर लम्बे अर्से तक शोरोगुल होता रहा। 10 अगस्त 1978 को राज्यसभा ने एक संकल्प पास किया जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि सरकार राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य करें।

24 अगस्त, 1978 को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार संकल्प में दिये गए सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकती। इसके बजाय उन्होंने पेशकश की किसी भी सदस्य द्वारा लगाये गए ऐसे किसी भी आरोप को, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद के काल का हो, वह मुख्य न्यायाधीश को उनके विचार तथा राय जानने के लिए भेज सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, क्या नियम के अन्तर्गत इसकी अनुमति है ?

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री द्वारा उनके वक्तव्य में इसका उल्लेख किया गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : केवल इतना ही नहीं। नियम 354 में कहा गया है :

> "परिषद् में किये गए किसी भी भाषण का सदन में उल्लेख में नहीं किया जा सकता जब तक मंत्री द्वारा यह नीति सम्बन्धी निश्चित मामला न हो।"

नियम में यह नहीं कहा गया कि लोकसभा में इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी निर्णय में यह नहीं है कि यदि यह नीति सम्बन्धी मामला है तो इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। मैं किसी चीज को उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल कुछ तथ्यों को बता रहा हूँ। मैं नहीं समझ सका कि श्री कामत ने ऐसा रुख क्यों अपनाया है। (**अन्तर्बाधा**) गृह मन्त्री ने 23 फरवरी 1979 को राज्यसभा में एक अन्य वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा :

"प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसमें संशोधन में राज्यसभा की समूची कार्यवाही मुख्य न्यायाधिपति को विचारार्थ भेजी जायेगी।"

26 फरवरी 1979 को शान्ति भूषण ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो वक्तव्य दिया था वह मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श के पश्चात दिया था। उन्होंने मुख्य न्यायाधिपति को शब्दशः समूचा वक्तव्य पढ़ा और उन्होंने उसका अनुमोदन किया। प्रधानमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के पश्चात वक्तव्य दिया था। अन्ततः गृहमंत्री ने 30 अप्रैल, 1979 को सदन में एक वक्तव्य दिया जो विचाराधीन है जिसमें उन्होंने यह कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा अथवा उन्होंने जो कुछ कहा उसके आधार पर मुख्य न्यायाधिपति ने मामले में जाने से इन्कार किया है और उन्होंने एक नया सुझाव दिया और सरकार उस सुझाव को स्वीकार कर रही है और उनके सुझाव के अनुसार मामले को सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भेज रही है। श्री कांतिदेसाई के विरुद्ध जो आरोप लगाये गए थे उनका यह बना है इसके समान ही एक अन्य घटना घटी। 13 मार्च, 1979 को श्री मोरारजी देसाई ने अपने पत्र में, जिसको सभापटल पर रखा गया है, यह कहा कि श्री चरण सिंह के दामाद पत्नि और रिश्तेदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सभापटल पर रखे गये पत्र के अनुसार 21 मार्च 1979 को श्री चरणसिंह ने तुरन्त इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और मांग की कि इन आरोपों की जांच की जाय। 28 मार्च 1979 को भूमि सम्बन्धी सौदे के बारे में कुछ आरोप श्री चरणसिंह के दामाद उनके भतीजे के विरुद्ध लगाये गए और श्री चरण सिंह ने तुरन्त चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा गठित विवाद की जांच के लिए मामला भेजने की पेशकश की। उस समय मैंने एक टिप्पणी की कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि क्या वह इस मामले की जाँच हेतु जैसा कि चरणसिंह द्वारा कहा गया है भेजने को तैयार है। 20 अप्रैल 1979 को श्री पटेल ने कहा कि वह जांच हेतु, जैसाकि श्री चरणसिंह द्वारा पेशकश की गई है, प्रबन्ध करने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने श्री चरण सिंह को सभी आरोपों से यह कहते हुए मुक्त कर दिया कि सम्बन्धित व्यक्ति श्री चरणसिंह के रिश्तेदार नहीं हैं और वह मामला उनके मन्त्रीकाल का नहीं है।

महोदय ये दो घटनाएँ हैं। एक घटना श्री कान्ति देसाई के बारे में है जिसमें हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं कि वह मामले को जाच आयोग को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, प्राथमिक जाँच आवश्यक है। प्रथमतः मुख्य न्यायाधिपति द्वारा और उसके पश्चात समूची कार्यवाही होगी और अन्ततः प्रस्ताव यह है कि यह मामला एक सेवानिवृत न्यायाधीश को भेजा जायेगा। दूसरी ओर श्री चरण सिंह धीरे-धीरे यह स्थिति बनाते हैं कि वह सारे मामले को जांच के लिये भेजने को तैयार हैं। यह सब हुआ है। दोनों की तुलना करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि श्री चरणसिंह ने प्रतिष्ठा और और साफ मन से स्थिति अपनाई है। अब वह इस विवाद से अछूते निकल आये हैं और सरकार श्री चरणसिंह द्वारा माँग किये जाने के बावजूद जाँच के आदेश देने से इन्कार कर रही है।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

मैंने यहां किये गए अपने पहले भाषण में कहा था कि सरकार श्री चरणसिंह के विरुद्ध जांच करने से इन्कार शायद इस कारण से कर रही है कि यदि जाँच का प्रबन्ध किया जाता है तो श्री कान्ति देसाई के विरुद्ध जांच का प्रबन्ध करने की मांग की जायेगी। अतः श्री चरण सिंह द्वारा मांग किये जाने के बावजूद सरकार जाँच करने से इन्कार कर रही है। मैं इस समूचे मामले में श्री चरणसिंह को मुक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने जांच की माँग की और जांच कराने से इन्कार किया जा रहा है और जब चुनौती दी गई उन्होंने तुरन्त उसको स्वीकार किया। अतः अब यह स्थिति सामने आई है,

जहाँ तक वर्तमान स्थिति का प्रश्न है श्री कान्ति देसाई के विरुद्ध सभी आरोपों को भेजने की माँग है। प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि केवल उन्हीं आरोपों को जो उनके मंत्रीकाल विशेष के हैं, मुख्यन्यायाधिपति को भेजा जायेगा, इस मामले को और सीमित कर दिया है। इसमें आगे और संशोधन किया गया कि केवल उन्हीं आरोपों को मुख्य न्यायाधिपति को भेजा गया जिनको राज्यसभा में चर्चा के दौरान उठाया गया है और किसी भी आरोप को चाहे वह विशिष्ट आरोप ही क्यों न हो, मुख्य न्यायाधिपति को नहीं भेजा जायेगा। अतः महोदय माँग बड़े पैमाने पर थी परन्तु प्रधानमंत्री ने सीमित पेशकश की है। अब इसको और सीमित कर दिया गया है कि राज्यसभा में लगाए गए आरोपों के अतिरिक्त अन्य किसी आरोप को मुख्य न्यायाधिपति को नहीं भेजा जायेगा। उदाहरण के तौर पर भ्रष्टाचार का एक आरोप यह था कि श्री कान्ति देसाई ने चुनाव के सम्बन्ध में 90 लाख रुपये एकत्र किये थे।

यह मामला इसके अधीन नहीं आता। श्री चरणसिंह के रिश्तेदारों के विरुद्ध भूमि के सौदे के बारे में आरोप था। राज्यसभा में इस विषय पर भी चर्चा नहीं हुई। अतः यह मामला भी इसके अधीन नहीं आता। सार्वजनिक नीति क्या है। यद्यपि भ्रष्टाचार के आरोप विशिष्ट हैं और यद्यपि भ्रष्टाचार एक अवधि विशेष से सम्बन्धित हैं तथापि उन आरोपों को जाँच हेतु नहीं भेजा जायेगा क्योंकि राज्यसभा में चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों ने उनका उल्लेख नहीं किया। परन्तु एक बहुत ही विशिष्ट आरोप है कि श्री कान्ति देसाई द्वारा प्रधानमंत्री के घर में बैठकर 90 लाख रुपये एकत्र किये गए परन्तु अब यह मामला न तो मुख्य न्यायाधिपति और न ही जाँच आयोग को भेजा जायेगा। इससे भ्रष्टाचार के बहुत से मामले छूट जायेंगे और जांच के लिए जो कुछ भेजा जायेगा वह बहुत थोड़ा मामला है यह प्रारम्भिक बात है जो मैं कहना चाहता हूं।

अब प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान पेशकश और पिछली पेशकश लोगों के मन को संतुष्ट कर सकेगी। उदाहरण के तौर पर हम किस चीज से निपट रहे हैं ? हम किसी सार्वजनिक व्यक्ति से अथवा मंत्री से नहीं निपट रहे हैं। हम श्री कान्ति देसाई नाम के एक व्यक्ति से निपट रहे हैं जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भारत के गृहमंत्री ने उस समय महसूस किया था कि

आरोप विशिष्ट हैं और कि आरोप नये हैं और उन्होंने कहा था कि उन आरोपों का समूचे देश में जिक्र है और अधिकार में होते हुए वह महसूस करते हैं कि उन आरोपों को जांच आयोग को सौंपना सार्वजनिक हित में होगा। अब मैं पहला प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि जब गृह मंत्री किसी व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में यह महसूस करते हैं कि ये आरोप विशिष्ट हैं और नए हैं और कि उनकी गूंज समूचे देश में है क्या यह औपचारिक मांग नहीं है कि इन आरोपों को जांच आयोग को भेजा जाये ? क्या प्रधानमंत्री के लिए और आकर यह कहना उचित होगा कि नहीं इनको जांच आयोग को नहीं भेजा जायेगा।

गृह मंत्री "जिनके अधीन यह मामला आता है कहते हैं कि सम्बन्धित व्यक्ति प्रधानमंत्री का बेटा है। अब मान लो कि यदि आरोप किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लगाये जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री इस मामले में अन्तर्ग्रस्त होते ? क्या वह इतनी सख्त स्थिति पर अड़ सकते थे ? अत: उदाहरण के तौर पर श्री वेंगलराव का मामला जाँच आयोग को सौंपा गया था। जांच आयोग ने यह निष्कर्ष दिया है कि इन आरोपों में कोई प्रथम दृष्टत: मामला नहीं बनता। अत: इससे यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने एक ऐसे मामले को भेजा है जो जाँच आयोग के विचार के लिए प्रथम दृष्टयत: मामला नहीं है। परन्तु श्री कान्ति देसाई के मामले में प्रधानमंत्री ने बहुत ही दृढ़ स्थिति अपनाई है।

गृहमंत्री इस बारे में किस हद तक महसूस करते हैं, यहाँ गृहमंत्री ने कहा है :

"हम जानना चाहेंगे कि यदि प्रधानमंत्री के अनुसार आरोप की सच्चाई का पहले पता लगाना है तो फिर जांच आयोग के लिए विचार करने को क्या रह जाता है।"

"कोई भी यह नहीं समझ सकता कि प्रधानमंत्री अथवा देश के सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार स्थिति में बैठे किसी भी व्यक्ति को आयोग की नियुक्ति में सम्भवत : क्या आपत्ति हो सकती है ताकि देश के सार्वजनिक जीवन में विश्वास को बहाल किया जा सके।'

"यदि हम प्रधानमंत्री की स्थिति को मान लें तो हमें स्वच्छ सार्वजनिक जीवन को स्थापित करने अथवा देश को कुशल प्रशासन देने की सभी आशाओं को छोड़ना होगा और अपनी मातृभूमि की आर्थिक खुशहाली के सपने देखना बन्द करना होगा।"

और अंत में दृढ़ शब्दों में इस बात को इस प्रकार कहा है :

"श्री देसाई अपने पुत्र के प्रति अटूट प्रेम के कारण इस बात को महसूस नहीं करते कि उन्होंने जनता पार्टी, देश के जनजीवन और प्रजातंत्र प्रणाली को भारी हानि पहुँचाई है। वह व्यक्तिगत विचारों से इतने अभिभूत हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था को भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।"

देश के गृहमंत्री को इस बारे में इतनी अधिक चिंता है किन्तु प्रधानमंत्री अपनी हठधर्मी साधे हैं तथा कहते हैं कि मैं इसे उन्हें नहीं सौपूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अन्य लोगों के

[श्री सी० एम० स्टीफन]

बारे में भी यही मानदण्ड अपनाया जाएगा। क्या यह उचित नहीं है कि इस मामले में प्रधानमंत्री को बिलकुल नहीं पड़ना चाहिए था और किसी मतभेद की स्थिति में इसे मंत्रिमण्डल पर छोड देना चाहिए था। बात यह है कि इससे सारा वातावरण बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने श्री चरण सिंह के साथ क्या किया? जब उन्होंने यह वक्तव्य दिया तो उसके बाद उन्हें भारत का प्रथम उप-प्रधानमंत्री बना दिया गया। किन्तु उन्होंने उस वक्तव्य में से जो उन्होंने दिया था एक शब्द भी नहीं निकाला। वह अपने वक्तव्य पर पूरी तरह जमे हुए हैं और वह सरकार का एक अंग बन गये, अर्थात् उप-प्रधानमंत्री। स्थिति यह है कि भारत का उप-प्रधानमंत्री का यह मत है कि प्रधानमंत्री द्वारा इस मांग को स्वीकार न करने से भ्रष्टाचार के आरोपों में वृद्धि ही होगी। इस समय यह स्थिति उत्पन्न हो रही है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि सभी विपक्षी दल एक साथ मिल गए हैं और राज्यसभा में एक संकल्प पारित किया जाता है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि इन आरोपों की जाँच करने के लिए सभा की एक समिति बनाई जाए तथा यह समिति इस बात की रिपोर्ट दे कि क्या इस मामले को आयोग को सौंपने के लिए कोई प्रथम दृष्टित: मामला बनता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे संविधान के अंतर्गत राज्यसभा की स्थिति वह नहीं है जो हाउस आफ लार्डस की है राज्यसभा विधान सभाओं के चुने हुए सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे देश के विधाई तंत्र का एक अभिन्न अंग हैं। यह सच है कि जांच आयोग नियुक्त किए जाने के बारे में राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प आदेशात्मक नहीं है किन्तु इसने यह निर्णय किया था यह निश्चित करने के लिये कि क्या इसमें प्रथम: दृष्टित: मामला बनता है इन आरोपों की जाँच सभा की समिति द्वारा की जानी चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आप इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : यह आपके विरुद्ध नहीं है··· (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले में भी हठधर्मी रखे रहना उचित है जिसका सम्बंध उनके पुत्र से है। अपने पुत्र से सम्बन्धित मामले में वह हठधर्मी साधे हुए हैं; वह राज्यसभा के संकल्प के विरुद्ध हठधर्मी साधे हुए हैं और कोई अन्य फार्मूला खोजने में लगे हैं। प्रश्न यह है कि वह फार्मूला कहां तक लोक चेतना से बचायेगा। अपने पुत्र को बचाने के लिए प्रधानमंत्री का रवैया जो कि गृहमंत्री, गृह मंत्रालय, राज्यसभा की इच्छाओं के विरुद्ध है तथा किसी अन्य तरीके की खोज के प्रयत्न से केवल उस तंत्र की पर्याप्तता समाप्त हो जाएगी जिसका वह प्रस्ताव कर रहे हैं। यह पृष्टभूमि देने का उद्देश्य यही है। इसमें यह सिद्धांत निहित है कि जब सरकार के सर्वोच्च कार्यकर्ता के पुत्र के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप

लगाये गए हैं तब तथा उसका निर्णय उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वह चाहे प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री हो या कोई अन्य हो। क्या स्वयं प्रधानमंत्री को, उस व्यक्ति के पिता को जिसके विरुद्ध आरोप लगाये गए हैं यह नहीं कहना चाहिए कि यह मामला मेरे पुत्र के सम्बंध में है और मैं इस बारे में मौन रहूँगा इसका निर्णय मेरे मंत्रिमण्डल के सहयोगी स्वयं करें। किन्तु उन्होंने यह रवैया नहीं अपनाया। वे प्रत्येक चरण पर अपनी ही बात पर अड़े रहे। अंत में वह कहते हैं कि यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा। इसके उन्होंने दो कारण बताए हैं। पहला, यदि ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है तो मैं पूर्वोदाहरण नहीं बनाऊंगा। जहां तक पूर्व उदाहरण का सम्बंध है, मेरे पास एक अंग्रेजी पूर्वोदाहरण है। यह पुस्तक है जिसका ट्राइल बाई ट्रिबुनल हैं और लेखक का नाम है जार्ज कीटन। क्या हुआ ? लार्ड चांस्लर ने किसी मामले की जाँच की..... (व्यवधान) लार्ड चांस्लर ने पाया कि उस मामले में जांच आयोग द्वारा जाँच के लिए भेजने को प्रथम दृष्टितः मामला नहीं बनता। इस पुस्तक के प्रष्ठ 229 में यह कहा गया है कि :

> "तदनुसार प्रधानमंत्री ने आगे कार्यवाही न करने का निर्णय किया। अफवाह फैलती गई और मामला उस समय अधिक गम्भीर हो गया जब विपक्ष के सदस्य सरकारी सदस्यों के साथ मिल गए। इस स्थिति में प्रधानमंत्री के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं था और एक न्यायाधिकरण का आदेश देना पड़ा जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि अफवाहों का कोई आधार नहीं है, इस बात पर बल दिया जाना चाहिये, और इस प्रकार उनके बारे में लार्ड चांस्लर का मूल अनुमान सही माना गया।"

मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ वह यह है कि उस प्रश्न का निर्णय कि क्या यह मामला जाँच आयोग को सौंपा जाए कि नहीं इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिये कि क्या इसमें प्रथम दृष्टितः मामला बनता है कि नहीं। यहां मैं एक घटना उद्धृत करता हूँ जिसमें यह पाया गया था कि उसमें प्रथम दृष्टितः मामला नहीं बनता था। तथापि विपक्ष ने यह मांग की थी कि उस मामले को आयोग को भेजा जाए और जबकि यह मामला मंत्रिमण्डल के सदस्य से सम्बन्धित था प्रधानमंत्री ने इसे सौंपे जाने का निर्णय किया जिससे कि अफवाहें समाप्त हो जायें तथा वातावरण शुद्ध हो सके।

अतः आज पूर्वोदाहरण की ही बात है तो पूर्वोदाहरण यह है कि प्रथम दृष्टितः मामला बनता हो या न बनता हो इसे जांच आयोग को अवश्य सौंपा जाना चाहिए किन्तु प्रधानमंत्री उस बात को स्वीकार न करने की हठ साधे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप 7 मिनट का समय और ले सकते हैं। तब आप एक घण्टे में से आधा घण्टा लेंगे। ठीक है 10 मिनट ले लीजिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : ठीक है, महोदय, मैं राज्यसभा की कार्यवाई से उद्धरण नहीं देता क्योंकि ऐसा करने से मुझे मना किया गया है। किन्तु उस मामले को मुख्य न्यायाधीश को क्यों

[श्री सी० एम० स्टीफन]

सौंपा जाये ? उनका कहना है कि उसे मुख्य न्यायाधीश को इसलिये भेजा था कि कोई सन्देह न रहे तथा उस बारे में कोई आरोप न लगाये जा सकें कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है। उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया है।

आपके उपप्रधान मंत्री क्या कहते हैं ? उन्होंने कहा है कि—उपप्रधानमंत्री संख्या 1, जिसे भारत का उपप्रधान मंत्री बनाया गया उनके वक्तव्य और उनके द्वारा की गई आलोचना को समझकर जिसे पदोन्नत किया गया उनका यह कहना है :

"यह तरीका मौलिक आपत्तिजनक था तथा उसके गम्भीर परिणाम होंगे। क्योंकि कानूनी स्थिति यह है कि मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं होगा कि वह गवाह के रूप में किसी व्यक्ति की जांच करने के लिए उसे हाजिर होने के लिए अथवा कोई दस्तावेज पेश करने को बाध्य करे जिससे जांच अनौपचारिक रहेगी और ऐसी नहीं होगी जिसके पीछे कानून का आदेश हो।"

केवल चरणसिंह ने ही यह कानूनी पहलू व्यक्त नहीं किया है। ट्राइल बाई ट्रिबुनल नामक इस पुस्तक में कहा गया है :

"निष्पक्ष निर्णय के लिए किसको मामला भेजे जाने की मांग की जा सकती है ? लार्ड चांस्लर के इस प्रश्न पर निष्पक्षरूप से न्यायिक दृष्टि से इसकी जांच करेंगे। किन्तु ऐसा करने के लिए उसे न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या उससे यह अपेक्षा करना न्यायोचित है कि बिना न्यायिक शक्तियों के वह न्यायाधीश की हैसियत से कार्य करे? ..."

उस पुस्तक में आगे कहा गया है :

"यही कठिनाई किसी निष्पक्ष न्यायिक निगम को प्रथम दृष्टितः साक्ष्य को सौंपे जाने के विचार पर भी लागू होता है जो यह निर्णय करें कि क्या सार्वजनिक जाँच न्यायोचित हैं। न्यायालय की शक्तियों के बिना क्या उससे यह आशा की जा सकती है कि वह जिम्मेदारी ले। क्या उन शक्तियों के साथ वह गुप्तरूप से कार्य कर सकती है ? क्या वह जांच अनिवार्यतः एक सार्वजनिक जाँच का रूप धारण नहीं कर लेगी ?"

इस मामले को मुख्य न्यायाधीश को सौंपे जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में श्री चरणसिंह ने ये आपत्तियाँ उठाई हैं। मैं जिस मुद्दे पर बल दे रहा हूँ वह यह है कि इस मामले को जांच आयोग को सौंपने की बात को टालने के श्री मोरारजी देसाई के लगातार प्रयत्नों से तथा यह सुझाव खोजने से कि उस मामले को मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाये उस मामले में कोई दण्ड नहीं मिल सकता विशेषकर क्योंकि कानून में यह व्यवस्था नहीं है कि इस मामले की जाँच करने का मुख्य न्यायाधीश को कोई अधिकार है।

इसलिये जनता को इससे संतोष नहीं होगा। श्री शान्ति भूषण ने राज्य सभा में अपने एक वक्तव्य में कहा था—मैं शब्दशः उद्धृत करूंगा— कि 'वह मुख्य न्यायाधीश के पास गये थे। उन्होंने

मुख्य न्यायाधीश को शब्दशः वक्तव्य पढ़ कर सुनाया था और मुख्य न्यायाधीश ने वक्तव्य का अनुमोदन कर दिया है उसके बाद ही प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में वक्तव्य दिया था उन्होंने स्वीकार किया है कि यही वक्तव्य उन्होंने दिया था। प्रधान मंत्री का वक्तव्य क्या था ? यदि वक्तव्य को पढ़ा जाये तो पता चलेगा कि वह एक राजनैतिक वक्तव्य था—इस सम्यक विषय के सम्बन्ध में सरकार की नीति—मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या भारत के विधि मंत्री के लिये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास जाना और एक राजनैतिक वक्तव्य पढ़कर सुनाना और उनका अनुमोदन कराने और फिर सभा में उसे पढ़ना जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्य सभा में दिया जाना था, उचित था। क्या इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को घसीटना उचित था ? मुख्य-न्यायाधीश से यह बात पूछनी अलग बात है कि क्या वह यह कार्य करने के लिये तैयार हैं परन्तु राज्य सभा में दिये जाने वाले वक्तव्य को सरकार की नीति की व्याख्या करने वाला एक राजनैतिक वक्तव्य शब्दशः सुनाना दूसरी बात है। श्री शान्ति भूषण ने कहा था मुख्य न्यायाधीश ने शब्दशः समुचे वक्तव्य का अनुमोदन कर दिया है और इस आधार पर वक्तव्य दिया गया है।

भारत के मुख्य-न्यायाधीश के बारे में हमारी संकल्पना यह है कि उनका सम्बन्ध न्याय सम्बन्धी काम से है, उनका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सूक्ष्म अन्तर को समाप्त कर दिया गया है। यह अन्ततः अनुचित बात है जो विधि मंत्री ने की है। मुख्य न्यायधीश के लिये इस बात पर सहमत होना और ऐसे वक्तव्य को तैयार करने में सहयोग करना, जो राज्यसभा में दिया जाना था, बहुत ही अनुचित बात है।

अब हम वहां पर दिये गये वक्तव्य के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। अब वे हमें बता रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश ने मना कर दिया है और ऐसा करने के कारण भी बताये गए है और उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया है कि इस काम के लिये सेवानिवृत न्यायाधीश होना चाहिये, सरकार ने मुख्य-न्यायाधीश को सेवानिवृत न्यायाधीश का नाम बताने को कहा। मुख्य न्यायाधीश ने उनको एक नाम भी बता दिया और वक्तव्य में बताया गया है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है, सरकार ने इस मामले को उस न्यायाधीश के पास भेजना स्वीकार कर लिया है। मैं 'स्वीकार' शब्द पर बल देना चाहता हूँ मेरे विचार से यह बात बहुत ही अनुचित हुई है और सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को राजनैतिक विवाद में घसीट लिया है परन्तु हम राजनैतिक विवाद से निपट रहे हैं जो राज्यसभा में उठाया गया है जिसमें विरोधी पक्ष जनता पार्टी का विरोधी पक्ष अन्तर्ग्रस्त है मंत्रिमंडल में ही यह बिवादास्पद मामला बन गया है। ऐसे मामले में मुख्य न्यायाधीश भी आ गये और अब उनका यह कहना है। मैं इस को बिना किसी बाधा के पढ़ सकता हूँ क्योंकि यह लोकसभा का वक्तव्य है। 24 अगस्त, 1978 को राज्य सभा में प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद की घटनाओं का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अपने उत्तर में नोट किया कि "विभिन्न राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों में काफी मतभेद था। उस बात पर ध्यान न देते हुए उन्होंने आगे बताया कि यदि वह आरोपों की जाँच करने के लिये एक

[श्री सी० एम० स्टीफन]

सामान्य स्वीकार्य प्रक्रिया निकाल भी लेते, फिर भी वह अभिहित व्यक्ति के रूप में काम करते। समाचार-पत्र और जनता उनकी राय के कारणों के बारे में अपने अनुमाग लगाने में स्वतंत्र होगी और संसद उस मामले के गुणदोषों पर वाद विवाद करने में स्वतंत्र होगी। इस लिये मुख्य न्यायाधीश ने महसूस किया कि शायद भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को जन-विवाद में घसीटा जायेगा और उससे इस उच्च पद के सम्मान पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।"

दो प्रश्न उठते हैं। क्या मुख्य न्यायाधीश को पता नहीं था कि वह इस काम को करने में अभिहित व्यक्ति की स्थिति स्वीकार करेंगे, क्या उनको इसका पता था या नहीं। यदि उन्होंने उस समय महसूस नहीं किया— मैं राजनैतिक पक्ष के बारे में नहीं कह रहा है— और यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया तो क्या उनपर राजनैतिक दृष्टि से व्यक्त किये गये विभिन्न विचारों का प्रभाव पड़ता ? क्या कोई न्यायाधीश राजनैतिक क्षेत्र में व्यक्त की जाने वाली राय को ध्यान में रख कर निर्णय करता है, उनको पता है कि वह अभिहित व्यक्ति है। यदि उनको पता नहीं तो इससे पता चलता है कि मुख्य न्यायधीश... ××

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अधीन इसकी अनुमति नहीं है इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता। में सीमा के अन्दर ही रहूँगा। वह न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको अभिहित व्यक्ति की बात का ध्यान बाद में आया। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता क्योंकि यह स्पष्ट है कि वह अभिहित व्यक्ति हैं और उनकी संसद में आलोचना की जायेगी। मैं न्यायिक अधिकारी के रूप में उनके काम की आलोचना करने में स्वतंत्र नहीं हूं परन्तु उनके न्याधिकेतर काम के बारे में ...

अध्यक्ष महोदय : उसकी भी अनुमति नहीं हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसकी अनुमति है परन्तु मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता। वक्तव्य में जिस प्रकार दिखाया गया है कि उन्होंने महसूस नहीं किया कि वह अभिहित व्यक्ति के रूप में काम कर रहे थे। अन्त में उनको उस स्थिति से हटना पड़ा और उन्होंने अपनी अनुमति नहीं ली। यह जानते हुए कि उन्होंने यह खेल खेला है और यह देखते हुए कि उन्होंने बाद में इस प्रकार काम किया, मैं पूछता हूँ: उन्होंने यह सुझाव क्यों दिया कि सेवानिवृत न्यायाधीश नियुक्त किया जाये ? यह काम उनका नहीं था, वह स्वयं मना कर सकते थे, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने सुझाव क्यों दिया : "आप इसको उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को सौंप दें" ? क्या यह काम उनका है ? उन्होंने यह अनधिकार परामर्श क्यों दिया ? क्या वह सरकार के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। कोई

××कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

(श्री सी० एम० स्टीफन]

सचिव अथवा कोई अधीनस्थ अधिकारी ऐसा काम कर सकता था, किसी सरकारी अधिकारी का नोट प्रस्तुत किया जा सकता था। उन्होंने अनधिकार सुझाव क्यों दिया कि इसे सेवानिवृत न्यायाधीश को सौंप दिया जाये। यह एक राजनैतिक कठिन समस्या का समाधान ढूंढना है जिसमें सरकार फंस गई है। सुझाव से सहमत होने का प्रश्न कैसे पैदा हुआ ? इसमें कहा गया है सरकार इस मामले को सोचने पर सहमत...

अध्यक्ष महोदय : आपको समाप्त करना चाहिए आपने 30 मिनट से अधिक समय ले लिया

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, गणपूर्ति नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : सरकार ने उनसे नाम पूछा और उन्होंने तत्काल बता दिया। मुझे यही कहना है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : आप कृपया कोई ऐसा नियम दिखाएं जिसके अधीन गणपूर्ति के बिना सदन की कार्यवाही चल सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया यह प्रश्न न उठाएं, तकनीकी बातों की ओर ध्यान न दीजिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह लोकहित में है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात कह दी है, दूसरा पक्ष अपनी बात नहीं कह पायेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसलिये मैं कह रहा हूं कि सारी प्रक्रिया ही गलत है। फिर सरकार प्रस्ताव रखती है : हम इस मामले को श्री वैद्यलिंगम के पास भेज रहे हैं। क्या हम उससे संतुष्ट हैं ? स्पष्टतः नहीं। (व्यवधान) : इसलिए उसको छिपाने के लिए मुख्य न्यायाधीश का नाम लिया गया, उनके पद का अनुचित उपयोग किया गया। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि मुख्य न्यायाधीश का सुझाव होने मात्र से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। वैद्यलिंगम को भेजने का सुझाव अस्वीकार्य रहेगा, इससे वातावरण साफ नहीं होगा और वैद्यलिंगम द्वारा दिये गए निर्णय को आम जनता स्वीकार नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय,...

श्री बी० शंकरानन्द : अब गणपूर्ति का प्रश्न क्यों न उठाया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति उस समय नहीं दी थी, अब उसको उठाना उचित नहीं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा था कि तकनीकी बातों पर जोर न दिया जाये और इसीलिये मैं उस समय चुप बैठ गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं इस चर्चा में इसलिए भाग लेना चाहता था क्योंकि इसमें पार्टी के बारे में प्रश्न उठाने की आशा थी और वे उठाये गये हैं। मुझे यह बात नाखुश होकर कहनी पड़ रही है। इस देश में और अन्यत्र राजनैतिक उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का चरित्र अच्छा होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। उनका चरित्र अच्छा होना ही नहीं चाहिए बल्कि ऐसा दिखाई भी देना चाहिए। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि उनकी आलोचना करने की गुंजाइश ही न रहे। ऐसा मैं महसूस करता हूँ।

जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का विशेषकर उच्च पदों के मामलों में सम्बन्ध है कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में, जितना भी ऊंचा पद हो, सम्भवत: जितना पद ऊंचा हो, उतना ही जाँच कराने के उचित अनुरोध को स्वीकार करने में तत्पर होना चाहिए। यह हमारा दृष्टिकोण है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस विशेष मामले में, जिस पर चर्चा उठाई गई है, क्या स्वीकृत सिद्धान्तों से कोई भिन्न प्रक्रिया अपनाई गई है और क्या इस पर कोई इस प्रकार की टिप्पणी की गई है अथवा आलोचना की गई है जिसमें विरोधी पक्ष के माननीय नेता को यह कहना पड़ा है। मैं उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न करता रहा हूं। इसका वास्तविक उद्देश्य यहाँ-वहां राजनैतिक लाभ के अतिरिक्त प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री, जो वित्त मंत्रालय के इंचार्ज हैं, के बीच दीवार खड़ी करना है, इस प्रकार का प्रभाव पैदा करना है जैसे मानो उनकी इस समस्या के प्रति प्रक्रिया भिन्न-भिन्न हों, जैसे प्रधान मंत्री जांच को रोकने का प्रयत्न कर रहे हों। "इस व्यक्ति को देखिए। अब वे उच्च पदों पर आसीन हैं, इसलिए इस प्रकार का भिन्न दृष्टिकोण अपनाये जाने का क्या कारण है ?" विरोधी पक्ष के नेता का कहना है कि "मुझे माननीय उपप्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहना है, परन्तु प्रधानमंत्री सहमत नहीं हैं।" हमें यहां पर कम से कम अच्छा परिवर्तन दिखाई देता है। पिछले सिद्धान्तों से कुछ भिन्नता तो देखने में आई। मुझे याद है कि जब अनेक संसद सदस्यों ने श्री बंसीलाल के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये थे, मैं संख्या तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे याद नहीं।

अध्यक्ष सहोदय : 109.

श्री सोमनाथ चटर्जी : 109, मैं आपका आभारी हूं। 109 संसद सदस्यों ने लिखकर दिया था जिसमें हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच की मांग की गई थी, जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री के साथ बहुत निकट सम्पर्क रखने वाला व्यक्ति समझा जाता था— तब क्या हुआ था ? किस प्रक्रिया को अपनाया गया था ? बारम्बार स्मरण-पत्र भेजे गए थे, उन स्मरण-पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया गया था। जब अन्ततोगत्वा इस मामले पर बहुत जोर दिया गया, तब उसे मंत्रिमंडल के मंत्रियों की एक समिति के पास भेज दिया गया था। मंत्रिमंडल के

मंत्रियों की इस समिति ने आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को कोई अवसर दिये बिना, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री को बुलाये बिना और कोई रिकार्ड या किसी अन्य चीज के बिना अपने कक्ष में बैठकर, निःसंदेह किसी व्यक्ति के आग्रह पर, उन्होंने एक नोट तैयार किया और उसपर हस्ताक्षर कर दिये। वह परिचालित कर दिया गया था। उन्हें हस्ताक्षर करने के लिये कह दिया गया था जिसमें हरियाणा के तत्कालीन मुख्य मंत्री को दोष मुक्त कर दिया गया था। क्या हुआ था ? जब कारण पूछे गये थे, तब कारण नहीं बताये जा रहे थे। उस मामले को न्यायालय में ले जाया गया। मैं भी उनमें से एक व्यक्ति हूं जिसे दुःख पहुंचा है क्योंकि जो न्याय किया गया एक वकील के नाते मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ।

दिल्ली उच्च-न्यायालय ने कहा कि मामला गैर-वाद योग्य है। इस पर विचार नहीं हो सकता। क्या सरकार जांच आयोग नियुक्त करेगी अथवा वे इस पर कुछ कहने को बाध्य नहीं हैं। मुझे भी उच्चतम न्यायाय में विशेष अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। वही तर्क दिया गया। जिन व्यक्तियों ने आरोप लगाया, जिन्होंने शिकायत की उनको भी नहीं बताता गया कि आप के आरोप रद्द क्यों किये गये हैं। मेरा विचार है कि यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था कि यदि कुछ संसद सदस्य कोई शिकायत करें तो उस बारे में जांच की जानी चाहिये। एक बार तो ऐसा कहा गया था। परन्तु इसका पालन नहीं किया गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र के विरुद्ध बार-बार आरोप लगाये गये हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आरोप ठीक हैं अथवा गलत। परन्तु प्रतिक्रिया क्या थी ? केवल जानबूझकर स्पष्ट 'नहीं'। हर बार स्पष्टरूप से 'नहीं' में उत्तर दिया गया। हर बार इतना ही कहा गया कि कोई मामला नहीं बनता। उसके बाद से क्या हुआ है ? उसके बाद नई बातों का पता लगाया गया है। किस प्रकार से सब बातें हुई हम सब जान चुके है। जनता जान चुकी है।

वर्तमान प्रधानमंत्री के पुत्र के विरुद्ध आरोपों की सूची तैयार की गई थी और उस पर विचार विमर्श तथा वाद-विवाद हुआ और सदन के समक्ष एक औपचारिक प्रस्ताव भी था उस पर लम्बी चर्चा भी हुई थी। परन्तु उन आरोपों की सूची के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है और वह यह कि ऐसा लगता है कि कुछ आरोपों को छोड़ कर, जो शायद नए हैं प्रधानमंत्री के कार्य-भार संभालने के बाद के समय के बारे में, बहुत से आरोप ऐसे थे जिनके बारे में जांच भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कराई जा चुकी थी। मैं उसके गुणों के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं केवल इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि क्या दृष्टिकोण अपनाया गया था।

परन्तु इस बार दिखाया जा रहा है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है कि नहीं। हमारा दृष्टिकोण भी यही है। जब भी कोई आरोप लगाया जाये—चाहे वह ठीक हो अथवा गलत जब हमारे देश में अन्य बहुत सी बातों का फैसला राजनैतिक उद्देश्यों से किया जाता है, जब नैतिकता, औचित्य तथा राजनैतिक मानदण्डों के प्रश्नों का निर्णय राजनैतिक दृष्टिकोण से किया जाता है तो यह हमारे देश की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अतः जब यह आरोप लगाया गया था तो मेरे

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

विचार से बहुत ही उचित दृष्टिकोण अपनाया गया था। मैं न्यायपालिका के लिए प्रतिष्ठा में किसी से पीछे नहीं हूं। न्यायपालिका के बारे में हमारे विचार कुछ भी हों जब तक यह संवैधानिक ढांचा रहेगा हमको न्यायपालिका के प्रति सम्मान दिखाना है और उसकी उचित प्रतिष्ठा करनी है। हमारी भावनाएं हैं। बहुत से मामलों में न्यायिक निर्णयों पर हमें शिकायतें थीं। परन्तु जब तक हम इस ढांचे को बदल नहीं सकते हमको इसे स्वीकार करना है। हमें यह समझना है।

अत: एक बार जब सरकार ने मामला संशय के वातावरण को स्पष्ट करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया—जो कि इस देश में न्यायपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी है—दूसरे सदन का काम प्राय: ठप्प हो गया था और वहां पर कोई भी काम नहीं हो रहा था—मुख्य न्यायाधीश ने कहा—"हां मैं इस बात को देखने के लिए कि कोई प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है कि नहीं इस पर विचार करूंगा।" अन्त में मुख्यमंत्री ने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, "मैं चाहता हूं कि मुझे इससे परे ही रखा जाये।" उनके पहले के निर्णय को इस कारण उचित नहीं कहा जा सकता कि उनको इस सबका पहले ही अनुमान होना चाहिए था।

मैं इस बारे में विपक्ष के नेता से सहमत हूं कि इससे विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना है। उनको पहले ही यह कहना चाहिए था : नहीं, परन्तु मैं किसी के नाम निर्देशित कर सकता हूं जो इसे समुचितरूप से करेगा। अन्त में उनको यह समझ आई। उन्होंने इस बात को समझा कि उनके द्वारा 'हां' कहने के पश्चात देश में बहुत सी बातें कही गई हैं और बहुत से वक्तव्य दिये गये हैं। अन्त में उन्होंने कहा, "मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैं इससे दूर रहना चाहता हूं। परन्तु यदि आप चाहें तो मैं एक सुझाव दे सकता हूं।" और सरकार ने उचित मार्ग अपनाया। मैं उचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सरकार को धन्यवाद करता हूं अर्थात किसी अन्य बुद्धिमान न्यायाधीश अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश के नाम की स्वयं सिफारिश करने के स्थान पर सरकार ने कहा, "क्या आप किसी अन्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत न्यायाधीश के नाम का सुझाव दे सकते हैं।" मैं समझता हूं कि जब सरकार ने मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ दिया तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

मुझे इस बात से बहुत असप्रन्नता है कि विपक्ष के नेता ने चर्चा के लिए अथवा राजनैतिक विचार से इस ढंग से मुख्य न्यायाधीश का नाम खींचा है। हमें कम से कम अपने संवैधानिक ढांचे के एक भाग को राजनीति के मैदान से जहां तक संभव हो दूर रखना चाहिए। (व्यवधान) जब विपक्ष के नेता बोल रहे थे तो मैंने उनके बीच में कोई व्यवधान नहीं डाला था।

अत: मैं अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि एक दृष्टिकोण बनाया गया है और उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया गया है। वह प्रथम दृष्टया प्रवृत्ति पर विचार करने को सहमत हो गये हैं। मुझे किसी भी प्रकार का संशय नहीं कि यदि उसके कर्तव्यों एवं

कृत्यों के पालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो तो सरकार की भर्त्सना की जानी चाहिए । परन्तु हमने देखा है कि किस तरह से हाल में न्यायाधीशों को खुली धमकियां दी गई हैं । यह कहा गया है और हमने समाचार पत्रों में पढ़ा भी है । और मेरे ख्याल से विपक्ष के नेता ने अपने एक भाषण में स्पष्टरूप से यह कहा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो विशेष न्यायालय में न्यायाधीश बनेगा जवाब देना पड़ेगा और इस प्रकार की कुछ बात कही गई । यदि मैं गलती पर नहीं तो यहाँ पर धमकी दी गई है और उसे बाहर दोहराया भी गया है कि देश के किसी भी न्यायाधीश को, जो विशेष न्यायालय का न्यायाधीश बनता है उसे किन्हीं बातों का सामना करना पड़ेगा । यह न्यायाधीशों को, न्यायपालिका को अपने कर्तव्य पालन में धमकाने की बात है ।

मुख्य न्यायाधीश की आकृति को यह कहकर धुंधला किया जा रहा है कि उन्होंने कोई गलती की है, वे मुख्य न्यायाधीश बनने के उपयुक्त नहीं, उनको इन बातों का पूर्वानुमान होना चाहिए था । उन्होंने एक राजनैतिक वक्तव्य में साथ दिया है आदि । अत: मेरा यह अनुरोध है । मैं इस बात को पसन्द करता यदि सरकार शक्ति पर आसीन व्यक्तियों के निकट रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये जाने की स्थिति में अनुकूल प्रतिक्रिया प्रकट करती है । मामले को जाँच आयोग के सुपुर्द करने से पूर्व शीघ्रता से मामले के समुचित प्राधिकरण को इस बात का निर्णय करने के लिए सौंपा जाये कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है अथवा नहीं । मुझे इस बारे में झगड़ा करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता । परन्तु केवल इतना है कि सरकार को इस बारे में अधिक शीघ्रता बरतनी चाहिए थी । यदि सरकार ने अधिक तेजी और खुला दिमाग प्रदर्शित किया होता तो इसे हल कर लिया गया होता ।

अत: हमें अब इसका हल निकालने का प्रयास करना चाहिए और इस बात को देखना चाहिए कि इस देश में हमारे सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के आरोप लगाने का कोई अवसर न आए । इस प्रकार के आरोपों के अवसर को जितनी जल्द समाप्त किया जा सके हमारे लिए काम करने का अच्छा स्थान होगा । उससे भविष्य में देश को भी सुन्दर भविष्य दिखाई देगा । अत: जो प्रक्रिया हमने अपनाई है उसके परिणामों की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह केवल एक घंटे की चर्चा है ? मेरे विचार से यह दो घंटे के लिये थी ।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक घंटे के लिये थी । अन्यथा हमें रात्रिकालीन भोजन यहीं पर मंगवाना पड़ेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : संसदीय कार्य मंत्री 1951 में इस पर सहमत हुए थे ।

अध्यक्ष महोदय : अगले अवसर पर मैं आपके लिए ऐसा बनने का प्रयास करूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह आश्वासन है ?

विधि तथा न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री(श्री शान्ति भूषण) : विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए बहुत से मुद्दों का जबाब गृह मंत्री द्वारा दिया जायेगा परन्तु मैं उनमें से कुछेक के बारे में टिप्पणियां करने के लिये खड़ा हुआ हूं, विशेष रूप से इस कारण कि उन्होने मेरे नाम का भी उल्लेख किया है। मुझे इस सम्बन्ध में अपने नाम के उल्लेख पर आपत्ति नहीं। परन्तु अपनी टिप्पणियां करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता की बातों को ध्यान से सुनने के पश्चात मैं इस बारे में विचार करता रहा हूँ कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। वास्तव में मेरे ऊपर यह दोष नहीं यदि मेरे मन में यह विचार बैठ जाये कि यदि इन आरोपों अथवा शिकायतों को स्वयं भगवान को भी निर्देशित किया जाता तो भी उनको इस पर आपत्ति होती।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी आपत्ति का मुख्य कारण यह है कि वे भी काफी समय तक शक्ति में रहे थे और हम उनके द्वारा स्थापित पूर्वोदाहरणों का अनुसरण क्यों नहीं कर रहे ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या मैं आपसे अनुरोध करूँ कि समय को बढ़ाने के लिये सदन के विचारों को ध्यान में रखें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि सदन समय को आधा घंटा बढ़ाने के लिये सहमत होगा।

माननीय सदस्य : हम सहमत है।

श्री शान्ति भूषण : मुझे बहुत दुख है कि यह सरकार पूर्वोदाहरणों का अनुसरण करने के लिये विपक्ष के नेता की बात को मानने से इन्कार करती है। जब भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप बहुत से संसद सदस्यों द्वारा लिखित रूप से लगाये गये थे तो उनकी सरकार ने उस बारे में किसी प्रकार की जांच की बात को स्वीकार नहीं किया था। यह सरकार उस प्रकार के पूर्वोदाहरणों का भी अनुसरण नहीं करेगी।

आज ही इस सदन में लोकपाल विधेयक पेश करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो यह स्पष्ट करता है कि किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गलती अथवा अनुचित आचरण के बारे में शिकायत की जाती है तो सरकार का विचार क्या होगा अत: मुझे जहां तक इस मामले का संबंध है सरकार के रवैये के बारे में विशेष अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक उस प्रक्रिया का संबंध है जो इस मामले में अपनाई गई है, विपक्ष के नेता ने यह बताने की कोशिश की है कि किसी व्यक्ति को जांच के लिये निर्देशित करने हेतु आरोपों की परिधि को सीमित करने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण न्यायसंगत नहीं था। मैं विपक्ष के नेता को यह याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे सदन में दिये गये वक्तव्य में यह कहा गया था कि यदि किसी एक संसद सदस्य ने भी किसी परिवार के सदस्य के विरुद्ध

लिखित आरोप दिये और सरकार को भेजे तो वे उसे सब से बड़े न्यायिक अधिकारी, भारत के मुख्य न्यायधीश को निर्देशित करेंगे जो कि निष्पक्षता का सब से बड़ा स्रोत है।

हां, यदि विपक्ष के नेता को विश्व के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, यहां तक कि ईश्वर पर भी नहीं तो मैं यह नहीं जानता कि उन्हें किस पर विश्वास होगा जब तक कि यह न कहा जाये कि विपक्ष के नेता हर एक चीज की स्वयं जांच करें।

यही बात प्रधानमंत्री ने कही है अर्थात 104 संसद सदस्य नहीं बल्कि एक ही संसद सदस्य लिखकर आरोप लगाए। कारण यह है कि कोई जाँच किये जाने से पहले, उच्चतम न्यायिक अधिकारी के पास भेजे जाने से पहले कुछ गरिमापूर्ण आधार अवश्य होना चाहिए, किसी व्यक्ति को आरोप लगाने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी अवश्य लेनी चाहिए और तभी उसकी जाँच की जा सकती है। लेकिन किसी भी संसद सदस्य ने प्रधानमंत्री के बयान का अनुसरण नहीं किया और प्रधान-मंत्री के पुत्र या प्रधानमंत्री के परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध लिखकर कोई आरोप सरकार को नहीं भेजा। इसलिए, मुख्य न्यायाधीश के पास भेजे जाने की स्थिति नहीं आई है।

उसके पश्चात, कुछ राजनीतिक दलों की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि इस बात का आग्रह क्यों किया जाना चाहिए, विशेषत: उस स्थिति में जब सदन में वाद-विवाद हो चुका है और सदन में वाद-विवाद के दौरान कुछ आरोप लगाए जा चुके हैं कि केवल एक सदस्य भी उन आरोपों को लिखित में सरकार को भेजे। उन्होंने कहा, "आप इस आग्रह को छोड़ दें। यदि वाद-विवाद में से कोई आरोप छाँटा जा सकता है तो उसे मुख्य न्यायाधीश के पास जांच के लिए क्यों नहीं भेजा जाता ?" गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया, यह तो ठीक है। जहां तक इस सीमित अवसर का संबंध था उसे भी मान लिया गया। किन्तु, इसे एक सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता कि जब भी कुछ कहा जाए, कोई अस्पष्ट आरोप लगाया जाए, इसे कहीं से भी छांट लिया जाए और इसकी जांच की जाये। जहां तक इस अवसर का संबंध था, यह कहा गया था, ठीक है, इस बारे में आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आरोप उन वाद-विवादों में हों, उन्हें छांट लिया जाये।

हां, उन आरोपों का संबंध उस अवधि से अवश्य होना चाहिए जिसके दौरान यह सरकार सत्ता में रही है। क्या इस पर कोई आपत्ति हो सकती है। जहाँ तक इस सरकार का संबंध है, यह जाहिर है कि यह सरकार 200 या 500 वर्ष पीछे नहीं जा सकती है। यह सरकार उसी अवधि के लिए जिम्मेदार है जिस अवधि के दौरान यह सत्ता में रही है। सरकार केवल उसी अवधि के लिए जिम्मेदार हो सकती है और जाँच करवा सकती है जिस अवधि में यह कार्य करती रही हैं। चूंकि यह सरकार उन्हीं कार्यों के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार है जो उस अवधि के दौरान हुई हैं जब यह सत्ता में रही है, यह उन कार्यों को अनधिकार ग्रहण नहीं करना चाहती जो पूर्ववर्ती सरकार ने किए हैं या नहीं किये हैं। यह उस अवधि के लिये भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए, यह कहा जा रहा है, "ठीक है, यदि उस अवधि के दौरान

[श्री शान्ति भूषण]

जब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री रहे हैं कोई आरोप हैं और इस अवधि के आरोपों को यदि वाद-विवाद में से भी छाँटा जा सकता है तो सरकार को इन्हें जांच के लिए न्यायपालिका के सबसे बड़े अधिकारी, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजने में कोई आपत्ति नहीं है।"

विपक्ष के नेता द्वारा उठाया गया एक मुद्दा यह है कि प्रथम दृष्टया मामले आदि का सिद्धांत क्या है ? मामले की शुरू से जांच करने के लिए जांच आयोग क्यों नहीं स्थापित किया जा सकता ? किसी प्रकार की प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता क्या है ? सिद्धान्त यह प्रतीत होता है कि जब कभी कोई व्यक्ति कोई बात कहे आप एक जांच आयोग नियुक्त कर दें। हाँ, जब उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई बहुत गम्भीर आरोप आदि हों तो यह आपत्ति उठाई जाती है कि जांच आयोग क्यों नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, यह कहा जाता है कि जब कभी, कहीं भी कोई भी व्यक्ति जरा सा भी कुछ कहे आप फौरन जाँच आयोग की नियुक्ति कर दें और यदि आप वह नहीं करते तो आप गलत काम कर रहे हैं। जाहिर है कि विपक्ष के नेता बहुत सक्षम व्यक्ति हैं और कानून अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक जाँच आयोग की नियुक्ति का संबंध है, यह एक ऐसा अधिकार है जिसके साथ कर्त्तव्य भी जुड़ा हुआ है और इस अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी से करना पड़ता है। इस अधिकार के प्रयोग को मजाक नहीं बनाया जा सकता। वास्तव में, विपक्ष के नेता स्वयं कुछ जाँच आयोगों की नियुक्ति का विरोध करते रहे हैं। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। इसलिए, वह भी इस बात से सहमत हैं कि इस अधिकार को मजाक नहीं बनाया जा सकता। इस अधिकार का इस्तेमाल दायित्वपूर्ण ढंग से करना पड़ता है ।

सबसे पहले सरकार को सोच-विचार करके यह निश्चित करना पडता है कि क्या यह मामला जाँच आयोग की नियुक्ति के लिये उपयुक्त और उचित मामला है। सामान्यत: यह कार्य सरकार को करना पड़ता है···

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि ये आरोप आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए गये थे और आपके गृहमंत्री, इस बात से संतुष्ट होकर कि यह एक उपयुक्त मामला है और प्रधानमंत्री इसे टाल रहे हैं, इसकी माँग कर रहे थे। क्या यह उचित था ? मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। आपके गृहमंत्री इसकी मांग कर रहे थे और प्रधानमंत्री इसे टाल रहे थे। वास्तविक बात यह है।

श्री शान्ति भूषण : जो बात कही गई है मैं उसे समझ गया हूँ और मैं इस पर विचार करूँगा। जहां तक जांच आयोग की नियुक्ति के निर्णय का संबंध है, यह मंत्रिमण्डल का विषय है। व्यक्तिगत विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है, सरकार ने जाच आयोग के गठन के बारे में मंत्रिमण्डल के सामूहिक विवेक के आधार पर कार्य करना है। और सरकार का सामूहिक विवेक यह है कि इसके लिए कुछ मानदण्ड होने चाहिए। सबसे

पहले परिस्थितियों को समग्र रूप में इस दृष्टि से देखना पड़ता है कि जांच आयोग के गठन के लिये उपयुक्त मामला है या नहीं। तब सरकार को इस बारे में निर्णय करने का कार्य करना पड़ता है कि क्या जांच आयोग के गठन के लिये मामला बन गया है ? यह मामला विभिन्न तरीकों और विभिन्न परिस्थितियों में बनाया जा सकता है। लेकिन किसी को तो यह निर्णय करना ही पड़ेगा कि जांच आयोग के गठन के लिये मामला बन गया है या नहीं क्योंकि जाँच आयोग का गठन केवल इसके लिये मांग करने से ही नहीं हो जाएगा।

अब जबकि एक सामान्य मामले में यह सरकार कार्य करती है और लगाये जाने वाले और राजनीतिक दलों द्वारा अपनी आवाज से समर्थन किए जाने वाले आरोपों के बारे में अपनी संतुष्टि करती है और यह भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान हैं—यदि सरकार स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचे और कहे कि जांच आयोग के गठन के लिए उपयुक्त मामला नहीं बन सका है, तो यह सुझाव दिया जाएगा : देखिये, चूंकि आरोप का संबंध प्रधानमंत्री के लड़के या प्रधानमंत्री के किसी रिश्तेदार या एक महत्त्वपूर्ण मंत्री से है इसलिये सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची हैं। शायद लोग इस पर पूरा विश्वास न करें। इसलिये, यह कार्य जो सामान्यतः सरकार द्वारा किया जाता, सरकार ने नहीं करना चाहा और वे इसके लिए राजी हो गए। "ठीक है, हम यह समझते हैं कि आप इस बारे में हमारे निष्कर्ष पर शायद विश्वास नहीं करेंगे, इसलिये हम यह कार्य एक ऐसे व्यक्ति से करवाने के लिये तैयार हैं जिसकी योग्यता, निष्पक्षता और यथार्थता पर संसार का कोई भी व्यक्ति संदेह न कर सके।" जब मैं यह कहता हूँ तो इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि विपक्ष के नेता चाहे कुछ भी कहें जहाँ तक इस देश के नागरिकों का संबंध है उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। भारतीय न्यायपालिका की गौरवपूर्ण परंपराएँ हैं और, इसलिए भारतीय न्यायपालिका को बदनाम करने में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता चाहे वह व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण हो। जहाँ तक जनता का संबंध है, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है।

प्रधानमंत्री द्वारा दिये गए इस वक्तव्य के बारे में कि यदि कोई संसद सदस्य उनके परिवार के सदस्यों के बारे में सरकार के पास लिखित आरोप भेजे तो वे उसे तत्काल जांच के लिये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज देंगे, विपक्ष के नेता ने यह आपत्ति उठाई है कि क्या यह मेरे लिये उचित था कि मैं उस वक्तव्य को लेकर मुख्य न्यायाधीश के पास गया, उस वक्तव्य को पढ़कर उन्हें सुनाया और प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे सदन में वह वक्तव्य देने के लिए उनकी सहमति ली। तो, महोदय, जिस आधार पर उन्होंने आपत्ति उठाई है वह यह है कि वह कहते हैं कि यह एक राजनीतिक विषय था, यह एक राजनीतिक मतभेद था, उनका मतलब था, 'देखिये, जो आरोप लगाये गए हैं वे राजनीति से प्रेरित, राजनीतिक उद्देश्य के लिए और राजनीतिक प्रचार के जरिए लगाये गए थे। ऐसा कोई वक्तव्य, कि सरकार इन आरोपों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास प्रथम दृष्टया मामले के निर्धारण के लिए भेजने को तैयार है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पढ़कर क्यों सुनाया जाना चाहिए ? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश

[श्री शान्ति भूषण]

बाध्य नहीं थे। इस मामले की जांच करने के लिये उन पर पर दबाव नहीं डाला जा सकता था।

जहां तक सरकार का संबंध था, सरकार इसके लिये तैयार थी, बशर्ते कि इस देश के लोगों और विपक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसकी जाँच करने और अपना निष्कर्ष देने पर विश्वास हो। जहां तक सरकार का संबंध है, सरकार इसके लिये तैयार थी। जहां तक मेरा अपना विचार है, विरोधी पक्ष को इस वक्तव्य का स्वागत करना चाहिए था बशर्ते कि उनका यह दृष्टिकोण न हो 'नहीं, यदि आपने इस मामले को सर्व शक्तिमान ईश्वर के पास भी भेजा होता तो हम इससे सहमत नहीं होते; हमें अपने अलावा किसी और व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं है, हमें किसी अन्य पर विश्वास नहीं है। इस विषय के बारे में कोई राजनीति नहीं थी। ये भ्रष्टाचार के कुछ आरोप थे जो लगाए गये थे। कोई ऐसा तरीका निकाला जाना था ताकि लोगों को यह विश्वास हो कि जांच आयोग के गठन के लिये यह एक उपयुक्त मामला है।

उस व्यक्ति, जिसके खिलाफ ये आरोप लगाये गए हैं और सरकार के प्रधान, अर्थात् स्वयं प्रधानमंत्री के बीच संबंध के कारण, यह मान लिया गया था कि यदि सरकार स्वयं कहती है, 'नहीं, जांच आयोग की नियुक्ति के लिये यह उपयुक्त मामला नहीं है' तो शायद लोग इस पर विश्वास न करें। इसलिए, यह कहा गया था 'ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसकी जाँच करेंगे'। लेकिन, यदि प्रधानमंत्री द्वारा कोई वक्तव्य दिया जाना है तो क्या उचित होगा कि वह वक्तव्य भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछे बिना और उनकी राय लिये बिना ही दे दिया जाए? भारत के मुख्य न्यायाधीश को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए, 'प्रधानमंत्री यही करना चाहते हैं, कि वे संसद के आगे यह प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि यदि कोई ऐसा आरोप लगाया जाता है तो उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास जाँच के लिये भेज दिया जाएगा।' मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि यह बहुत उचित बात थी। यह पूछा गया था जब संसद में वक्तव्य दिया जाना था तो हम मुख्य न्यायाधीश के पास यह कहने के लिये क्यों गए थे, 'हमने यह करना है। क्या आपको कोई आपत्ति है?' यदि सबसे उचित बात करना··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आप बोल रहे थे उन्होंने व्यवधान नहीं डाला था।

श्री बी० शंकरानन्द : क्या आप संसद में अपना वक्तव्य देने से पहले मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं?

श्री शांति भूषण : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। इंग्लैंड के एक पूर्वोदाहरण का हवाला दिया गया था जिसमें एक लार्ड चांस्लर—

श्री सी० एम० स्टीफन : अब तो यही बात कही जाती है कि आपको उनकी सहमति प्राप्त

हो गई थी और यह कहना बिलकुल ही भिन्न बात है कि आपने पहले विवरणी को बनाया फिर आप प्रधान न्यायाधीश के पास गये और उनकी अनुमति प्राप्त की है।

श्री शान्ति भूषण : मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आपकी आपत्ति क्या है। क्या आपत्ति यह है कि प्रधान न्यायाधीश की अनुमति टेलीफोन द्वारा ही ले ली जाती अथवा क्या आपत्ति यह है कि पिछली सरकारों के मंत्री प्रधान न्यायाधीश के पास नहीं जाते थे। वे केवल टेलीफोन पर ही पूछ लिया करते थे कि "क्या आप इससे सहमत हैं" अथवा क्या आपकी आपत्ति यह है कि मंत्री प्रमुख न्यायाधीश के पास क्यों गये ? मैं ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आपत्ति किस बात की है।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह सब तो अब हमेशा ही होता जा रहा है।

श्री शान्ति भूषण : यह इसलिए किया जा रहा है ताकि उसमें कोई शक की बात न रह जाय, जिससे प्रधान न्यायाधीश भी समझ सके कि उनके लिए किस प्रकार की भूमिका तैयार की जा रही है, जिससे की वे उन सही-सही बातों को जान सकें जिनके लिए उनकी सहायता ली जा रही है और ताकि उसमें कुछ भी सन्देह न रहने पावे, मैं तो समझता हूँ कि इस विषय में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए यही सबसे उपयुक्त तरीका है।

अब मैं सन्दर्भित पूर्व उदाहरण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसमें इंगलैण्ड में लार्ड चान्सलर ने ठीक इसी प्रकार की एक जांच करवाई थी कि क्या जांच आयोग को बिठाने में मामला उपयुक्त था। विरोधी सदस्यों के नेता ने यह कहते हुए पूर्व उदाहरण का लाभ उठाने की कोशिश की है कि इस तथ्य के बावजूद कि लार्ड चान्सलर ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जांच आयोग को गठित करने के लिये मामला उपयुक्त नहीं था, फिर भी राजनैतिक दबाव तथा ऐसी ही अन्य बातों के कारण और जनता में अत्यधिक रोष के पाये जाने के कारण तथा उनके सहयोगी का भी इसमें शामिल होने के कारण प्रधान मंत्री जी ने जांच आयोग गठित करना उचित समझा जिससे कि इस मामले में उठने वाले सन्देहों को दूर किया जा सके। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से अभियोग पाये जाने पर भी जांच आयोग की नियुक्ति नहीं की जा सकती है अपितु यह सब कुछ तो इस पर निर्भर करता है कि यह सार्वजनिक महत्व का मामला किस समय बन पाता है। इसे अवश्य ही सार्वजनिक महत्व का मामला होना चाहिए परन्तु उसी समय आप यह नहीं कह सकते हैं कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाता है उसी समय जांच आयोग गठित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए संतुलन रखना आवश्यक है। परिस्थितियों की समग्रता को भी देखना आवश्यक होता है और परिस्थितियों की समग्रता समय-समय पर बदल भी सकती है। हो सकता है किसी समय यह बिलकुल ठीक हो कि 'नहीं' जांच आयोग बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि जनता में काफी रोष पाया गया तो जन समूह के सन्देहों को दूर करने के लिए जांच आयोग को गठित करना आवश्यक और उचित भी समझा जा सकता है, यही कारण है कि इस मामले को छोड़ दिया गया था कि क्या किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच आयोग को गठित किया जाना उचित है अथवा नहीं।

[श्री शान्ति भूषण]

दूसरी बात यह कही गई है कि यदि प्रधान न्यायाधीश प्रधान मंत्री द्वारा प्रथम अवसर पर ही इस विवरणी को बताये जाने के लिए सहमत हो गये थे तो फिर जब सचमुच में उनसे परामर्श लिया गया तो उन्होंने इनकार क्यों कर दिया ? मैं चाहता हूं कि स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाय । वे जिस बात पर पहले सहमत हो गये थे वह बाद में लिए जाने वाले परामर्श से भिन्न था। दूसरे में उसकी विषय वस्तु में भी परिवर्तन आ गया है क्योंकि इस बात का शायद ही किसी व्यक्ति को अनुमान रहा होगा कि सरकार के इस प्रकार के प्रस्ताव पर, जो साधारण, सरल और स्वच्छ प्रस्ताव था, राजनैतिक मतभेद खड़े हो सकते हैं और इसका विरोध भी किया जा सकता है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश को मामले में नहीं पड़ना चाहिए। सम्भवतः कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुमान नहीं लगा सका होगा । यदि प्रधान न्यायाधीश भी इसकी कल्पना नहीं कर पाये तो मैं उनको दोष नहीं दे सकता हूँ, परन्तु उसके पश्चात इस प्रकार के वक्तव्यों को दिए जाने के बावजूद सभी प्रकार की बातें कही गई थीं, यह कहा गया था कि इस जांच आदि के मामले में प्रधान न्यायाधीश का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, और यदि फिर प्रधान न्यायाधीश उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जिसकी कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी और जिसका कि वे ठीक से अनुमान भी न लगा पाये हों तो फिर उसमें तीव्र मतभेद आ जायेगा । विपक्ष के नेता ने यह कहकर एक हंगामा खड़ा कर दिया होता कि यह एक राजनैतिक मामला है, यह एक राजनैतिक प्रचार है और राजनीति से प्रेरित है और यह स्पष्ट था कि ये सभी बातें उठ जाती ! ...(व्यवधान)...

श्री सी० एम० स्टीफन : यह उनके नामोद्दिष्ट व्यक्ति होने के आधार पर हो रहा है ।

श्री शान्ति भूषण : केवल इसके आधार पर ही नहीं, पूरे प्रश्न में राजनैतिक मतभेद उठाये गये हैं, विभिन्न दल भारत के प्रधान न्यायाधीश से परामर्श लेने के विषय में मतभेद खड़े कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में यदि मामले में राजनैतिक मतभेदों को सन्दर्भित किया जा रहा है तो यह उनके लिए उचित नहीं होता कि वे प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को नामोद्दिष्ट व्यक्ति की स्थिति में रख पाते । परन्तु यदि मामले में पूर्ण सहमति होती, जैसा कि इस प्रकार के मामलों में आशा की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रधान न्यायाधीश की प्रतिक्रिया मालूम हो गई होती क्योंकि उसके कारण, यद्यपि वे उस मामले में भी नामोद्दिष्ट व्यक्ति ही होते, वे कहदेते कि "ठीक है यदि जनता मुझसे नामोद्दिष्ट व्यक्ति होने के कारण यह कार्य करवाना चाहती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । अन्ततः यह एक जनता का कार्यालय है जिससे जनता की सेवा हो सके और यदि वे देश के प्रतिनिधियों के माध्यम से मुझसे यह कार्य करवाना चाहते हैं तो उस स्थिति में मैं इसे करने को तैयार हूं। एक पूर्व अवसर पर यह विचार किया गया था कि संसद सदस्य द्वारा लिखित रूप में दिए गये आरोप को सरकार को भेज दिया जाय । जो सचमुच में हुआ था वह यह था । प्रधान मंत्री के वक्तव्य देने के सम्बन्ध में उनकी सहमति इस सन्दर्भ में थी ।

श्री सी० एम० स्टीफन : बात यह नहीं है ।

श्री शान्ति भूषण : उसे बदल दिया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कथन के साथ कभी भी सहमति प्रकट नहीं की कि यदि कोई भी ऐसी बात चाहे वह सदन की चर्चा का कोई अंश ही क्यों न हो, किसी सदस्य द्वारा कुछ आरोप आदि लगाकर सरकार को लिखित रूप में दे दिया जाता है तो उन्हें समिति को भेज दिया जायेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के केवल उसी वक्तव्य के दिये जाने के साथ सहमति प्रकट की थी जो उन्होंने दिया था। इसलिए एकदम विभिन्न बात है कि बाद में क्या हुआ। गृहमंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था। उस पर कुछ राजनैतिक दलों ने कुछ बातें उठाई थीं। इसलिए वह बिल्कुल ही भिन्न मामला था।

अब मैं उनकी अन्तिम बात का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने पूछा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ने सेवामुक्त न्यायाधीश को मनोनीत करने की सलाह क्यों दी ? प्रधान न्यायाधीश पहले प्रधानमंत्री के वक्तव्व देने पर सहमत हो गए थे। यद्यपि उसमें कुछ भिन्नता थी और भिन्नता केवल इस सम्बन्ध में थी कि क्या किसी संसद सदस्य द्वारा सरकार को लिखित रूप से कोई विशेष आरोप दिए गये थे अथवा नहीं। इसलिए संसद में हुई चर्चा से कुछ निकाल दिया जाना था। निःसन्देह ही प्रधान न्यायाधीश द्वारा यह कार्य किए जाने के पीछे राजनैतिक दलों में गहरा मतभेद हो गया था। इसलिए प्रधान न्यायाधीश ने इसे करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि उनके लिए यह उचित नहीं होगा कि वे भारत के प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को, जो कि अत्यधिक संवैधानिक महत्व का कार्यालय है इस प्रकार की क्रियाकलापों से सम्बंद्ध कर लें। इसमें क्या बुराई है यदि वह सेवामुक्त न्यायाधीश का परामर्श देते हैं ! एक सेवामुक्त न्यायाधीश का उतना ही महत्व है। यदि विपक्ष के नेता स्वयं भी उस कुर्सी पर होते तो मुझे उनकी वस्तुनिष्ठा पर भी पूरा-पूरा विश्वास होता।

इसलिए जहां तक इस देश की जनता का सम्बंध है, उन्हें इस पर पूरा विश्वास है। हम जानते हैं कि इस देश में यह कहा जाता था कि एक कहानी थी—उसका नाम क्या था (स्वतः) विक्रमादित्य नामक राजा के सिंहासन की कहानी थी और जो भी व्यक्ति उस गद्दी पर बैठता था वही न्यायप्रिय हो जाता था। यदि किसी गांव का लड़का भी उस गद्दी पर बैठा तो वह भी तत्काल पूर्णरूप से न्याय देना प्रारम्भ कर देता था और वह भी निष्पक्ष न्याय, इस देश के तो ऐसे रीति-रिवाज रहे हैं।

इसलिए प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि वे प्रधान न्यायाधीश के संवैधानिक कार्यालय को मतभेदों के पचड़े में नहीं डालना चाहते हैं। आपका उद्देश्य है कि आप निष्पक्ष व्यक्ति चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी योग्यता और कर्त्तव्यनिष्ठा पर पूरा राष्ट्र विश्वास कर सके। उन्होंने कहा कि "ठीक है" फिर जांच के लिए किसी सेवामुक्त न्यायाधीश को क्यों न ले लिया जाय ? सरकार ने फिर यह बिल्कुल ठीक कहा है कि सेवामुक्त न्यायाधीश का सुझाव देना अच्छा नहीं समझती है। चूंकि वे भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं इसलिए वे स्वयं किसी न्यायाधीश को मनोनीत क्यों नहीं कर देते हैं ? उन्होंने एक न्यायाधीश को मनोनीत कर लिया। इसलिए ये सभी बातें

बिल्कुल पूर्णरूप से उचित हैं। परन्तु यदि पूर्णरूप से उचित बातों को भी विपक्ष के नेता उचित नहीं मानते हैं अथवा अनुचित कह देते हैं तो फिर मुझे उसके विषय में कुछ नहीं कहना है।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय! मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह एक संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : जब उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया तो मैं व्यवस्था के दो प्रश्न उठाना चाहता था। यदि कोई मंत्री अथवा इस सदन का कोई भी सदस्य कोई वक्तव्य देना चाहता है तो सदन की यह रीति रही है कि आपको उसे अनुमति देनी होती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ··· (व्यवधान) मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे उनको कहे गए मामले के विषय में कोई वक्तव्य देना चाहते हैं और उन्होंने स्वीकारोक्ति में उत्तर दिया।

श्री बी० शंकरानन्द : कृपया मेरी बात सुनें। क्या सदन की यह प्रथा है कि मंत्रियों को सदन में वक्तव्य देने से पहले इन व्यक्तियों को मुख्य न्यायाधिपति से अनुमोदित करा लेना चाहिए महोदय, वह तो पहला प्रश्न है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। श्री शंकरानन्द, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो बहस का विषय है।

नहीं, श्री शंकरानन्द, मुझे अफसोस है कि आप कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं बाधा नहीं डाल रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि संविधान के अंतर्गत··· (व्यवधान) ···क्या मुख्य न्यायाधिपति को ही अनुमोदन करना होता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकरानन्द, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो चर्चा का विषय है।

अब, माननीय गृहमंत्री।

गृहमंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : अध्यक्ष महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी और विधि मंत्री ने जो टिप्पणियां की हैं उनसे मेरा काम बहुत आसान हो गया है। उन्होंने इस विषय तथा अन्य मसलों के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर बड़े प्रभावी ढंग से चर्चा की है। उन मुद्दों पर इतना कुछ कहे जाने के बाद, बहुत थोड़ी सी बात रह जाती है जिसका मुझे उत्तर देना होगा।

विपक्ष के नेता ने किस बात पर आपत्ति की है ?

महोदय, क्या उनकी आपत्ति इस बात पर है कि हम जांच की मांग पूरी करने के लिए तैयार हैं? विपक्ष के माननीय नेता यहां मौजूद हैं और वह अपने अतीत को पूरी तरह भूल रहे हैं जब उनके विवेक ने उनको नहीं उकसाया उस समय जब उनके वर्तमान नेता और भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने श्री बंसी लाल के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों के बारे में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। कोई जबाब नहीं दिया, न कोई जांच कराई और न कुछ और। उससे तो वह संतुष्ट थे। हमने विपक्ष में बैठकर बार-बार प्रश्न किए। मैंने और विपक्ष के अन्य सदस्यों ने श्री संजय गांधी, उनकी मारुति आदि के बारे में प्रश्न किए थे। लेकिन कभी कोई उत्तर नहीं दिया गया—पूरी तरह मुंह फेर लिया गया—और माननीय विपक्षी नेता ने तब कुछ नहीं कहा। उनके विवेक ने भी उनको नहीं कुरेदा। लेकिन मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से सहमत हूं कि हमारी कामना यहीं है कि हमारा प्रशासन स्वच्छ और उचित होना चाहिए। उन्हीं बातों के अनुसरण में मैंने अपना वक्तव्य दिया और विपक्ष के माननीय नेता ने उसको शुरू से ही काटने की कोशिश की है। लेकिन उन्हें चाहिए कि मैंने सदन में जो दो वक्तव्य दिए हैं, वह उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और मैं इनको अवश्य ही आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। मैंने सदन में दिए गए अपने पहले वक्तव्य में क्या कहा है? वह इस तरह है :

"10 अगस्त, 1978 को राज्य सभा द्वारा पारित संकल्प के प्रति सरकार के रुख के बारे में वक्तव्य देते हुए 24 अगस्त, 1978 को प्रधान मंत्री ने कहा:

"प्रशासन में उच्चतम कोटि की स्वच्छता बनाए रखने के लिए मेरी सरकार किसी के आगे नहीं झुकेगी और भ्रष्टाचार के किसी ऐसे आरोप को बर्दाश्त नहीं किया जायगा जिससे सरकार की छवि धूमिल होती हो। अतः हालांकि सरकार संकल्प में वर्णित दो, सिफारिशों में से किसी भी सिफारिश को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करती है, फिर भी सरकार के सत्ता संभालने के समय से अब तक उक्त संकल्प के संदर्भ में भ्रष्टाचार के विशिष्ट आरोप किसी माननीय सदस्य द्वारा लिखित में दिए जाने पर सरकार उन आरोपों को जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधिपति को भेजने का विचार रखती है।"

कृपया इन शब्दों पर ध्यान दें:

'किसी सदस्य द्वारा लिखित में दिए जाने पर'

तब मैंने कहा:

"इस वक्तव्य के बावजूद जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच किए जाने के पक्ष में हैं उन्हें इस वक्तव्य द्वारा दिए गए अवसर के बावजूद, सदन के किसी माननीय सदस्य अथवा किसी और ने भ्रष्टाचार के कोई विशिष्ट आरोप लिखित में नहीं भेजे हैं।"

मैंने यही कहा है और फिर भी, विपक्ष के माननीय नेता इस कथन को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। महीनों बीत गए हैं। यह वक्तव्य अगस्त में दिया गया था और मेरा वक्तव्य फरवरी,

[श्री एच० एम० पटेल]

1979 में था। छः महीनों के दौरान, आरोप लगाने की चिंता किसी को नहीं थी। तब किसी ने भी लिखित में कोई शिकायत क्यों नहीं की ? न केवल वे, बल्कि विपक्ष के नेता ने भी ऐसा नहीं किया जिनके पास अब काफी समय है .....

श्री बी० शंकरानन्द : यह आपत्तिजनक है। वह कहते हैं कि विपक्ष के नेता के पास पर्याप्त समय है। यह व्यंगपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : व्यंग्य तो संसदीय जीवन का अभिन्न अंग है। (**व्यवधान**)

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मैं अपना वक्तव्य पढ़कर सुनाने से अधिक कुछ नहीं कर सकता। मैं स्थिति को संक्षेप में स्पष्ट करना चाहूँगा। किन्तु, श्री बिपिनपाल दास ने नियम 170 के अधीन इस आशय का प्रस्ताव पेश किया है कि सरकार को चाहिए कि सदन में लगाये गए भ्रष्टाचार के सभी आरोप संवीक्षा तथा जाँच के लिए तत्काल भारत के मुख्य न्यायाधिपति को भेज दिए जाएं ताकि वह यह पता लगा सकें कि उपर्युक्त आरोपों में से किन आरोपों के बारे में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार इस महान सदन जो उच्चतम सम्मान देती है और सदन में व्यक्त किए गए विचारों को अत्यधिक महत्व देती है, फिर भी सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि भ्रष्टाचार के आरोप विशिष्ट हों···

श्री सी० एम० स्टीफन : जब मैंने लोकसभा विवाद में से उद्धरण पेश करने का प्रयत्न, किया तो वह राज्यसभा के वाद-विवाद वृत्तांत से उद्धरण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। उसमें से उद्धरण न दें। (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन : दो स्टैण्डर्ड प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए। यदि वह लोकसभा के वाद-विवाद वृत्तांत से उद्धरण दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह वही वक्तव्य है जो इस सदन में दिया गया था तो आप उसे उउद्धृत कर सकते हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इसके बारे में बिल्कुल ठीक पता नहीं लेकिन अब मैं वह वक्तव्य पढ़कर सुनाऊंगा जो मैंने इस सदन में दिया था।

मैंने जो कुछ कहा वह यह था कि एक माननीय सदस्य ने राज्यसभा में यह अनुरोध किया था कि ये आरोप मुख्य न्यायाधिपति को भेज दिये जाएं। यह कि मैंने बहस में कहा और इसलिए, ध्यानपूर्वक विचार के बाद, हालांकि सरकार ने इस प्रक्रिया को अपनाना उचित नहीं समझा फिर भी सरकार ने उस सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा को मानते हुए और इसलिए

भी कि कोई आगे नहीं आया, न ही किसी ने लिखित में कोई आरोप पेश किया, यह महसूस किया कि इस बारे में अवश्य ही कुछ किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा : "हम 10 अगस्त का सम्पूर्ण वाद-विवाद वृत्तांत भारत के मुख्य न्यायाधिपति को भेज देंगे ताकि वह पता लगा सकें कि क्या कोई ऐसा स्पष्टत: मामला आदि है जिसके लिए जाँच आयोग बैठाना आवश्यक हो।"

तत्पश्चात् जब मुख्य न्यायाधिपति को कुछ कठिनाई हुई, मैंने जो कहा और जो वक्तव्य मैंने यहाँ दिया, वह इस प्रकार है :

"महोदय, मैंने 23 फरवरी, 1979 को राज्यसभा में जो वक्तव्य दिया उसमें और लोकसभा में कुछेक अतारांकित प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने इस निर्णय का उल्लेख किया गया था कि राज्यसभा में 10 अगस्त, 1978 को पारित किये गए प्रस्ताव पर हुआ वाद-विवाद भारत के मुख्य न्यायाधिपति को भेज दिया जाए इस अनुरोध के साथ कि वह यह पता लगाएं कि क्या उपर्युक्त वाद-विवाद वृत्तांत में उल्लिखित किन्हीं आरोपों के बारे में, जो उस अवधि से संबंधित हैं जब सरकार ने मार्च, 1977 में सत्ता संभाली, प्रधान-मंत्री और भूतपूर्व गृहमंत्री के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कोई प्रत्यक्षत: मामला सिद्ध होता है जिसके लिए जाँच आयोग अधिनियम के अधीन औपचारिक जांच करने का औचित्य सिद्ध होता हो। तदनुसार, मैंने भारत के मुख्य न्यायाधिपति से अनुरोध किया कि वह यह जाँच-पड़ताल करें और इस संबंध में अपनी सलाह दें।"

उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधिपति के उत्तर की बात आती है। उन्होंने, प्रधानमंत्री द्वारा आपने उत्तर में दिये गए वक्तव्य के बाद भी उन घटनाओं का उल्लेख किया, जिन्हें माननीय सदस्य ने उद्धृत किया और भारत के मुख्य न्यायाधिपति की आलोचना करना उचित पाया। मैंने सोचा कि विपक्ष के नेता जैसा विद्वान व्यक्ति संयम से काम लेगा, लेकिन वह तो उत्तेजना और भावुकता के साथ बह जाते हैं। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा बताये गए कारणों को समझते हुए और उनकी इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे मुख्य न्यायाधिपति के पद पर कोई आंच आए अथवा उस पद की प्रतिष्ठा तथा स्थिति को क्षति पहुँचे, सरकार इस मामले को उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपने पर सहमत हो गई, लेकिन महसूस किया कि यदि ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश का चयन सरकार द्वारा किये जाने की अपेक्षा उसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामांकित किया जाए तो बेहतर होगा। यदि हमने न्यायाधीश को चुना होता, तो वह आपत्ति करते; जब हम वह कार्य करने के लिये मुख्य न्यायाधिपति से कहते हैं, तब भी वह आपत्ति करते हैं। ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, मुख्य न्यायाधि ने इस कार्य के लिए न्यायमूर्ति श्री सी. ए. वैद्यलिंगम के नाम का सुझाव दिया। हमने सारा मामला उनको भेज दिया। सही स्थिति यही है। मैं जानना चाहूँगा कि उनको वास्तव में किस बात पर आपत्ति है।

श्री सी०एम० स्टीफन : आप मुख्य न्यायाधिपति को अपना कानूनी अधिकारी नहीं बना सकते। यही मेरी आपत्ति है।

श्री एच०एम० पटेल : दुर्भाग्यवश विपक्ष के नेता की समझदारी मन्द पड़ती का रही हैं; वह यह भी भूल जाते हैं कि वह किस पार्टी के हैं।

श्री सी०एम० स्टीफन : इस प्रकार के शब्द कहना किसी तर्क का जवाब नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : इसीलिए आप हमेशा ऐसा करते हैं। मैं कभी भी अपशब्द नहीं कहता हूँ··· (**व्यवधान**)

आप दोनों वकील होने के नाते, जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई के अनुकूल कोई बात नहीं। इसी तरह आप मुख्य न्यायाधिपति के पद को नाहक ही बीच में घसीट लाये हैं। यदि आपका कहना वही है, तो मैं यह आरोप लगाऊँगा कि आप शब्दों को चुन चुनकर इस तरह पेश करने का प्रयत्न करते हैं कि आप किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। तथ्यों को चुनकर पेश करना भी झूठ बोलने का एक उत्कृष्ट तरीका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : तथ्य-गोपन और मिथ्या सुझाव।

यी एच० एम० पटेल : वे ठीक यही करते हैं··· (**व्यवधान**) वकील यह बता रहा है कि आपने अपने भाषण में क्या किया है। तथ्य-गोपन और मिथ्या सुझाव। सत्य को छिपाना झूठ का प्रचार करने से कहीं अधिक विश्वासघाती होता है। सही मायने में यही सही अनुवाद है।

मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नेहरू के दिनों में ऐसे अनेक अवसर आते जब मुख्य न्यायाधीश की सहायता मांगी जाती और वह सहायता तत्काल दी जाती और उस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। विपक्ष में बैठे हमारे विद्वान मित्रों ने भी कभी उन संदर्भों की आलोचना नहीं की। वह उन संदर्भों को भूल गये हैं। वह पूर्वोदाहरणों को लेकर बहुत बोलते हैं परन्तु वह इंग्लैंड के पूर्वोदाहरणों पर भरोसा रखना चाहते हैं न कि इस देश के पूर्वोदाहरणों पर।

फरवरी, 1963 में कलकत्ता के किसी पत्र ने उल्लेख किया कि केन्द्र के कुछ मंत्रियों का सिराजुद्दीन सौदों में हाथ है और बाद में वह मामला सभा में उठाया गया और उसके बाद प्रधान मंत्री ने क्या किया। प्रधानमंत्री ने वह मामला महान्यायवादी को उनकी राय के लिए सौंप दिया और उसकी सूचना लोक सभा सचिवालय को दे दी बाद में प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वक्तव्य दिया कि महान्यायवादी ने इस मामले में आगे जांच के लिये मुख्य न्यायाधीश श्री दास को यह मामला सौंपने की सलाह दी है।

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : इसलिये आप इसकी भी उसके साथ तुलना कर सकते हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं केवल इसी की तुलना करता हूँ। इस देश में न्यायपालिका को मामले सौंपने की प्रक्रिया सही है। मैं केवल पूर्वोदाहरणों का उल्लेख कर रहा हूँ।

एक और अवसर है जब इसी तरह उडीसा विधानसभा में विपक्ष के नेता ने राष्ट्रपति को एक स्मरण-पत्र दिया था और उस समय हुआ यह है कि केन्द्रीय गृहमंत्री ने उस स्मरण-पत्र को उड़ीसा के मुख्यमंत्री को भेज दिया और सुझाव दिया कि इसे किसी न्यायाधीश को सौंपा जाये और उसके बाद पुनः उसे उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपा गया।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : वह उस समय के सेवारत न्यायाधीश थे।

श्री एच० एम० पटेल : जी, हाँ, एक सेवारत न्यायाधीश को सौंपा गया। उसके बाद फिर कुछ संसद संसदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें कतिपय आरोप लगाये गए थे। ऐसे बहुत से मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन सबका उल्लेख करना आवश्यक है ?

श्री एच० एम० पटेल : यह आवश्यक नहीं है। मुझे पूरा संतोष है और मैंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार ने जो मार्ग अपनाया है उसे ये पूर्वोदाहरण उचित ठहराते हैं। हमने सही ढंग से काम किया है। मैं समझता हूँ कि हमने सही मार्ग अपनाया है। हमने विपक्ष को आगे आने के लिए प्रत्येक अवसर दिया है, यदि वे कोई विशेष आरोप लगाने के लिए अपनी बात कहने के लिए पूरे प्रमाण सहित आगे आते। ऐसा करने में वें अब तक असफल रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि वे असफल रहे हैं और इसलिये भी है कि वाद-विवाद के दौरान अस्पष्ट आरोपों को छोड़कर उन्होंने और कोई आरोप नहीं लगाया है, और उन्हें डर है कि उन सभी आरोपों, जिनके पीछे कोई ठोस बात नहीं है, को निराधार और निरर्थक बताया जाएगा।

धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल प्रातः 10 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थागित होती है।

8.08 **बजे म० प०**

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 18 मई, 1979/28 वैशाख, 1901 (शक) के दस बजकर तीस मिनट तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-110002